राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 2] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 55 वां दिवस [संख्या 22

मंगलवार,
दिनांक 12 मार्च, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उपनिवेशन, राजस्व, समाज कल्याण, आबकारी, खाद्य, सिंचाई, वन, पंचायत, वित्त, अकाल सहायता व देवस्थान विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री केशरीसिंह हाड़ा !

जमीन की नीलामी

555. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या मंत्री, उपनिवेशन, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कॉलोनाइजेशन विभाग द्वारा तहसील हिण्डोली व नैनवा में कुल कितने एकड़ जमीन नीलाम की गई और किस दर से ?

(2) कितने खरीददारों से चौथान जमा कराई गई तथा उन्हें जमीन का कब्जा मौके पर जाकर दे दिया गया है अथवा नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि जमीन जोतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं और जमीन खरीदने वाले जमीन से महरूम रह गये हैं ?

(4) या यह सही है कि कॉलोनाइजेशन द्वारा जमीन की शरह तय कर दी गई है ? यदि हां, तो बोली क्यों लगाई जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि गांवों के कांकड़ भी नीलाम कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कांकड़ के अभाव से जनता ने लाखों का गोधन खोया है ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) तहसील हिन्डोली व नैनवा में कोई कृषि भूमि नीलाम नहीं की गई ।

(2) भाग (1) में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) भाग (1) में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) घोषित कॉलोनी क्षेत्र में आवंटन होने वाली जमीन की शरह नियत कर दी गई है और जमीन उक्त क्षेत्र में नीलाम से नहीं बेची जाती ।

(5) भाग (1) में दिये गये उत्तर के अनुसार प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : क्या यह सत्य नहीं कि सन् 1965 में सेमाणी के अन्दर जो भूमि काश्तकारों को नीलाम की गई वापिस उनसे लेली गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे को जहां तक जानकारी है तहसील हिन्डोली व नैनवा चम्बल एरिया में फाल नहीं होता। नीलाम-पद्धति चम्बल एरिया में है तहसील हिन्डोली और नैनवा में नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार जमीन नीलामी से नहीं बेची गई।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : आप यह बतलायें कि पाटन चम्बल कमान्डेड एरिया में है क्या इस तहसील में कॉलोनाइजेशन द्वारा जमीन नीलाम नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पाटन का प्रश्न आपने पूछा नहीं। चम्बल प्रोजेक्ट में आने वाली जमीन नीलामी से बेची जाती है। आपका यह प्रश्न इससे संबन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या 556

श्री उपाध्यक्ष : रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 557

श्रीमती गौरी पूनिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

शराब का उत्पादन

558. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सरकारी व गैर सरकारी तौर पर कहां-कहां और कितनी-कितनी शराब माहवार बनती है ? अलग-अलग किस्म की शराब की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) किस-किस प्रकार की शराब पर क्या उत्पादन खर्च लगता है और कितना टैक्स ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) राजस्थान में शराब का निर्माण सरकारी तौर पर नहीं किया जाता है। गैर सरकारी तौर पर गंगानगर शुगर मिल्स देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा उदयपुर डिस्टिलरी कम्पनी, उदयपुर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन करती है। विभिन्न किस्म की मदिरा के वर्ष 1966-67 के उत्पादन के आंकड़े का मानचित्र 'क' एवं 'ख' संलग्न है।

(2) अलग-अलग किस्म की शराब की खरीद की कीमत तथा सरकार द्वारा लगाई गई आबकारी शुल्क का मानचित्र 'ग' संलग्न है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उत्पादन पर राज का सीधा नियन्त्रण नहीं है अतः उत्पादन खर्च बताना संभव नहीं है विदेशी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क, प्रति प्रभारी शुल्क व अनुज्ञा शुल्क का मानचित्र 'घ' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उदयपुर की डिस्टिलरी कम्पनी किसकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार की नहीं प्राइवेट है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस सरकार ने शराब के बारे में जिस नीति की घोषणा बजट में

Page No. 3

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की है आपके आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम प्रोडक्शन 22 हजार 400 लीटर का है जब कि मार्च में 1,42,856 लीटर तक कर दिया है। क्या यह आपकी नशाबन्दी के नीति के अनुकूल है ?

श्री मथुरादास माथुर : देशी या विदेशी किसके बारे में है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन्डियन मेड फॉरेन लिकर.....

श्री मथुरादास माथुर: यह जो इन्डियन मेड फॉरेन लिकर है वह हमारे यहां तो जो हम पैदा करते हैं उसके आंकड़े देखकर घबराने की जरूरत नहीं। यह लिकर रम है जो डिफेन्स पर्सोनल को भेजने के लिये है। यह कन्ट्राक्ट गंगानगर शुगर फैक्टरी को भी है और उदयपुर डिस्टिलरी को भी है जो इन्डियन मेड फॉरेन लिकर मेन्युफेक्चर करते हैं जो बाहर डिफेन्स पर्सोनल के लिये जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उदयपुर का एरिया गुजरात से मिला हुआ है इसका परिणाम यह होता है कि हर शनिवार और इतवार को गुजरात और बम्बई से लोग यहां आजाते हैं इनके निवास के लिये भी उत्तम व्यवस्था कर रखी है। राज्य सरकार ने जब यह नीति घोषित कर दी हैं, उस इलाके में मद्य-निषेध लागू कर दिया है, एक तरफ ज्यादा प्रोडक्शन होता है, दूसरी तरफ ड्राई एरिया बना रखा है तो क्या यह आपकी मद्य-निषेध पॉलिसी के अनुकूल है ?

श्री मथुरादास माथुर : जिन क्षेत्रों के अन्दर प्रोहिबिशन है वहां के लिये हमारी पॉलिसी साफ है। अगर वहां पर अहमदाबाद या बम्बई से आकर लोग पीते हैं तो पीयें आप भी जाकर पीयें इसको कौन मना कर सकता है। जितने पीने वाले होते हैं उतना ही वे बेचते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप इसका प्रोडक्शन बन्द करने के लिये तैयार हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कतई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री !

विदेशी गेहूं के भाव

559. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विदेशी गेहूं के भाव केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की राय भी मांगी थी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या राय दी ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह): जी हां। भाव बढ़ाते समय केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की राय नहीं मांगी थी।

श्री भगवानदास शास्त्री : राय नहीं मांगी थी तो क्या आपने उनसे यह कहा नहीं कि राजस्थान की जनता की इतनी आय नहीं कि वह इतना भार संभाल सके ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि जो इम्पोर्टेड व्हीट आता है उस पर भारत सरकार करीबन 132 करोड़ रुपया सबसिडाइज करती है। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया अच्छी फसल को देखते हुए

(श्री परसराम मदेरणा)

वह सबसिडी विथड्रा कर ली । अतः जिस भाव पर हमें अनाज मिलता है उसी भाव पर हम देते हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जैसे भाव बढ़ा तो सभी राज्यों में बढ़ा होगा लेकिन आपने गुजरात और महाराष्ट्र जहां के लोगों की आय ह । से ज्यादा है आपने इस बात का सुझाव रखा क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य मिस-इन्फॉर्म्ड हैं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : इन्कम के सोर्सेज मध्यभारत गुजरात और महाराष्ट्र की अपेक्षा हमारे यहां कम हैं आपने अपने राज्य की स्थिति क्यों नहीं बतायी ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान खाद्यान्नों के मामलों में भारत के कई दूसरे राज्यों से अच्छा है । दूसरे में ज्यादा डेफीसिट है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : दूसरे राज्यों की आय दो हजार रुपया प्रति व्यक्ति है गलत उत्तर दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : भारत सरकार ने इनको पूछा नहीं ये कैसे बता सकते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : 'बाबा वचनं प्रमाणं' इसका मतलब तो यह हुआ ।

श्री उपाध्याय : नैक्स्ट ! श्री शंकरलाल !

ओला वृष्टि से हानि

560. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् 67 में पाली जिले की जैतारण और रायपुर तहसीलों के कई गांवों में ओलों की वर्षा से बहुत नुकसान हुआ ?

(2) यह नुकसान किन-किन गांवों में कितना-कितना हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) सरकार द्वारा राहत पहुंचाने की क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या ऐसे क्षेत्र में लगान व अन्य सरकारी बकाया रकम की वसूली माफ की जायगी अथवा स्थगित रखी जायगी ?

(5) क्या इन क्षेत्रों में राहत कार्य भी प्रारम्भ किये जायेंगे ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(1) जी हां । जैतारण तहसील के 19 ग्राम व रायपुर तहसील के 12 ग्रामों में माह दिसम्बर, सन् 1967 में ओले पड़े और ओला वर्षा से नुकसान हुआ ।

(2) ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील जैतारण के उक्त गांवों में मिरचों पर 8 आना तथा रायपुर में चार आना नुकसान हुआ ।

(3) कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शंकरलाल : कार्यवाही क्यों नहीं की गई जब आप खुद नुकसान मानते हैं ? राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : मिरची में आठ आना नुकसान हुआ एक जगह और दूसरी जगह चार आना हुआ इसलिये नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री शंकरलाल : गत दो सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस साल फसल बहुत अच्छी है ।

श्री शंकरलाल : इस साल का प्रश्न नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार अगर लगातार दो सालों से नुकसान होता आ रहा हो तो राहत पहुंचानी पड़ती है, क्या नियमों के अन्तर्गत आपने इसको देखा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष की फसल बहुत अच्छी है इसलिये राहत पहुंचाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, न कलेक्टर द्वारा मांग ही प्रस्तुत की गई ।

झुंझुनू जिले में चीनी के स्पेशल परमिट

560 A. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झूंझनू जिले में माह अप्रेल, मई, 1967 में जिला रसद अधिकारी के कार्यालय से किन किन व्यक्तियों को स्पेशल चीनी के परमिट मिले तथा उन व्यक्तियों को जिला रसद अधिकारी ने किस आधार पर कितनी-कितनी चीनी के परमिट दिये ? क्या सभी आवेदकों को चीनी के परमिट एक आधार पर ही दिए गये ? यदि हां, तो चीनी के परमिट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची मय उनको दी गई चीनी की तादाद के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि कुछ आवेदकों को 1 बोरी चीनी के परमिट तथा कुछ को पचास किलो तथा किसी को दस पन्द्रह किलो चीनी के परमिट शादियों के वास्ते दिये गये ? यदि हां, तो इतना फर्क कैसे किया गया है ?

(3) क्या जिलाधीश महोदय ने आदेश जारी कर रखे थे कि चीनी जिला कार्यालय से शादियों के वास्ते नहीं दी जावेगी बल्कि सम्बंधित अधिकारी ही अपने अपने क्षेत्रों में चीनी के परमिट देंगे फिर भी जिलाधीश कार्यालय से परमिट जारी होते रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

उप-मंत्री. खाद्य (श्री रामदेवसिंह):

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सभी आवेदकों को चीनी के परमिट एक आधार पर नहीं दिये गये हैं ।

(2) जी हां, यह फर्क प्रार्थी की आवश्यकता, मांग, उसका आर्थिक स्तर तथा उपलब्ध चीनी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामनारायण चौधरी : आर्थिक स्तर की जो बात कही गई इससे आपका क्या मतलब है ? जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है जो समर्थ हैं जो न मिले तो खुले बाजार से भी ला सकते हैं उनको अधिक और जो गरीब हैं उनको कम?

श्री रामकिशन (वैर) : उनको अधिक ब्लैक करने दिया जावेगा ।

Page No. 6

श्री रामदेवसिंह : किसी की शादी में कम महमान आतें हैं किसी में ज्यादा इस आधार पर माना है ।

श्री रामनारायण चौधरी : किसी के कम आवेंगे या ज्यादा आवेंगे इसको कैसे जाना ?

श्री परसराम मदेरणा : स्पेशल परमिट देने के सम्बंध में, उपाध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाईज के अधिकारियों को डिस्क्रीशन है और वे सब देख कर अपना डिस्क्रीशन एक्सरसाईज करते हैं । किसी को ज्यादा की आवश्यकता पड़ सकती है ज्यादा महमान इन्वाइट करता है दूसरा कमजोर भी है बाजार से नहीं खरीद सकता तो उसको भी ज्यादा आवश्यकता पड़ सकती है स्पेशल परमिट से देने की । तो इसलिये यह प्रवन्ध किया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : इसीलिए पूछ रहा हूं कि दोनों तरह के व्यक्तियों में से किसको अधिक दिया । जो गरीब थे आवश्यकता जिनकी अधिक जरूरी थी उनको तो पांच किलो दिया गया और जो अमीर थे बाजार से आसानी से ले सकते थे उनके चाहे महमान ज्यादा हों उनको कम भी दिया जा सकता था, पर उनको एक क्विन्टल दिया गया है । सभी ने प्रधान सरपंच एम. एल. ए. द्वारा तसदीक कराई है । फिर एक को अधिक और एक को कम देने में डिस्क्रीशन यूज करने का आधार क्या था ?

श्री परसराम मदेरणा : डिस्क्रीशन जसे राज सरकार अनुभव करती है कि जूडीशियरिली एक्सरसाइज किया जाए उस तरह से आर्बिट्रेरिली एक्सरसाइज किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत !

अजमेर जिले में अवैध शराब, अफीम, गांजा, भंग आदि के मामले ।

561. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या आवकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में कितने मामले अवैध शराब अफीम, गांजा, भंग के पकड़े गये ? प्रत्येक की सूची प्रति वर्ष के हिसाब से सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब तक उक्त मामलों में से कितने अदालत में पेश हुए ? जो केस अदालतें में पेश नहीं हुए, उनके क्या क्या कारण हैं ?

(3) उक्त केसेज में राज्य कोष में कितना धन प्राप्त किया गया ? सूची सदन की मेज पर रक्खें ।

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर):
(1) मानचित्र (क) संलग्न है ।

(2) कुल 1090 मामलों में से 545 मामले अदालतों में चालान किये गये । शेष मामलों में संगीन अपराध नहीं होने के कारण नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गई ।

(3) मानचित्र (ख) संलग्न है

(कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री विजयसिंह रावत : सन् 63 में 280 मामलों में से अदालत में कितने दिये ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सूची में लिखा है ।

Page No. 7

श्री विजयसिंह रावत : मैंने पूछा है जो अदालतों में पेश नहीं हुए उनका क्या कारण है ? यह बताइये । यह उत्तर में नहीं बताया ।

श्री मथुरादास माथुर : यह जानकारी आपने नहीं चाही, इस लिये अलग से प्रश्न और पूछ लीजिये । मैं बता दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बता दिया अदालत में कितने पेश हुए । कारण बता दिया अब उनमें शराब के कितने हैं यह अलग से आपने नहीं पूछा वह पूछ लीजिये वह भी बता देंगे ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : क्या यह सही है कि 500 मामलों में से अदालत में 200 ही भेजे गये ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकर्ता ।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा प्रश्न यह था कि अजमेर जिले में गत पांच वर्षों में कितने मामले अवैध शराब, अफीम, गांजा, भंग के पकड़े गये उनमें कुछ केसों की जानकारी मुझे है कि केस पकड़े गये उनको विभागीय अफसरों ने घूस खाकर, रिश्वतें लेकर न चालान पेश किया और न अदालतों में दिये । इनमें से अब आप बताइये शराब के कितने केस पकड़े गये कितने अदालत में पेश किये ।

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछेंगे तो बता दूंगा ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि मार्च 66 में, सॉरी, 17 मार्च, 67 में आबकारी के नाम से बोतलें पकड़ी गई अवैध शराब की और मांगलियावास में 800 गैलन पकड़ी गई । वह इस में है क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत घोटाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

आर्डर प्लीज । इसमें सप्लीमेन्टरी की ज्यादा गुंजाइश नहीं है । अब भी आपको शक रह गया हो तो अलग से प्रश्न पूछ लीजिये ।

श्री रामानन्द !

श्री विजयसिंह रावत : कितने मामले पकड़े गये कितने अदालत में पेश नहीं किये गये यह पूरी जानकारी मिलने के बाद क्या सरकार उनके सम्बंध में उचित कार्यवाही करने को तैयार होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न । सरकार हर मामले में उचित कार्यवाही करने को तयार है ।

प्रश्न संख्या 562

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रोफेसर केदार !

गंगानगर जिले की भूमियों के मूल्य में बढ़ोतरी

563. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने गंगानगर जिले छः मासे, बारह मासी तथा बारानी भूमियों के मूल्यों में बढ़ोतरी करदी है ? यदि हां, तो कितनी, कब से और किस आधार पर ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (राजस्व मंत्री की ओर से) : (1) जी हां । राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 22 (30) राज/उप/65 दिनांक 31-8-67 के

(श्री रामप्रसाद लडढा) : द्वारा कीमतें बढ़ जाने के आधार पर मूल्यों में बढ़ोतरी निम्न प्रकार की गई है:—

1. नहरी बारहमासी 700) रुपया प्रति बीघा,
2. नहरी छः मासी 500) रु० प्रति बीघा,
3. बारानी 250) रु० प्रति बीघा ।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार ने इसको मान लिया है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे ही इन जमीनों की कीमतें भी बढ़ा दी जावेंगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न इस पर लागू नहीं होता ।

श्री केदारनाथ : आपके कहने का तो यही मतलब हुआ कि आपने सिद्धान्ततया यह मान लिया है कि ज्योंही कीमतें और चीजों की बढ़ेंगी त्योंही आप इन जमीनों की कीमतें भी बढ़ा देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नहीं है । कीमतें जमीनों की बढ़ गई हैं । पहले 56 में जो कीमतें जमीनों की निर्धारित की गई थीं आज उसको 13 साल हो गये इस बीच जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं और उसी को ध्यान में रखकर ये कीमतें बढ़ाई गई हैं ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : कीमतें बढ़ाने का आधार क्या है, यह जानना चाहते हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कीमतें जमीन की मारकेट में बढ़ गई इसलिए बढ़ाई हैं ।

श्री दौलतराम सारण : फिर सात सौ ही क्यों बढ़ाई ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सीधी बात न करें ।

अवैध शिकार

564. श्री लक्ष्मणसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अवैध शिकार खेलने वालों को रोकने का सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

(2) क्या यह सच है कि जंगलों के ठेकेदार व उनके कर्मचारी वन प्राणियों का अपने ठेके के जंगलों में नाश करते हैं ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान में आदमखोर शेर चीते नहीं के बराबर हैं ? यदि हां, तो फिर ठेकेदारों को अपने कूपों में बन्दूकें रखने की इजाजत क्यों दी जाती है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में कोई गेम्स वार्डन फ्लाइंग स्क्वेड बनाने का विचार रखती है जो इस प्रकार के पोचिंग की रोक-थाम कर सके ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(1) राजस्थान वन अधिनियम तथा राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं ।

(2) जी नहीं, इस प्रकार की कोई घटना विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(3) जी हां, ठेकेदारों को अपने कूपों में बन्दूक रखने की इजाजत आत्मरक्षा के लिए दी जाती है ।

(4) जी नहीं ।

Page No. 9

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : क्या यह सही है कि महाराणा उदयपुर के यहां भैंसरोड़गढ़ के अंदर होटल के ऊपर जो लोग आये थे उनको शिकार कराया गया था ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ललितसिंह : उपाध्यक्ष **महोदय** मेरे प्रश्न के भाग 2 के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग की जानकारी में नहीं है तो मैं निवेदन करूं कि मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और मैं जानता हूं कि जंगल नीलाम होते हैं और ठेकेदारों को दे दिये जाते हैं और ठेकेदार बड़ी बुरी हालत से जानवरों को मारते हैं चाहे कोई भी सीजन हो, चाहे बच्चा हो या मादा हो। वह जानवरों को मारते हैं और सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और जहां तक महाराणा साहब का सवाल आया मैं निवेदन कर दूं····

श्री उपाध्यक्ष : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे आप।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि आत्मरक्षा के लिए ठेकेदारों को बन्दूक रखने की इजाजत हैं। इस प्रकार की शिकायत नहीं आई और अगर शिकायत हो तो उसकी जांच कराई जायेगी। अब वह बुरी तरह से मारते हैं तो गोली से ही मारते होंगे और दूसरी प्रकार से मारा है तो उसकी भी शिकायत की जा सकती है उसकी भी जांच कर ली जायेगी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : ठेकेदारों को जो बन्दूकें रखने की इजाजत हैं आत्मरक्षा के लिए वह तो ठीक है लेकिन क्या सरकार इस सम्बंध में विचार करेगी कि ट्रकों के साथ जो कि कूप्स के अन्दर जाती हैं उनके साथ एक फॉरेस्ट गार्ड या कोई दूसरी आदमी साथ जाये ताकि जंगल में पशुओं का शिकार नहीं किया जा सके ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इतना स्टाफ फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट के पास नहीं कि हर एक ट्रक के साथ में आदमी जाये। वैसे फॉरेस्ट गार्ड्स की जिम्मेदारी है कि पशुओं की रक्षा हो।

श्री दिग्विजयसिंह : आप कह रहे हैं कि इतना स्टाफ नहीं है तो आप कैसे निश्चित रूप से कह सकते हो कि शूटिंग नहीं करते होंगे ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): मंत्री महोदय ने बारबार यह जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है मैं जानना चाहती हूं कि उनके विभाग का यह फर्ज है या नहीं कि इस प्रकार की विजिलेन्स रखें कि जब कि कई बार असेम्बली में वादविवाद हो चुका है सैकड़ों पशु मारे जाते हैं···

श्री नारायणसिंह मसूदा : हमारे पास जानकारी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में राज्य सरकार इन्सानों को खाना देने में असमर्थ रही है और इसीलिए इन्सान जानवरों को मारते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, नैक्स्ट !

श्री मूलचन्द डागा !

जिला बोर्ड व नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की पंचायत समितियों में नियुक्ति

565. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) :

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि 2 अक्टूबर, 1959 के बाद एवं पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग के गठन के पूर्व, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों में रिक्त स्थानों पर, जिलाधीशों द्वारा जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था ?

यदि हां, तो जिला लोकल बोर्ड व नगरपालिका के कितने कर्मचारी राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में किन-किन जिलों में किन किन शर्तों के आधार पर व किन नियमों के अन्तर्गत लिये गये ? सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उनका नगरपालिका व जिला लोकल बोर्ड का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना गया है ?

(3) क्या विकास विभाग की ओर से जिला लोकल बोर्ड के कर्मचारियों का जिला लोकल बोर्ड का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु मानने के लिये दिनांक 9-3-65 को एक परिपत्र प्रसारित किया गया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) इसी परिपत्र के आधार पर नगरपालिकाओं के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु माना गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या नगरपालिका के कर्मचारियों को पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में लेते वक्त उन्हें सूचित किया गया था कि उनका नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु नहीं माना जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6) नगरपालिका के वे कर्मचारी जिनका नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न मानने के कारण, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में नहीं रहना चाहते हैं, वापिस नगरपालिका में सेवाएं प्राप्ति करने के हकदार हैं या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) नगरपालिका के कर्मचारियों का नगरपालिका का सेवाकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में वरिष्ठता हेतु न माने जाने के कारण स्थानान्तरण के वक्त नगरपालिका में जो वेतन उन्हें मिलता था वह पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा में उन्हें दिया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं और किन नियमों के अनुसार उनको नहीं दिया गया ?

राज्यमंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसे स्थगित किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने दो महीने पहले यह क्वेश्चन किया था।

श्री फूलचन्द बाफना : कब तक उत्तर आ जायेगा इस प्रश्न का ?

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी ही आ जायेगा।

प्रश्न संख्या 566

श्री देवीदत्त गाडिया ! (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

567. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड बने हुए हैं और कुल कितने व्यक्तियों के हैं ?

(2) जयपुर नगर में सरकारी अनाज की दुकानें कुल कितनी हैं और उनमें से सहकारिता के आधार पर कितनी चलती हैं व व्यक्तिगत कितनी हैं और सीधी सरकार द्वारा नियंत्रित कितनी हैं ?

(3) प्रत्येक दुकान पर कितने कितने राशन कार्डों पर खाद्यान्न दिये जाने की व्यवस्था की गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार की सहकारी संस्थाओं की दुकानों तथा अन्य दुकानों संबंधी नीति में कोई अन्तर है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जयपुर नगर में वर्तमान में कुल 1,10,117 राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनमें कुल 5,82,048 युनिट संख्या हैं।

(2) जयपुर नगर में 222 सस्ते गल्ले की दुकानें कार्य कर रही हैं, जिनमें सहकारी उपभोक्ता भण्डार 51 हैं और 171 व्यक्तिगत दुकानें हैं। सरकार द्वारा कोई दुकान नहीं चलाई जा रही है।

(3) साधारणतया प्रत्येक दुकान पर 3,000 व्यक्तियों तक राशन सामग्री देने की सीमा रखी हुई है।

(4) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जनसंख्या और राशन कार्डों की गिनती में परस्पर कितना अन्तर है ?

श्री रामदेवसिंह : दोनों की संख्या मैंने बता दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : दोनों की नहीं बताई। आप बतायें कि जयपुर की कितनी पापुलेशन है और राशन कार्ड कितने जारी किये हैं। आप जांच भी कर चुके हैं आंकड़े राज्य सरकार के पास आये होंगे वह बता दें।

श्री रामदेवसिंह : जनसंख्या 5,82,048 है और राशन कार्ड 1,10, 117 बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जनसंख्या कितनी है ?

श्री रामदेवसिंह : 5,82,048।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राशन कार्डों का जितना कोटा देते हैं वह सारा कोटा प्रति माह हर दुकान वाला उठा लेता है या किसी दुकान का कोटा लैप्स भी होता है

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग सवाल है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: इसी से संबंधित सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: तो फिर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दूं और एक छोटा सा सुझाव भी दिये देता हूं और आशा करता हूं मंत्री महोदय उसको स्वीकार करेंगे। कोटा लेप्स हो जाने के कारण जो उपभोक्ता हैं उनको सामान दुकानों से नहीं मिल पाता। अर्थाभाव के कारण वह कोटा नहीं खरीद सकते अ र इसके कारण उपभोक्ताओं को सामान नहीं मिल पाता। यदि आप उचित समझें तो इस प्रकार का कदम उठायें कि जिसकी शक्ति नहीं हो कि कोटा ले सके तो नहीं दिया जाये लेकिन इतना ड्रास्टिक स्टेप के लिए मैं निवेदन नहीं करता हूं लेकिन आप जमानत दुकानदार की ले लें कि अगर वक्त पर रुपया नहीं दे सकता है तो उस महीने का कोटा उपभोक्ताओं को मिल जाये समय पर हो आप कम से कम लेप्स करने की व्यवस्था को रोक दें और दूसरे दुकान दारों को दे दें ताकि वक्त पर लोगों को मिल जाये।·····

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में कहें माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या इस प्रकार की व्यवस्था मंत्री महोदय करने का कोई आश्वासन देंगे ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : जनसंख्या के अन्दर सारे मंत्री और उनके टावर टोली शामिल हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी शामिल है उसमें।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है वह जनरल सवाल है कि प्रत्येक वार्ड के अन्दर दुकानें चल रही हैं वहां पर कोटा महीने का उठाया है या नहीं इस प्रकार की शिकायत आयेगी तो उसको देखा जायेगा। जहां तक सिक्योरिटी मनी डिपोजिट करने का सवाल है 500 रुपया हर दुकानदार को जमा करवाने होते ह। इसलिए कि जब कभी भी नियमों की खिलाफवर्जी हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और वह जब्त की जा सकती है। अब रहा प्रश्न कि कुछ लोग नहीं उठा सकते हैं तो राज्य सरकार ने यह आदेश दे दिये हैं कि कोई भी रिटेलर शक्कर नहीं उठाता है जहां तक अनाज का संबंध है आजकल इम्पोर्टेड व्हीट बहुत कम उठ रहा है क्योंकि दूसरे खाद्यान्नों के भाव कोर्स और यहां का व्हीट है उसके भाव बहुत गिरे हैं और इसी मामले में राज्य सरकार ने आज्ञा प्रसारित की थी कि कोई रिटेलर चीनी नहीं उठाता है तो समय पर उपभोक्ताओं में वितरण के लिए चीनी दूसरी जगह पर दी जाती है। और यह जिले के लोकल अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि उपभोक्ताओं को चीनी समय पर वितरित की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, अगला प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव जरा सा और है चीनी के उठाने की व्यवस्था····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री दुर्गालाल बाड़दार : यह बड़ा महत्व-पूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव आप बाद में दे दें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय मंत्री महोदय ने पहले सप्ताह में आर्डर जारी कर दिया है । कम से कम चीनी का कोटा उठा लिया जाय गवर्नमेन्ट इसकी व्यवस्था तो और कर दे, क्योंकि · ·

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज !

प्रश्न संख्या 568

श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 569

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 570

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री परसराम गंगाराम !

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : हुकम । फाइव·········वन·········सेवन नहीं फाइव······सेवन · · वन

पंचायत समिति, परबतसर को भकरी ग्राम के पशु मेले से आय

571. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, परबतसर द्वारा भकरी ग्राम में पशु मेला लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या कोई मेला कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य थे ?

(2) यह मेला किसकी अनुमति से लगाया गया था ?

(3) इस मेले में कितने जानवर आये और कितने बिके ?

(4) इस मेले से पंचायत समिति को कितनी आमदनी हुई और कितना व्यय हुआ ?

(5) मेले की आमदनी में से भकरी ग्राम के सुधार के लिए कितनी धनराशि दी गई ?

(6) मेले के संबंध में विज्ञापन देने पर कितना व्यय हुआ ?

(7) क्या इस संबंध में कोई जीप किराये पर ली गई थी ? यदि हां, तो पंचायत समिति की जीप होते हुए जीप किराये पर क्यों ली गई ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां । प्रधान विकास अधिकारी, पशुपालन प्रसार अधिकारी · ·

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) कृपया सुनें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सरपंच रावाडी-याद, सरपंच भकरी मेला कमेटी के सदस्य थे ।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पढ़ दें । आप सुनें तो ।

श्री हीरालाल देवपुरा : (1) जी हां । प्रधान, विकास अधिकारी, पशुपालन प्रसार अधिकारी, सरपंच रावाडीयाद, सरपंच भकरी मेला कमेटी के सदस्य थे ।

(2) मेला पंचायत समिति के निर्णयानुसार एवं पशुपालन विभाग के परामर्श से लगाया गया था ।

(3) लगभग 3,090 जानवर आये और लगभग 552 जानवरों की बिक्री हुई ।

(4) कुल 3,223)25 पैसे की आमदनी हुई तथा 7,496)06 पैसे का खर्चा हुआ ।

(5) कोई धनराशि नहीं दी गई ?

(6) पंचायत समिति से कोई खर्चा नहीं किया गया ।

(7) जी हां । मेले में ज्यादा काम होने के कारण दूसरी जीप किराये पर ली गई ।

श्री परसराम गंगाराम : जब भकरी में मेला भरा तो उसके विकास के लिए क्यों नहीं रकम दी गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रथम मेला था । इस मेले के अन्दर आमदनी 3,223)25 पसे की हुई और व्यय 7,496)06 पैसे का हुआ ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : लेने के देने पड़ गये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

इन्जीनियर्स को प्रशिक्षण के लिये रुड़की भेजने का आधार

572. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष राज्य सरकार डब्ल्यू० आर० डी० टी० सी० में इन्जीनियर्स को रुड़की भेजती है ?

(2) अब तक किन-किन इन्जीनियर्स को सरकारी व्यय अथवा स्वयं के व्यय पर उपरोक्त शिक्षण किस-किस वर्ष में दिलवाया गया है ?

(3) इस शिक्षण में भेजने के चयन का क्या आधार है ?

(4) क्या शिक्षण उपरान्त किसी प्रकार की पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की जाती है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

(5) क्या शिक्षण के व्यय के वहन हेतु कुछ कुछ श्रेणियां बनाई हुई हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि किसी असिस्टेन्ट इन्जीनियर को इटेली में हाईड्रॉलिक एप्लाइड एग्रीकल्चर शिक्षण के लिए भेजा हुआ है ? अगर हां, तो कब व क्यों व कितना व्यय सरकार वहन कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी हां । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रति वर्ष भजें ।

(2) राज्य सरकार के खर्चे पर निम्नांकित अभियन्ताओं को भेजा गया :—

1. 1958 : श्री बी० सी० जैन, अधिशासी अभियन्ता ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

2. 1961 : श्री एस० पी० कश्यप अधीक्षण अभियन्ता ।
3. 1963 : श्री ए० सी० सांघी, अधिशासी अभियन्ता ।
4. 1963 : श्री सी० वी० शारदा, सहायक अभियन्ता ।
5. 1965 : श्री एस० सी० अडवानी, अधिशासी अभियन्ता ।
6. 1965 : श्री महेश कुमार, सहायक अभियन्ता ।
7. 1965 : श्री दलिप सिह, अधिशासी अभियन्ता ।
8. 1966 : श्री प्रभाकर शर्मा।
9. 1966 : श्री सी० वी० माथुर ।
10. 1967 : श्री एम० के० काला ।
11. 1967 : श्री पी० एल० रूंगटा ।
12. 1967 : श्री जे० पी० आचार्य ।
13. 1967 : श्री जे० सी० चतुर्वेदी, अधिशासी अभियन्ता ।

निम्नलिखित अभियन्ता अपने स्वयं के खर्चे पर उपरोक्त कोर्स में गये हैं :—

1. श्री विद्यासागर ।
2. श्री आर० सी० शर्मा ।

(3) अभियन्ताओं को उनकी स्वयं की इच्छाओं पर उनकी योग्यताओं के अनुसार व विभाग की सुविधा के अनुसार भेजते हैं ।

(4) ऐसे शिक्षण-प्राप्त अभियन्ताओं को पदोन्नत नहीं किया जाता । जो सहायक अभियन्ता स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर लेते हैं उनको तीन अग्रिम वेतन-वृद्धियां सहायक अभियन्ता की वेतन-श्रृंखला में दी जाती हैं ।

(5) शिक्षण के व्यय हेतु चार श्रेणिय रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा बनाई हुई हैं । चार श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

1. वे शिक्षणार्थी जो कि भारतीय या विदेशी सरकारों द्वारा मनोनीत होते हैं इनका व्यय मनोनीत करने वाली सरकार वहन करती है ।

2. वे शिक्षणार्थी जो कि अच्छे उद्योग संस्थान द्वारा मनोनीत होते हैं इनका व्यय मनोनीत करने वाले संस्थान वहन करते हैं ।

3. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ऐसे शिक्षणार्थी जो कि अवकाश लेकर शिक्षण लेते हैं उनका व्यय वे स्वयं वहन करते हैं ।

4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत ऐसे शिक्षणार्थी जो कि शिक्षा प्राप्त करते हैं राज्य सरकार के खर्चे पर जाते हैं ।

(6) किसी सहायक अभियन्ता को इटेली में शिक्षण हेतु राज्य सरकार के खर्चे पर नहीं भेजा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह आपने प्रश्न के खण्ड (2) में जो लिस्ट दी है, मैं राज्य सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो डब्ल्यू०आर०डी०टी०सी० में ट्रेनिंग के अन्दर जो समय समय पर, हर वर्ष सन् 58, 61, 67 जब-जब आपने एक-एक व्यक्ति या दो-दो व्यक्ति इस ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं तो इनका निर्धारण किस आधार पर करते हैं कि अमुक वर्ष के अन्दर एक जायगा और अमुक वर्ष के अन्दर दो जायेंगे या अमुक वर्ष के अन्दर कोई नहीं जायगा ? यह निर्धारण किस आधार पर करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह समस्य राज्य सरकार के पास आई और उस पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
अभी हाल में निर्णय लिया है। हमारे सेक्रेटेरियेट में एक जन शक्ति सेल है वह सारे डिपार्टमेंट्स के हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट से इस बारे में अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रोपोजल्स मंगाते हैं, और उन प्रोपोजल्स को मंगाकर उनको एक्जामिन करते हैं, और एक्जामिन करने के बाद आवश्यकतानुसार जिस डिपार्टमेंट से जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा जाय उनके भेजने के बारे में तय करता है, और हिन्दुस्तान के अन्दर ही जो संस्थायें हैं वहां पर आवश्यकता डिपार्टमेंट को होती है और जाने वाले की इच्छा भी होती है तो उसकी उपयोगिता और सुविधा को देखते हुए यह तय किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो ठीक है कि अब राज्य सरकार ने इस प्रकार से तय किया है, लेकिन 58 से लगाकर 67 तक जिन लोगों को ट्रेनिंग के लिए आपने भेजा है उसके लिए किसी वर्ष में एक व्यक्ति को, किसी वर्ष में दो व्यक्तियों को भेजा गया है, तो इसका निर्धारण किस आधार पर किया गया था ? किसकी रिकमन्डेशन पर यह किया गया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जाने वाले की सुविधा और साथ ही उसकी योग्यता और उसके साथ में हमारी आवश्यकता इन तीनों को देखते हुए यह निर्णय लिये गये हैं। कहीं किसी साल में अधिक भी हैं और किसी साल में बिल्कुल भी नहीं हैं और किसी साल में बिल्कुल कम हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि किसी वर्ष के अन्दर भी राज्य सरकार ने राजस्थान के अन्दर इन्जीनियर्स की एप्लीकेशन्स इनवाइट इस बात के लिए नहीं की कि इस वर्ष डब्ल्यू० आर० डी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिए इतने व्यक्ति भेजने हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्वाइट एप्लीकेशन्स नहीं की गई हैं। इन्जीनियर्स स्वयं ही एप्लीकेशन्स देते हैं, लेकिन इस सारे मामले को प्रापर्ली रेग्यूलेट करने के लिये विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही कि डबल्यू. आर. डी. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिए जो समय समय पर इन्जीनियर्स भेजे हैं उनमें से कुछ लोगों को आपने फुल सेलेरी पर भेजा है, कुछ लोगों को हाफ सेलेरी पर भेजा है और कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया है वे अपने खर्चे पर गये हैं। युनिवर्सिटी ने उनको 150 या 250 रु0 दिये हैं वह अलग बात है। स्वयं राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया है। कुछ को तो आपने फुल सेलेरी पर भेजा है और कुछ को हाफ सेलेरी पर भेजा है और कुछ को विदाउट ही भेजा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने यह बताया है कि 13 आदमियों को 58 से 67 तक राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर भेजा है, और दो आदमी ऐसे हैं कि जो अपने स्वयं के खर्चे पर गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कुछ इन्जीनियर्स इस प्रकार के भी हैं जिनको हाफ सेलेरी पर भेजा गया है ? आपने जो लिस्ट दी है उसमें आपने बताया है कि इन इन को हमारे खर्चे पर भेजा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से किन-किन व्यक्तियों को फुल सेलेरी देकर भेजा है और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कितने व्यक्तियों को हाफ सेलेरी पर भेजा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो गवर्नमेंट के खर्च पर भेजे जाते हैं वे फुल सेलेरीड ही होते हैं, और जो स्वयं के खर्च पर जाते हैं तो उनको जितनी छुट्टियां बाकी होती हैं वे मन्जूर कर दी जाती हैं और उस अवधि से ज्यादा ट्रेनिंग में उनको रहना पड़ता है तो लीव विदाउट सेलेरी ले लेते हैं, स्टडी लीव ले लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूंगा कि इन इन्जीनियर्स को जो ट्रेनिंग से लौटकर आते हैं उनको आप 3 एडवान्स इन्क्रीमेंट्स देते हैं तो क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अब तक इन लोगों को ट्रेनिंग पर भेजने का जो रवैया अपनाया है उस पर किसी प्रकार से उनकी सीनियोरिटी के आधार पर या मेरिट्स के आधार पर या और किस तरह से भेजेंगे यह निश्चय नहीं किया गया या इनका सरकार खर्चा वहन करेगी या इनको अपने खर्चे पर जाना पड़ेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक सीनियोरिटी का प्रश्न है ट्रेनिंग पर जाने से सीनियोरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसा कि मैंने अपने उत्तर के अन्दर निवेदन किया है। इसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है तो वह केवल असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स पर पड़ता है कि जिनको इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेने के बाद 3 अग्रिम या एडवान्स इन्क्रीमेंट्स देते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स एंड एबव जो हैं उनको तो यह भी सुविधा नहीं है इसलिए सीनियोरिटी पर असर पड़ता नहीं है। किस आधार पर भेजा जावें इसके लिये रेगुलर फॉर्म में नियम नहीं बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अंत में आपने कहा है कि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं भेजा गया है, क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इटली में भेजा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राज्य सरकार के खर्चे पर नहीं भेजा गया है बल्कि वह स्वयं के खर्चे पर गया है। इसलिये जिसके बारे में आप के दिमाग में भ्रम है वह अपने ही खर्चे पर गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि उस इंजीनियर को वेतन दिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब तक उसकी लीव बाकी है, तब तक वह लीव सेलरी पाने का हकदार है। जितनी लीव बनती है उसकी सेलेरी पाने का वह कानूनन हकदार है इसलिये उस पीरियड की उसको तनख्वाह मिलेगी। जब लीव पर नहीं रहेगा तब तनख्वाह नहीं मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि डब्ल्यू० आर० डी० टी० सी० की ट्रेनिंग में मन माने आधार पर भेज

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
देते हैं, इटली में भेज देती है, जूनियर लोगों को भेज देती है सीनियर लोगों को नहीं भेजती। मैं चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार इस प्रकार के नियम बनाना चाहती है जिसके अनुसार सीनियोरिटी और मेरिट के आधार पर भेजा जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जिलाधीश कार्यालय, सवाई माधोपुर में विचाराधीन मामले

573. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कार्यालय जिलाधीश, सवाई माधोपुर में मन्जूरी तलब किस किस वर्ष के कितने-कितने मुकदमें किस किस विषय के पेन्डिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्तमान जिलाधीश श्री खिलजी ने अपने पद का कार्यभार सवाई माधोपुर जिला कार्यालय का कब सम्भाला और 31 दिसम्बर, 67 तक कितने मुकदमें फैसल किए ?

(3) राज्य सरकार इन मुकदमों के शीघ्र निर्णय हेतु क्या कारगर कदम उठा रही है।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन्होंने दिनांक 17-3-67 को कार्य संभाला और इस अवधि में 138 मुकदमों का फैसला किया।

(3) राज्य सरकार जिलाधीश को यह निर्देश दे रही है कि पेन्डिंग मामलों को यथासम्भव 4 माह की अवधि में निपटाने की व्यवस्था करें

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मकान बनाने के लिये अनुदान।

574. **श्री नंदलाल बैरवा** (पाटन सु०): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका के हरिजन (मेहतरों) को समाज-कल्याण विभाग से सन् 1960-61 में प्रति परिवार 750 रु० मकान बनाने हेतु अनुदान दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि नके मकान बनाने की जिम्मेदारी नगरपालिका लाखेरी की थी और यह मकान ठेकेदार द्वारा तैयार किये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से 750 रु० प्रति मकान मिले थे लेकिन 650 रु० प्रति मकान के हिसाब से व्यय किये गये ?

(4) जब 650 रु० प्रति मकान के व्यय किये गये तो शेष धन-राशि कहां और किस के पास जमा है ? इसका उपयोग इन मकानों पर क्यों नहीं किया गया या किया जा रहा है ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिह मसूदा) : (1) सन् 1960-61 में लाखेरी के लिये अनुदान नहीं स्वीकृत

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

हुआ किन्तु सन् 1961-62 में लाखेरी के 6 मेहतर परिवारों को अनुदान मिला। अनुदान प्रति परिवार 750 रु० ही मिला था।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार से 750 रु० प्रति मकान ही मिले थे जो नियमानुसार रसीद लेकर प्रार्थी की इच्छानुसार नगरपालिका को दे दिये गये थे। 650 रु० देने की कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई। किसी अनुदान प्राप्त कर्ता की शिकायत इस प्रकार की नहीं है न निरीक्षण के समय ही बताया गया है। मकानों की उपयोगिता प्रमाण पत्र बाद निरीक्षण दिनांक 25-8-62 को भेज दिया गया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नंदलाल बैरवा : क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि 650 रु० में ठेकेदार को मकान बनाने का ठेका दिया गया था?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ठेका 650 रु० में ही दिया गया था म्युनिसिपैलिटी के द्वारा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: विभाग से 750 रु० प्रति मकान दिये जाते हैं वही दिये गये थे यथानियम म्युनिसिपैलिटी जो एजेन्सी चाहे वह चूज कर सकती है मकान बनाने के लिये। वह रकम म्युनिसिपैलिटी को दे दी गई। म्युनिसिपैलिटी ने किस प्रकार किया इसकी जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि 650 रुपये के हिसाब से ठेका दिया गया और रसीद 750 रु० की लेली तो 100 रु० कहां गये ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इस प्रकार की शिकायत हमारे पास नहीं है। म्युनिसिपैलिटी की मार्फत काम कराया गया था।

श्री नंदलाल बैरवा : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के द्वारा मकान बनाये गये लेकिन 750 रु० खर्च नहीं हुए। मकान अब तक अधूरे पड़े हैं, बरामदा नहीं बनाया गया है। अनुमान था उससे कम खर्चा हुआ है। 750 रु० की रसीद लेकर सीधे सादे हरिजनों का दमन किया गया है। इस पैसे का क्या हुआ क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग में नहीं है उपयोगिता के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, निरीक्षण के समय भी कोई शिकायत नहीं हुई है। यदि जिस प्रकार का तथ्य माननीय सदस्य बता रहे हैं वह है तो और जानकारी कर ली जायगी।

तहसील नोहर के तहसीलदार का स्थानान्तरण

575. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में 6 माह में तीन तहसीलदार बदले जा चुके हैं? यदि हां, तो क्यों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) तहसीलदारों के स्थानान्तरण नियमानुसार साधारणतया कितनी अवधि बाद किये जाने चाहिये ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी नहीं।

(2) एक तहसीलदार को एक तहसील में आम तौर से दो साल रखने के बाद तबादला किया जाता है किन्तु किसी सूरत से उसे 5 साल की अवधि से ज्यादा एक तहसील में नहीं रखने के आदेश हैं। परन्तु प्रशासनिक कारणों से इससे जल्दी या देरी से भी तबादले किये जा सकते हैं। इस अवधि से पूर्व तबादले करने के प्रशासनिक कारण ही होते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में जो कहा गया है वह सही नहीं है और 6 महीनों में तीन तहसीलदारों के तबादले तहसील नोहर में हुए हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसील नोहर में पिछले 6 महीनों में कुल एक ही तहसीलदार का तबादला हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये तबादले किसके आदेश से हुए?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व मंडल के आदेश से।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या ये तबादले राजस्व मंत्री ने किये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व मंडल ने।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि बार बार तबादले होने से लोगों को परेशानी होती है और सरकारी अधिकारियों को भी परेशानी होती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रशासनिक कारणों से आवश्यक होता है इसलिये तबादले किये जाते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या उसने कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया इसलिये तबादला किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : बिल्कुल गलत।

जिला जैसलमेर में अकाल राहत कार्य

576. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : [श्री आईदानसिंह (भीनमाल) द्वारा पूछा गया] : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में पांच वर्ष से लगातार भारी अकाल पड़ रहा है ? अगर हां, तो सरकार ने आज तक कितनी राशि प्रत्येक वर्ष में खर्च की है ? अलग अलग वर्षों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने गांवों में इन वर्षों में अकाल पड़ा इसका अलग अलग वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार ने आज तक नियम के अनुसार बीजोडी माफ करने

(श्री बालसिंह सोढा)
का कोई निर्णय लिया है? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

(4) क्या भविष्य में सरकार इस क्षेत्र में अकाल से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कोई नई योजना बना रही है? और बीघोड़ी माफ करने का भी निर्णय लेने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

उप-मंत्री, अकाल सहायता विभाग (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि किसी क्षेत्र में लगातार 3 वर्ष अकाल रहा हो और उसके कारण लगान की वसूली स्थगित रही हो तो प्रथम वर्ष के लगान की वसूली स्वतः माफ मानी जावेगी।

(4) अकाल से प्रभावित लोगों को राहत के लिये यथा आवश्यक सहायता कार्य खोले जा रहे हैं और उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में लगान की वसूली माफ किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मेरा एक प्रश्न है, आपने उत्तर में अभी बताया कि जहां पर 3 साल अकाल पड़ता है वहां पर 1 साल का लगान माफ कर दिया जायगा लेकिन जैसलमेर में जहां 5 वर्ष से लगातार अकाल पड़ा है वहां क्या करेंगे?

श्री गंगाराम चौधरी : इससे पहले वर्ष का लगान माफ कर दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल सहायता मंत्री) : जो प्रश्न पूछा गया है वह रेमिशन का पूछा है। सस्पेन्डेड हर साल रहता है। अभावग्रस्त है उस साल की बीघोड़ी माफ कर दी जाती है।

श्री दिग्विजयसिंह : सस्पेन्डेड रहता है और जब हर साल अभावग्रस्त है तो हरेक साल ऐसा ही होता है, हर साल अकाल पड़ता है तो इफसो फेक्टो कवर हो जाता है लेकिन 2 साल पहले अकाल पड़ गया और 3 साल बाद में लगातार पड़ गया तो उस हालत में क्या होता है?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार का निर्णय यह है कि जहां पर दो साल तक अकाल है और तीसरे साल अच्छी फसल हुई है तो राज्य सरकार एक साल में दो वर्ष से ज्यादा का लगान वसूल नहीं करेगी। तीसरे साल अच्छी फसल हुई है और उसके बाद फिर अच्छी हुई है तो जिला अधिकारियों की सिफारिश आने के बाद निर्णय लेगी एक तो यह निर्णय है। और दूसरा निर्णय यह है कि जहां पर 3 साल तक अकाल रहा है और चौथे साल अच्छी फसल हुई है तो दो साल का लगान ले लेगी। पहले साल का लगान ग्रॉटोमेटिकली माफ हो जायगा। दूसरे साल के लिये जिला अधिकारियों की सिफारिश आने पर निर्णय करेगी कि रेमिशन का क्या परसेन्टेज होना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहिये इसी प्रकार 5 साल अकाल है तो 2 साल का नहीं वसूल होगा इस प्रकार का फौरमुला तय कर दिया है आप केलकुलेट कर लीजिये।

श्री ग्राईदानसिंह : आपने जो सूची दी है उसके अनुसार कुल मिलाकर 35,78,171 रुपये अकाल राहत पर खर्च किये हैं। इसमें से कहीं पर विकास कार्य के लिये पैसे लगाये गये हैं या नहीं जिससे कि अकाल को आयन्दा कम किया जा सके ?

श्री परसराम मदेरणा : सब प्रकार का काम लिया है। इस वर्ष 4 सेवा कार्य किये हैं जिनमें 3 खड़ीन के और एक सड़क का काम है। जैसलमेर के माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं आप उनसे पूछ सकते हैं खड़ीन का क्या मतलब है डेवलपमेन्ट वर्क है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह !

एन्युइटी की रकम का भुगतान

577. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला टौंक में जिन मंदिरों की जागीरें रिज्यूम की गई हैं उनकी एन्युइटी चालू हो गई है ?

(2) जिले में ऐसे कुल कितने मंदिर हैं ?

(3) क्या किसी मंदिर का मामला विवाद में चल रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला टौंक में इस वर्ष एन्युइटी की रकम इतनी कम दी गई है कि वहां के एन्युइटी होल्डर्स को भुगतान नहीं हो पा रहा है ?

(5) जिला टौंक में कितने मामलों में एन्युइटी की रकम का भुगतान करना बाकी है और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां। केवल उन मंदिरों के मामले विचाराधीन हैं जिनके उत्तराधिकार का प्रश्न है।

(2) कुल मंदिर जिनको वा० वृ० चुकाना चालू हो गया है उनकी संख्या 1,559 है।

(3) जी हां। 9 मंदिरों के मामले विवादास्पद हैं।

(4) जी नहीं। भुगतान किया जा रहा है। बजट में रकम स्वीकृत की जा चुकी है।

(5) विवाद ग्रस्त मामलों को छोड़कर शेष को भुगतान चालू वर्ष में ही करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 1,297 मामलों में देना बाकी है।

श्री दिग्विजयसिंह: क्या यह सही है कि मंदिर होल्डर्स जो हैं उनको जिला हैड क्वार्टर्स पर जाकर बिल बनवाकर भुगतान लेना पड़ता है ?

श्री रामदेवसिंह: सम्बंधित तहसीलदार के पास रकम भेज दी जाती है, वहां से भुगतान किया जाता है।

श्री दिग्विजयसिंह : सम्बंधित तहसीलदार के पास रकम होती है वह बिल बनाकर ट्रेजरी के पास से आती है। मेरा प्रश्न यह है कि उन लोगों को बिल बनाने के लिये भी हैड क्वार्टर्स पर आना पड़ता है। जैसे किसी को 100 रुपये सालाना मिलता है, तो 50 रुपये हर छः महीने मिलता है, तो उन 50 रुपयों के लिये जिला हैड क्वार्टर्स पर आकर बिल बनवाना पड़ता है, तो उन 50 रुपये लेने पर उसका आने जाने और ठहरने पर ही 20 रुपया खर्च हो जाता है। तो क्या सरकार ऐसा इन्तजाम नहीं कर सकती कि उनको जिला हेड क्वार्टर्स पर जाना नहीं पड़े ?

देवस्थान मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): ऐसी हिदायतें जारी कर दी जायेंगी।

प्रश्न संख्या 578

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम ?

हरिजनों को आबाद करने हेतु भूमि

579. **श्री रावतराम** (छापर सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भरपालसर, तहसील रतनगढ़ (जिला चूरू) ने ग्राम पायली के हरिजनों को आबाद कराने के लिये पायली के पास पड़ी सरकारी जमीन को आबादी में कन्वर्ट करने के लिये रतनगढ़ एस० डी0 ओ0 के पास कागजात प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो एस० डी० ओ० रतनगढ़ ने कलेक्टर चूरू को इस बाबत क्या सिफारिश भेजी है ?

(2) कृपया निश्चित बतावें कि सरकार उक्त जमीन को कब तक आबादी में बदल देगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां। ग्राम पंचायत भरपालसर ने ग्राम पायली के खसरा नं० 36 की भूमि की मांग की थी जिसके बारे में एस० डी० ओ० तथा जिलाधीश के बीच पत्र व्यवहार हुआ।

(2) एस० डी० ओ० रतनगढ़ द्वारा दिनांक 12-2-68 को खसरा नं० 36 रकबा 32 बीघा भूमि ग्राम पायली को आबादी हेतु परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री रावतराम : यह स्वीकृति किस तारीख को दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि 12-2-68 को।

श्री रावतराम : आपने तो फर्माया कि एस० डी० ओ० कलेक्टर को सिफारिश की है 12-2-68 को।

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं। प्रश्न संख्या (2) के उत्तर में मैंने निवेदन किया है कि 12-2-68 को खसरा नं० 36 रकबा 32 बीघा भूमि ग्राम पायली को आबादी हेतु परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री रावतराम : यह स्वीकृति एस० डी० ओ० रतनगढ़ ने दी है या कलेक्टर चूरू ने?

श्री गंगाराम चौधरी : कलेक्टर के आदेश के बाद में एस० डी० ओ० को अधिकार है, वह स्वीकृति दे सकता है।

प्रश्न संख्या 580

श्री उपाध्यक्ष: श्री लादूराम सुलानिया !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 581

श्री रतनलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री सुवालाल !

रोझड़ी पंचायत के भवन के लिये दी गई धन राशि

582. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रोझड़ी पंचायत के सरपंच को पंचायतघर हेतु 2,000) रुपये पंचायत समिति, दूदू द्वारा दिया गया है? अगर हां तो कब?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रोझड़ी में आज तक भी पंचायत भवन नहीं बना है?

(3) क्या यह सही है कि सरपंच ने इस सरकारी पैसे से अपना निजी भवन बना लिया है?

(4) इस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ तो सरकार ने क्या कदम उठाया? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्या अब सरकार इस ओर ध्यान देगी?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी नहीं केवल 1,000 रु० दिनांक 27 मार्च, 1962 को दिये गये थे।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं रकम पंचायत कोष में जमा की हुई है।

(4) वसूली की कार्यवाही चल रही है।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि पंचायत घर नहीं बना है और 1962 से लेकर आज तक यह पैसे पंचायत की रोकड़ में जमा नहीं है और सरपंच ने अपने घर के काम में लिया है। क्या सरकार इसकी सही जांच करवाकर सरपंच के विरुद्ध इस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिये सजा देगी ताकि दूसरों को भी इससे नसीहत मिले?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि यह रकम पंचायत के कोष में जमा है। आपने पूछा कि 'क्या यह सही है कि ग्राम रोझड़ी में सरपंच ने इस सरकारी पैसे से अपना निजी भवन बनाया,' मैंने कहा 'जी नहीं।' इसलिये इस प्रकार की कोई कार्यवाही सरपंच के खिलाफ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! प्रश्न कर्ता।

श्री सुवालाल चौधरी : क्या यह सही है कि यह सरकार का निर्णय है कि कोई भी सरपंच 100 रुपये से अधिक अपने पंचायत कोष में नहीं रख सकता। तो क्या यह रुपया बैंक में जमा था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा निर्णय है कि सरपंच अपने स्वयं के पास नहीं रखेगा। यह रकम बैंक में जमा करवा रखी थी या कहां थी, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुवालाल चौधरी : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि उसको बैंक में जमा नहीं कराया। आपके जो विकास अधिकारी हैं वे आपको सही जवाव नहीं देते हैं। आप उनको बुलाकर पर्सनली पूछिये कि सही बात क्या है। उस सरपंच ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और उसके खिलाफ सरकारी कार्यवाही करनी चाहिये, वर्ना सारे का सारा मंत्री महोदय का दोष होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की कोई शिकायत सरपंच के खिलाफ होती तो जरूर जांच करवाते।

श्री सुवालाल चौधरी : मैं निवेदन करता हूं कि केवल 1000 रुपया ही नहीं, 2000 रुपया रखा गया। उसके खिलाफ आप जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, रुपया खाने का प्रश्न नहीं है, मेरी चइना है कि 1000 रुपया जमा भी हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): वाह, दस साल तक रखकर जमा करा दे तो जमा हो गया ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि रोझड़ी के ग्राम पंचायत भवन बनने के लिए जो रुपया मिला था उसको न तो पंचायत कोष में जमा कराया न किसी पोस्ट आफिस में जमा कराया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पोस्ट आफिस में जमा होता है तो भी पंचायत कोष में ही होगा।

श्री विजयसिंह रावत : पंचायत के कोष के नाम लिख दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की तरफ देखकर प्रश्न पूछिये।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि पंचायत एक्ट के नियमानुसार कोई भी सरपंच पंचायत कोष के अन्दर 250 रुपये से अधिक जमा नहीं करा सकता। 250 से अधिक अगर पैसा है तो बैंक में जमा करवाना है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैंक में रखायेंगे तो भी वह पंचायत कोष का ही माना जायेगा। अपने पास नहीं रख सकते, यह नियम है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य पंचायत कोष का मतलब पंचायत ट्रेजरी से समझ रहे हैं ? पंचायत की कोई अलग ट्रेजरी नहीं होती। चाहे बैंक में रखा जाये, तो भी पंचायत कोष में एन्ट्रीज तो करनी ही पड़ेगी।

श्री सुवालाल चौधरी : एन्ट्रीज होने के बाद में यह रुपया कहां रहा ? बैंक में रहा क्या, या सरपंच ने अपने पास रखा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सीधा सादा प्रश्न इतना ही है कि रकम यदि 250 रुपये से अधिक थी तो बैंक में या पोस्ट आफिस में जमा होनी चाहिये थी, यह किया या नहीं । इसकी जानकारी दे दीजिये ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि इसकी जानकारी नहीं है । अगर अपने पास ही रखा है तो इसकी एन्क्वायरी की जायेगी ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय मंत्री ने फरमाया कि 1000 रुपया जमा हो गया, इसका मतलब यह तो मानते हैं कि मिस-एप्रोप्रीएशन हुआ है । पैसा उन्होंने अपने पास रखा, जिस काम के लिये लिया था उस काम में नहीं लिया और अब उनसे वापिस रिकवर किया गया । तो यह बिल्कुल मिस-एप्रोप्रीएशन था ।

श्री सुवालाल चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि जो पैसा भवन-निर्माण में न लगा कर अपने पास रखा, वह कितने दिन तक रखा, किस तरीके से रखा । इसका आप के पास उत्तर नहीं है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये ताकि मंत्री महोदय पूरी जानकारी कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी मंत्री महोदय जानकारी ले लेंगे । स्थगित करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री विजयसिंह रावत : यह पैसा इन्ट्रेस्ट के साथ रिकवर किया गया या कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! आप सही स्थिति से परिचित नहीं हैं । कि किस तरह से पंचायत का काम चलता है । प्रश्न यह है कि 250 से अधिक रुपया होता है तो बैंक में जमा कराना होता है । मिसएप्रोप्रीएशन या क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का प्रश्न तो तब बनता है जब उस पैसे को स्वयं के काम में ले लिया हो । दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि पंचायत की अपनी कोई तिजोरी हो और उसमें रख रखा हो । यह दूसरी व्यवस्था हो सकती है । उचित यह होगा कि मंत्री महोदय इसकी जानकारी कर लें ।

(12 मध्याह्न)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ! श्री हीरा भाई !

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि पंचायत कोष में जमा रही है, तो सरपंच के अलावा पंचायत कोष किस जगह पर रहता है—इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करें ।

श्री उपाध्यक्ष : सब स्पष्टीकरण एक साथ हो जायगा कि कहां रहा है ।

प्रश्न संख्या 436

श्री हीरा भाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 462

श्री विट्ठल भाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दीपचन्द छंगाणी !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह हीरा भाई वाले प्रश्न का जवाब दिला दिया जाय। अभी समय है।

श्री उपाध्यक्ष : बराबर !

श्री रामकिशन : नीति संबंधी है, नीति का पता लग जायगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किसकी नीति !

श्री रामकिशन : पंचायत चुनाव !

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद ले लेंगे।

स्थगित प्रश्न
(5-3-68)

पंचायत समिति फलौदी की जीप गाड़ी की दुर्घटना

440. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति फलौदी की जीप गाड़ी नं० आर. एस. एल. 4998 का ऐक्सीडेन्ट दिनांक 16-5-67 को जोधपुर-फलौदी सड़क पर 30 मील के क़रीब एक ट्रक से हुआ था ? यदि हां, तो उस वक्त जीप कौन चला रहा था व ड्राइवर कहां था और उसमें कौन-कौन बैठे थे ? तथा यह गाड़ी जोधपुर किस कार्य हेतु भेजी गई थी ?

(2) क्या इसकी इत्तला पुलिस व इन्श्योरेन्स कम्पनी को दी गई थी ?

(3) क्या यह सच है कि इस जीप की मरम्मत के पैसे भी पंचायत समिति से ही दिये गये ?

(4) क्या इस ऐक्सीडेन्ट की कोई विभागीय या पुलिस द्वारा जांच हुई थी ?

राज्य मंत्री, (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) ऐक्सीडेन्ट होना मालूम हुआ है। जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में कहा गया है कि जांच की जा रही है ऐक्सी डेन्ट के संबंध में। जब कि पहले जब यह प्रश्न पूछा था तब भी यही कहा था कि जांच की जा रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर पांच तारीख को दिया गया था और आज बारह तारीख है, सात दिन के अन्दर पूरी जांच नहीं हो पाई इसलिए यह कहना पड़ा। इस बीच में मालूम हो गया कि पुलिस को सूचना दी गई या नहीं। फिर यह जवाब दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक क्योंकि जानकारी नहीं की है इस लिए इसे स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : जांच कब तक हो जायगी ? क्या जांच की जा रही है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : स्थगित हो गया है !

श्री उपाध्यक्ष : 436 ! श्री हीरा भाई !

Page No. 28

स्थगित प्रश्न
(5-3-68)

पंचायतों के चुनाव

436. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) [श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिन पंचायतों की अवधि दिसम्बर, 1967 तक समाप्त हो चुकी है उनके चुनाव कब तक कराये जावेंगे ?

(2) क्या जिन पंचायतों की अवधि बढ़ाई गई है उनकी अवधि बढ़ाने के कारण जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पंचायतों के कार्य काल की अवधि 20 जनवरी, 1969 तक बढ़ाई जा चुकी है। अतएव अवधि पूर्ण होने से पूर्व चुनाव का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) अवधि बढ़ाने के कारण जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा(हिन्डोली) : फिर से जवाब दिलवाइये, सुनाई नहीं दिया।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या 69 तक बढ़ाई है ?

श्री रामकिशन : कब तक बढ़ाई है ?

श्री खेतसिंह : 30 जनवरी, 1969 तक !

श्री रामकिशन : यह किस लिए बढ़ाई है, क्या कारण है ?

श्री खेतसिंह : यह हमारी मर्जी है !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री (श्री खेतसिंह) कह रहे हैं, हमारी मर्जी है, जैसा चाहेंगे वह करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय नहीं कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : उप मंत्री ने कहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनका अधिकार नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, मैं समझता हूं कि आपको मालूम है कि गत अधिवेशन में कहा गया था कि पंचायत समितियों का तहसील का काटर्मीनस करना है, उसके लिए एक वन मैन कमीशन एपाइन्ट किया गया था, उसकी रिपोर्ट आ जाय तब तक के लिए अवधि बढ़ाई है, वैसे राज्य सरकार को एक साल की अवधि बढ़ाने का अधिकार था।

श्री रामकिशन : क्या पंचायतों की सीमाओं में हेर फेर हो रहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पंचायत समितियों की सीमाओं का हेर फेर करने का प्रश्न है तो पंचायत एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में, इधर उधर हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : पंचायत समितियों की सीमायें इधर उधर

(श्री दौलतराम सारण)
हो जायं-अलग अलग प्रश्न है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है और मैं भी यह जानना चाहता हूं कि पंचायतों की सीमाओं में परिवर्तन किया जायगा क्या ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : पंचायतों की सीमाओं में डिलिमिटेशन करने का या हेर फेर करने का निर्णय राज्य सरकार न नहीं लिया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि वन मैन कमीशन एपाइन्ट हुआ, इसने अब तक क्या प्रगति की है और यह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : छः महीने की मियाद दी गई है ।

श्री दिग्विजयसिंह : यह रिपोर्ट कब तक दे देगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : छः महीने की अवधि दी गई है ।

श्री दुर्गालाल बाकुदार : दिसम्बर 68 में चुनाव नहीं कर रहे हैं—इसका मतलब यह हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दिसम्बर 68 में चुनाव क्यों नहीं कर सकेंगे । आसानी से कर सकेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इरादा है कि वह दिसम्बर, 1968 में चुनाव करना चाहती है । उसमें एक शर्त है, कि जो पंचायत समितियों के डिलीमिटेशन के लिए कमीशन सरकार ने बैठाया है इसकी रिपोर्ट समय पर आ जाय, इसके बाद में पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्गठन हो सकता है, ऐसी सूरत में समय पर चुनाव हो सकेगा । यदि कमीशन की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है तो शायद देर लग जाय ।

श्री दिग्विजयसिंह : राज्य सरकार ने निश्चित अवधि दी है कि एक साल में चुनाव करायेंगे । अगर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती है और उस पर विचार नहीं होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आपको कमीशन को कहना चाहिए कि इस समय में निश्चित रूप से कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा क्योंकि हम दिसम्बर 68 में चुनाव करायेंगे । इस बात में आप लेकूना क्यों रखें कि यह हो जायगा तो वह हो जायगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको निश्चित तौर पर कहना चाहिये, जैसा कि आपने निश्चित कहा है, कि एक साल में कमीशन की रिपोर्ट आने पर चुनाव करेंगे । अब अगर कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती है तो कमीशन को हिदायत दे दी जाय कि अमुक अवधि तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर दे ।

श्री परसराम मदेरणा : हमने कमीशन को तीन महीने का समय दिया है, उसे तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे देनी चाहिए । उसके बाद में आप जानते हैं कि जहां डिलिमिटेशन पंचायत समितियों के एरिया का होगा, पंचायत समिति का तहसील एरिया में कोटर्मीनस होगा, वहां उसे पब्लिश भी करना पड़ेगा प्रोपोजल्स को और उसके अन्दर एतराज और सुझाव मांगे जायेंगे । उसका फैसला हो जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा इसलिए मैंने कहा कि हम समझते हैं कि चुनाव समय पर करवा सकेंगे, और चुनाव

(श्री परसराम मदेरणा)
के संबंध में राज्य सरकार नहीं चाहती कि 68 के बाद में उसकी मियाद बढ़ाई जाय, और हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं, जो समय दिया है आपने वह तीन साल की तो टर्म है और एक साल की और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एम्पावर किया है, इसलिए 20 जनवरी, 1968 से आगे बढ़ाने का विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुनाव करायेंगे · ·

श्री परसराम मदेरणा : अब अगर कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं देता है और प्रोपोजल अधूरे रह जायं तो फिर आप कहेंगे कि राज्य सरकार ने इस तरह का एलान किया था, उस पर वह टिकी नहीं रह सकी। इस लिए कन्डीशन की बात कही।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं जानना चाहता हूं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण: पंचायत समिति, जिला परिषद् और न्याय परिषद् में जो स्थान रिक्त पड़े हैं उनके उप-चुनाव भी इस आदेश के अनुसार एक साल के अन्दर नहीं कराये जा सकते ?

एक माननीय सदस्य : छः महीने में चुनाव हो सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : न्याय परिषद् के चुनाव के संबंध में कभी भी राज्य सरकार ने स्टे नहीं किया। ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में चुनाव विभाग और पंचायत विभाग के बीच में कुछ गलतफहमी रह गई थी। अब आदेश दे दिये गये हैं कि पंचायतों के चुनाव कराये जायं। पंचायत समितियों के चुनाव का प्रश्न है उसको जरूर रोका है, जो प्रधान के चुनाव थे उनको क्योंकि जो उप-प्रधान होता है वह स्वतः ही प्रधान के हटने के बाद काम करता है और पंचायत समिति में काम बन्द नहीं होता, इसके अलावा इसमें खर्च भी ज्यादा पड़ता है–इनको ध्यान में रखते हुए प्रधान का चुनाव रोका है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : किस कानून के आधार पर रोके जा सकते हैं इस तरह के चुनाव · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को डिमाण्ड के वक्त में उठा लें। डिमाण्ड आ रही हैं।

श्री बृजवल्लभ शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पंचायत समिति में प्रधान नहीं हैं, उप-प्रधान नहीं हैं, वहां के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिनमें प्रधान और उप-प्रधान दोनों नहीं हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिन पंचायत समिति में प्रधान और उप-प्रधान दोनों नहीं हैं, किसी अविश्वास प्रस्ताव के कारण, या मृत्यु हो जाने के कारण, या राज्य सरकार द्वारा रिमव कर दिये गये हैं इस कारण इस सूरत में यदि प्रधान और उप प्रधान दोनों नहीं हैं तो वहां चुनाव निश्चित तौर पर कराये जायेंगे।

श्री बृजवल्लभ शर्मा : पंचायत समिति गोली है उसमें एक वर्ष से प्रधान और उप-प्रधान नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सीधे प्रश्न नहीं पूछें। आर्डर प्लीज !

श्री बृजवल्लभ शर्मा : प्रश्न यह है कि प्रधान और उप प्रधान दोनों नहीं हैं पंचायत समिति गोली में....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बृजवल्लभ शर्मा : दो वर्ष से प्रधान है न उप प्रधान है, उनके चुनाव कब तक करवा देंगे ?

श्री रोशनलाल : आपकी आवाज वहां तक नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें। माननीय रोशन लाल ! कृपया आपस में बात न करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : ताड़ना दी है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नायब तहसीलदारों को जायदाद रजिस्ट्री के अधिकार

556. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदारों को जायदाद की रजिस्ट्री करने के अधिकार दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बकानी नायब तहसील में रजिस्ट्री नहीं होती है जब कि नायब तहसीलदार का हैडक्वाटर यहीं है !

(3) क्या यह सही है कि बकानी नायब तहसील क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने हेतु झालरापाटन जो 20 से 30 मील दूर है, आना होता है ?

उत्तर

(1) समस्त नायब तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जो तहसीलें अथवा सब तहसीलें धारा 5 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सब डिस्ट्रिक्ट घोषित की गई हैं, केवल उन तहसीलों व सब तहसीलों के केन्द्र पर नियुक्त नायब तहसील दारों को ही रजिस्ट्रेशन के अधिकार प्राप्त हैं।

(2) जी हां। क्योंकि बकानी को धारा 5 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत सब-डिस्ट्रिक्ट घोषित नहीं किया गया है।

(3) जी हां।

नागौर जिले में ओल्ड एज पेन्शन पाने वाले व्यक्ति

557. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—मार्च 1966 से 1967 मार्च तक नागौर जिले में ओल्ड एज पेन्शन कुल कितने लोगों को मिली ? उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची 'अ' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखियें)

साबी नदी पर बांध

562. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि साबी नदी (जिला अलवर) पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत बांध बनाने की योजना भारत सरकार ने स्वीकार करली है और राज्य सरकार को उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिये कहा गया है ? यदि हां, तो भारत सरकार ने यह योजना कब स्वीकार की थी ?

(2) क्या यह योजना राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली प्रदेशों की मिली जुली योजना है और इसका खर्च तथा नियन्त्रण भी तीनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा ? यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है और इसके खर्च का अनुपात विभिन्न प्रदेशों में किस अनुपात से होगा तथा इसमें केन्द्र की कितनी सहायता मिलेगी एवं नियन्त्रण की व्यवस्था किस प्रकार होगी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करके भारत सरकार को देदी है ? यदि हां, तो कब ? कृपया रूपरेखा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना के अन्तर्गत बांध कौन से स्थान पर बनाया जावेगा तथा इससे कौन कौन से गांव प्रभावित होंगे तथा इससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो सकेगी ?

(5) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक बार टेन्डर भी मांग जा चुके हैं ? यदि हां, तो फिर टेन्डर मन्जूर करके काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, गत नवम्बर माह में रूपरेखा तैयार करने के आदेश दिये गये थे।

(2) जी हां, इस पर अनुमानित खर्च 2.50 करोड़ रुपया का होगा जिसका 1/2 बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम में तथा 1/2 सिंचाई के कार्यक्रम में माना जायेगा। सिंचाई में राजस्थान हरियाणा 40 : 60 के अनुपात से खर्च वहन करेगा। केन्द्रीय सहायता एवं कन्ट्रोल के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है।

(3) योजना की रूपरेखा नवम्बर 67 के समझौते के अनुसार बनाई जा रही है।

(4) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम भदीन व अजमेरीपुरा (तहसील बहरोड जिला अलवर) के पास बान्ध बनाया जाने का प्रस्ताव है इस बान्ध से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची संलग्न है। इस बान्ध से राजस्थान में लगभग 4,800 एकड़ भूमि सिंचित होगी।

(5) जी हां, योजना की स्वीकृति न होने के कारण टेन्डर मंजूर नहीं किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सिंचाई की बकाया रकम

566. **श्री देवदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) किशनगंज व शाहबाद तहसील क्षेत्रों में कितना रुपया सिंचाई (आबपाशी) का बकाया है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) जिन किसानों व जमींदारों में एक लम्बे समय से सिंचाई की रकम बाकी चली आ रही है, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने किन्हीं कारणों से आबपाशी की पुरानी रकम जो बकाया निकलती आ रही थी उसमें से कुछ रकम को बट्टे खाते में डाली है ?

उत्तर

(1) तहसील किशनगंज में 3,09,731 रु० तथा तहसील शाहबाद में 7,936 रु० ।

(2) बाकी दारान के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत की जा रही है ।

(3) जी नहीं ।

भैंसोदा मंडी

568. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भैंसोदा मन्डी (मध्य-प्रदेश) को राजस्थान में शामिल कर लेने का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) भवानी मन्डी व भैंसोदा मन्डी में जो एक ही बस्ती के दो राज्यों में होने के कारण अलग अलग नाम में हैं, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी व दूसरे ऐसे टैक्स जिनका जनता के सामान्य जीवन पर असर पड़ता है, क्या फर्क है ?

(3) भवानी मन्डी के ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनकी जायदाद व कारोबार भैंसोदा मन्डी में भी हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रश्न को शीघ्र निपटाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सन् 1958 से विचाराधीन है । इस संबंध में राजस्व मंत्री एवं मुख्य मंत्री स्तर पर विचार विमर्श के पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार को दिनांक 21-7-58 को पत्र लिखा गया । तत्पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य के सुझाव पर दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 14-4-61 को हुई । अन्त में राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 2-5-63 जो कि मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था—उस पत्र पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है । समय समय पर स्मरण पत्र भेजे जा रहे हैं—उनके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में बिक्री कर की दरें करीब करीब एक सी ही हैं । आबकारी शुल्क के संबंध में राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक तरह की मदिरा नहीं बनती है और न ही उनके नाप समान हैं अतः तुलनात्मक दृष्टि से शुल्क में अंतर बतलाना कठिन है, लेकिन भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क राजस्थान में प्रति एल० पी० लीटर 4 रु० मध्य प्रदेश राज्य से अधिक लगते हैं ।

(3) भवानी मंडी में ऐसे 65 व्यक्ति हैं कि जिनके मकानात, जायदाद भैंसोदा

(श्री जुझारसिंह)

मंडी तक फैली हुई है तथा 15 ऐसे व्यापारी हैं कि जिनका कारोबार अथवा जायदाद भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी में है।

(4) जी हां, यथा शीघ्र।

पैसिन्जर एवं गुड्स टैक्स की वसूली

569. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल** क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सवाई माधोपुर व टोंक जिले में कितना रुपया पैसेन्जर एवं गुड्स टैक्स का 65-66 व 66-67 म वसूल हुआ और किस किस रूट और किस किस बस ने कितना कितना रुपया जमा कराया है?

उत्तर

3

सवाई माधोपुर एवं टोंक जिले में 65-66 व 66-67 में पैसेन्जर एवं गुडस टैक्स की निम्न लिखित राशि प्राप्त हुई है।

प्राप्त राशि

65-66	66-67
7,21,321.21	8,62,066.51

बस वार एवं रुट वार जमा कराई गई राशि का विवरण संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

छोटी सिंचाई योजनाओं पर व्यय

570. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये 3 करोड़ 6 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था? यदि हां, तो इसमें से कितनी धनराशि पिछली अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिये रखी गई और कितनी नई योजनाओं के लिये?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में नई छोटी सिंचाई योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है?

(3) क्या यह सही है कि बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था परन्तु योजना आयोग ने सिर्फ 8 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है?

(4) छोटी, बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के मद में चालू वित्तीय वर्ष म नई योजनायें कहां कहां पर प्रारम्भ की गई और उन पर अलग कितनी कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(5) उक्त तीनों प्रकार की चालू योजनाओं में से किन किन में कितनी कितनी कटौती चालू वित्तीय

(श्री सतीशचन्द्र, अग्रवाल)

वर्ष में की गई? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग को केवल 88 लाख रुपये इस वित्तीय वर्ष में चालू छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए मिला है। नई योजनाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(2) कुछ नहीं।

(3) प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार ने 797 लाख रुपये की सिफारिश की थी किन्तु राज्य सरकार ने 811.11 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

(4) कोई नई योजना प्रारम्भ नहीं की गई।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील कामां की बाढ़ग्रस्त भूमि

578. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील कामां और सब-तहसील पहाड़ी के कितने ग्रामों की कितनी कितनी भूमि बाढ़ग्रस्त हुई और उसमें कितनी भूमि में फसल खरीफ बाढ़ के कारण नष्ट हुई।

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर में केबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से फसल खरीफ का लगान माफ रहेगा? यदि हां, तो फिर लगान खरीफ को क्यों स्थगित घोषित किया है?

(3) क्या यह सही है कि अब भी बहुत काफी कृषि भूमि डूब में है? यदि हां तो कितनी? क्या ऐसी भूमि का दोनों फसलों का लगान माफ रहेगा?

उत्तर

(1) सन 1967 में तहसील कामां व पहाड़ी के 168 ग्रामों में बाढ़ का असर हुवा जिससे 36,091 एकड़ भूमि पर फसल नष्ट हुई।

(2) मंत्री मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि इस सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव भेजे जायें जिन पर विचार किया जायेगा।

(3) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। रबी की गिरदावरी हो जाने के बाद वास्तविक स्थिति का पता लगेगा।

पंचायत समिति फागी द्वारा ट्रैक्टर की खरीद

580. **श्री लादूराम सुलानिया**(फागी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति फागी में ट्रैक्टर कब खरीदा गया था?

(2) अब तक इस ट्रैक्टर पर कितना व्यय हुआ है और इससे कितनी आमदनी हुई है? वर्षवार आंकड़े देने की कृपा करें।

(श्री लादूराम सुआन्निया)

(3) क्या इस ट्रैक्टर के लिये कोई कुट्टी काटने की मशीन भी खरीदी गई ?

(4) क्या उक्त मशीन की खरीद के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है और स्थायी समिति द्वारा कोई जांच की कार्यवाही भी की गई है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) दिनांक 3-7-62 को खरीदा गया।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जिला डूंगरपुर का रखत जंगल

581. **श्री रतनलाल रोत** (चैरासी सु०): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला डुंगरपुर में जो रखत जंगल है उनकी सीमा से लगे हुए बहुत से गांव होने के कारण उन गांवों के किसान रखत जंगल की जमीन पर खेती कर लेते हैं और वर्षो से इस कारण काश्तकारों पर जुर्माने होते रहे हैं?

(2) क्या सरकार इस प्रकार की भूमि को राजस्व विभाग के अधीन करने के बारे में विचार करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(5-3-68)

जिला बांसवाड़ा में राजस्व की भूमि पर नाजायज कब्जे

462. **श्री विट्ठल भाई** (पीपल खूंट-सु): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में जिन किसानों ने राजस्व की भूमि पर नाजायज कब्जे किये हैं, उनके खेतों को मवेशियों से चरवा दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस गांव के कितने कितने किसानों के खेतों को चरवाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन किसानों के खेतों को चरवाया गया है, उनमें से ऐसे किसान कितने थे जिनके पास भूमि नहीं होने के कारण उन्होंने नाजायज कब्जे किये थे ?

उत्तर

जी, हां। राजस्व (ख) विभाग के आदेश संख्या एफ० 6 (27) राज०। ख। 67, दिनांक 22-8-67 के अन्तर्गत

Page No. 37

(श्री विट्ठलभाई)

केवल चरागाह पर किये गये नाजायज कब्जे की फसलों को चरवाया गया है।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इनमें भूमिहीन किसान नहीं थे।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जातियों एवं गाडोलिया लुहारों को पाली में बसाने की योजना

227. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अनुसूचित जातियों व गाडोलिया लुहारों के लिए पाली जिला के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने मकान बनाने की कोई योजना राजस्थान समाज कल्याण विभाग को भेजी है? यदि हां, तो कब? उन योजनाओं की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या संरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस वर्ष के बजट में केवल अनुसूचित जाति व अनुसचित जन जाति को केवल मकानों के लिये केवल 1.20 लाख रुपये का प्रावधान है। जिनमें से 60,000 रुपये अधूरे मकानों को पूरा कराने के लिये और 60,000 रुपये नये मकान बनवाने पर व्यय किया जावेगा। राजस्थान के विभिन्न भागों से 4.00 लाख रुपये के ऊपर के मकान सहायता के प्रार्थना पत्र आये हैं, उन पर विचार करते समय इन मकानों के लिये भी सहायता देने पर विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

सिलाई प्रशिक्षण कन्द्र, डीग

228. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या समाज कल्याण सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, डीग (जिला भरतपुर) में प्रशिक्षित छात्रों को विभाग से दी जाने वाली मशीन आदि की सहायता दी जा चुकी है? यदि हां, तो कितने छात्रों को तथा कितनी कितनी सहायता दी गई है?

(2) गत 5 वर्षों में कितने छात्रों को सिलाई शिक्षण इस केन्द्र से दिया जा चुका है? क्या प्रशिक्षित[सभी] लोग सिलाई कार्य में लग चुके हैं

उत्तर

(1) सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र, डीग के उत्तीर्ण 52 छात्रों में से केवल 31 छात्रों को सिलाई मशीन आदि सहायता के रुप में वितरण किये जा चुके हैं।

(श्री गंगा सहाय)

(2) 52 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षत लोग सिलाई कार्य में लगे हुए हैं।

लाडनूं के छात्रावास में डाक्टर की नियुक्ति

229. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, नागौर ने लाडनूं में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास मे मेडीकल ऑफिसर की नियुक्ति बावत कोई पत्र विभाग के संचालक के नाम भेजा? यदि हां, तो कब और मेडिकल आफिसर के पद पर किस डाक्टर को नियुक्त करने की सिफारिश भेजी? तथा इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुये हो, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मौजूदा जो मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हैं, उनसे पूर्व मेडिकल ऑफिसर कौन था?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, नागौर ने विभागीय छात्रावास, लाडनूं में पार्ट टाईम डाक्टर की नियुक्ति हेतु संचालक महोदय को पत्र भेजा था। पत्र क्रमांक 144 दिनांक 31-10-67 को भेजा गया था तथा श्री सुमेर विजय शास्त्री जो कि लाडनूं में राजकीय जोहरी मल्टीपरपज उच्च विद्यालय में मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया था।

(2) छात्रावासों में डाक्टरों की नियुक्ति के नियम नहीं बने हैं। अंशकालीन डाक्टर की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जो पार्ट टाईम में डाक्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनको पार्ट टाईम भत्ता जहां पर 50 छात्र होते हैं उन डाक्टरों को 20 रुपये प्रति माहवार है, हिसाब से भत्ता दिया जाता है। यदि 50 छात्रों से अधिक छात्र छात्रावास में है, तो उन्हें 40 रुपये माहवार के हिसाब से अंशकालीन भत्ता दिया जाता है। 40 रुपये माहवार देने की स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी पड़ती है क्योंकि छात्रावासों में छात्र बढ़ते रहते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रावास

230. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा सु०): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वं अनुसुचित जन जाति के कितने छात्रावास चल रहे हैं?

(2) इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्या है?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा 40 अनुसूचित जाति एवं 43 अनुसूचित

(देवेन्द्र कुमार मीणा)

जन जाति के छात्रावास राजस्थान में चलाये जा रहे हैं।

(2) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 40 अनुसूचित जाति के छात्रावासों में 1,564 छात्र एवं 176 छात्राएं कुल 1,740 छात्र और छात्राएं हैं। अनुसूचित जन जाति के इस विभाग द्वारा 43 छात्रावास चलाये जा रहे हैं जिनमें 1,640 छात्र एवं 85 छात्राएं कुल 1,725 छात्र और छात्राऐं हैं।

पाली जिले के भूमि का आवंटन

231. **श्री दौलतराम आगरी** (देसूरी सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में आज दिन तक कितनी भूमि का आवंटन किया गया है?

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति, स्वर्णकार व फौजियों को कितनी भूमि आवंटित की गई है?

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, स्वर्णकार व फौजियों ने कितनी दरख्वास्तें भूमि आवंटित करने हेतु पेश की और कितनी दरख्वास्तों पर भूमि आवंटन किया गया, तथा शेष दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) ऐसी भूमि आवंटन करने के बाद उस पर कब्जा आवंटित व्यक्तियों को दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में दिनांक 30-9-67 तक 97,418 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।

(2)

अनुसूचित जाति	22,875	एकड़
,, जनजाति	7,149	,,
स्वर्णकार	916	,,
फौजियों को	862	,,

भूमि आवंटित की गई है

(3)

अनुसूचित जाति	8,2603	दरख्वास्तें
,, जनजाति	2,1553	,,
स्वर्णकार	1883	,,
फौजियों ने	2043	,,

प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन हेतु पेश किये। इनमें से:–

अनुसूचित जाति	6,216
,, जनजाति	1,520
स्वर्णकार	188
फौजियों के	171

प्रार्थना पत्रों पर भूमि आवंटित की गई। शेष प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान के भूमिहीन न होने व भूमि उपलब्ध न होने व गैरमुमकिन भूमि की मांग करने के कारण खारिज कर दिये गये।

(4) आवंटित भूमि पर सभी आवंटित व्यक्तियों का कब्जा करवा दिया गया है।

पढ़े लिखे बेकारों की संख्या

232. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य में पढे लिखे बकारों की संख्या कितनी है?

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(2) प्रत्येक जिले में कितने पढे लिखे बेकार नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत हैं ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि कई जिलों में कई प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं और कई पंचायत समितियों में अशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या राज्य मे कई डिग्री होल्डर इंजिनियर एवं पोलोटैक्निक विद्यार्थी बेकार घूम रहे हैं और राज्य में उद्योग संस्थानों में वाहर दूसरे प्रान्त के विद्यार्थियों को बुलाकर नौकर रखा जा रहा हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल शिक्षित बरोजगारों की कोई विशिष्ठ गणना नहीं हुई है। तालिका संलग्न है।

(2) जी हां, कई जिलों में प्रशिक्षित अध्यापक काम पाने की प्रतीक्षा में हैं।

(3) हो सकता हैं कि किसी किसी पंचायत समिति में कार्य कर रहे कोई अध्यापक अप्रशिक्षित हों।

(4) जी हां, सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं हैं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

ग्राम गड़बाड़ा में गवाऊ पीच का कुआं

233. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव गड़बाड़ा तहसील पाली में कोई गवाऊं पीच का है और उसका इन्द्राज जनरल रेकार्ड में दर्ज है ?

(2) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत में इस अमर की दरख्वास्त की है कि कुए विशेष को गवाऊ पीच का घोषित किया जाये ? यदि हां, तो सरकार ने आज तक इस सबंध में क्या कदम उठाया है ? और नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) ग्राम गडवाबाडा, तहसील पाली में गवाऊ पीच का नहीं है, जनरल रेकार्ड में उसका इन्द्राज नहीं है।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत गढबाड़ा द्वारा गांवाऊ पीच का घोषित करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधीश द्वारा उक्त मामले में कानूनी चाराजोई करने के निर्देश उक्त पंचायत को दिये हैं।

तहसील खेरवाड़ा में भूमि पर नाजायज कब्जे के मामले

234. **श्री विद्यासागर** (खैरवाड़ा-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खेरवाड़ा तहसील, जिला उदयपुर में सन् 1965 जनवरी से सन् 1967 दिसम्बर तक कितने नाजायज कब्जे भूमि के दर्ज किये गये ?

(2) जो नाजायज कब्जे दर्ज हुए उनमें से कितने व किन किन आसामियों के नाजायज कब्जे रेगूलराईज किये गये थे और किन किन के नहीं ?

(3) ऐसे कितने नाजायज कब्जे थे जो रेगूलराईज नहीं करके खारिज किये

(श्री. विद्यासागर)

गये और इस समय नाजायज कब्जों के कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(19-3-68 को पुनः रखा गया)

काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज व्यक्तियों की नौकरियां

235. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1-4-67 से लेकर 31-12-67 तक राज्य के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये और उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलवाया गया ? इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति कितने हैं ?

(2) उक्त संख्या में स्नातक और स्नातकोत्तर लोगों की संख्या कितनी है जिनको उक्त अवधि में कोई काम नहीं दिलाया जा सका ?

उत्तर

(1) इस अवधि में 1,17,442 व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये। 11,175 को काम दिलाया गया। नाम दर्ज कराने वालों में 13,078 अनुसूचित जाति के तथा 2,617 अनुसूचित जन जाति के थे।

(2) 31-12-67 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 2,925 स्नातक और स्नातकोत्तर श्रेणी के व्यक्ति काम की तलाश म उपलब्ध थे।

लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के अन्तर्गत नागौर तक पानी लेजाने की योजना

236 **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर परियोजना में जो लिफ्ट इर्रीगेशन स्कीम के अन्तर्गत नागौर तक पानी लेजाने की जो योजना बनी थी उसकी क्या प्रगति हुई है ? यह योजना कार्यरूप में कब तक परिणित हो जायेगी।

(2) इस स्कीम में आज तक कितना खर्चा हुआ है और भविष्य में कितना खर्चा होने की संभावना है ?

(3) क्या राजस्थान सरकार वित्तीय संकट की वजह से इस योजना की क्रियान्विति के लिए केन्द्र से ऋण लेगी या किसी अन्य साधन से रुपया कर्ज लेकर इस काम को पूरा करेगी ?

(4) लिफ्ट इर्रीगेशन की सफलता की सूरत में कितने एकड़ भूमि में आबपाशी होगी और कितने किसानों को लाभ होगा ?

उत्तर

(1) नागौर तक लिफ्ट द्वारा पानी ले जाने की योजना पर खर्चा बहुत अधिक आने के कारण सिंचाई की लागत बहुत मंहगी पड़ती है, इसलिए इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

नदियों के पानी से सिंचाई

237. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल नदियों का पानी कितने एकड़ फुट में बहता है ? और उसमें से कितना एकड़ फुट पानी का उपयोग किया जा रहा है ?

(2) प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंच-वर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर इस उपयोग का प्रतिशत क्या था ?

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् से लेकर अब तक इस प्रतिशत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

(4) राज्य में इस समय किन किन नदियों का पानी सिंचाई की दृष्टि से उपयोग नहीं किया जा रहा है और क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में बहने वाली नदी घाटियों की कुल जलमात्रा लगभग 790 हजार मि० घ० फुट है। जिसमें से अब तक लगभग 500 हजार मि० घ० फुट पानी को उपयोग में लाने के निर्माण कार्य किये जा चुके हैं ।

(2) प्रथम, द्वितीय व तृतीय योजनाओं की समाप्ति पर यह प्रतिशत क्रमशः लगभग 16, 35 एवं 52 रहा ।

(3) लगभग 11 प्रतिशत ।

(4) वाकल, अनास, साबरमती, मेंढा, कांतली, साबी आदि कई ऐसी नदी घाटियां हैं जिनका पानी अभी सिंचाई के काम में नहीं आ रहा है । इसके उपयोग के लिये सर्वेक्षण की आवश्यकता है जो अब किया जायेगा ।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में सड़क निर्माण पर व्यय

238. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान केनाल क्षेत्र में केनाल के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिये 31 मार्च, सन् 1968 से पहले कुल कितना रुपयों का प्रावधान रखा गया था ?

(2) इस रुपये में से किस किस तह-सील में कितने मील लम्बी सड़क बनाई गई हैं तथा किस स्थान से किस स्थान तक ?

(3) क्या जिन जिन सड़कों का कार्य चालू किया गया था वे सब मुकम्मल बन कर तैयार हो गई हैं ?

(4) इस क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कों की लम्बाई क्या क्या है ?

(5) सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(21-3-68 को पुनः रखा गया)

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

239. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है ? अगर हां, तो उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया ?

(श्री रामकिशन)

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना के कितने लक्ष्य 2 वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किस प्रकार से किये गय हैं ? कृपया संक्षिप्त में बताया जावे ? अगर कोई नहीं किये गये तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

एडवरटाइजमेन्ट टैक्स की वसूली

240. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान मनोरंजन कर के अन्तर्गत Advertisement Tax के रूप में वाणिज्य कर विभाग ने कितनी राशि सन् 66-67 तथा 67-68 में वसूल की है ?

(2) ऐसे राजस्थान में कितने फिल्म वितरक एवं सिनेमा मालिक हैं जिनका कर निर्धारण कर Sale of Posters पर लगने वाले Advertisement की राशि वसूल की गई है ? कृपया ऐसे फिल्म वितरकों एवं सिनेमा मालिकों मय वसूल की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विज्ञापन कर के रूप में वाणिज्यिक कर विभाग ने सन् 66-67 में रुपये 56,742.89 वसूल किये तथा सन् 67-68 में सितम्बर, 67 तक 26,531.66 रुपये वसूल किये हैं ।

(2) सम्बंधित अधिनियम की धारा 4ए के अन्तर्गत सिर्फ सिनेमा में दिखाई जाने वाली Advertisement स्लाइड व फिल्म्स पर Advertisement लागू होता है । अतः Sales of Tax posters पर Advertisement Tax वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्थगित प्रश्न

(4-3-68)

पी० डी० आर० के तहत वसूली के पेंडिंग मामले, जिला नागौर

158. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में पी० डी० आर० एक्ट के तहत वसूली के कितने मामले पेंडिंग हैं ?

(2) सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख जिससे वसूली होनी है उसका नाम, वल्दियत, एवं सकूनत व राशि जो वसूल होनी है, उसका ब्यौरा देते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । उक्त रकम कब से बकाया है, वह तिथि भी अंकित करावें ?

(19-3-68 को पुनः रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(5-3-68)

बाढ़ से नुकसान तथा पीड़ितों को सहायता

170. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष बाढ़ के कारण राज्य

Page No. 44

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
भर में कुल क्या क्या नुकसान हुआ और राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि सहायतार्थ उपलब्ध करवाई गई ? इसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ कितनी धन राशि केन्द्र द्वारा इस वर्ष दी गई

(3) केन्द्र से राज्य सरकार ने कितने अनुदान या ऋण की मांग की थी और उसमें से कितना स्वीकार किया गया ?

(4) बार बार बाढ से होने वाली क्षति को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष बाढ से जो नुकसान हुआ उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इस वर्ष केन्द्र द्वारा 20 लाख रुपये सहायतार्थ व 40 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव योजना आयोग से प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक केन्द्र के वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है

(3) एक करोड़ ऋण के रूप में तथा 50 लाख अनुदान के रूप में मांग की है । प्रश्न 2 के अनुसार स्वीकार होने की आशा है तथा कृषि विभाग को बीज के लिए कर्ज के रूप में 1 करोड़ 15 लाख रुपये अलग से मिला है ।

(4) इस संबंध में जवाब सिंचाई विभाग व निर्माण विभाग ही दे सकते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

(12.08 म. प.)

स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर नगर में कुछ चौकड़ियों में व्याप्त नगरपालिका के हरिजनों की हड़ताल के विषय में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । यह मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वे बजट पर होने वाली बहस में इस विषय को उठा सकते हैं । अतः मैं श्री बाढ़दार द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

दूसरे स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें दिनांक 10-3-1968 को चुन्नीलाल जाटव ग्राम बवेखर थाना भुसावर जिला भरतपुर की कुए में गिर कर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है ।

(श्री उपाध्यक्ष)
यह मामला भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । इसके अतिरिक्त इसको पुलिस पर होने वाली मांग पर बहस के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है । अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इसके अलावा माननीय देवीदत्त गाड़िया, माननीय श्री बृजवल्लभ, माननीय श्री परसराम, माननीय श्री रावतराम, व माननीय श्री मेघराज, माननीय श्री श्रवण लाल, माननीय श्री केसरी सिंह हाडा· · ·

श्री केसरीसिंह हाडा : केसरी सिंह !

श्री उपाध्यक्ष : केसरीसिंह हाडा, माननीय रामानन्द अग्रवाल द्वारा राज्य कर्मचारियों के विषय में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है· · · ·

इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसके बाद में उन पर व्यवस्था दी जायगी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान का वर्तमान मन्त्रि-मण्डल है, उससे हम यह अपेक्षा कर के नहीं चल सकते कि जहाँ 7 दिन से हरिजनों की हड़ताल चल रही है और उसके कारण जयपुर शहर में नारकीय स्थिति पैदा हो गई है, उसके संबंध में वे कोई स्टेटमेंट देने को तैयार हों, वे स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हैं । तो इससे स्पष्ट रूप में राजस्थान के मंत्रि-मण्डल की जयपुर शहर के प्रति दुर्भावना प्रतीत होती है और इस तरह से उन्होंने जयपुर शहर को नष्ट करने की नीति अपना रखी है ।

जो जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्सों के रूप में इकट्ठे किये गये पैसों से बने बंगलों में निवास करते हैं, वे इस ओर ध्यान नहीं देना चाहते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आप चलिये या मंत्रि-मण्डल का कोई भी सदस्य मेरे साथ चले और देखे कि, मैं उनको बताऊंगा कि जयपुर शहर की सड़कों की क्या हालत है, जयपुर शहर के रास्तों की क्या हालत है, उन पर इन्सान चल नहीं सकता, थोड़ी सी देर के लिये भी खड़ा नहीं रह सकता । इतना होने पर भी आप हरिजनों की मांगों को न स्वीकार करते हैं और न उसके सम्बन्ध में कुछ स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, जगह जगह एन्क्रोचमेंट कर दिया है, जयपुर शहर को आपने नर्क सा कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े में अपनी बात रखें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस पर भी आप सुनने को तैयार नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय चाहते हैं, यदि उनके दिल में जयपुर शहर के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग है तो वे थोड़ा इस पर विचार कर के देखें कि राजस्थान के किसी कौने से आकर आप जयपुर में रह रहे हैं· · · ·

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कोई भी मंत्रि-मण्डल के सदस्य मेरे साथ चले चलें जो यह कहते हैं कि जयपुर की ऐसी स्थिति नहीं है तो वे मेरे साथ चले चलें, नवाब साहब, आप चलिये मैं बताऊंगा । आप इस पर

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)
विचार कर के भी तो देखिये, हम बराबर चिल्ला रहे हैं और आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जयपुर शहर नर्क होता चला जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय····

श्री भैरोंसिंह : गंदगी की सफाई करानी है तो नवाब साहब से काम नहीं चलेगा, भैंसवाड़ा ठाकुर साहब को ले जावें ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न कि उस पर सूचना चाही गई है, सूचन मिलने पर व्यवस्था दी जायगी।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दस दिन पहले स्थगन प्रस्ताव की सचना दी थी, उसके सम्बन्ध में आज तक सूचना नहीं आवे, इस प्रकार की राजस्थान सरकार की नीती बिलकुल खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका हिन्डौन सब-डीवीजन में एस० डी० ओ० के ट्रान्सफर के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था वह माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था, आपने उस ही को वापिस प्रस्तुत कर दिया है, यह नियमों की अवहेलना है, इसलिये दुबारा नहीं उठा सकते।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप कटौती प्रस्तावों पर कह दीजिये।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्डौन में 6 महीने से एस० डी० ओ० की पोस्ट खाली पड़ी है, वहां का सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है, किसान वहां पर अपने कार्य के लिये आते हैं और एस० डी० ओ० के नहीं होने के कारण चक्कर लगा कर चले जाते हैं, यह स्थिति वहां की जनता, के लिये इतनी दुखदाई हो गई है कि बयान नहीं किया जा सकता, गवर्नमेन्ट का भी नुकसान हो रहा है। 6 महीने से वहां एस० डी० ओ० नहीं पहुंचा है.

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, एस० डी० ओ० को वहां कब तक भेज देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): एक अच्छे एस० डी० ओ० की तलाश हो रही है, आप कहते हैं कि वह भी बुरा, वह भी बुरा····

श्री जयनारायण सालोदिया : जो बिलकुल आप जैसा हो।

श्री श्रवणलाल : नगरपालिका का चैयरमेन भी नहीं है इसलिये यह और भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोग वहां नाजायज कब्जे कर रहे हैं, इसलिये यह जरूरी है कि इमिजियेटली कोई एस० डी० ओ० वहां पहुंचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव उदयपुर शहर में दफा 144······

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो दूसरे पर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना मंगाई है, उसमें भी।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय, को खड़े हो कर आश्वासन देना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 30 तारीख से पहले पहले कर देंगे

श्री केसरीसिंह हाड़ा : फर्स्ट अप्रेल को कर दें तो ठीक है।

जनलेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पुखराज कालानी : (सभापति जनलेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे तथा वित्त लेखे, 1965 66 पर अंकेक्षा प्रतिवेदन के पैरा 36 से 42, 80 से 83..

श्री जयनारायण सालोदिया : कुछ भी भी सुनाई नहीं दे रहा है....

श्री केसरीसिंह हाडा : अभी तक झेंप नहीं मिटी क्या..

एक माननीय सदस्य : कुछ भी सुनाई नहीं दिया साहब..

श्री पुखराज कालानी : 85 से 93, 100, 104, 107, 108, 128, 136 तथा 169 से 172 को छोड़ कर अवशेष पैराओं से सम्बन्धित समिति के तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

ध्यानआकर्षण प्रस्ताव। श्री मदनसिंह दांता !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा देने के सम्बन्ध में

श्री मदनसिंह दांता (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आंवटन मकान बनाने व बच्चों को पढ़ाने की सुविधाएं देने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था।

यह तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज से एक साल पहले सारे सदन के माननीय सदस्यों ने गवर्नमेंट को कन्वीन्स किया था कि फौजियों के साथ में इन सब मामलों के सम्बन्ध में रियायतें ठीक ढंग से और नियमानुसार की जानी चाहिये और इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से माननीय मंत्रीजी को आदेश दिया गया था कि मैं उनसे मिलूं और इस सम्बन्ध में सारी बातें उनके सामने रखूं। मैंने मंत्री महोदय से मिलने की कोशिश की लेकिन उनको राजस्व का बहुत कार्य

(श्री मदनसिंह दांता)

था और उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में नियम बनाने के लिये कोई बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें बड़े बड़े फौजी अफसर और सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरीज भी होंगे, वहां उस मीटिंग में हम फौजियों के लिये कानून बनाने वाले हैं, नियम बनाने वाले हैं, उसमें आप सुझाव देवें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपमंत्रीजी के पास गया और उनसे उस मिटिंग का समय पूछा और यह आवेदन किया कि जिस समय नियमों को बनाने के बारे म मीटिंग बुला कर डिस्कस करें तो उस समय हमें भी बुला लें तो अच्छा होगा हम वहां पर अपने सुझाव दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वह मीटिंग भी हो चुकी और नियम भी बन चुके और राजस्व मंत्रीजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे मंत्री हैं और वहां और लोग हैं वे उचित नहीं समझते कि आप वहां मीटिंग में उपस्थित हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिकों को जमीन के आवंटन के लिये जो नियम बनाये हैं, उनको मैं सदन के सामने रखूंगा मैं तो कहूंगा कि यह फौजियों के लिये काला कानून है, फौजियों को आबादी के लिये जमीन नहीं मिल सके इस प्रकार का यह कानून है। इस कानून के अन्तर्गत जो नियम बने हैं उनको देख कर मुझे लड़ाई का वह समय याद आता है जब इटेलियन प्रिजनर्स को एस्टेब्लिश किया था उस समय ऐसे नियम बनाये थे और देश में हल्ला कर दिया था कि हमने इटलियन प्रिजनर्स को बसाया है। उसी तरह का जमीन आवटन का फौजियों के लिये नियम बनाया है। पहला नियम है।

"सैनिकों को भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत भूमि उन लोगों को मिल सकेगी जो अनिवार्य रूप से निम्न योग्यता की पूर्ति करते हों:'

सेना में भर्ती होते समय राजस्थान का निवासी हो।"

अब मैं इसके साथ साथ दोनों मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि 4 ऐसे नियम हैं, चारों पर मैं सवाल करता जाऊंगा और उनका आन्सर चाहूंगा।

"सेना में भर्ती होने के समय राजस्थान का निवासी हो।

अगर वह आज के दस साल पहले राजस्थान में नहीं रहता हो, सिंध में या पंजाब में रहता था, पाकिस्तान के पार्टीशन के पहले सिंध में या पंजाब में रहता था और जिस प्रकार सिन्धी और पंजाबी राजस्थान में बसे हैं उसी तरह वह फौजी भी राजस्थान में आ गया। तो इस नियम के अनुसार फौजों में हजारों की संख्या में इस तरह के लोग होंगे उनको इस नियम के अन्तर्गत क्या जमीन नहीं मिलेगी? मैं इसका उत्तर चाहूंगा । 10 हजार ऐसे फौजी हैं, कोई लड़ाई में मारे गये हों, या अवार्ड होल्डर हों, उनको इस नियम के अनुसार भूमि नहीं मिलेगी।"

दूसरा नियम है: भूमि हीन किसान जिसके पास भूमि नहीं है, उसको भूमि मिलेगी। यह तो समझ में आता है।

तीसरा नियम है: जिस पर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री मदनसिंह दांता)

"जिनके पास स्वयं के अथवा परिवार के सदस्यों के पास भूमि न हों और यदि हो तो, आवंटन की तिथि के पूर्व, दो साल पहले उसको बेचा न हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि अगर एक फौजी है और उसको अगर जमीन लेनी है तो अगर उसके पिता के नाम 10 बीघा जमीन है या 15 बीघा जमीन है या उसके 4-5 भाई हैं और उस जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और वह दरख्वास्त देता है तो उसको भूमि नहीं मिलेगी क्योंकि परिवार में उसका पिता भी है, उसका भाई भी है। वैसे परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है, जैसे भी तहसीलदार या पटवारी ठीक समझे, करेंगे। मगर मोटे रूप से उसका खास सगा भाई है तो उसको भी परिवार में मानते हैं और यदि उसने ली है तो सिपाही को जमीन नहीं मिलेगी। चाहे उस सिपाही ने लड़ाई में कितनी कामयाबी हासिल की हो, उसको भूमि नहीं मिलेगी।

चौथी शर्त है कि कम से कम 5 साल का सेवा काल हो यानी उसकी नौकरी 5 साल पहले की हो। आज की जितनी दरख्वास्तें हैं उनको नहीं मिलेगी। चाहे पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ाई में लड़ चुका हो और चार साल रहा हो और फिर उसको रिलीज कर दिया हो छटनी की वजह से यानी उसकी गलती के कारण नहीं, तो भी उसको जमीन नहीं मिलेगी।

ये चारों शर्त क्यों रखी हैं ? क्या जरुरत थी ? होना तो यह चाहिए था कि यदि किसी फौजी के पास जमीन हो या पहले भी जमीन थी और उसने बेच दी हो तो उसको नहीं मिलेगी। यह तो ऐसे नियम हैं जैसे प्रिजिनर्स ऑफ वार के लिए होते हैं। आज एक साधारण नागरिक जिसके लड़कों के पास हजारों बीघा जमीन है, उसके भाइयों के पास है, वे आराम से ले जाते हैं। तो कई फौजियों ने आकर मुझसे कहा कि साधारण नागरिक की तरह हम भी 500 खर्च करके जमीन ले सकते हैं। इसलिए फौजियों के लिए कौनसा सरल कानून आपने बनाया, यह तो जटिल बन गया। साधारण राजस्थान का नागरिक आराम से जमीन ले सकता है, आज भी इन्हीं जगहों पर ले रहे हैं, तहसीलों के अंदर तो इनके लिए सुविधायें क्या हैं ? मुझे समझाइये, तो फिर आपसे बात करूंगा।

मंत्री महोदय की सूचना के लिए बता दूं कि इस नियम के बाद में राजस्थान नहर के अंदर कमिश्नर के पास 20 हजार दरख्वास्तें थी, वे केंसिल हो गई। वे 20 हजार आदमी फिर दरख्वास्तें देंगे इन नियमों को देखकर, फिर अपने कमांडर्स से लिखायेंगे कि हम किस तारीख को भर्ती हुए थे, बाप के पास क्या जमीन है, तो क्या यह प्रजनर्स है या डाकू है ? कोई दुश्मन के इलाके से भर्ती हुए हैं ? बदमाशी से कितनों ने जमीन ले ली है ? बीकानेर से आकर यहां ले ली है, डीडवाना से आकर यहां फार्म बना दिया है, कोटा से आकर यहां फार्म बनाया है, लेकिन जिन्होंने राष्ट्र के लिए बंदूके कंधे पर रखकर दुश्मन का सामना

(श्री मदनसिंह दांता)
किया, उसके लिए इतनी कड़ी शर्तें। हम चाहते हैं कि ऐसे जटिल कानून फौजियों के लिए नहीं बनना चाहिए। फौजी एक कानून को मानने वाला व्यक्ति होता है, वह भोला होता है। जिस समय वह कानून को देखता है तो इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह सही ढंग से जमीन ले ले। यह शर्तें आप दोनों मंत्रियों पर लगा देते तो अच्छा रहता बजाय फौजियों पर लगाने के तो आपको पता चलता कि फौजियों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम): इस मामले में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरी सिंह हाडा (श्री मदनसिंह से) यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। इसमें चर्चा की गुंजाइश नहीं होती। (श्री खेतसिंह से) जो श्री मदनसिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसका उत्तर दिया जाय।

श्री खेतसिंह : (उप मंत्री भूतपूर्व सैनिक सहायता) इनके तो 5 मुद्दे थे, अभी एक पर ही विचार व्यक्त किए हैं तो मैं एक पर बोलूं या पांचों पर?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मदनसिंह से) आप एक साथ पूछ लें।

श्री खेतसिंह : इनको छात्रवृत्ति का पूछना है, मकानों का पूछना है, सब पूछ लें।

श्री मदनसिंह : अगर चारों पांचों एक साथ पूछूंगा तो मंत्री महोदय मिक्स अप करके ये धूलधानी करन वाले हैं!

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह): जब उनके सामने मशीन गन्स चलते हैं तो दिल हिल जाता है, आपको क्या पता। ऐसे लोगों को आप 15 बीघा जमीन भी नहीं दे सकते। बजाय 15 बीघों के इनको 25 बीघा जमीन देना आवश्यक है। मैं ज्यादा नहीं कह सकता।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य, मैं जो कह रहा हूं उसमें तो आप मेरे साथ हैं ना?

श्री जगन्नाथ : हां। लेकिन दल को छोड़कर नहीं आऊंगा।

श्री मदनसिंह : मकानों के संबंध में सरकार ने एलान किया था कि हमने जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर फौजियों के लिए मकानों की व्यवस्था की है। मैं पूछना चाहता हूं आज तक कहां-कहां, कौनसी कौनसी जगह कितने-कितने मकानों के लिए जमीन आपने दी है और किन नियमों के आधार पर यह जमीन दी है?

तीसरी बात आपने एलान किया था और राज्यपाल के भी आदेश थे कि जो एक्स सर्विसमेन के लड़के हैं उनको फ्री शिक्षा दी जायेगी। मैं जयपुर की एक मिसाल बताता हूं, वैसे सैकड़ों दरख्वास्तें मेरे पास हैं। जयपुर का जो दरबार हाई स्कूल है, मैंने उसके बारे में मंत्रियों को भी पत्र लिखा था। स्कूल वाले कहते हैं कि हम ऐसे कानून

(श्री मदनसिंह दांता)

को मानने को तैयार नहीं हैं और जितने भी एक्स सर्विसमेन के लड़के हैं, उनके लिए वे फीस चार्ज करते हैं। इस तरह जितने भी गरीब सिपाहियों के बच्चे हैं उन्होंने 150-200 रुपए जमा कराए हैं। तो अब जो आपने नया कानून बनाया है, उसके बारे में अवगत कराएं।

श्री खेतसिंह : आपने पूछा कि नौकरियां कितनों को मिली हैं? वह भी अच्छी तरह से पूछ लें।

श्री मदनसिंह : नौकरियों के सम्बंध में मुझे निवेदन करना है कि आप वापस कुछ को निकाल रहे हैं। आप बताएं कि कितनों को नौकरी दी है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जमीनें देने के बारे में उन्होंने बताया कि जिस किसी परिवार में पहले जमीन दी गई हो, उनको न दी जाय। मंत्री महोदय परिवार की डेफीनेशन बना दें कि परिवार का अर्थ क्या होता है ? केवल मां बाप, पति पत्नी जसे फौज में होता है या कोई लम्बा-चौड़ा डेफीनेशन है ?

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): सरकार ने पिछली बार इकोनामी कट के तहत जिन टेम्परेरी एम्पलाईज को निकाला है, उनमें कुछ एक्स सोल्जर्स को निकाल दिया गया, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किया है ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव.....

श्री उपाध्यक्ष : आप निश्चित सूचना के बारे में कह दें, भाषण नहीं होगा

श्री विजयसिंह रावत : मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर पिछले सत्र में जब वादविवाद हो रहा था तो एक्स सोल्जर्स पर उस समय सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम एक कमेटी गठित करेंगे और उस मामले को लेकर मैंने 2-4 बार बात की थी और उस समय यह बताया गया था कि प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं ।

सरकार ने स्वीकार नहीं किया है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार वास्तव में दिल से और मन से इस राजस्थान के जो जवान, इस देश की रक्षा के लिये तैनात हैं, उनके हित के लिये, उनको राहत देने के लिये कुछ मंशा रखती है या केवल एक खोखला नकशा रखकर भ्रम में रखकर उनको राहत देने के नाम से पैसा खर्च करती है? इसके बारे में जानकारी चाहूंगा। जो कमेटी गठित की गई थी उसके बारे में क्या हुआ? जितने भी एक्स सोल्जर्स हैं और इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वे भी उस कमेटी में होंगे। इस कमेटी का आज तक क्या हुआ, इस बारे में जानकारी दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है कि क्या भूमि आवंटन के सम्बंध में जो प्रार्थना पत्र तहसीलों में और कलेक्टरों के पास प्राप्त होते हैं, उनको जिस प्रकार दूसरे सामान्य लोगों को प्राप्त होते हैं, उसी रजिस्टर में दर्ज होते हैं या इन सैनिकों के लिए कोई अलग रेकार्ड है? हर जिले में और हर तहसील में कितनी दरख्वास्त प्राप्त हुई है, कितनी डिसपोज आफ हुई

Page No. 52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और कितनी बाकी, क्या मंत्री महोदय यह बता सकेंगे ?

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी भूतपूर्व सैनिकों को जमीन अलॉट करने के सम्बंध में प्रश्न पूछा था, उस समय भी नहीं आया। इस सत्र में भी पूछा गया है। न जाने वह कब आयेगा ? मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको कुछ सहूलियत दी जायं।

श्री आलम अली (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात में पूछनो चाहूं हूं जितनी बेवा औरतां है, दूसरा घर में कोई आदमी नहीं, इस कानून के जरिये बवा औरतां कुछ सहूलियत ले सकेगा आके नहीं ? वांके कोई आदमी नहीं है। आप लोगों को अठे दफतर हैं, बे बेचारी धक्का खाती फिरे है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मैं पहले भी कहयो हो और मैं तो आपने अॉ कहूंगा के ऊंट लूलो होवे और गधे के डाली द। ई तरह को कानून हुवो। मेरे भाई कने जमीन होसी तो वो म्हारा टाबरा की परवाह थोड़ी करसी ? आ तो ऊंट के डाली लाग्यां ही जासी। उपाध्यक्ष महोदय मिलिटरी का आदमी इस कमेटी में शामिल नहीं है वाने कांई वेरो वां की तकलीफां को, कितनों दुख होवे है वाने। ये तो अठे मजा लूटे हैं। इं वास्ते मैं निवेदन करूं कि एक फौजी आदमी कमेटी में होनों चाहिरे।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इन फौजियों के नाम में जो जिलेका विस्तार किया जाता है कि फलां फलां जिले का रहने वाला हो तो जमीन मिल सकती है....

श्री मदनसिंह दांता : यह दूसरी बात है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा मतलब तो यह है कि एक जिले के रहने वाले को दूसरे जिले में....

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : दो साल पहले एक एक्स-सोल्जर को जमीन एलाट हुई थी, उसको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। माननीय उप मंत्रीजी भी वहां पर गए थे। क्या फैसला हुआ ? कुछ बता सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : जैसा अभी माननीय सदस्य ने फरमाया है जो फौजियों को भूमि दी जाती है, उस नियम में जो दिक्कत आ रही है, वह सब जगह आती है। हालत यह है कि फौजी आदमी जहां बैठे हैं वहां से यह सोचते हैं कि राज्य सरकार से जमीन मिल जायगी और वे थोड़ी सी जमीन के पीछे सैकड़ों रुपये बरबाद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लैन्डलैस की डेफीनेशन क्या है ? ऐसा भी नियम में है कि जिसके पास कम जमीन होगी, उसको जमीन नहीं मिलेगी। राज्य सरकार फौजियों को जमीन दे नहीं सकती है तो इतना तो जरूर कर दे कि जितन ब्रिगेडियर हैं, बटालियनों के वहां हैड क्वाटर्स पर ये नियम भेज दें ताकि उस तहत वे काम करें। उनकी दरख्वास्तों को कमान्डिग आफिसर फारवर्ड कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है।

(श्री रणजीतसिंह)

अलॉटमेंट होता है कहां, तहसील होती है कहां । ये सब अलॉटमेंट के वक्त दिक्कतें आती हैं । 5-25 बीघा जमीन के लिये वे सैकड़ों रुपया बरबाद कर देते हैं, जिनको जमीन नहीं दे सके तो यह बता दें कि लैन्ड लैस की डेफिनेशन क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सवाल के ऊपर सभी जिलों में 26 जिलों के अन्दर यही समस्या है मेरे जिले सवाई माधोपुर में फौजियों की एक बड़ी भारी समस्या है और वहां भी इस प्रकार से उन फौजियों के साथ में जो बर्ताव किया जाता है, जैसे, झूंठे आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से दिये जाते हैं जो नियम रखते हैं उसका पालन नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कई जगह अलॉटमेंट कमेटी में गया हूं और मैंने विशेष तौर से यह जोर दिया है कि फौजियों को जमीन मिलनी चाहिये । वहां के तहसीलदार और कलेक्टर सिफारिश कर देते हैं तो इस बात पर उनकी दरख्वास्त लौटा दी जाती है कि यह फलां पंचायत का रहने वाला नहीं है । यह कह कर लौटा देते हैं कि यह यहां का रहने वाला नही है । इसलिय जो अमुक व्यक्ति है जो यहां का रहने वाला है, उसको दी जाय । न तो ग्राम पंचायतों में उनको जमीन मिलती है, न तहसील में जमीन मिलती है और न जिले में जमीन मिलती है । आज फौजियों की काफी बड़ी संख्या है । वे जयपुर में आते हैं और कलेक्टर के पास जाते हैं । कलेक्टर जिस तहसील में जमीन होती है उसको भेज देता है । अब इस सब काम के लिए फौजी चक्कर लगाता हुआ मारा मारा फिरता रहता है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जिन विधवाओं के एक-दो बच्चे हैं, जिनके पति लड़ाई में मारे गये चाहे वे 65 की लड़ाई में मारे गए हों और चाहे 62 की लड़ाई में मारे गए हों, दफ्तरों में बच्चों को लिए इधर-उधर चक्कर लगाती रहती हैं ।

मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं एक औरत जो अपने दो बच्चों को लेकर इधर उधर चक्कर लगाती है कि कहीं उसके दो बच्चों को स्कूल में दाखिला मिल जाय, इस प्रकार के पालन-पोषण के लिये, शिक्षा के लिए स्थान मिल जाय जिससे वह अपने बच्चों को आगे पढा सके लेकिन उसको कहीं ऐसा स्थान नहीं मिलता है ।

किसी प्रकार वह देवस्थान विभाग के मंत्री के पास पहुंची तो. . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें ।

श्री मदनसिंह दाता : फौजियों की मांग पर मंत्री महोदय यूं बैठे हैं जैसे पलंग पर पौढ रहे हों ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया लेकिन आज तक उस आश्वासन का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीलाल ।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो शार्ट सर्विस कमीशन, इमरजेन्सी कमीशन में गया था और जिनको 4-5 साल में रिटायर कर दिया, क्या उनको सर्विस

(श्री श्रमीलाल यादव)

राजस्थान सरकार में देने की कोई व्यवस्था रखी गई है ?

दूसरी बात क्या जो व्यक्ति वैल क्वालिफाईड है-एम०ए०, बी० ए० है, जो सर्विसेज जहां से छोड़ गये थे और उसी बीच में जो उनके साथी थे जिनका प्रमोशन हो गया तो क्या उनके लियन के अनुसार उनका भी प्रमोशन और सर्विसेज दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

जो सुविधायें उनके समय में उनके बच्चों को अलॉटमेंट की-जितनी भी दी गई हैं वह भी उनको देने के लिये तैयार हैं ? इसके अलावा जितने भी हमारे खास तौर से बहरोड़ तहसील में सबसे ज्यादा लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे आदमियों को जमीन अलॉट हो गई है ?

कितनों को नहीं हुई ? और जिनको हुई है उनमें कितनों का झगड़ा चल रहा है ? क्या आपकी नीति है कि जितनी भी जमीन एलॉट की जाय, वह ग्राम पंचायत और वहां के लोगों को पूछकर करेंगे ताकि एलॉटमेंट के लिटीगेशन से बच सकेंगे। कितने लिटीगेशन चल रहे हैं, कितनों को एलॉटमेंट कर दिया गया है, कितनो को नहीं की गई ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : नागौर जिले के अन्दर सात ऐसे फौजी हैं जिन्होंने भारत सरकार से ऊंचे ऊंचे पदक लिये हैं। उनको न तो पैसा मिला और न जमीन ही मिली है, न प्लाट मिले हैं....

श्री परसराम मदेरणा : कौन से पैसे ? कौन से पुरस्कार ?

श्री विजयसिंह : वीर चक्र मिले हैं जिनको आप चक्कर दे रहे हैं। आपके यहां से फौजियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिये मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अभी तो उनकी बन्दूक की नाल उधर है, कहीं उधर से इधर हो जायगी तो मुश्किल हो जायगी, आप इसका ख्याल करें। जिनको पुरस्कार मिले हैं उनको आप सहूलियत देते रहें।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : पंचायतों की आबादी की भूमि में टीनेन्सी एक्ट की धारा 21 के तहत हरिजनों और किसानों को मकान बनाने के लिये रियायत है। जो पंचायत क्षेत्र में रहते हैं उनके काफी पुराने मकान हैं अगर उन पुराने मकानों की जगह कोई फौजी पक्के मकान बनाना चाहे, तो फौजियों को बिना नजराने लिये बनाने की इजाजत होनी चाहिये क्या आप इस प्रकार के आदेश पंचायतों को देने की स्थिति में हैं ?

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत पाक युद्ध में पंजाब और हरियाणा के नवजवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं क्या उनके परिवारों को भी राज्य में भूमि दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : उपमंत्री महोदय !

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री भूतपूर्व सैनिक सहायता): उपाध्यक्ष महोदय, पहले दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा पांच मुद्दों के बारे में पूछा है, पहले मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा उसके बाद माननीय सदस्यों ने अलग अलग जो क्वेरीज चाही हैं, उनका जवाब दूंगा।

(श्री खेत सिंह)

राज्य सरकार ने अपनी घोषित नीति के अनुसार कृषि प्रयोजनार्थ भूमि भूतपूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को देने के लिए सचेष्ट कदम उठाये हैं। तहसीलों में आवेदन पत्रों को तीव्र गति से निबटाने के लिये एवं सैनिकों के अन्य कल्याण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने राज्य के समस्त ज़िलों के लिए 6 सैनिक कल्याण अधिकारी नियुक्त किये और उन्हें यह आदेश दिया गया कि वे समस्त जिलों एवं तहसीलों में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर मौजूदा आवेदन पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र निबटायें। उक्त अधिकारियों की नियुक्ति के फौरन बाद ही राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों एवं तहसीलदारों को विस्तृत आदेश माह अक्टूबर में प्रसारित किये गये कि वे तहसील सलाहकार समिति की बैठकें आमन्त्रित कर माह दिसम्बर, 1967 और माह जनवरी, 1968 में सारे आवेदन पत्रों पर विचार कर अपना निर्णय देदें। जो आवेदक भूमि पाने के पात्र समझे जायें एवं भूमि उपलब्ध हो, उन्हें भूमि दी जाय और उस पर कब्जा भी कराया जाय। जो आवेदक भूमि पाने के पात्र नहीं हों, उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिये जाय ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाय। राज्य की उक्त नीति की घोषणा के बाद अनेकों आवेदन पत्र तहसीलों में प्राप्त हुए और उन पर दिसम्बर एवं जनवरी और उसके बाद भी विचार हुआ।

(12.45 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

विभिन्न ज़िलों में जिस प्रकार भूमि आवंटित हुई है उसकी तालिका इस प्रकार है :—

क्रमांक	जिला	प्रार्थना पत्रों की संख्या	आवंटितियों की संख्या	अस्वीकृत प्रार्थना पत्र	विचाराधीन प्रार्थना पत्र
1.	अजमेर	653	110	184	351
2.	अलवर	197	6	9	182
3.	बांसवाड़ा	16	14	2	—
4.	बाड़मेर	96	45	45	6
5.	भरतपुर	725	32	14	679
6.	भीलवाड़ा	306	26	20	260
7.	बीकानेर	27	..	..	27
8.	बून्दी	207	2	2	196
9.	चित्तौड़गढ़	57	14	16	27
10.	चुरू	178	60	11	107
11.	डूंगरपुर	18	10	2	6
12.	गंगानगर	206	3	0	25
13.	जयपुर	320	94	152	74
14.	जैसलमेर	53	38	15	0

(श्री खेत सिंह)

1	2	3	4	5	6
15.	जालोर	19	14	3	2
16.	झालावाड़	30	13	7	10
17.	झुंझनू	735	40	185	510
18.	जोधपुर	310	125	159	26
19.	कोटा	198	28	55	95
20.	नागौर	299	19	31	249
21.	पाली	266	1	57	78
22.	सवाई माधोपुर	214	30	55	129
23.	सीकर	363	56	146	161
24.	सिरोही	45	13	21	51
25.	टोंक	23	3	2	18
26.	उदयपुर	217	103	67	47
	योग	5,584	1,029	1,261	3,294

श्री मदनसिंह : इसमें रिजेक्टेड के कारण क्या हैं ?

श्री खेतसिंह : रिजेक्ट होने के अमूमन कारण यह हैं—इनके नाम का खाता है,पहले से जमीन है, या जिन्होंने पुश्तैनी काश्त कभी नहीं की, जिसका ब्यौरा आपको दे दूंगा ।

इस प्रकार राजस्थान में कुल 5,584 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए उनमें से 1,029 भूतपूर्व सैनिकों को जमीन दी है । यह जो कहते हैं कि एक को भी जमीन नहीं दी गई केवल प्रोपेगेण्डा है । -

श्री मदनसिंह : इस झूंठ का तो मैं भण्डा फोड़ूंगा ।

श्री हंसराज आर्य : गंगानगर में तीन को नहीं दी गई, क्या वहां भी जमीन की कमी आ गई थी ?

श्री खेतसिंह : आवेदन पत्रों के निर्णयार्थ एवं सैनिकों को भूमि आवंटन हेतु राजस्थान सरकार ने कुछ मापदंड भी निर्धारित किये हैं। उक्त मापदण्डों से आवेदन पत्रों के निर्णय में सुविधा हुई । राज्य सरकार ने सैनिकों को एवं भूतपूर्व सैनिकों को भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत प्राथमिकता दी है और नियमानुसार तहसीलदार द्वारा उन्हें 15 बीघा तक भूमि आवंटित की जाती है, बशर्ते कि वे भूमिहीन कृषक हों । मैं यह कह रहा हूं कि चाइनीज और पाकिस्तानी एग्रेशन में लड़ाई के मोर्चे पर जो मारे गये थे ।

श्री मदनसिंह : उनको मिल ही नहीं सकता । पांच साल पहले ।

श्री खेतसिंह : आप कनफ्यूज मत होइये ।

श्री मदनसिंह : आप दुनियां को कर रहे हैं कनफ्यूज तो। इसका गलत फायदा आप के अफसर उठा रहे हैं।

श्री खेतसिंह : दूसरी कैटेगरी में निवेदन कर रहा हूं कि हम ने जो इन दो एग्रेशन के वक्त अपने राजस्थान के सैनिक जो या तो वीर गति को प्राप्त हुए हैं या कम्पलीट डिसएबल्ड हो गए ह उनमें से 276 व्यक्तियों के परिवारों को या स्वयं को जमीनें दे दी हैं और अब हमारे पास में केवल 59 दर्ख्वास्तें पेण्डिग में इस तरह की ह।

श्री विजयसिंह रावत : पर पजेशन कितनों को मिला ?

श्री खेतसिंह : यह-अलग से सवाल है, पहले स्टेटमेंट मेरा सुन लीजिये। पर यह अभी भी कह देता हूं कि जिनको जमीनें दी गई हैं राजस्थान कैनाल पर दी गई ह। और सबको पजेशन भी दे दिया है और अगर किसी ने नहीं लिया हो और आपके नोटिस में हो तो बता दीजिये। मैं स्वयं अनूपगढ़ तहसील में जाकर आया हूं। सबके मुरब्बे देखकर आया हूं।

श्री मदनसिंह : यह पजेशन कितनों को मिला ?

श्री विजयसिंह रावत : एक मैंने डी० ओ० लैटर लिखा था। एप्लीकेशनें तीन चार भेजी हैं।

श्री खेतसिंह : जिस वक्त आप बोल रहे थे मैंने ध्यान से शान्तिपूर्वक सुना, मैंने कोई उसमें आपत्ति नहीं की अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं उसे आप ध्यान से शान्तिपूर्वक सुनें, फिर पूछना हो पूछ लिरावें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी क्षमा करेंगे इस संबंध में कि मैं उनको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। क्या आप यह बता सकते हैं कि गंगानगर में जिन किसानों को, जिन एक्स-सोल्जर्स को भूमि एलॉट की गई है उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनका न सन् 62 के एग्रेशन से संबंध था न 65 के एग्रेशन से संबंध था बल्कि वे ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार राजस्थान के कई महत्व-पूर्ण पदों पर बैठे हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं समझ गया आप का सवाल। पहले ध्यानाकर्षण प्रश्न की बात है। यह अलग से है।

तीसरी कैटेगरी है। शौर्य पदक पाने वालों की। इनके लिये विशेष नियम बनाये गये हैं 66 में और उनके अन्तर्गत शौर्य पदक का विवरण दिया गया है कि इन इन कैटेगरीज वालों को यह यह दिया जावेगा जैसे वीर चक्र वाले हैं, परम वीर, महावीर चक्र वाले हैं।

श्री मदन सिंह : ऐसे कोई दस बीस हजार हैं क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य स्टेटमेंट देने दें पहले, बाद में सप्लीमेन्टरी करें।

श्री खेतसिंह : तो उनको बराबर मुरब्बा जमीनें दे दी गई हैं और नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज किया था कि सात को पदक मिले वे मारे मारे घूम रहे हैं यह कतई गलत है और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जिनको तगमे मिले हैं उन सबको जमीनें मिल गई हैं और वे उन पर काश्त कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप खसरा नम्बर बता देना। मैं पूछ लूंगा।

श्री खेतसिंह : मैं खसरा नम्बर भी बता दूंगा ।

मृत एव विकलांग सनिकों के नियमों में भी आवश्यकतानुसार संशोधन किये गय हैं ताकि उन सब योद्धाओं को या उनके आश्रितों को लाभ मिल सके जिन्होंने कि देश के बाहर भी काम किया है । पहले सिर्फ दो एग्रेशन्स में काम आने वालों के लिए था । पर अब राजस्थान सरकार न यह भी महसूस किया है कि जो वीएतनाम, कांगो और गाजास्ट्रिप में सनिक गये थे और राजस्थान के थे और वहां पर जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं या विकलांग हो गये हैं उनके लिए भी नियमों में संशोधन किया गया है और उनको भी इसी तरह जमीनें दी जावेंगी ।

दूसरा आपका सवाल था सर्विसेज के सिलसिले में । जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को सर्विस देने का सवाल है सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि राज्य सरकार सनिकों को सर्विस में लेने के लिय पहला स्थान देगी । सरकार की यह नीति रही है कि राजस्थान की जन-सेवाओं में भूतपूर्व सनिकों के लिए कुछ प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जायें । इस संबंध में राजस्थान जनपद सेवा एब्जॉर्पशन आफ एक्स सर्विस मन नियम, 1959 द्वारा सेवाओं के साढे बारह प्रतिशत पद भूतपूर्व सनिकों के लिए आरक्षित किये गये है । इस के अतिरिक्त राज्य सरकार ने इमर्जेन्सी कमीशन जो कि आपत्तकालीन स्थिति में दिये गये थे मुक्त होने वाले अधिकारियों को पुनर्वासित किये जाने के लिए निम्न प्रकार स्थान आरक्षित किये है:—

1. आर० ए० एस०-20 प्रतिशत,
2. आर० पी० एस०-20 प्रतिशत,
3. अन्य स्टेट सर्विसेज-20 प्रतिशत,
4. सबोर्डिनेट सर्विसेज-20 प्रतिशत ।

ये संरक्षण सीमाएं सीधी भर्ती के स्थानों म लागू होंगी । जो प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को रिक्त हों । यह संरक्षण केवल 5 वर्ष के लिए किया गया है केवल इस वर्ष ही उक्त संरक्षण की सीमाओं के अन्तर्गत उपलब्ध स्थानों में भर्ती करन के लिए एक विशेष सीमित प्रतियोगिता की जायगी । भविष्य में ऐसे सुरक्षित स्थानों के लिए भर्ती नियमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही की जायगी ।

उपरोक्त सीमित अथवा नियमित प्रतियोगिता परीक्षा में केवल वही आपत कालीन कमीशन से सेवामुक्त सैनिक अधि कारी बैठ सकेंगे जो कि निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदण्ड, आवश्यक छूट, को ध्यान में रखते हुए आयु एवं अन्य सामान्य शर्तों को पूर्ण करते हों । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वासित किये जाने को होम गार्ड तथा आर० ए० सी० म साठ प्रतिशत स्थानों को रिजर्व रखा जगा।वे

श्री विजयसिंह रावत : रख दिया या रखा जावेगा ?

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (मंत्री, भतपूर्व सैनिक) : यह त ा हो गया है । कैबिनट का निर्णय हो गया है ।

श्री खेतसिंह : कभी कभी ऐसे मामलों पर टेबल भी बजाया करो ।

तीसरा प्रश्न आपका था । फीस माफ करने के बारे में । सैनिकों की सुविधा के लिए एक अध्ययन दल स्थापित किया गया

(श्री खेतसिंह)

था। उसकी रिपोर्ट पर छात्रवृत्ति एवं फीस माफी की मतक सैनिकों और डिसएवल्ड सैनिकों के आश्रित बच्चों के लिए ही देना ठीक होगा।

श्री मदनसिंह : एक्स के लिये नहीं ?

श्री खेतसिंह : मैं कह रहा हूं न। वित्तीय कठिनाइयों के कारण सब को यह सुविधा देना फिलहाल संभव नहीं है।

मृत एवं विकलांग सैनिकों के बच्चों को फीस की माफी एवं छात्रवृत्ति कक्षा छः व ऊपर से मिलती थी। अध्ययन दल की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया है कि कक्षा एक से 5 और उससे ऊपर तक जब तक वह पढे. उसको फीस माफ होगी और 6) प्रति छात्र छात्रवृत्ति एक से पांचवीं कक्षा तक के लिये मिलेगी। डिसएवल्ड और किल्ड इन एक्शन वालों के लिए।

इसी प्रकार राज्य सरकार ने सैनिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निश्चय किया है। उनके लिये इनमें सीटें रिजर्व रक्खी जावेंगी। राज्य सरकार द्वारा चालित एवं नियन्त्रित संस्थाओं में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए निम्नलिखित स्थान सुरक्षित रक्खे जायेंगे बशर्ते कि इन स्थानों पर भर्ती केवल न्यनतम निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों को पूरा करने पर ही होगी।

मेडिकल के लिये समस्त सीटों का पांच प्रतिशत				
पोलीटेकनीक	,,	,,	पांच	,,
कृषि कालेज	,,	,,	पांच	,,
इन्जीनियरिंग कालेज		,,	तीन	,,

इस प्रकार से यह रिजर्वेशन किया है।

श्री मदनसिंह : मैंने यह पूछा है उन सबके लिए आप क्यों नहीं रखते ?

श्री खेतसिंह : फ़िलहाल वित्तीय कठिनाइयों के कारण सारे सैनिकों की संख्या बहुत है इसलिए उन के सब बच्चों के लिये काफी नहीं हो सकती। हमने कैटेगरी कर दी है। इस प्रकार से माफ रहेगी और इतना पैसा दिया जावेगा।

दूसरी बात है। आपने कहा कि शहरों में प्लाट कितने-कितने, कहां-कहां दिये हैं। राजस्थान सरकार ने निम्न प्रकार से भूखण्ड अलग-अलग शहरों में सुरक्षित रक्खे हैं।

जयपुर 1,000, जोधपुर 500, बीकानेर 250, अजमेर 150, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, चूरू, कोटा, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर प्रत्येक शहर में 100, 100 प्लाट।

श्री आईदानसिंह : जो नाम आपने बताये उन्हीं शहरों में किया है तो मेरे जालौर जिले ने क्या किया ? क्या वहां नहीं हैं ऐसे लोग ?

श्री खेतसिंह : मैं मानता हूं।

श्री आईदानसिंह : 26वां जिला करके नेग्लेक्ट कर दिया है।

श्री खेतसिंह : यह तो आपकी बात है। बाकी जालौर की अहमियत है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सैनिक तो सभी जिलों में मिलते हैं। आपको सब जिलों में यह व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है ?

Page No. 60

(श्री दिग्विजयसिंह)

(1 म० प०)

जब सैनिक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं लागू करते प्लाट वाली बात ?

श्री खेतसिंह : इसलिए इस चीज को लागू नहीं की कि जिन शहरों में प्लाट पाने में दिक्कतें थीं उन्हीं शहरों में यह रिजर्वेशन किया गया है। कई शहरों में प्लाट्स की दिक्कत नहीं है। जैसा कि जालौर का सवाल आया वहां कोई प्लाट्स की दिक्कत नहीं है। अगर वहां कोई दिक्कत है और माननीय सदस्य बतायेंगे तो उस पर विचार कर लिया जायेगा। रिजर्वेशन के लिए भी राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि जब प्लाट्स एलॉट किये जायेंगे तो प्लाट के एलॉटमेंट के वक्त में 40 प्रतिशत जमा कराना पड़ेगा और कब्जा ले लेंगे उसके एक वर्ष के अन्दर 30 प्रतिशत और फिर दूसरे वर्ष 30 प्रतिशत बाकी का लिया जायेगा। यह और सहूलियतें दी गयी हैं। मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण का 10 प्रतिशत भाग सैनिकों के लिए सुरक्षित किया गया है। आदेश जारी हो चुके हैं। जयपुर में फिलहाल 125 प्लाट्स नाहरी का नाका स्कीम, 500 प्लाट्स अम्बा बाड़ी स्कीम में आरक्षित किये हैं। अम्बा बाड़ी स्कीम में एक कठिनाई आ गयी है कि इस क्षेत्र की प्रतिरक्षा विभाग को आवश्यकता पड़े। प्रतिरक्षा विभाग को लिखा गया है और उनका जवाब आने तक इस क्षेत्र में आवंटन स्थगित कर दिया गया है। बीकानेर में श्री जयनारायण व्यास नगर एवं मुक्ताप्रसाद नगर में मिलाकर 250 प्लाट्स आरक्षित किये हैं। जोधपुर में मसूरिया में 100 प्लाट और गोल्फकोर्स में 183 प्लाट आरक्षित किये गये हैं। 100 प्लाट अब तक आवंटित कर दिये गये हैं। इस प्रकार से अन्य नगरों में भी रिजर्व रखा गया है। कई नगरों में दे दिये गये हैं और कईयों में और दे दिये जायेंगे।

श्री मदनसिंह : कितनी दरख्वास्तें थीं ?

श्री खेतसिंह : यह मेरे पास फिगर्स नहीं हैं लेकिन इतने-इतने को दे दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया है।

इसके अलावा जो आपने सवाल अलग-अलग उठाये थे उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि एक कमेटी बनाने का जहां तक संबंध था फिलहाल एक उच्चस्तरीय कमेटी बनी हुई है जिसमें एक श्री शीशराम ओला हैं और एक मैं स्वयं हूं। अब उस कमेटी का रिआर्गनाइजेशन करने के लिए भी मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है और परामर्श करके उसका रिआर्गनाईजेशन करेंगे और किन मेम्बर्स को लिया जाये यह प्रोवीजन रखा जायेगा कि सोल्जर या एक्स-सोल्जर्स को ही उसमें रखा जाय · · ·

श्री विजयसिंह रावत : आप असेम्बली के किसी मेम्बर को उसमें क्यों नहीं रखते ? आपने अध्ययन दल के अन्दर ऐसे एसों को रख लिया है जिनसे किसी को राहत मिलने वाली नहीं है और आप अध्ययन दल बनाते हैं फौजियों के लिए और ऐसे आदमियों को लेते हैं जो न तो ठीक सुझाव दे सकते हैं और न उनको कोई जानकारी ही है · · · ·

श्री खेतसिंह : जहां तक अध्ययन दल के गठन का सवाल था उसमें आपकी फौज के

(श्री खेतसिंह)

सबसे बड़े आफिसर मेम्बर थे । ब्रिगेडियर घासीराम जी मेम्बर थे . . . .

श्री विजयसिंह रावत : ऐयर फोर्स का आदमी उसमें होना चाहिए, नेवी का होना चाहिए और आर्मी का होना चाहिए । तीनों को लिया जाय । तीनों की अलग अलग समस्यायें हैं । जब तक आप तीनों को नहीं लेंगे तब तक कैसे निर्णय पर पहुंचेंगे कि किस को क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है कि सैनिक कल्याण कोष की एक सहायता कमेटी बनी हुई है राजस्थान की, उसमें लिमिटेड मेम्बर ही उस रूल्स के तहत में आते ह और उसके तहत नॉमीनेशन किया हुआ है और उनकी मियाद खत्म होने के बाद यह कन्सीडर किया जा सकता है कि आगे किस किस को मेम्बर लिया जाये । क्योंकि वह लिमिटेड मेम्बर होते हैं कुछ सेन्टर के होते हैं और कुछ यहां के होते हैं और दो या तीन यहां से नॉमीनेट किये जाते हैं । तो जब उनका रिक्त स्थान होगा तो राजस्थान से किनको नॉमीनेट किया जाये यह कन्सीडर किया जायेगा । आप कहते ह कि ऐयर फोर्स का होना चाहिए, नेवी का होना चाहिए और लैन्ड फोर्स का होना चाहिए तो जहां तक सैनिकों के कल्याण का ताल्लुक है, रिहेबिलीटेशन का ताल्लक है वह चाहे किसी भी फोर्स में हों चाहे ऐयर में हों, चाहे लैण्ड म हों और अगर रिहेबिलीटेशन के मामले रखे जाते हैं तो यह ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई भी विचार कर सकता है और हमारी जो अभी कमेटी है उसमें भी ऊंचे से ऊंचे आफिसर हैं . . . .

श्री मदनसिंह : सवालों का जवाब हो तो अच्छा है । आप दो घन्टा और इसका बढ़ा दें . . . .

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य बीच म व्यवधान न डालें । मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे आप व्यवधान नहीं डालें ताकि जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट हो जायं ।

श्री मदनसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि ज्यादा झंझटों से सवाल हो रहे हैं । नहीं तो नतीजा साफ होगा और जैसे रोज डिस्कशन होता है वही होता रहेगा । आपने खतम कर लिया अपना भाषण ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एक प्रश्न यह है कि जो विकलांग हैं या जो मृत सैनिक हैं उसमें 5 साल की सर्विस की कन्डीशन नहीं है . .

श्री मदनसिंह : यह कहां लिखा है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आप रूल्स को पढ़िये । 5 साल की सर्विस की कन्डीशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि आर्डीनेरी रूल्स में हैं । डिसएबल्ड और मृत सैनिकों के लिये नियम अलग हैं । इसलिए 5 साल की सर्विस की कन्डीशन उनके ऊपर लागू नहीं होती है ।

(1.08 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनसिंह : आप इसको साफ क्यों नहीं करते हैं । 5 साल के अन्दर जो मेडिकल सर्विस से रिटायर हो गया है, नेफा है कोई वहां लड़ा है और वह वापिस आया है उसको रिट्रेन्च किया है । मैं दरख्वास्त लाया हूं । जो डिसएबल्ड होकर आये हैं

(श्री मदनसिंह)
ऐयर फोर्स को 10 दरख्वास्तें हैं उसको वापिस किया है । मोहनसिंह ने वापिस की हैं और मैं उनके दस्तखत बताऊंगा और सवाई माधोपुर और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के 42 आदमी ऐसे बताऊंगा जो कि पाकिस्तान और नेफा फ्रन्ट पर मर गये हैं और उनकी औरतें आपको रो रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने तारीख नहीं बताई कि दरख्वास्तें कब आईं · · · ·

श्री परसराम मदेरणा : 5,584 एप्लीकेशन्स आई हैं यह बताया था ।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तारीख बतायें तो मैं गलत सिद्ध करूं कि यह गलत है । कौनसी तारीख से कब तक के बारे में है ?

श्री खेतसिंह : जनवरी के आखिर 68 तक की हैं ।

श्री मदनसिंह : माननीय राजस्व मंत्री जी ने गलत बयान दिया है । पहले भी मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था । मुख्य मंत्री जी ने पहले अनाउन्स किया वह 1,500 का किया और 4465 का वह किया और इसका मतलब यह है कि आपने चार हजार और उसमें 8 हजार को दिया है · · ·

यह देखिये लिस्ट भेजें तो देखकर भेजें।

श्री खेतसिंह : लिस्ट सारी देख रखी है ।

श्री मदनसिंह : सदन के अन्दर यह रही (लिस्ट बताते हुए)।

श्री खेतसिंह : जनवरी, 1968 के अंदर 5,584 एप्लीकेशन्स विभिन्न जिलों के अन्दर आई थी · · · ·

श्री मदनसिंह : 12-6-67 को 4465 मिल चुकी थीं। क्या दो सौ ही बढ़ी हैं ?

श्री खेतसिंह : आप एलाटमेंट की बात कह रहे हैं । मैंने यह बतलाया है कि 5,584 एप्लीकेशन्स आई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह सब विस्तृत चर्चा माननीय सदस्य मंत्री महोदय से मिल कर कर लें । सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था माननीय सदस्य का तो ध्यान आकर्षित हो गया । इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी इसलिये इसको यहीं पर समाप्त किया जाय और दूसरा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है वह लिया जाय ।

श्री फतहसिंह: श्रीमान, मुझे एक जानकारी लेना है ।

श्री मदनसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी लिस्ट होगी तो अधिक कितनी दरख्वास्तें उसके बाद में आईं । सदन में विवाद बनाने के लिए गलत आंकड़े ले आते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य) सदन में पहले एक प्रश्न हुआ था उसमें राजस्व मंत्रीजी ने एक लिस्ट सदन की मेज पर भेजी थी तो अब यह कैसे हो गये ?

श्री खेतसिंह : कई दरख्वास्त खारिज कर दी गई होंगी अगर ठीक नहीं होगी तो ।

श्री मदनसिंह : कितनी हुई ?

श्री खेतसिंह: इसमें वाद-विवाद क्या है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री मदनसिंह : यह चर्चा तभी समाप्त की जा सकती है कि कम से कम इतना तो मालूम हो जाय कि मैंने पूछा कि नाम में डिफरेन्स है क्या? 5 साल से कोई सर्विस से निकल गया लेकिन राजस्थान में जिस वक्त फौज की भर्ती हुई है उस वक्त उसका नाम है तो नहीं मिलेगा। मैंने पूछा था कि आज से 10 वर्ष पहले पंजाबी 2,000 की संख्या में भर्ती हुए हैं और राजस्थान के निवासी बन गये हैं तो इनको कैसे नहीं मिलेगा, इनके संबंध में कुछ नहीं कहा। परिवार की व्याख्या इनकी है इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। एक्स-सर्विस वालों को नहीं मिल रहा है। सोल्जर्स हैं डिसएबल्ड सवाईमाधोपुर में तो मैं माननीय मंत्री जी को लिस्ट देता हूं जो आपके डिपार्टमेंट की है जिनको कि नहीं मिली है। ये सारे मरे हुए सिपाही हैं। (सदन की मेज पर लिस्ट रखते हैं) ये 42 आदमी हैं जो पाकिस्तानी बोर्डर पर और नेफा फ्रन्ट पर मरे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्यों का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं कि यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय था इसलिये काफी सवा घन्टे का समय दिया गया। उसके बाद में यदि कोई शंकाएं रह जाती हैं तो मंत्री महोदय भी इस मामले को माननीय सदस्यों से मिल कर तय करेंगे, क्योंकि जो कुछ वाद-विवाद हैं वे सदन के अन्दर एक साथ तय नहीं हो सकते। इसलिये इसको यहीं समाप्त किया जाता है। माननीय केसरीसिंहजी!

श्री मदनसिंह : एक सवाल इस संबंध में मैं और करूंगा कि यह मैं मानता हूं कि सदन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ने हमेशा इस चीज को महत्व दिया है, लेकिन उस चीज को वे महत्व नहीं दे रहे हैं। जब तक इसका मिनिस्टर अलग नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं देंगे। रेवेन्यु मिनिस्टर हैं इनका काम और ज्यादा हो गया है। इसका जब तक सेपरेट मिनिस्टर नहीं होगा कोई भी इस समस्या को हल नहीं करेगा, और यह दिन पर दिन जटिल होती जा रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं कि 10 दफा मैं गया तो ये कहते हैं कि अभी फुर्सत नहीं है। तो इसके लिए अलग मंत्री क्यों नहीं नियुक्त करते हैं। आज तक जितना आवटंन हुआ है, कल भी यह सवाल उठा था, उसमें यह होता है कि कोई कहता है कि फोरेस्ट की जमीन है, कोई कहता है कि नियमानुसार नहीं है, कोई कहता है कि इस तहसील का नहीं है तो फौजियों पर ही ऐसी गाज क्यों पड़ती है। फौजियों के लिए ऐसा कानून क्यों निकालते हैं कैदियों के जैसा कि कानून के जरिये भी उनको नहीं मिल रही है जमीन। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कल भी अर्ज कर रहा था कि आपके सैकड़ों लेटर्स आज कलेक्टर्स के पास पड़े हुए हैं। वे कानून के आधार पर वापिस भेज देते हैं, इसलिये यह बताइये कि आपकी मन्शा क्या है? आप बताते हैं कि हमने सोल्जर्स को जमीन दे दी लेकिन जब वह जमीन के लिए जाता है तो उसको

(श्री मदनसिंह)

कहा जाता है कि कानून में नहीं है। इसके अन्दर कोई पोलिटिकल रीजन नहीं है लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है। जब एक फौजी कब्जा लेना चाहता है तो 10-20 आदमी उस पर टूट कर पड़ते है। कोई कानून की लिटिगेशन पैदा कर देता है। रोज ऐसे मामले आ रहे हैं। मंत्री महोदय के पास जाते हैं दरख्वास्तें लेकर, मैं स्वयं गया हूं तो वे कहते हैं कि मैं क्या करूं। जब आप समझते हैं कि कानून ठीक नहीं है तो आप अपना बयान देने में.....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा..

श्री उपाध्यक्ष : काफी चर्चा हो गई है इस पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मुद्दा''

श्री फतेहसिंह : फौजी को जमीन एलॉट होती है और उसको कब्जा दिया जाता है तो फिर उस पर जनता अतिक्रमण करके कब्जे पर से उसको हटा देती है। मुकद्दमेबाजी में वह फंसता है और उस मुकद्दमेबाजी में वह बरबाद हो जाता है आर्थिक दृष्टि से तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उस सैनिक को मुकद्दमेबाजी लड़ने के लिए, मुकद्दमा लड़ने के लिए कोई आर्थिक सहायता भी की जाती है ? उसका कोई प्रावधान है क्या ?

श्री मदनसिंह : है। आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कह रहा था कि इसमें मुख्य बात यह है कि जो सामान्य एलॉटीज हैं उनसे भी ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट रूल्स बन गये मालूम पड़ता है। एक तो पीरियड 5 वर्ष की सेवा काल का रखा है। इसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। 5 वर्ष का सेवा-काल का जो रखा है यह ठीक नहीं है। रेजीडेन्स 10 वर्ष का आपने रखा है यह सामान्य नागरिक के लिए भी नहीं है। एक आर्डिनरी एलॉटी भी यहां रहता है और दो वर्ष तक रहता है तो वह एलॉटमेंट का अधिकारी है। एक सैनिक 10 वर्ष का हो तो उसको दिया जाता है। तीसरी बात परिवार के बारे में एम्बीगुइटी है। ये तीन चीजें ऑर्डिनरी एलॉटी के लिए भी नहीं हैं और सैनिक के लिए कर दी हैं तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रिन्जेन्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसरीसिंह !

श्री विजयसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : इन तीन बातों के सम्बन्ध में कहना पड़ेगा।

श्री फतेहसिंह: एक सैनिक को छूट ज्यादा मिलेगी दूसरों के बनिस्बत।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये आसन की बात। यह प्रस्ताव ध्यान आकर्षित करने के लिए था। माननीय सदस्यों ने जो उनको कठिनाइयां महसूस हुई हैं वे सामने रख दीं। आशा यही की जाती है कि मंत्री महोदय इन पर विचार करके इनका हल निकालेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज! ध्यान आकर्षित हो गया है माननीय सुवालालजी ने कहा उस पर।

श्री दिग्विजयसिंह : उसका उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर आना आवश्यक नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : बहुत आवश्यक है।

श्री मदनसिंह : अभी तो आवश्यक नहीं है पर कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो एलान होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक सुझाव दे दिया दूसरी दफा नहीं बोलना चाहिए!

श्री मदनसिंह : मंत्री महोदय ने नहीं कहा है कि कानून में जिनको····

श्री खेतसिंह : हां कह रहे हैं। आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री केसरीसिंह!

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा एक सुझाव है इसके बारे में·····

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर वाद-विवाद नियम के अनुसार ही हो सकता है। आपका ध्यान आकर्षित हो गया। आप उचित समझते हैं तो उस पर कार्यवाही करें, उसकी पालना करने का ध्यान रखेंगे।

श्री मदनसिंह : कभी ध्यान नहीं रखा जाता है। उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दिया जाता है तो उसका इलाज यहां नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : इसका इलाज यही हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित करें ताकि कोई आर्डर फौजियों के लिए जारी किया जाय तो देखें कि उसकी पालना हो। ये दब्बू जैसे मंत्री हैं कि न कोई इनके आदेश की पालना करते हैं और न कुछ ये कर पाते हैं। फौजी 45 दिन की छुट्टी लेकर आता है और 45 दिन की छुट्टियों में···

श्री उपाध्यक्ष : आप एक ही विषय पर फिर दुबारा बोल रहे हैं, आर्डर प्लीज!

श्री विजयसिंह रावत : आता है तो सारे दिन दिन आफिस या तहसील में घूमता फिरता है और उसकी 45 दिन की छुट्टी बरबाद हो जाती है····

श्री उपाध्यक्ष : ये सब बातें कही जा चुकी हैं। आर्डर प्लीज!

श्री विजयसिंह रावत : हम चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी इसकी कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। यह विवाद राष्ट्रीय महत्व का है। इसके ऊपर भी बार-बार गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण करवाया है। इससे यह हल नहीं होने वाला है जब तक कि आपके मंत्री-परिषद में से कोई कड़क आदमी इसमें नहीं रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह!

श्री विजयसिंह रावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा। इस पर चर्चा समाप्त हुई। **श्री** केसरीसिंह!

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी उत्तर देना चाहते हैं। मकसद क्या है फिर ध्यान आकर्षित करने का? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री मदनसिंह : हम उत्तर जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय केसरीसिंह !

ऑर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : हम उत्तर सुनना चाहते हैं। अभी तक बहस खत्म नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नियम बनाये गये हैं वे इस बात को लक्ष्य में रख कर बनाये गये हैं कि उनको जल्दी से जल्दी भूमि मिल सके। लेकिन अभी सदन में कुछ बातें उठाई गई हैं उनको डिपार्टमेंट एग्जामिन करेगा। यदि आज के नियमों में कोई रुकावट आती है भूमि एलॉटमेन्ट के अंदर तो उन बातों पर विचार करके आवश्यक परिवर्तन जरूरी हुआ तो किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—
बुन्दी में सोल्जर्स होम का निर्माण

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 12 वर्ष पुराना है। एक प्रश्न मेरे जरिये उठाया गया था इस सदन में उसका उत्तर संतोषप्रद नहीं होने के कारण 17-4-65 को उसका हाफ एन अवर डिस्कशन लिया गया था। वह मुद्दा था बूंदी में जो सोल्जर्स होम का उद्घाटन लार्ड माउन्ट बेटन द्वारा राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पाया कि जो महत्वपूर्ण इमारत एक्स सोल्जर्स के लिये, उनके रहने के लिये, उनके क्लब और मीटिंग प्लेस के लिये बनाई जाने वाली थी और जिसके लिये रकम भी भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई थी, उसकी स्वीकृति की रकम मेरे पास मौजूद है। और उस भूतपूर्व राजस्थान सरकार के मख्य मंत्री माणिक्यलालजी वर्मा थे उनके मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात, जिसमें श्री सुखाड़ियाजी और श्री बृजसुन्दरजी भी मंत्री थे, उस शिलान्यास के पत्थर को उठा कर फेंक दिया गया और मेरे उस प्रश्न के पश्चात् 12 साल में कोई इमारत वहां पर नहीं बनाई गई। यह सैनिकों के लिये बड़े ही महत्व का विषय है लेकिन दुःख का विषय है कि कई बार सदन में कहने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। कभी जमीन का प्रश्न आता है, कभी इमारत के लिये फंड का प्रश्न आता है, कभी कुछ प्रश्न आता है तो कभी कुछ प्रश्न आता है। मैं समझता हूं यह कांग्रेस सरकार सैनिकों का कभी भला करने वाली है नहीं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर गंभीरतापर्वक सोचे और इसको समझे। इसके प्रमाण में मैं यह प्रोग्राम जो 7 मई, 1968 का है लार्ड माउन्ट बेटन का······

एक माननीय सदस्य : सन् 68 नहीं 48 होगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : 7 मई, सन् 48 का है। इस तारीख को शिलान्यास किया गया था और उस समय लार्ड माउन्ट बेटन ने जो स्पीच दी थी उसका एक्सट्रेक्ट पढ़ कर सुनाता हूं....

HisE xcellency the Governor General's speech at the laying of the Foundation Stone of the Soldiers' Home at Bundi, on Friday, the 7th May, 1948.

—

When my friend and late companion-in-arms, the Maharao Raja of Bundi, invited me to pay him a visit, I gladly accepted but I intentionally postponed that visit until after his State had merged with the Rajasthan Union in order to be able to pay public tribute to his high-minded and patriotic action."

दूसरा एक्सट्रेक्ट इस सोल्जर्स होम के विषय में है, उपाध्यक्ष महोदय, वह भी मैं पढ़ देना आवश्यक समझता हूं। इससे पता चलेगा कि उन्होंने इस सोल्जर्स होम को कितना महत्वपूर्ण माना है:–

"I am told that this Soldiers' Home is intended to serve as a hostel for ex-soldiers visiting Bundi city for short period, and as a Club and meeting place for ex-soldiers living in Bundi.

I am also informed that many of those who will use the Home will be ex-soldiers from other parts of India who have migrated to Bundi under the Land Colonization Scheme for ex-soldiers.

I hope that ex-servicemen of other two Services will also come within the orbit of this organisation".

उपाध्यक्ष महोदय, लार्ड माउन्ट बैटन का तात्पर्य यह था कि यह केवल सोल्जर्स यानि आर्मी वालों के लिये ही नहीं है बल्कि एयर फोर्स और नेवी से भी उनका तात्पर्य है और उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया है कि एक्स सोल्जर्स के लिये यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि अभी कुछ वर्ष पूर्व जब लार्ड माउन्ट बैटन बूंदी आये थे तब उन्होंने इसका जिक्र किया था और पूछा था कि वह बन गया या नहीं। मैं स्वयं भी वहां पर मौजूद था, उनसे कहा गया कि वह नहीं बना है और आपके द्वारा गाड़ा हुआ पत्थर भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है तो उन्होंने उत्तर में कहा कि "what else can be expected from them" यह सरकार यदि नहीं बनाना चाहती है तो न बनावे लेकिन स्वतन्त्र भारत के एक भूतपूर्व गवर्नर जनरल का इस तरह से अपमान करे तो उनको शर्म आनी चाहिये और इस पत्थर को बतौर नुमायश के दिल्ली के अजायबघर में रख दें ताकि लोगों को मालूम हो सके कि देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् सैनिकों के लिये सोल्जर्स होम बनाने का शिलान्यास प्रथम गवर्नर जनरल ने देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् किया था उसका उन्होंने

Page No. 68

(श्री केसरी सिंह हाड़ा)
यह हाल किया। मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि इसका उद्घाटन हुआ था या नहीं, राजस्व मंत्रीजी से कहा कि आप वहां पर मौजूद थे तो कहा कि नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं अब भी वे कह दें कि मौजूद थे या नहीं थ.....

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: अब तो संक्षेप ही है। मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं मौजूद थे या नहीं? कृपया बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): एक बात साफ कर दें, लार्ड माउन्ट बैटन इनके आका की बात आपने मानी क्यों नहीं?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : 'आका' से क्या मतलब है? मैं जानना चाहता हूं। देश में उनको गवर्नर जनरल क्यों बनाया? दूसरा आदमी काबिल नहीं था इसलिये तो बनाया आप लोगों ने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया...

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: मुझे अफसोस है कि ये इस तरह की बात करते हैं। लार्ड माउन्ट बैटन से मुझे कोई प्रेम नहीं नहीं है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ने उद्घाटन किया उसके लिये इस तरह से आक्षेप करें तो यह इनके लिये शर्म की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास दिनांक 7-5-48 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। निर्माण शाखा की पोस्ट वार रीकन्सट्रक्शन की बीस हजार की धनराशि 24-6-48 को भूतपूर्व बूंदी राज्य के दीवान को भेज दी गई थी। यह धनराशि अनस्पेन्ट बैलेन्स के रूप में महालेखापाल के अकाउन्ट के मार्फत भूतपूर्व बूंदी राज्य के राजस्थान में मर्जर के समय राजस्थान की पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी है उसकी हो गई। शिलान्यास के समय जो शिला रखी गई थी उसका पत्थर राज्य सरकार के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग में है। राजस्थान के मुख्तलिफ स्थानों पर सैनिक विश्राम गृह बनाने एवं राजस्थान स्टेट पोस्ट वार फण्ड के वितरण का प्रस्तावित स्थानों के सैनिक की जनसंख्या एवं उन स्थानों पर भ्रमण हेतु आने वाले सैनिकों की संख्या के आधार को मान कर निश्चय किया जाता है। तद्नुसार बूंदी में विश्राम गृह की सम्भावना उन स्थानों के पश्चात् है जो कि इसकी अपेक्षाकृत घनी सैनिक आबादी वाले हैं। बूंदी में सोल्जर्स होम के निर्माण का प्रश्न 56 की अप्रल में भी उठाया गया था, उस समय भी उत्तर दिया गया था कि सैनिकों की संख्या के आधार पर पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी सनिक विश्राम घर बनाने का निर्णय करती है। क्योंकि बूंदी में सैनिकों की संख्या अन्य स्थानों से कम है अतः बूंदी का नम्बर

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
तभी आयेगा जबकि वहां पर सैनिक विश्राम गृह बनाने का निर्णय हो जायगा। इसका निर्णय उक्त समिति करेगी जिसके अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल हैं। बूंदी राज्य की तीस हजार की धनराशि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि ऐसी कोई राशि उपलब्ध हुई।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बारह साल से जूझ रहा है, इसको सुलझायें तो बड़ी कृपा होगी एक्स सोल्जर्स के लिये। मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपने उत्तर दिया है, वही उत्तर 1956 में भी दिया था। जो सेंक्शन आपको रकम की 30,160 की प्राप्त हुई बूंदी रियासत से, उसके अन्दर कोई ऐसी बाधा नहीं थी कि आप उसमें यह बाधा उत्पन्न कर दें कि और जगह सैनिक गृह बनाने के पश्चात् यहां बनाया जायगा। यह किस आधार पर बाधा उपस्थित की है? क्या आपको अधिकार है इस प्रकार करने का?

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लेरीफाई कर दूं..

श्री उपाध्यक्ष : हर एक सैनिक विषय पर आपका बोलना आवश्यक है? आप बोलें ही, यह क्या आवश्यक है?

श्री मदनसिंह : बिल्कुल आवश्यक है। बिल्कुल बोलूंगा, बोलने का मेरा अधिकार है। आप नहीं बोलने देंगे तो इस सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं है। आपको इतना करड़ा लगता है और चाहते हैं कि मैं उधर बैठूं तो बात दूसरी है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय की जो समझ में नहीं आया है, वह मैं उन्हें समझा दूं, उनके दिमाग में बाड़ दूं।

आपने कहा कि बूंदी में इतन सैनिक नहीं है, इसलिए वहां पर सैनिक विश्राम गृह नहीं बनाया जाय। मैं जैसे आगरा जाता हूं तो वहां पर ठहरने के लिये कोई विश्राम गृह हो तो मुझे सुविधा मिल जाती है। ठीक वैसी ही बात है। आप नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी, हम तो धर्मशाला में ही ठहर जायेंगे। रुपया आपको मिला हुआ है, उससे आप वह कोई कमरा बना दीजिये, बाकी यह लोग मदद करेंगे जिससे वहां आने जाने वाले सैनिकों को, जो अपनी औरतें और बच्च वगैरह लायें, वहां ठहरने की सुविधा मिल सके। इसमें ऐसी क्या चीज है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया, इसके लिए अलग कमेटी बनी हुई है और राज्यपाल महोदय उसके अध्यक्ष हैं। वह कमेटी ही यह निर्णय करती है। बूंदी के मर्जर के साथ साथ जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो यह जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार की उपयोगिता बूंदी राज्य ने स्वीकार की, उसके बाद में उस उपयोगिता को वह कमेटी भी स्वीकार कर ले। सारे मर्जर के बाद में जहां जहां उपयोगिता थी, जहां जहां सैनिकों की संख्या काफी थी, उनको देखते हुए प्रायोरिटीज बदली गई। बूंदी स्टेट की अलग से प्रायोरिटी थी, वह राजस्थान बनने के बाद में नहीं रही।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह राज्यपाल ने आदेश कब दिया? यह आदेश राजप्रमुख ने कब दिया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके चेअरमेन हैं राज्यपाल, पहले राजप्रमुख थे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं पूछ रहा हूं कि कब दिया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मेरे सूचना पास नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सेंक्शन होने के पश्चात् कब आदेश दिया कि जहां सैनिक अधिक होंगे वहां सैनिक विश्राम गृह पहले बनेगा और इसके दरम्यान जब कि फॉर्मर राजस्थान यूनियन बनी तो फाइनेन्स सेक्रेटरी ने चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो रोशनलालजी थे, को पत्र लिखा, उसकी कापी मैं सदन की मेज पर रखूंगा, पहले मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं

"Subject; SOLDIERS' HOME

With reference to your letter No. 3285 of 10-5-48, regarding the construction of a Soldiers' Home at Bundi, I write to inform you that plan and estimate submitted by you have been approved by the Minister Incharge, Public Works Department and he has further been pleased "इस पर आप सोचें" to order that the construction work of the building may be continueds.

अब किसके आधार पर बन्द किया गया, इसको मंत्री महोदय स्पष्ट तौर से बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि किसी गांव के स्कूल के लिए दान देने वाला तीस हजार रुपया दें, उसको वहां नहीं बना कर राज्य सरकार यह कहे कि हम, दूसरी जगह प्रायोरिटी है, वहां बनायेंगे। यह इसमें थोड़ा प्रश्न है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 30 हजार रुपया पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन फण्ड, जिसके चेअरमेन ए० जी० जी० थे, द्वारा वह रकम बूंदी स्टेट को दी गई, दीवान को, उसके बाद में बूंदी का मर्जर हो गया। यह बूंदी के हिज हाईनेस द्वारा या बूंदी स्टेट के द्वारा नहीं दी गई।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह कैसे कह रहे हैं कि रकम नहीं दी गई?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसकी कोई मंजूरी नहीं दी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारे प्रश्न प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : जिससे कोई हल निकलने वाला है तो निकलेगा नहीं तो समझूंगा कि यह सरकार सोल्जर्स के लिए कुछ नहीं करने वाली है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : समझ लिया सरकार ने।

श्री केसरीसिंह हाड़ा: 10,160 बूंदी रियासत से दिये गये और बीस हजार दिये आपके····

श्री खेतसिंह : सेलर्स एण्ड सोल्जर्स बोर्ड ने।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन से दिये गये।

श्री मदनसिंह : We have right to make it and we will make it. You sit here.

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी! कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो गई है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह सोल्जर्स का मामला है.....

श्री उपाध्यक्ष : पौने दो घंटे इसमें लग गये हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर....

श्री केसरीसिंह हाड़ा : एक पर नहीं लगे हैं। इस पर दस-पन्द्रह मिनिट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों का एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, इसमें पौने दो घण्टे लग गये हैं, जब कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दस बारह मिनट लगने चाहिए।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप जो कहते हैं वह मैं मानता हूं लेकिन मेरी गलती नहीं है। इन्हें स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात से परिणाम निकलने वाला नहीं है, जो आप चाहते हैं, फिर क्या बात है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : परिणाम क्यों नहीं निकलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जनता की सरकार नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यानाकर्षण कर दिया.....

श्री मदनसिंह : यह जनता की सरकार है, यह ऐसे कब मानती है, इनके तो जब घर पर जाकर आन्दोलन किया जाय, इनके आगे आन्दोलन किया जाय तब मानते हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : एक मौका और दिया जाय। एक प्रश्न और...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर! प्रश्नों का इसमें प्रश्न उठता नहीं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं एक बात से आपकी बात झूठ साबित करना चाहता हूं। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने इसका उत्तर नहीं दिया है कि जब इस सोल्जर्स होम का उद्घाटन हुआ उस वक्त वह वहां मौजूद थे या नहीं थे? मैं उनकी चाल को समझता हूं, वह इसका उत्तर नहीं देंगे। इसलिये मैं सदन की जानकारी के लिए एक....

श्री खेतसिंह : फोटो पेश कर रहे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : बारह साल के बाद में मैं पेश करता हूं...

श्री खेतसिंह : फोटो पेश कर रहे हैं?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह फोटोग्राफ है इसके अन्दर बृजसुन्दर शर्मा खुद खड़े हुए हैं।

Page No. 72

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर,! आप इसको टेबल पर रख दीजिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसमें माउन्ट बैटन भी है। इससे मालूम पड़ेगा कि आप किस तरह सदन को गुमराह करते हैं और किस तरह झूठ बोलते हैं। मैं इसका सबूत पेश करता हूं......

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मने कब कहा कि मैं नहीं था।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं प्रोसीडिंग्स से बतला सकता हूं। यह रही मेरे पास....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मुझे इसके लिए टाइम दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बतलाइये! बतलाइये!!

श्री केसरीसिंह हाड़ा बतलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! इस पर चर्चा समाप्त हुई। अब आप बाद में दे सकते हैं मंत्री महोदय को। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन अपने पैरों पर है। अवहेलना नहीं करें।

मुख्य मंत्रीजी!

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): पाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 231 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन-लेखा समिति 1968-69 के लिए दस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी ने जनलेखा समिति के चुनाव के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय!

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 1968-69 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी ने प्राक्कलन समिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय!

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद!

श्री भैरोंसिंह!

आय-व्ययक 1968-69 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आय-व्ययक विवरण जिस स्थिति में रक्खा गया है, हमारे वित्त मन्त्रीजी ने उस पर यह आशा प्रकट की है कि हम अब संकट से बाहर निकल गये हैं, और हमारी वित्तीय स्थिति सुधार की ओर बढ़ने लगी है। राजस्थान की आज की वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने से पहले हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आज की हमारी स्थिति तीन पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने और दो दो वार्षिक योजनाओं के समाप्त होने के बाद आज हमें इस स्थिति में लाकर छोड़ दिया गया है कि हमारे राज्य की और हमारी जनता की जो आय है वह एक सेल्फ जेनरेटिंग बन गई है। जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी उस समय जिस प्रकार की आशा लगाकर हम चले थे, हमने उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में स्वीकार किया कि हमें पहली पंचवर्षीय योजना का पूरा फल नहीं मिला। यही स्थिति दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ हुई। दुर्भाग्य से हमारे राज्य की स्थिति ऐसी बन गई है कि हमारी इकोनोमी सेल्फ जेनरेटिंग हो ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि अगर ऐसा कहा जाय कि हमारा सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्टेगनेंट बन गया है कि हम इस बात की आशा भी नहीं लगा सकते कि निकट भविष्य में हमारी इकोनॉमी सेल्फ जेनरेटिंग बन जाएगी। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है कि हमने अब हमारी वित्तीय स्थिति को भाग्य और भगवान के भरोसे पर छोड़ दिया है। जब भी हमारी इकोनॉमिक स्थिति खराब हुई है, उसका आधार हमने यह माना है कि इस साल बरसात की कमी के कारण खाद्यान्न-उत्पादन कम हुआ और उस के कारण हम पर अतिरिक्त व्यय भार भी बढ़ा है और आमदनी भी कम हुई। लेकिन जिस समय उत्पादन बढ़ा उस समय हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि यह उत्पादन अच्छी वर्षा के कारण बढ़ा है। वहां हमने यह दुहराया है कि यह हमारी योजनाओं की सफलता है। पिछले समय जिस समय बजट पेश किया गया था उस समय भी यह बात कही गई थी। पिछले वर्ष के अकाल के कारण राजस्थान पर गम्भीर संकट आया और इस वर्ष जब फसल अच्छी हो गई तो सरकार ने यह कहा कि अब हमारी वित्तीय स्थिति सुधार की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले यह एक विवाद का विषय है कि वर्षा अच्छी होने के कारण यदि हमारी वित्तीय स्थिति सुधार की ओर बढ़ रही है तो यह मानना होगा कि उसमें योजना का कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब अगर योजना का कन्ट्रीब्यशन कुछ अंशों में मानकर चलते हैं तो यह स्पष्ट तौर पर आप बताते कि केवल योजनाओं के आधार पर हमारी इकोनॉमिक पोजीशन सेल्फ जेनरेटिंग नहीं हो रही है, बल्कि बरसात अगर नहीं होगी तो सब चीजें हमारी उसी रूप में चलती नजर आयेंगी। अब ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। केन्द्रीय सरकार की स्थिति भी डांवाडोल होती जा रही है। उस स्थिति के कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच, राज्य सरकार और नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों और पंचायतों के बीच में स्ट्रगल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फोर एग्जिस्टेंस चल रहा है, कौन किस प्रकार एग्जिस्ट कर पाये और अपने एग्जिस्टेंस के लिए जिस प्रकार से दूसरे के साधनों पर एन्क्रोचमेंट किया जा सके, उस प्रकार से एन्क्रोचमेंट किया जाये। भारत सरकार स्टेट्स की इनकम पर एन्क्रोचमेंट कर रही है। राज्य सरकार नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों की इनकम पर एन्क्रोच करती जा रही है। उस एन्क्रोचमेंट को मीट करने के लिए उसे कभी ऋण का सहारा लेना पड़ता है, कभी अनुदान का सहारा लेना पड़ता है। ऋण और अनुदान के अन्दर राजनीति निश्चित रूप से आकर उसमें अपना दखल किये बिना नहीं रह सकती। आये दिन सरकार और नगरपालिका के बीच अनुदान और ऋण दिये जाने के विषय में, या भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच अनुदान और ऋण देने का जो संबंध है, इन सम्बन्धों में क्योंकि राज्य सरकार यहां कांग्रेस की बनी हुई है और केन्द्र में भी कांग्रेस सरकार है—राज्य सरकार के सामने कोई संकट नहीं आता। लेकिन देश के अन्दर जहां विरोधी दलों की सरकारें थीं वहां उन विरोधी दल की सरकारों के साथ अनुदान और ऋण देने के मामले में केन्द्रीय सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। तो हमें जो कुछ अनुभव उस स्थिति में होता है, और आज हमारी सरकार नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों के बीच में एक दूसरे की आय के अधिकार का अतिक्रमण करने की स्थिति बनती है तो उससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार राज्य सरकार को खाना चाहती है और राज्य सरकार नीचे की लोकल बॉडीज को खाना चाहती है। हमने पहले भी इस सम्बन्ध में मांग की थी कि इन तीनों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र हो और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि एक दूसरे के साधनों पर एन्क्रोचमेंट नहीं कर सकें। यह एन्क्रोचमेंट निरन्तर चलता आ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की आमदनी के सम्बन्ध में भारत सरकार का भयंकर एन्क्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की थी कि इन सारी बातों को मीट करने के लिए नये सिरे से इस प्रश्न पर विचार करें कि हमारे वित्तीय स्रोत जिनके ऊपर भारत सरकार अतिक्रमण करती जा रही है उसके अतिक्रमण को किस प्रकार से रोका जाए। भारत सरकार ने फाइनेंस कमीशन के नाम पर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जो भी राज्य सरकार के आय के साधन भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जायेंगे और भारत सरकार से और बाकी के रिलेवेंट इनकम हो रही है उसका कितना हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा। उसके लिए फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं लेकिन फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति के अन्दर जो बीच का समय है उसके अन्दर एक्स्ट्रा आर्डिनरी डवलपमेंट होते हैं उनको मीट करने के लिए भारत सरकार चुप हो जाती है। और चुप्पी साधने का प्रभाव हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। जैसा कि मुख्य मंत्री ने एक बार नहीं कई बार इस सदन में यह कहा है कि जो हमने मंहगाई भत्ते के रूप में हमारे कर्मचारियों को मंहगाई के कारण अतिरिक्त आय देने की व्यवस्था की है, उसका राज्य सरकार के बजट के ऊपर भयंकर प्रभाव पड़ेगा। उधर हमारे वित्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मंत्री यह स्पष्ट घोषणा करके चलते हैं कि राज्य सरकारों को मंहगाई भत्ते को मीट करने के लिए भारत सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं दी जायगी। आज इस प्रकार का फैक्टर है कि केवल राज्य सरकार की नीतियों के कारण मंहगाई नहीं बढ़ रही है, इस मंहगाई को कन्ट्रोल करने की प्रमुख जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर आती है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि हमारे ऊपर आज जो सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त व्यय के कारण जो भार बढ़ रहा है, उस भार को वे शेयर करें लेकिन वह शेयर होता नहीं और भारत सरकार फाइनेंस कमीशन की आड़ लेकर इस इण्टेरिम पीरियड के अन्दर इस प्रकार की चीज को एवायड करने की कोशिश करती रही है। इसका इलाज केवल यह है कि हम भारत सरकार से मांग करें कि हमारा और भारत सरकार का जो वित्तीय सम्बन्ध है, उस पर नये सिरे से विचार किया जाये। उसके साथ ही इण्टेरिम पीरियड के अन्दर जो भारत सरकार हम पर अतिरिक्त भार डालकर उसको मीट करने की स्थिति में नहीं है उसका इलाज करने के लिए हमें यह मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार इसके लिए एक परमानेंट फाइनेंस कमीशन नियुक्त करे। जिस प्रकार के सरकमस्टांसेज इस स्टेट के अंदर क्रियेट होते हैं, उन सरकमस्टांसेज, जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से आता है, मीट करने को जितनी धनराशि आवश्यक है, वह धनराशि केन्द्रीय सरकार उपलब्ध कराती रहे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें चालू हैं और यह सारी चीजें प्लान की बहुत बड़ा अंग हैं। हमने तीन पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं। भारत सरकार की यह स्थिति है और हमारी भी यह स्थिति है। योजना के तीन पंचवर्षीय काल में जब हमारी अपनी इकोनॉमी सेल्फ-जेनरेटेड नहीं बन पायी तो उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रहे। हम विदेशी अनुदान और ऋण पर निर्भर हो गये। राज्य सरकार भारत सरकार से मिलने वाले ऋण और अनुदान पर निर्भर हो गई। इसी प्रकार की जनता के अन्दर यह आदत डेवलप हो गई। उसको कोई भी विकास का काम करना है सोशियल सर्विस करनी है, या इकोनॉमी विकसित करनी है, वह कोई भी ऐसा कार्यक्रम हाथ में लेती है, तो उसके दिमाग में एक विचार बना हुआ है, भारत सरकार से कर्जा कितना मिले, राज्य सरकार से कर्जा कितना मिले, बेंक से कर्जा कितना मिले, कोआपरेटिव सोसाइटीज से कर्जा कितना मिले। यह जो डिपेंडेंस की स्थिति लाकर सारे समाज में यह स्थिति पैदा कर दी, इससे लोगों में कुछ इन्सपाइरिंग स्थिति हो सके, इन्सपाइरेशन मिल सके, स्वतः इन्सपाइरेशन से लोग सेविंग की आदत बढ़ा कर कैपिटल फार्म कर सकें, यह आदत खत्म हो गई है। आज तो स्थिति यह हो गई है कि भारत सरकार से लेकर नीचे से नीचे स्तर का, छोटे से छोटे स्तर का प्रत्येक व्यक्ति सरकार के ऊपर, सरकार बेंक के ऊपर, और बेंक के किसी कर्ज पर निर्भर करके चलता है। तो योजना का मतलब यह तो नहीं हो सकता था कि सभी को डिपेन्डेन्ट बना दो, योजना का मतलब तो यह होता है कि लोग आत्मनिर्भर हों, स्वावलम्बी हों, स्वयं एफर्ट्स करके विकास में योग दे सकें, मितव्ययिता को अपना कर विकास

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

के कामों में योग दे सकें और देश को आगे बढ़ायें ।

पहले हमने देखा है कि गांवों में चाहे स्कूल बनाने का सवाल हो, चाहे कुए खुदवाने का सवाल हो, चाहे अस्पताल बनाने का सवाल हो—गांवों में लोग चन्दा एकत्रित करके स्कूलें बनवाते थे, कुए खुदवाते थे, और अस्पताल भी बनवाते थे। पर आज हम देख रहे हैं कि लोगों की वह आदत जैसे मिट गई है। आज बिना सहायता के वे न तो कोई स्कूल बनवा सकते हैं, न कोई कुआ खुदवा सकते हैं और न बिना सहायता के कोई अस्पताल ही बना सकते हैं। इसका मूल कारण यह है कि लोगों की आर्थिक स्थिति आज गर गई है। इन योजनाओं ने यदि लोगों को आत्मनिर्भर रहने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहने वाला बना दिया तो मैं कहूंगा कि यह हमारी योजनाओं की सबसे बड़ी निष्फलता है।

कांग्रेस समाजवाद का नाम लेती है, वह समाजवादी तो है नहीं पर जानबूझ कर समाजवाद का नाम लेती है, उसने केवल समाजवादी होने का राजनैतिक स्लोगन दे रखा है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में और राजनतिक दल हैं, खास करके साम्यवादी दल हैं, उससे हमारी कांग्रेस को सदा यह डर बना रहता है कि यदि हम समाजवाद की दौड़ में साम्यवादियों से पीछे रह गये तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने समाजवाद की दौड़ में साम्यवादियों से आगे निकलने की होड़ की यदि कोशिश की तो यह निश्चित है कि वह साम्यवादियों से इस दौड़ में जीतने वाली नहीं है। और इस तरह से यह जान बूझ कर जो असावधानी बरती जा रही है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण से जो राजस्थान सरकार को घाटा होता है उस घाटे की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने जनता पर टैक्स लगान की नीति अपना रखी है।

आज कांग्रेस समाजवाद की बात करती है और साम्यवादी लोकतन्त्र की बात करते हैं। कांग्रेस अगर समाजवाद की बात करे तो गलत है और उसी तरह यदि साम्यवादी लोकतन्त्र की बात करें तो वह गलत है। इन दोनों की यह बात अब ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। अब थोड़े से ही दिनों का समय है। आज लोगों में जागृति आ रही है, उस जागृति से लोग बहुत जल्दी कांग्रेस के साम्यवाद, समाजवाद और साम्यवादियों के लोकतन्त्र को अच्छी तरह समझ जायेंगे।

हमारे सदन में कई बार यह बात आई है कि विकास की गति को किस ओर और किस प्रकार ले जायं तो हमेशा हमारे सामने यही बात आती है कि जो इलाके बैकवर्ड हैं उनको प्रगति के पथ पर अग्रसर कर के दूसरे जो इलाके उनसे आगे बढ़े हुए हैं, उनके बराबर के दर्जे पर लाया जाय, उनको समान धरातल पर लाया जाय। पर आज हम यह देखते हैं कि हमारी सरकार ने इसके विपरीत रीजनल इम्बलस क्रियेट कर दिया है। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में कई जिले बैकवर्ड हैं, उनमें जो एक्सपेन्डीचर होता है वह दूसरे जो इलाके आग बढ़े हुए हैं, उनसे कम एक्सपेन्डीचर होता है। कई बैकवर्ड इलाकों में कम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक्स्पेन्डीचर होता है और जो उनसे आगे बढ़े हुए हैं उन इलाकों में ज्यादा एक्स्पेन्डीचर होता है। जहां प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वहां ज्यादा एक्स्पेन्डीचर होता है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर-केपिटा इनकम कम है फिर भी वहां पर-केपिटा के लिहाज से कम एक्स्पेन्डीचर होता है। इससे रीजनल इम्बेलेंस क्रियेट हो गया है और इसके कारण स्थिति ऐसी बन गई है कि कुछ हिस्सों की स्थिति जो 1947 में थी, उनकी उस स्थिति में और आज की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। जैसी उनकी स्थिति 1947 के समय थी, वही स्थिति उनकी आज भी है। मन्त्रीजी कहेंगे कि पर-केपिटा इनकम बढ़ी है, पर इसमें वास्तविकता कम है और मंहगाई का अनुपात ज्यादा है।

तो इस तरह से आज राजस्थान की सरकार ने रीजनल इम्बेलेंस क्रियेट कर दिया। बूंदी टोंक का मुकाबला नहीं कर सकता, जोधपुर का बाड़मेर मुकावला नहीं कर सकता, बीकानेर उदयपुर का मुकाबला नहीं कर सकता, जोधपुर का मुकाबला बाड़मेर नहीं कर सकता, भीलवाड़ा का मुकाबला और दूसरे जिले और नागौर जिले नहीं कर सकता, डूंगरपुर बांसवाडा का मुकाबला नहीं कर सकता। जिन जिलों में ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता थी वहां कम खर्च किया गया और जहां बैकवड इलाकों के मुकाबले कम खर्च करने का था वहां और ज्यादा खर्च किया गया इससे रीजनल इम्बलस क्रियेट हो गया। योजना का मतलब यह नहीं था कि योजना का सारा धन कुछ ही जिलों पर खर्च कर दिया जायगा और बाकी जिले यों ही पड़े रह जायें। किसी भी चीज को ले लें, मीडियम इरिगेशन की प्रोबलम को हल करने की योजना को ले लीजिये, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को देख लीजिये, एज्युकेशन को देख लीजिय, किसी भी और योजना को देख लीजिये, आपने राजस्थान में योजना-बद्ध रीजनल इम्बेलेंस क्रियेट कर दिया है। इसमें केवल राजनैतिक प्रतिशोध होता तो कोई बात नहीं थी। पर जिस तरह से इसकी वजह से राजस्थान सरकार ने राजस्थान का इन्डस्ट्रियल सेट अप किया और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में राजस्थान को बैकवर्ड रखा, हमारे पड़ौसी प्रान्तों ने इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में तरक्की की, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ने इन्डस्ट्रीज में तरक्की की और राजस्थान इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट में पिछड़ा रहा, उसका परिणाम आज यह है कि वे राज्य आज राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को पनपने नहीं देते हैं क्योंकि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल पुट अप, इन्डस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट, इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन उन स्टेट्स के मुकाबले में कम है। क्वालिटी में चाहे हमारे यहां चीजें अच्छी बनती हों पर हम आज दिल्ली के मार्कट को ले लें या और किसी मार्केट को ले लें हम किसी मार्कट को कैच करने के लिये कहीं खड़े नहीं रह सकते। इस कारण आज राजस्थान को सफर करना पड़ रहा है। उस निगाह से सोचा जाय तो आज हमारे यहां जो यह रीजनल इम्बेलस क्रियेट किया गया है, उसके कारण एक जिला दूसरे जिले का शोषण करने की स्थिति में आ जायगा और भविष्य में यह रीजनल इम्बेलेंस हमारे लिये बहुत घातक सिद्ध होगा।

इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। जिस पर्सेन्टेज से उन बैकवर्ड जिलों में पहले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खर्चा किया जाना चाहिये था वहां खर्च नहीं किया गया । जिन जिलों में पैसा लगाना चाहिये था, पिछले साल उनके लिये जो प्रावधान रखा गया था, वह प्रावधान भी पूरा नहीं हुआ है । पिछले बजट में प्रत्येक जिले में हमने जितनी धनराशि खर्च करने के लिए रखी थी, उन बैकवर्ड जिलों में वह धनराशि भी खर्च नहीं हुई है ।

अब बजट का प्रश्न आता है, बजट राजस्थान सरकार ने पेश किया है और राजस्थान सरकार की सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी नहीं है, इसकी इकोनॉमी अधिकतर भारत सरकार पर और दूसरों पर निर्भर करती है । वित्त मंत्रीजी ने कहा कि 61.50 इतना कर्जा हमने ले लिया, 21.29 के चुकारे के बाद 39.46 करोड़ शेष भुगतान करने वाली रकम रहेगी और इस वर्ष राजस्थान सरकार लेना चाहती है 18 करोड़ का एडहॉक लोन । यह सब मिला कर हो जाता है 57 करोड़ । 6 करोड़ का और है, 276 लाख का अल्प बचत योजना से ऋण मिलेगा एल० आई० सी० से और रिजर्व बक से 18.09 करोड़ । इस तरह 76.95 करोड़ के कर्ज की व्यवस्था से बजट को निबाह सकेगी । इन्श्योरेंस की, प्रोविडेन्ट फण्ड की 17 करोड़ की और वृद्धि होगी, इस प्रकार 94 करोड़ रुपया इस प्रकार के कर्ज का कुल योग होगा । इस योग के बाद भी भारत सरकार से उधार का भुगतान का 4.26 करोड़ भारत सरकार से मिला, इस प्रकार 98.89 करोड़ कुल होगा । वित्त मंत्रीजी ने 127 करोड़ 78 लाख का कुल बजट रखा है उसमें 98 करोड़ 89 लाख तो कर्ज लेने की व्यवस्था से रख रहे हैं । इसका मतलब यह है कि 88.89 लाख का बजट रह जाता है । कर्ज के आधार पर बजट बनाते हैं तो हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरह जेनरेट करने की कोशिश की है ?

(2 म. प.)

दुनिया का हम लोन ले लें और लोन के आधार पर बजट बना कर चलें तो उससे स्थिति यह हुई कि बजट हमारा नहीं है, यह बजट जिन लोगों का कर्जा लिया है उनका बजट है । वह कितना कर्जा और अनुदान हमें देंगे उस आधार पर यह बजट है । कितना रुपया मूलधन और कितना रुपया ब्याज के रूप में उनको देंगे उस आधार पर यह बजट बनाकर प्रस्तुत किया गया है ।

जहां तक हमारी आमदनी का सवाल है, उसकी सरकार को चिंता नहीं, खर्चा बढ़ जाय सरकार के लिए मामूली सी बात है, लेकिन किसी प्रकार से आमदनी बढ़ जाय राज्य सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती और जब बरदाश्त नहीं कर सकती तो ऐसी हालत में जब खर्च और कर्जा बढ़ जायगा तो सरकार की प्रतिष्ठा गिरेगी । पिछली बार राज्य सरकार ने 5 करोड़ का पब्लिक लोन फ्लोट करने की घोषणा की लेकिन उसके अगेन्स्ट में जनता ने राज्य सरकार को कर्जा नहीं दिया । भारत में कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं होगी जिसे पब्लिक लोन की फिगर को पूरा करने के लिए कन्टीन्जेन्सी फंड के अंदर से रुपया जमा कराया हो । उसके बाद मंत्री महोदय ने घोषणा की हम 5 करोड़ का पब्लिक लोन फ्लोट करेंगे लेकिन आज कहकर चल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने हमें कहा कि 5 करोड़ का लोन फ्लोट नहीं करना चाहिए । किस आधार पर रिजर्व बक ने कहा ? केवल एक ही आधार है कि

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
आप अपने रिसोर्सेज को जुटा नहीं सकते। वरना सरकार 5 करोड़ का लोन मांगे और रिजर्व बैंक कहे कि 4 करोड़ का लोन भी इकट्ठा नहीं कर सकते····

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं माफी चाहता हूं, मुझे उठना पड़ा। माननीय सदस्य ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार ने 5 करोड़ लोन की आज्ञा इसलिए प्रदान नहीं की क्योंकि राज्य सरकार के पास क्षमता नहीं थी या लोन को इकट्ठा नहीं कर सकती थी, यह बिल्कुल गलत है, निराधार है। भारत में इस समय रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों को जितना लोन फ्लोट करने की इजाजत दी है, उसके अंदर इस साल में भारत की हालत को देखते हुए धनराशि हमारी लेविल पर कम कर दी है और उसके बाद प्रपोर्शनेटली हर राज्य के लोन्स काट दिए। इस तरह राज्य सरकार जो 5 करोड़ का लोन चाहती थी उसमें 4 करोड़ की इजाजत दी, महाराष्ट्र ने 15 करोड़ मांगे उसको 12 की इजाजत दी। इसलिए हमारा पर्सेन्टेज 5 से 4 हुआ है, वरना 4 के खिलाफ 4.01 रेज किया था। अगर रिजर्व बैंक 5 की इजाजत देती तो 5 रेज कर सकते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत: मंत्री महोदय ने कहा वह तो सही है लेकिन मंत्री महोदय को यह भी जानकारी है कि जिस समय 5 करोड़ लोन फ्लोट करने को रिजर्व बैंक से इजाजत मांगी, उस समय रिजर्व बैंक ने आपको केवल 3 करोड़ फ्लोट करने की पर्मीशन दी थी। तीन करोड़ लोन फ्लोट करने की जब आपको इजाजत दी उस समय आपने अपने रिसोर्सेज के आधार पर रिजर्व बैंक के सामने इस मामले को लेकर एप्रोच किया कि हमारी इकोनॉमी के पॉइंट को सामने रखकर यदि रिजर्व बैंक हमारे लोन में किसी प्रकार की कटौती करना चाहती है तो वाजिब नहीं है और जब आपने कहा कि रिसोर्सेज जुटाने पर हमारी इकोनॉमिक कन्डीशन गिर नहीं रही है बल्कि जो एडहॉक लोन लिया है उसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर देंगे। इस प्रकार का जब आपने आश्वासन दिया तो तीन करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ बैंक ने कर दिया। यह स्थिति तो है। ऐसी स्थिति में कहता हूं कि इसका परिणाम यह निकला कि रिजर्व बैंक को हमारे रिसोर्सेज के संबंध में संदेह है, हम रिसोर्सेज को जुटा पायेंगे या नहीं, आमदनी बढ़ा पायेंगे या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : इन पब्लिक लोन्स का हमारे रिसोर्सेज से कोई संबंध नहीं है। सवाल यह है कि सरकार की साख होनी चाहिए, वह रुपया फ्लोट करने के बाद पूरा कर ले। उन्होंने कहा 3 करोड़, हमने कहा 5 करोड़, आखिर 4 करोड़ आ गया। यह सिर्फ राजस्थान के लिए ही नहीं था देश के ट्रेन्ड को देखते हुए भारत सरकार ने अपना लोन भी ज्यादा रेज किया। इसलिए हमारे रिसोर्सेज से कोई इसका संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दूसरे राज्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए था और जैसा आपने कहा महाराष्ट्र सरकार तो वहां भी ऐसी स्थिति होगी।

श्री मथुरादास माथुर : हर स्टेट····

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर बाद में दे दें।

श्री भैरोंसिंह: यह जो गिरावट आई है, मंत्री महोदय उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। 5 करोड़ का लोन पिछली बार आपने फ्लोट करने की कोशिश की उसके अगेन्स्ट 5 करोड़ नहीं मिला, राज्य सरकार की साख गिरी, यह सही है। और जैसा मैंने कहा कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं जिसने पब्लिक लोन को मीट करने के लिए कार्न्टीजेन्सी फंड से रुपया निकाला हो, यह केवल राजस्थान के वित्त मंत्री ही हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिला है। आप रिसोर्सेज को जुटा नहीं पाते इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। मुख्य मंत्री ने कहा, प्लानिंग कमीशन के सामने, आपने कहा प्लानिंग कमीशन में सीलिंग फिक्स करते समय आपने दोहराया कि रिसोर्सेज को नहीं बना सकते। हमारे साख क्यों गिरी है? 1967-68 में हमारी देनदारियां थीं 430.96 करोड़ और 1968-69 में 492.30 करोड़, वृद्धि हुई 61 करोड़। इसमें ऋण का भी फिगर है। एसेट्स है 1967-68 में 419 करोड़ जबकि 1968-69 में 470 के हुए, मतलब इसमें 51 करोड़ की वृद्धि हुई। तो हमारी देनदारियां जो हैं उनमें 61 करोड़ की वृद्धि होती है और एसेट्स में केवल 51 करोड़ की वृद्धि होती है।

मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे कि आज से 4 वर्ष पहले तक राज्य की स्थिति यह थी कि हमारे एसेट्स की ज्यादा वैल्यू बनती जाती थी और लायाबिलिटीज कम होती जाती थी। अब 4 वर्ष बाद यह स्थिति शुरू हो गई है कि लायाबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और एसेट्स जिस पर्सेंटेज के अंदर लायाबिलिटीज को मीट करने के लिए होने चाहिए थे वे नहीं बने। तो जिस राज्य में एसेट्स कम हो जायं और लायाबिलिटीज बढ़ती जायं तो आर्थिक स्थिति के बारे में मैं कहूं या नहीं कहूं कोई भी भारत सरकार या योजना कमीशन या जीवन बीमा निगम या रिजर्व बैंक सरकार पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी हालत में राज्य के लिये यह बहुत ही चिंतनीय स्थिति है।

इस वर्ष का जो बजट पेश किया गया उसमें जिस प्रकार का घाटा दिखाया गया 63 लाख का उसको मीट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हम पूंजी खाते में से जो सरप्लस है उसको रेवेन्यू खाते के अंदर लाना चाहते हैं। यह स्थिति भी आप स्वीकार करेंगे कि हमने पिछले वर्ष यह स्थिति पैदा की थी कि राज्य सरकार रेवेन्यू खर्चे को मीट करने के लिए यदि कैपिटल की सरप्लस को लाकर उसमें से खर्चा करने की स्थिति में आ जाती है, वह भी धीरे-धीरे पूंजी खाते के फाइनेन्सेज पर भी आ जायेंगे जैसे कोई व्यक्ति भूख हड़ताल करने के लिए बैठे और कोई बाहरी चीज न खाए, उसके अभाव में एक दो तीन दिन वह अपनी रेसिस्टेन्स की पावर्स को मीट कर ले लेकिन चौथे और पांचवे दिन कुछ बाहर से पदार्थ नहीं मिलेगा तो अपने अवयव खाने लगेगा और 10-12 दिन में उसकी मृत्यु हो जायगी। आज राजस्थान सरकार को भी बाहर से कुछ नहीं मिलता है। आप पूंजी को खाकर हेवी खर्चे को मीट करने की स्थिति में चल रहे हैं तो मुझे खतरा है कि

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार स्वयं तो जायगी ही लेकिन जनता के लिए भयंकर लायाबिलिटी छोड़कर जायगी, वह स्थिति पैदा हो गई है। यदि किसी बिजनेस कन्सर्न में ऐसी स्थिति हो जाती है, एसेट्स के मुकाबले लायाबिलिटीज बढ़ जायं उसका उत्पादन कम हो जाय, आमदनी गिर जाय, रिसोर्सेज को पूल नहीं कर सके और लोगों का कर्जा हो, लोग बठे रहें तो ऐसा व्यापारिक संस्थान को कानून के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया जाता है, लेकिन संविधान के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि किसी राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाय तो उसको दिवालिया घोषित किया जा सकता है। लोगों को विचार करना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति राज्य की हो जाय तो फाइनेन्सेज पर कन्ट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन को गंभीरता से लाना पड़ेगा।

हमने योजना की स्थिति को देखा है। उसमें 1967-68 के लिए 44 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, लेकिन योजना आयोग की राय से 43 करोड़ पर आ गए। उसम जीवन बीमा निगम ने 4 करोड़ के स्थान पर एक करोड़ का कर्जा दिया तो योजना 40 करोड़ पर आ गई। आप हिन्दुस्तान में कोई भी प्लान को उठाकर देख अगर पहले वर्ष में 5 करोड़ होगा तो अगले में 7 करोड़ होगा लेकिन 5 की जगह 4 नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति सही दिशा में जा रही है। यदि यह सही दिशा है कि पिछले वर्ष की योजना में 40 करोड़ और इस वर्ष 44 करोड़ के 40 हो गए। अब 40 करोड़ की योजना में से भारत सरकार से 37 करोड़ का अनुदान मिलेगा, जीवन बीमा निगम से एक करोड़ मिलेगा और 76 लाख की आमदनी केन्द्रीय सरकार के नए करों से जो हिस्सा मिलेगा, उस आधार पर 44.08 करोड़ की इस वर्ष की योजना ' लेकर चल रहे ह। इस वर्ष जिस योजना को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह योजना के नाते एक प्रोग्राम था, वह रुक गई और उसको आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले समय जिस समय बजट प्रस्तुत किया था उस समय राजस्थान के लिए यह चित्र प्रस्तुत किया था कि आज सरकार को कितना कर्ज मंहगाई भत्ता, अकाल सहायता को मीट आऊट करने के लिये लिया गया है, उसकी घोषणा की थी। छोटी जोत वालों से लगान वसूल नहीं किया जायगा यह बजट में प्रावधान रखा था और हमारे राज्यपाल महोदय ने घोषणा की थी लेकिन जब मुझे इस बजट स्पीच को देखने का मौका मिला तो ये सारे आश्वासन माननीय वित्त मंत्री जी के ऐसे लगते हैं कि हमारे वित्त मंत्रीजी इन बातों का मुकाबला करने के लिए काफी माहिर हो गये हैं। मेरी समझ से तो अशोक चक्र इनको मिलना चाहिए ? उनको यह पता नहीं है कि गत वर्ष मैंने जो आश्वासन दिया था उन आश्वासनों की स्थिति अगले वर्ष में क्या होने वाली है—बड़ी चतुराई से काम लिया है। उसमें व्यवस्था की थी कि अलाभकर जोतों के मामलों में जो अलाभकर जोतों से टैक्स वसूल नहीं किया जायगा उस घाटे को एक वर्ष के लिए दिखाया। आज राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)
सरकार और जनता यह समझकर कि राजस्थान की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि अलाभकर जोतों पर लैन्ड रेवेन्यू नहीं लिया जायगा। 65 लाख का पूरे राजस्थान के अन्दर अलाभकर जोतों का लगान माफ किया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह सवा करोड़ का होता है।

नये टैक्स को लेकर राजस्थान की सरकार यह नहीं कह सकती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। यह कहकर चलें कि हमने नीति बनाई है तो इसको विथड्रा कर लें। चुनाव में वोट लेने के लिये रखी थी। चुनाव के पहले का भाषण था। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत कर सकता हूं। आपका भी है वित्त मंत्री जी कि अलाभकर जोतों के टैक्स पर सरकार विचार कर रही है और यह घोषणा कर दी थी कि अगले वर्ष अलाभकर जोतों पर टैक्स नहीं लिया जायगा। चुनाव के समय जो भी भाषण दिया जाय, अब जनता उस पर विश्वास नहीं करती है कि हमारी सरकार जो कहती है उसमें सत्यता किसी भी प्रकार से नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी शहरी टैक्स लगाकर 10 लाख की इन्कम होगी। आगे जो एस्टीमेट तैयार किये हैं इस जमीन को तबादले पर फीस 10 लाख की रखी। इस रीविजन से बजट में एक पैसे की आमदनी नहीं होगी। कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने के लिये 50 लाख का प्रावधान रखा इसमें एक पैसे की आमदनी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो घोषणा की है वह किस हद तक जाकर क्रियान्वित होती है यह न तो सरकार को ही मालूम है और न राजस्थान की जनता को मालूम हो सकता है। मंत्री महोदय ने जल-प्रदाय योजना की समस्या का समाधान करने के लिए एल०आई०सी० से लोन मांगा। यह भी सत्य है कि उनको एल०आई०सी० से लोन नहीं मिला। जितना रुपया खर्च कर सकते थे वह खर्च नहीं कर पाये और वह रकम ऐसे ही रह गई। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी राजस्थान में पहले एक इंजीनियरिंग कालेज था अब राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए तीन कालेज खोल दिये गये हैं। पहले इंजीनियरिंग कालेज में इतने छात्र पढते थे अब इतने पढ़ रहे हैं। मेडिकल कालेज इतने थे और इतने छात्र पढ़ते थे अब इतने पढ़ रहे हैं किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि राजस्थान की सरकार 127 करोड़ का बजट बनाती है— केपिटल एक्सपेन्डिचर को छोड़कर, उस राजस्थान के वित्त मंत्री जी को यह पता नहीं रहता कि वह अगली साल किस रूप में परिणित होगी जो इंजीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेज खोलकर जनता को अनावश्यक भ्रम म डालना चाहती है। अब मेडीकल कालेज को बन्द करने के बारे में बजट भाषण म घोषणा करनी पडी, छात्रों की संख्या कम करने की घोषणा करनी पड़ी इससे अब इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों में बेकारी आयेगी। जो सरकार अगले वर्ष की स्थिति को नहीं रख सकती है, झूठे लक्ष्यों को रखकर बजट में प्रावधान किया है, यह उनका थोथा नारा है। इस पर किसी प्रकार से भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय पंचायतों के डिलिमिटेशन के बारे में और पंचायतों के कोआर्डिनेशन के

(श्री भैरोंसिंह)

बारे में एक कमीशन की घोषणा की थी। ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री जी से नाराज हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछली बार जितनी घोषणा की, मुख्य-मंत्री जी इसे आप भी स्वीकार करेंगे लेकिन राजस्थान की सरकार ने उनकी एक भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। चाहे वह शिड्यूल कास्ट के बारे में, शिड्यूल ट्राइब्स के बारे में, चाहे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के बारे में हो—जो भी घोषणा की उनका पालन राजस्थान की सरकार से नहीं करा पाये। ये सारी आपकी घोषणायें फेल्योर रही हैं। मैं समझता हूं कि आपको कोई घोषणा करने से पहले मुख्यमंत्री जी को अपने कान्फीडेन्स में लेना चाहिये। अगर आपका कहना राजस्थान की सरकार मानती रहेगी तो मैं समझता हूं आपकी घोषणा करना अच्छा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के बजट में 115 करोड़ रुपयों की राजस्व की आय का अनुमान लगाया गया था उसके अगेन्स्ट में 127 करोड़ की आय हुई है और इसी प्रकार 127 करोड़ रुपया राजस्व व्यय का अनुमान लगाया था उसमें 138 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। राजस्थान की सरकार का सन् 52 से लेकर अब तक का बजट देखें तो इसी पर्सेन्टेज से डिफेरेन्स आता है तो मैं कहता हूं कि आपके बजट की सेक्टिटी नहीं है। इस आधार पर राजस्व आय और राजस्व व्यय में 11 करोड़ और 13 करोड़ का अन्तर होता है तो आप यह मानकर चलिये कि आपका फाईनेन्स पर कन्ट्रोल नहीं है या जो कुछ आमदनी होने वाली है, उसका आपको अन्दाज नहीं है और बिना अन्दाज के ही बजट बना कर रख रहे हैं जिससे यह पर्सेन्टेज हर साल बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आखिर हमारी सरकार यह कहकर चल रही है कि हमारी स्टेट की इन्कम बढ़ेगी, पर केपिटा इन्कम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इसका आधार राज्य सरकार ने न पिछले वर्ष सही लगाया और न इस वर्ष ही लगाया है। 56 का वर्ष हमारे राजस्थान के लिये पीक ईयर था। अब यह विचार करना पड़ेगा कि यदि इस प्रकार का उत्पादन बढ़ रहा है तो उस हालत के अन्दर हमें दो प्रकार की स्थिति को देखना पड़ेगा आज हमारे एग्रीकल्चर के रेवेन्यू का कितना कन्ट्रीब्यूशन आता है हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कितना और किस प्रकार का कन्ट्रीब्यूशन आता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन्डस्ट्रियल बेस के कारण उसमें 1.08 की कन्ट्रीब्यूशन है और उसमें एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी का 51 प्रतिशत का आता है और दूसरे में अपव्यय बढ़ा है। 1.08 की जो कन्ट्री ब्यूशन है, राजस्थान की सरकार का विचार है कि उसको ज्यादा डेवलप किया जाय उसके कारण स्टेट को इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर के लोगों को ज्यादा प्रोडक्शन देकर उनकी आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस राज्य सरकार को चार्ज के रूप में कहना चाहता हूं कि जहां तक लैन्ड रेवेन्यू का प्रश्न आता है, इस बजट में प्रावधान रखा है और अब तक जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, उनको रेगुलराईज किया जा रहा है। क्या एक करोड़ की अतिरिक्त आय होगी ?

क्या इससे एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी ? इसके लिय मैं कह सकता हूं कि प्रवर्तित प्रावधान और लैण्ड रेवेन्यू दोनों मिलाकर एक करोड़ की आय की स्थिति

(श्री भैरोंसिंह)

बनती है बजट के आधार पर। एक तरफ आप गरीब जनता से टैक्स वसूल करते हैं दूसरी तरफ सरकार अनऑथोराइज्ड ऑक्शन करके बीस वर्ष तक उससे मुनाफा कमाया, उसका लैण्ड रेवेन्यू राज्य सरकार में जमा न हो, उसके लिये सरकार ने क्या किया जिसको सरकारी अधिकारी खा गये उसको क्या हुआ ? पांच साल पहले अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन के बारे में हमने कहा था कि इसको रेग्यूलेराइज कर दिया जाय ताकि जो 1 करोड़ रुपये की नैट इनकम राज्य सरकार को मिलती और वह इनकम हर वर्ष होती जाती। जो लोग पच्चीस वर्षों से जिस जमीन पर काश्त करते आ रहे हैं जिनको अनऑथोराइज्ड माना है उसके लिए सदन ने मांग की थी उसको रेग्यूलेराइज कीजिये। लगान उसका वसूल नहीं हुआ पेनेल्टी वसूल नहीं हुई है। काश्त करने वालों से तो वसूली हो रही है लेकिन वह सरकारी खजाने में जमा नहीं लैण्ड रेवेन्यू और उसकी रिकवरी होती है।

जैसे हमारी सरकार कहती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हमारी इनकम बढ़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी है आप उससे बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे यहां भाव कम हो रहे हैं। पिछले वक्त आपके लिये डिफीकल्टी थी, परेशानी थी उस समय मंहगे भाव में किसानों ने बीज खरीदा और उसके कारण उनका इस वर्ष उत्पादन बढ़ा है तो उनको रिटर्न्स भी खर्चे के अनुसार मिलने चाहियें। आज जिन्स के भाव गिरते जा रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं। शहर के लोगों की आमदनी कम होगी आखिर इस भाव के गिरने से किस को लाभ होने वाला है ? आज राजस्थान म 72 फीसदी किसान हैं जिसमें से दस फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास रिटनिंग पावर हैं। 62 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो कर्जदार हैं वह कर्जदार किसान अपने पास गल्ले को रख नहीं सकता वह तो अपने उत्पादन को बाजार में बेचने के लिये आयेगा। और शहर में जो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सीमित आय है, जो कन्जूमर हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वह एक साथ साल भर का अनाज खरीद सकें। केवल इस ग्रुप के पांच से दस प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो साल भर का खाने के लिये अनाज खरीद सकते हैं। ऐसी हालत में राजस्थान का पेटी ट्रेडर होगा वह भी अनाज इकट्ठा नहीं रख सकता उसके पास इतनी पूंजी नहीं तो आखिर जाकर लाभ उनको होगा जो स्टाक कर सकते हैं। इस भाव की मन्दी से आम किसान को नुकसान होगा उसको रोक नहीं पाते हैं। गांवों में जिस प्रकार के भाव गिरते जा रहे हैं, कल ही मैंने टेलीफोन करके गंगानगर से पूछा था कि गेहूं फार्मी जिसका भाव 115 रुपया प्रति क्विन्टल था आज उसका भाव 70 रुपया क्विन्टल है। चने का भाव जो 80 रुपया प्रति क्विन्टल था वह आज 70 रुपया होगया। चावल जो 150 था वह 100 पर आगया है। इसी प्रकार देशी कपास जिसका भाव 300 था वह 150 पर आगया है। इस प्रकार गिरते भावों को देखकर आप जो अन्दाज लगा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक कन्डीशन सुधर गई है, यह आपकी धारणा गलत है आपने भावों को कन्ट्रोल नहीं किया तो किसान की आमदनी गिर सकती है। केपीटल फार्मेशन होगा नहीं और इनवेस्टमेन्ट के अभाव में जिस प्रोडक्शन को पीक ईयर समझ कर तारीफ करते हैं वह गिरेगा।

(श्री भैरोंसिंह) :

आपने इन्डस्ट्रीज को कुछ रियायतें दी हैं, हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान में इन्डस्ट्रीज का बेस बने, बाहर के इन्डस्ट्रियलिस्ट आकर यहां अपने उद्योग चलावें। यह बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में उद्योगों का वातावरण बनना चाहिये। हमारे स्टेट इनकम में इसकी इनकम का कितना कन्ट्रीब्यूशन फैक्टर है यह हमें देखना होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इन्डस्ट्रीज का विस्तार जब तक नहीं होगा राज्य की इकोनॉमी तब तक नहीं सुधर पायेगी जब तक कि आम काश्तकार की हालत नहीं सुधरेगी। इसकी हमारी सरकार को चिन्ता नहीं। एक तरफ आप लाटरी सिस्टम चला रहे हैं यह आपने रिश्वतखोरी को नेशनेलाइज करने की ओर कदम बढ़ाया है। आपने पहले भी मोठ और गुवार की निकासी पर दस पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेकर बाहर जाने का परमिट दिया इसी तरह से आप अन्य अनाज भी बाहर कर सकते हैं। आपको दस पर्सेन्ट दिया आपने परमिट जारी कर दिये। इससे क्या होगा मोटे स्टॉकिस्ट हैं वे सस्ते भाव में अनाज खरीदकर रख लेंगे और फिर आप समय आने पर उनसे सांठ गांठ करके कुछ पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम से लेकर उनको बाहर भेजने की इजाजत दे देंगे। तो इससे फायदा किसान को तो होने से रहा यह तो बड़े व्यापारी को फायदा होगया। इससे किसान और ऑर्डनरी कन्जूमर है वह तबाह हो जायगा। आपने किसान को क्या रियायत दी ? फर्टीलाइजर डिस्ट्रिब्यूशन के लिये जो भारत सरकार से सबसिडी मिलती है वह बन्द कर दी इसी प्रकार से बिजली की रेट बढ़ा दी। इसी प्रकार आप बीज उधार दिया करते थे अब वह नकद में देना शुरू कर दिया, पानी के इर्रीगेशन चार्जेज पिछली साल आपने बढ़ा दिया। पांच रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ा है। आपके न कहने से होता क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नॉन सीरियल्स पर बढ़ाये हैं।

श्री भैरोंसिंह: आपने इर्रीगेशन चार्जेज बढा दिये। बिजली की राहत नहीं, फर्टीलाइजर की सबसिडी बन्द कर दी। सीड जो उधार मिलता था वह बन्द होगया। किसान को जितनी रियायतें थीं वे बन्द करदी गई। आज राजस्थान को इनकम में किसान से जो आय होती है, वह इम्पार्टेन्ट कन्ट्रीब्यूटर है, आपने उसके लिये जो रियायतें थीं वे खत्म कर दीं और दूसरी तरफ आप इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को रियायतें देने की बात करते हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि इन्जीनियरिंग उद्योग में रिसेशन आया है। वहां इन्डस्ट्रीज के इन्स्टाल करने के लिये आपने रियायत की घोषणा की। आप देखेंगे कि आज जितनी भी चाहें इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज हों, इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज हों, आज इनकी किस प्रकार की पोजीशन हैं ? आज इन उद्योगों की स्थिति ऐसी होगई है कि इन उद्योगों में रिसेशन आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं गुजरात सरकार ने इसी के लिए एक कमेटी की स्थापना की कि इस रिसेशन को किस प्रकार से खत्म किया जाय। गारन्टी सिस्टम पर कर्जा देने की व्यवस्था की और इस बात की भी व्यवस्था की कि जितना भी कन्जूमर प्रोडक्शन है रेट कन्ट्राक्ट बेसिस पर गुजरात सरकार खरीद करे इस प्रकार की सिफारिशें की हैं। राजस्थान सरकार ने इन्जीनियरिंग उद्योग के प्रोब्लम्स को मीट करने के लिये,

(श्री भैरोंसिंह)

उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करने के लिए किसी प्रकार का काम नहीं किया। मैं चाहता हूं ऐसी स्थिति में होना तो यह चाहिये था कि आप भी गुजरात सरकार की तरह इन उद्योगों को कन्सोलिडेट करके इनसे जो पैदावार होती है उसके लिए आपको मार्केट प्रोवाइड करना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक इस प्रकार की स्थिति नहीं कर पाये।

बिजली के लिए आपने रखा है कि दो हजार रुपये एडवान्स जमा नहीं करायेगा उसको बिजली नहीं दी जायगी। इसके अलावा आपने कहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए 11 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव कल्टीवेशन द्वारा प्रोडक्शन बढायेंगे। मैं भी इस बात का पक्षपाती हूं कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन को ज्यादा एनकरेज किया जाय। इसके लिए कुछ पर्टीक्यूलर क्षेत्र ही तय करने से फायदा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि राजस्थान को जितना भी फर्टीलाइजर के नाम पर रुपया मिलता है, जो किसान को सहूलियत देन के नाम पर, भारत सरकार सहायता के रूप में देती है वह रुपया बाकी के हिस्सों में खर्च न होकर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के नाम पर खर्च किया जायगा।

यह हमने अनुभव भी किया है। पाली में प्रोजेक्ट था। कितने लाख का खर्चा हो गया। पर इसके बाद भी इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की सफलता नजर नहीं आई। बल्कि हालत यह हुई कि सारे किसानों को राजस्थान भर के भिन्न-भिन्न स्थानों को मिलने वाली सहायता की धनराशि, किसानों की मिलने वाली सारी सुविधायें रोक करके पाली में खर्चा किया, और उसका भी रिटर्न नहीं मिला। यदि आप इन्टेन्सिव कल्टीवेशन ही करना चाहें तो राजस्थान में व्यापक रूप से इसको सभी जगह किसी न किसी प्रकार से एनकरेज करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, म निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान की सरकार आमदनी का प्रश्न लेकर चलती है। आमदनी उसकी नहीं है। आमदनी के बारे में उसको चिन्ता भी नहीं है। एक्साइज ड्यूटी से, लैण्ड रेवेन्यू से आमदनी का एस्टीमेट किया था दस करोड़ और इस बार रिवाइज्ड किया दस करोड़ पांच लाख तीस हजार और एस्टीमेट करके बजट एस्टीमेट में आया दस करोड़। अब जो एस्टीमेट करके चल रहे हैं वह आगे और भी कम होगा। यही हालत एक्साइज ड्यूटी की है। इसमें सरकार कह रही है कि हमने बजट एस्टीमेट रखा था दस करोड़, और रेवेन्यू हुई आठ-साढ़े आठ करोड़ और अब बजट में नौ करोड़ का एस्टीमेट दे रखा है। कहते हैं 1.50 करोड़ का घाटा होगा हमारी प्रोहिबीशन पॉलिसी के नाम पर।

इस प्रोहिबीशन पॉलिसी को लेकर आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि इससे इतना घाटा होगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी से कहना चाहता हूं। आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं या आमदनी के नाम पर गरीब जनता का शोषण करना चाहते हैं। आपने मद्य निषेध की नीति अपनाई। आपका कर्त्तव्य है इसे इम्पलीमेन्ट करिये। पर अगर यह कहकर चलें कि इसके कारण 1.50 करोड़ का सरकार को घाटा होगा तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। आप जनता का शोषण करने के लिये नये-नये एक्सपेरीमेन्ट करते हैं। आपने

(श्री भैरोंसिंह)

यह गारन्टी सिस्टम का एक्सपेरीमेन्ट किया। टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट में धीरे-धीरे इसे डिसकरेज करने की सिफारिश की थी। अबकी बार आपने स्वीकार किया है। गारन्टी सिस्टम के स्थान पर आप यह करते कि एक-एक दूकान को पब्लिक ऑक्शन से देते। पर आप पब्लिक ऑक्शन नहीं करना चाहते। कोटा-जयपुर का एक। पूरे जयपुर का एक। कोटा का एक। इस तरह कई ग्रुप्स बनाकर कहा कि हमने यहां ऑक्शन करने की व्यवस्था की है। उसमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, हमने मोनोपोली करने की एक प्रकार की चेष्टा की है, छूट दी है। जिन लोगों की पिछली बिक्री हुई है उसके आधार पर आप उनको कन्ट्राक्ट देने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपने हाथ रंगे हैं। राजस्व आय पर आक्रमण करने के लिये उस पर डाका डालने के लिये आप इस एक्साइज की दूकानों का ठेका देना चाहते हैं, उनको ऑक्शन नहीं करना चाहते। आप बड़े बड़े मोनोपोलाइजर्स से मिलकर उनको प्रोटक्शन कैसे दिया जावे और उनसे कैसे हाथ रंगे जावें और छोटी की किस प्रकार से हत्या की जावे, आप इसके लिये रास्ता निकालना चाहते हैं, और इसी के लिये पिछले सालों की बिक्री की आधार की आड़ लेकर उन्हीं मोनोपोलाइजर्स को आप ठेका देना चाहते हैं, ताकि वे बिजनेस में लग जाव। उनको किसी प्रकार से रखा जावे। इसके लिये वित्त मन्त्री जी, अकेले होंगे, यह मैं नहीं कह सकता, कैबिनेट भी इसे एप्रूव करेगी कि उनको मोनोपोली बेसिस पर पिछली बिक्री के आधार पर आंकड़े लेकर ठेकों को एक्सटेन्ड किया जावे। इससे ज्यादा लाभ होगा या उन ठेकों को दूकान-वाइज नीलाम करने से ज्यादा आमदनी बढ़ेगी, इसमें मेरा निश्चित विश्वास है कि एक एक दूकान को नीलाम किया गया तो आपकी आमदनी निश्चित रूप से कई गुना बढ़ेगी और यह 1.50 करोड़ की आमदनी कम होने की आप बात कह रहे हैं वह अपने आप में घाटा पूरा हो जावेगा, वह कमी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, माननीय वित्त मन्त्री जी और दूसरे मन्त्री जानते हैं कि इस गारन्टी सिस्टम के नाम पर कितने लोगों को ओबलाइज करने की स्थिति में चल रहे हैं। दो साल पहले इन लोगों में 42 लाख बकाया थी। इसके बाद में गारन्टी होल्डर में बकाया और बढ़ती रही। मैं पूछना चाहता हूं क्या गारन्टी होल्डर में जो रकम बाकी है उसकी वसूली नहीं कर सकती यह सरकार? आपने कुछ केसों में पी0 डी0 आर0 में कार्यवाही करने को लिखा। पर वे केस वापिस ले लिये। क्यों? कहने लगे नेगोशियेशन्स चल रहे हैं। मैं माथुर साहब, आपको कहना चाहता हूं, ये नेगोशियेशन्स फेयर डीलिंग नहीं हैं। यह जनता के धन को बेरहमी से हड़पने का ढोंग है। जिस किसी में बाकी है तो उससे ब्याज समेत वसूल किया जाना चाहिये था। कहते ह उनको प्रोटेक्शन देने के लिये कि पर्याप्त मात्रा में हम उनको शराब नहीं दे पाये थे। क्यों नहीं दे पाये? आपके पास मोलेसेस की कमी नहीं थी। भोपाल सागर और गंगानगर शुगर फक्टरी के मोलेसेस आपने

Page No. 88

(श्री भैरोंसिंह)

एक प्राइवेट पार्टी को जिसकी डिस्टिलरी उदयपुर में है उनको ट्रांसफर किये और उसको शराब बनाने का ठेका दिया। आज अफसोस तो इस बात का है कि गंगानगर में आपकी खुद की फेक्टरी में मोलेसेस की कमी है। वे इन मोलेसेस के लिये यू०पी० में भटकते रहते हैं और आप अपने भोपाल सागर के मोलेसेस उधर उस उदयपुर वाली प्राइवेट पार्टी को बेचते रहे हैं। वह उदयपुर की डिस्टिलरी का प्राइवेट ओनर आपकी गंगानगर शुगर फेक्टरी का मेनेजिंग बोर्ड का सदस्य है। वह तो चाहेगा कि उसकी फर्म मालामाल हो जावे और उसकी आमदनी बढ़ जावे और इस गंगानगर शुगर मिल्स को घाटा हो जावे। मुझे यह भी जानकारी मिली है अभी हाल में ही कि उन्हीं उदयपुर की डिस्टिलरी के मालिक श्री फली को एक लाख गैलन शराब गुजरात से इम्पोर्ट करने का लाइसेन्स भी दिया गया है। गंगानगर शुगर फेक्टरी भी यह लाइसेन्स लेना चाहती थी। वह भी चाहती थी कि इम्पोर्ट करने का लाइसेन्स मुझे भी दिया जावे। पर गंगानगर को नहीं दिया गया और उस फली को गुजरात से इम्पोर्ट करने का हमारी सरकार ने दिया। इसमें इस बात की बदबू आती है कि जो स्टेट को इन्कम हो सकती थी उसे लात मारकर प्राइवेट फर्म को प्रोटेक्शन आप देना चाहते हैं जिसने चुनावों के दिनों में राजनैतिक दल को सहायता दी और जिसमें एक्साइज विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे बिना पढ़े लिखे बच्चे कोई 150 रु० माहवार में नौकर है, कोई 200 रु० माहवार में नौकर है। सारे का सारा मजमा उसमें है। इस हालत में एक्साइज डिपार्टमेन्ट के द्वारा सरकारी शुगर मिल गंगानगर को इनकम हो सकती थी, उसकी चिन्ता नहीं की आपने, पर उस सेठ की आमदनी बढ़ाने की चिन्ता की। इस डील में बड़ी बदबू आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने सेल्सटैक्स नहीं बढ़ाया। रियायतें कीं। पिछले साल बजट के समय में सेल्सटैक्स के बारे में जो पावर मिली थी रूल्स में अमेण्ड करके भी आपने सेल्सटैक्स कुछ चीजों पर बढ़ाया। इसके बाद कहते हैं कि हमने तो कुछ रियायतें की हैं, आप तो आज कहते हैं कि रियायतें दीं, पिछले वक्त राज सरकार को हमने कहा था कि जिन पर आप यह टैक्स लगा रहे हैं उनके कारण से 'आपका बिजनेस खतम हो जावेगा और आपकी आमदनी बढ़नी तो दूर रही उल्टी घट जावेगी। आज उसे घटाकर आपने लोगों पर कोई अहसान नहीं किया है, पर अपनी गलती को सुधारा है। उस टैक्स के लगाने से राजस्थान की स्थिति ऐसी बन गई कि अगर मामला बढ़ता जाता तो आपका टर्न ओवर धीरे धीरे कम होजाता और जितनी आमदनी इन टैक्सों से राजस्थान सरकार को मिल रही थी उतनी भी नहीं मिलेगी। इस बात से डरकर इस प्रकार की रियायतें आपने दी हैं और पिछले साल जितना ही टैक्स रखा है। जो बढ़ाया था वह घटाया है। तो यह अहसान नहीं है। बल्कि हमें खुशी इस बात की है कि आपने गलती को महसूस किया है।

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्रीजी कहते हैं हमें इन्डस्ट्रीज से जो इनकम होनी चाहिये थी, उसमें भी कमी हुई है। कमी के कारण आपने कुछ तो नमक को, कुछ सलफेट को बताया। आज राजस्थान की सरकार चाहती है कि इन्डस्ट्री पनपे, उससे आमदनी बढ़े, धौलपुर हाई टेक सरकार ने चलाई, सोडियम सल्फेट का कारखाना बनाया, राजस्थान में नमक का काम लोगों को दिया, राजस्थान में सब कुछ चीजें चलीं, इन सबके बाद भी राजस्थान सरकार को घाटा क्यों हुआ? क्यों होता है?

मैं उदाहरण के रुप में कहता हूं पूरे मन्त्री मण्डल को, सदन के सारे सदस्यों को। हमने व्यवस्था की थी वूल मारकेट में वूल प्रोड्यूसरों को मिडल मैन के प्रोफिट से बचाने के लिये। कहा था हम बुकिंग करेंगे और खरीदेंगे, आज हालत यह है कि बुकिंग के नाम पर 25 लाख रुपये का सरकारी रुपये का हिसाब नहीं। वूल ट्रेड के नाम पर 46 लाख का कोई ठिकाना नहीं। कहां गया क्या हिसाब है? किनको कितना रुपया एडवांस कर दिया कोई हिसाब इसका सरकार को नहीं मिल रहा है, बुकिंग के एकाउन्टिग की दृष्टि से भी एकाउन्ट्स सरकार को नहीं मिल रहा है। वैसी हालत में वूल का ट्रेड यह सरकार कर रही है, फिर घाटा नहीं होगा तो मुनाफा कहां से होगा? यह आज खरीदती है उन्हीं बिचोलियों से, व्यापारियों से और बेचती भी उन्हीं बिचोलियों को, व्यापारियों की मार्फत। यह सारी स्थिति आज वूल के सरकारी ट्रेड की बन गई है। इसमें या तो कमाया है बिचौलिये व्यापारी ने, या कमाया है करप्ट आफीशियल ने। यदि इसमें भी किसी मन्त्री महोदय ने अपने हाथ रंगे हों तो कह नहीं सकता। पर सदन के माननीय मुख्य मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि यह विभाग आज इस स्टेज पर पहुंच गया है कि पिछले हिसाब किताब की कठोरता से जांच नहीं की गई तो इस विभाग द्वारा सरकार को दिये गये घाटे की पूर्ति के लिये कहीं सरकार को जनता पर और टैक्स लगाने की नौबत न आ जावे। इस ट्रेड से गये थे आप मुनाफा कमाने और बिचौलियों को खत्म करके, ऊन के सही उत्पादक को लाभ पहुंचाने, पर यह सब धरा रह गया, उल्टे लाभ पहुंचाया उन्हीं बिचौलियों को और करप्ट अधिकारियों को। और उस पर तुर्रा यह कि उस घाटे की पूर्ति के लिये जनता पर टैक्स और लगाने की नौबत आ सकती है। पर जो पैसा खा गये, उनसे वसूल करने की इस सरकार की हिम्मत नहीं होगी। इसका थ्रेड वीयरिंग और बुकिंग करने वाले, एडवांस करने वाले, पैसा खा गये। गडरिये को वह मिला या नहीं, वूल के ट्रेड से गडरिये को कितना नुकसान हुआ, राजस्थान की सरकार को कितना नुकसान हुआ, यह दखने का अब सवाल है।

इसी तरह धौलपुर हाई टेक का सवाल है। यह मशहूर मामला है। पिछले वित्त मंत्रीजी की वहम पर आपने इसको अपने कब्जे में लिया। 20 लाख उसको कर्जा दिया। पर उसका कोई रिटर्न नहीं मिला। हर साल घाटा ल... गया। पिछली साल बन्द कर दिया।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि यह सदन सतर्क हो तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरुरत नहीं। धौलपुर हाई टैक के अन्दर जिस 30 लाख रुपये का स्टेट को नुकसान हुआ है, उसके लिए हमारे व्यक्तिगत रुप से वित्त मंत्री जी जिम्मेदार हैं। इसी सदन के सलाह के बावजूद भी इस धौलपुर हाई टेक को वित्त मंत्री महोदय ने अपने अधीन लेकर सरकार को घाटे की स्थिति में ला दिया।

सोडियम सल्फेट का जिक्र आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे 123 करोड़ का सारा बजट ही उस पर निर्भर करके चलता है। हमारी सोडियम सल्फेट का कितना प्रोडक्शन बढ़ा? उसके टरवाइन म गड़बड़ी हुई और उसके लिए जर्मनी या जापान से, आई एम नाट श्योर, एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट दी कि इसका जो प्लान्ट है और इसमें इस प्रकार की चीज हमारे कन्ट्री में एवेलेवल नहीं है। वह काम बन्द पड़ा है और सोडियम सल्फेट सस्ते भाव में बेच दिया और 26 हजार रुपये का घाटा उस मामले में हमने खाया, उसका भी मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी जो आमदनी के स्त्रोत हैं उनका सरकार भयंकर रुप से अतिक्रमण करती जा रही है।

पचपद्रा साल्ट की बिक्री हुई और जब हमने विधान सभा में प्रश्न उठाया तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि उसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं है लेकिन विजीलेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पर इसको स्पष्ट किया है कि इसके अंदर लाखों रुपयों का घोटाला है। आप विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट देख लें आपके पास नहीं हो तो मेरे से ले लेना। हमने स्टील फर्नीचर के मामले में यह कहा कि श्री चन्दनमल जी वैद ने अपने भाई की फर्म को ठेका देने के लिए यह सारी गड़बड़ियां की हैं। उस समय हमारी राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें करीब $1\frac{1}{4}$ लाख रुपये का अन्तर आया, उस पर भी सरकार कुछ करने के लिये तैयार नहीं है। नमक के प्लाट्स के एलॉटमेंट के मामले में सदन में कई बार कहा गया कि उनको नीलाम किया जाय और उस नीलामी से जो अधिक आय हो सकती है वह प्राप्त की जाय। प्लाटस नीलाम नहीं होते। पिछली बार यहां मंत्री श्री चन्दनमल जी वैद थे अपने सारे भाइयों को नमक के प्लाटस एलॉट करके चले गये। आज छोटे नमक के मनुफेक्चरार्स के पास सिफारिश नहीं है उनको लीज नहीं मिलती और वह इन-वेस्टमेंट नहीं करते। जिन लोगों ने सरकार से मिलकर मोनोपोली के आधार पर 90 साल की लीज पर प्लाट्स ले लिए, वह आज यों के यों पड़े हैं, उनसे हमारी इनकम नहीं बढ़ी है।

ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो माइन्स की इनकम है, वह तो बढ़नी चाहिए लेकिन इस वर्ष के जो बजट के एस्टीमेट्स दिये हैं, हमारी जो माइन्स से इनकम होनी चाहिए, वह भी गिर गयी है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह लिग्नाइट के ट्रान्जेक्शन की कमी की वजह से है।

श्री भैरोंसिंह : इस कमी के जो कारण बताये हैं, उसके अन्दर लिग्नाइट वाला कारण नहीं है। यह तो बजट में है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिये हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो आमदनी का सोर्स होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, वह भी खत्म हुए। अब मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो सबसे जरूरी बात है। वित्त मंत्री महोदय ने बजट भाषण पर इस साल भी तालियां बजवाई, पिछले वर्ष भी बजवाई। तो या तो वह ऐसा सोचकर चलते हैं कि विधान सभा के शिडयूल्ड कासट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के सदस्य भोले हैं और चाहे जब उनसे तालियां बजवा लें। उनके लिए कहा गया कि 2 लाख रुपये उनके लिए खर्च करेंगे, तालियां बज गयी, तो तालियां ही बजवानी है तो 10 लाख कहकर ज्यादा जोर से बजवालो और अगर 10 लाख से भी काम नहीं चले, तो 50 लाख की घोषणा कर दें। इधर तालियां बजती हैं और उधर माननीय वित्त मंत्री जी का खून बढ़ता है, और बाकी के लोग भी समझते हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है। राजस्थान में लगभग 50 लाख लोग शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं। इन 50 लाख लोगों के लिए हमने क्या व्यवस्था की? पिछली बार जो समाज कल्याण विभाग का बजट था उसमें 1 करोड़ 25 लाख और 59 हजार रुपये का प्रावधान था और रिवाइज्ड में हमने उसको 1 करोड़ 28 लाख रुपया किया और खर्च किया केवल 1 करोड़ 15 लाख रुपया। अब की से हमने 1 करोड़ 18 लाख का प्रोवीजन रखा है। आप इनका सुधार तो करना चाहते हैं, लेकिन जो भी बजट में उनके लिए प्रोवीजन रखा जाता है, वह तो आप पूरा ही नहीं कर पाते हैं। यह शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स का सवाल नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो मेहतरों के लिए बजट प्रोवीजन लेकर चलती है, उसको भी पूरी तरह से खर्च नहीं किया। 1967-68 में अस्वच्छ कार्य के करने वाले लोगों के सुधार हेतु 4 लाख रु० का प्रावधान था और इस रकम में से भी एक पैसा आज तक खर्च नहीं किया गया। अब यह सरकार भंगीयों के पैसे खर्च नहीं करती और उनके पैसे दूसरे कामों में खर्च कर देती है, तो यह सरकार कैसे मानी जा सकती है? भंगीयों के व्हील बरोज के पैसे सरकार खा गयी। टट्टी उठाने के लिए जो व्हील बरोज खरीदे, उसके पैसों से लोगों ने अपना पेट भर लिया। जो पैसा रखा गया, वह खर्च नहीं किया गया....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: पाइन्ट ऑफ आर्डर, भंगी नहीं कहें, हरिजन कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कौन सा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है?

श्री भैरोंसिंह : आप किसी भंगी से कहकर देखें कि वह किस शब्द से खुश होता है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय भंगियों के लिए सहकारी समिति हेतु 1967-68 के बजट में 50 हजार रुपये

(श्री भैरोंसिंह)

का प्रावधान था। यह राशि भी खर्च नहीं की गयी और इसी प्रकार से मेहतरों के मकान बनाने हेतु 67 हजार रुपया का प्रावधान रखा, उसमें से केवल 50 हजार रुपये खर्च किये। अब इससे अन्दाज लगता है कि हमारी सरकार अमुक प्रकार से बजट में घोषणा करती है। पिछली बार भी की और बड़े जोर शोरों से की। बिजली और मकान के लिए प्लाट्स का रिजर्वेशन किया जायेगा। वित्त मंत्री जी बतायें कि कितने हरिजनों को प्लाट्स इस रिजर्वेशन की स्कीम में मिले हैं। रूरल ट्रेनिंग सेन्टर की घोषणा भी की थी, आप बतायें कि आपने उस दिशा में कितना काम किया ? उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योगों में जहां आपने हरिजनों के हित के लिये रकम रखी थी उसमें ज्यादा रकम आप वालटरी एजेन्सीज को दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 17 लाख रुपये की सहायता दी और अब यहां चाहते हैं कि जो कुटीर उद्योगों के लिये 1 लाख 51 हजार रुपये का प्रावधान है, वह दिया जाये व्यक्तिगत लोगों को और 6 लाख 50 हजार रुपया वालटरी एजेन्सीज को दिया जाए। पिछली बार जितनी घोषणायें कीं, वह पूरी नहीं हुईं और इस बार जो घोषणायें कर रहे हैं बिजली और पानी के लिये 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। हाई स्कूल और हायर सैकेन्डरी के छात्रों को छात्रवृत्ति 10 रुपये बढ़ाई है। यह सब बातें रखकर आपने कम से कम माना है कि हम हरिजनों के विकास के लिये चर्चा करते हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने कुटीर उद्योगों के संबंध में जितनी धनराशि का निदान किया था, उस धनराशि के अन्दर जो रुपया हम लोग कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिए दे सकते थे, वह रुपया इन्डीविजुअल को कम दिया गया, किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया बल्कि सारी की सारी रकम, पूरी की पूरी रकम जिसको पंचायत समिति की मार्फत खर्च होना चाहिए, छोटे-छोटे उद्योगों में खर्च करना चाहिए था, वह पूरी की पूरी रकम खादी बोर्ड को देदी, और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के नाते किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है।

और रूरल सेनीटेशन के बारे में जो प्रावधान पिछली बार रखा था 1 लाख 38 हजार का और रिवाइज्ड में 1 लाख का किया और अगली बार केवल 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा है। इसका मतलब यह है कि रूरल हैल्थ एण्ड सेनीटेशन के बारे में भी हमें किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं है।

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आखिर राज्य सरकार सारे मद अपने सामने रखकर चलती है। राज्य सरकार कभी भी इस प्रश्न पर विचार करके नहीं चलती कि हम अपनी पूंजी को किस प्रकार से इनवेस्ट करें। अब तक हमने 5 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे आज जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वह केवल 3½ पर्सेन्ट है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी हमने इनवेस्टमेंट किया, उसके रिटर्न भी किसी प्रकार से सेटिस्फेक्टरी नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी तो

(श्री भैरोंसिंह)

बारबार कहा करते हैं कि राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इतनी साउन्ड है कि जितना रुपया मिलता है उसको हम खर्च कर देते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और निर्माण मंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार ने सीमा क्षेत्रों में जो सड़कें बनाने के लिए रुपया दिया, उसमें 56 लाख सरेन्डर किया। भारत सरकार को गलत कहते हैं कि वह पैसा नहीं देती। यह शिकायत हो सकती है उसके साथ यह सदन भी भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल सकता है, लेकिन बोर्डर रोड्स के लिए जो मनी का एलॉटमेंट किया उसमें लाखों रुपयों का सरेन्डर करना हमारी अकर्मण्यता का द्योतक है।

अब मैं कुछ राजस्थान कैनाल के बारे में कहूंगा। यह सदन स्वयं इस मत का है कि राजस्थान कैनाल का पूरा खर्चा भारत सरकार को वहन करना चाहिए। राजस्थान की सरकार भी कई बार कहती है कि इस खर्चे को वहन करने के लिये हमने भारत सरकार पर दबाव डाला है। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इस सदन के सभी सदस्य मिलकर भारत सरकार के ऊपर इसका दबाव डालें कि राजस्थान कैनाल को केवल इर्रीगेशन प्राजेक्ट नहीं माना जाय बल्कि इसको डिफेन्स का प्रोजेक्ट माना जाय।

भारत सरकार हमें पैसा देना चाहती है। हम अपने रिसोर्सेज पूल नहीं कर पाते, इसलिए जो 5 करोड़ का प्रावधान पिछले दो वर्षों में चलता आ रहा है, इस वर्ष हमें केवल 3 करोड़ का प्रावधान उसमें रखने की जानकारी दी गई है, और अब ये कहते हैं कि भारत सरकार ने 25 करोड़ का एक अलग प्रावधान कर रखा है, उसमें से राजस्थान कैनाल के लिये 7 करोड़ रुपया मिल जायगा। सारे भारत के लिए 25 करोड़ रुपया रखा गया है, उसमें से राजस्थान को 7 करोड़ मिल जायगा, म इस बात पर विश्वास करके नहीं चलता हूं।

एसी स्थिति में राज्य सरकार को कुछ मितव्ययता के आधार पर यहां करना है। राजस्थान सरकार मितव्ययी नहीं है यह मानी हुई बात है। पिछले वर्ष मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 2,32,00,000 रु० की मितव्ययता की जायगी। सदन ने तालियां बजाई थीं कि वास्तव में अब कुछ खर्चे में कटौती हो रही है, लेकिन आपके बजट के आंकड़े फिर सिद्ध करते हैं कि आपका रेवेन्य एक्सपेन्डीचर बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर जिस पर्सेन्टज से वह बढना चाहिए उसके एवज में रेवेन्य एक्सपेन्डीचर बढता जा रहा है। वह मितव्ययिता हुई नहीं। उस मितव्ययिता के नाते राजस्थान सरकार को कितनी बचत हुई, यह अगर मंत्री महोदय बता दें, तो हम भी समझ कर चले कि जिस 2,32,00,000 रु० की मितव्ययिता की बात हमारे मंत्री महोदय ने यहां पर की थी, वह वास्तव में सही है। मितव्ययिता का नारा थोथा है और यह सरकार उसको लगा भी नहीं सकती जो कि 35-36 मंत्रियों का 184 के हाउस में इतना बड़ा मंत्रीमण्डल लेकर चलती है, उस सरकार से कोई

(श्री भैरोंसिंह)

आशा नहीं की जा सकती कि वह सरकार किसी भी प्रकार की इस संबंध में कोई कार्यवाही कर सकेगी, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कई बार कहा है और अब भी कहना चाहता हूं कि हमारे सारे ऑफिसर्स को, यह सदन सुनकर ताज्जुब करेगा, 30 लाख रुपये स्पेशल पे के रूप के अन्दर दिये जाते हैं। यह 30 लाख रुपये की रकम केवल ऑफिसर्स को इसलिए कि यदि डाइरेक्टर आफ एनीमल हस्बेन्डरी ने चूंकि फिशेरीज डिपार्टमेंट का काम किया है और फिशेरीज डिपार्टमेंट अलग है तो उसके लिए उसको 250 रु० का एलाउन्स, सेक्रेटेरियेट में सेक्रेटरीज हैं उनको स्पेशल पे या और किसी तरह का एलाउन्स, किस को किस प्रकार का एलाउन्स दिया जाता है। 30 लाख रुपये का सरकारी अधिकारियों को यह स्पेशल एलाउन्स मिलता है। राज्य सरकार अगर मित्तव्ययिता करना चाहे, तो एक झटके से 30 लाख रुपये की कटौती की जा सकती है और राजस्थान की जनता को टैक्सों से बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार जब ये बातें करते हैं कि हमारी सरकार ने जागीर पुनर्ग्रहण की, यह कर दिया, वह कर दिया, मैं आज यह कहता हूं कि हमारी सरकार की आदत ऐसी बन गई है, आज ही एक मामला मेरे ध्यान में आया है टोंक के नवाब साहब का। आज हमारी सरकार राजाओं को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देना चाहती, लेकिन टोंक के नवाब साहब ने सन् 47 में अपनी तीन बहनों की जागीरें रिज्यूम की थीं, जागीर रिजम्पशन के पहले। जिस समय यह नये नवाब साहब आये, मैं नाम नहीं जानता, इनके पिताजी ने उनकी जागीरों को जप्त किया और जप्त करने के बाद नये नवाब साहब ने एक बार कौन्सिल की मीटिंग की और इन तीनों जागीरों को रेस्टोर नहीं किया, और रेस्टोर नहीं करने के कारण जो इन तीन महिलाओं को मेन्टीनेन्स एलाउन्स मिलता था, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जागीर रिजम्पशन सन् 1956 से शुरू हुआ और 65-66 तक सम्पूर्ण राजस्थान में जागीर रिजम्पशन हो चुका था। उस समय इन महिलाओं को मेन्टीनेन्स एलाउन्स मिलता था, लेकिन कुछ सरकारी व्यक्तियों से मिलकर नवाब साहब को किस प्रकार से ओब्लाइज किया जाय, उनको ओब्लाइज करने के लिए, इन तीन जागीरों को आज हमारी राजस्थान की सरकार इस आधार पर कि नवाब साहब ने अपनी कौन्सिल की मीटिंग में इन तीन जागीरों को 1948 में रेस्टोर कर दिया था, जागीर पुनर्ग्रहण कानून के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण करके 6 लाख का कम्पेन्सेशन देने का सोच रही है। यह सरकार कहती अवश्य है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो नवाब साहब ने रेकार्ड बनाया है वह काफी ठोस है, लेकिन उस पर पोलिटिकल एजेन्ट की सैन्क्शन होनी चाहिए, वह सैंक्शन नहीं है।

इस प्रकार के कई मामले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन मामलों को कई बार इस सदन में मैंने कहा है कि सर्विस रूल्स को एमेरिकन पैटर्न पर एमेंड करना पड़ेगा। जिस अधिकारी की गलती के कारण राजस्थान सरकार को फाइनेन्शियल लॉस होता है उस लास को मीट आउट करने के लिए उसके

Page No. 95

(श्री भैरोंसिंह)

ऊपर इस प्रकार की पैनाल्टी इम्पोज की जाय कि उसकी तनख्वाह से वह रकम सारी की सारी वसूल हो। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार इस स्थिति में आजाय तो इस्तिफा देने के लिए बेट करना पड़े तो मैं इस्तिफा देने को तैयार हूं, लेकिन राजस्थान में एक नहीं बल्कि हजारों केसेज इस प्रकार के करप्शन के मैंने निकाल दिये हैं और निकाल दूंगा और एन्क्वायरी उनकी ठीक प्रकार से कम्पाइल करके सदन के सामने रखने की चेष्टा करूंगा कि राजस्थान में एक-दो लाख नहीं एक करोड़ रुपये की इनकम करप्शन के चार्जेज से हो सकती है। उदाहरण के रूप में मैंने हथियारों का मामला उठाया, नमक का मामला उदाहरण के रूप में उठाया, स्टील फर्नीचर का मामला उठाया, इन सारी चीजों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद पता होगा कि सरकार के जिन अधिकारियों के माध्यम से जनता का धन लूटा गया है, उनसे बाकायदा कानून में संशोधन किया जा कर रिकवरी की जा सकती है। यह तो पुराना एकाउन्ट है, लेकिन आज जिन लोगों के पास में बकाया है, चाहे वह टैक्स का पैसा हो, चाहे सेल्स टैक्स का हो, चाहे पेसेन्जर टैक्स का हो, चाहे मनोरंजन कर का हो, चाहे और किसी प्रकार का टैक्स हो, उनसे आप पैसा वसूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि मंत्रियों में खुद में क़र्ज का पैसा बकाया है। मंत्रियों ने समय पर पैसा नहीं चुकाया है तो दूसरे लोगों से कर्जा वसूल करें, एसी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी ने चाहे इस चीज को बजट से अलग रखा है कि कितनी वसूली करना है, किस-किस मद के अन्दर वसूली करना है, अगर यह राजस्थान की जनता को बता दें तो बजट की सही चीज लोगों को मालूम हो जायगी कि इतने रुपये का ऋण है जो कि सरकार को वसूल करना चाहिए, वह वसूल नहीं कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि न तो सरकार को वसूली की चिन्ता है, न सरकार की अपनी इकोनॉमिक जेनेरेटिंग की स्थिति है, और न हमारी सरकार को राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसकी चिन्ता है, न राजस्थान सरकार को किसानों की चिन्ता है, राजस्थान सरकार को तो अपने एक्जिस्टेन्स की चिन्ता है। इस एक्जिस्टेन्स के लिए हमारी सरकार जिस तरह से चाहे खर्च करती हुई चल रही है।

हमारे प्लानिंग का प्रथम वर्ष और चुनावों का वर्ष एक ही समय में पड़ता है। हमारा 51-52 में प्रथम चुनाव शुरू हुआ और 56-57 में खत्म हुआ है। 56-57 में जो प्लान सीलिंग था उसमें ज्यादा खर्चा हुआ है, और जो रेवेन्यू ऐस्टीमेट्स थे, उनसे ज्यादा खर्चा हुआ है। इसी प्रकार से 61-62 का बजट उठा कर देख लें। बजट में उल्लिखित किया गया, उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। इसी प्रकार से 66-67 का बजट देखें। उसके अन्दर भी अतिरिक्त खर्चा हुआ है। यह पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होता है। राज्य सरकार के पास आय के साधन बहुत होते हैं। उन आय के साधनों को चुनाव जीतने के लिए जिस बेरहमी से खर्च किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, वह खर्च अगले वर्ष के बजट के अन्दर कई दिक्कतें पैदा करता है। तीन चुनावों के प्रथम और दूसरे वर्ष का तुलनात्मक विवरण देख लें तो आप को पता लगेगा कि एड हॉक ऋण लेकर चले हैं, ओवर ड्राफ्ट लेकर चले हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री भैरोंसिंह)
राजस्थान कैनाल के लिये जो पैसा मिला था उसका उपयोग हमने 66-67 में अकाल के नाम से पी०डब्लू०डी० में खर्च किया है और जो अतिरिक्त भार जनता पर डाल दिया उससे जो कर्जदारी हुई थी, आखिर कर्ज हो तो देना पड़ता है, और कर्ज की रकम को चुकाने के लिए और फाइनेन्स पर कन्ट्रोल नहीं करने के कारण से किस प्रकार से लेप्सेज क्रियेट होते हैं और वह लेप्सेज क्रियेट करते जा रहे हैं।

यह जो आपने बजट प्रस्तुत किया है यह राजस्थान की वित्तीय स्थिति को नये तरीके से और ठीक मार्ग से मोड़ देने वाला नहीं है। यह सारा तरीका इस प्रकार का है जिससे हमें पता लगता है कि अगले वर्ष में हमारी स्थिति और भी भयंकर होने वाली है, अगर हमने सावधानी से काम नहीं किया तो।

इस प्रकार से मैं अपने विचार प्रकट करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(3 म० प०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जानना चाहूंगा, टोंक नवाब की जागीर के रिजम्पशन का नोटिस क्या अभी इशु किया गया है ?

श्री भैरोंसिंह : अभी इशु नहीं किया गया। टोंक नवाब के तीन जागीरें थीं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौनसे साल में नोटिस इशु किये ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे खयाल से गत वर्ष में। मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जागीर रिज्यूम हुई है, उसको जागीर मान लिया है। वह पहले जागीर नहीं थी, टोंक स्टेट की प्रोपर्टी थी, नवाब साहब की निजी प्रोपर्टी नहीं थी। स्टेट की प्रोपर्टी से उसको निकाल दिया। पहले मेन्टीनेन्स मिलता था, मेन्टीनेन्स आज भी मिलता है, लेकिन उसको जागीर मान लिया गया है और कंपेनसेशन देने की कार्यवाही की जा रही है। इन्होंने क्लेम पेश नहीं किया तो क्या हुआ, क्लेम मंजूर किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न यहां नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि जागीर थी नहीं उसको जागीर किस प्रकार माना जा रहा है,.....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कार्यवाही कौन कर रह है ? राजस्व मंडल या जागीर कमिश्नर ? कम्पेन्सेशन मिल गया क्या ?

श्री भैरोंसिंह : कम्पेन्सेशन मिलने की स्थिति में है। एवार्ड के लिये जागीर मान लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : किसने माना है ? गवर्नमेन्ट ने माना है या जागीर कमिश्नर ने ?

श्री भैरोंसिंह : दुःख इस बात का है कि मंत्री जी को पूरा पता है, मुझ से पूछ रहे हैं..

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे बिल्कुल पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात का खेद है कि आपको पता नहीं है। आप खुद मालपुरा से जीत कर आये हैं, टोंक से जीत कर आये हैं। टोंक की एक-एक गली और एक-एक व्यक्ति से परिचित हैं, नवाब साहब को ओब्लाइज कर दिया और आप कहते हैं कि

(श्री भैरोंसिंह)
आपको इसकी जानकारी नहीं है उनकी जागीर रिज्यूम नहीं की जा सकती थी, पहले टाइटल के लिये संघर्ष किया फिर टाइटल मान लिया गया । अब जागीर रिज्यूम होकर कम्पेन्सेशन देने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे कह रहा हूं कि यह मामला मेरे नोटिस में कभी नहीं आया । मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही जागीर कमिश्नर कर रहा है या कौन कर रहा है ? अब तो मेरे नोटिस में आने का सवाल नहीं है क्योंकि यह महकमा मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं संबंधित मिनिस्टर था तब भी मेरे नोटिस में नहीं आया ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि मंत्रीजी को जानकारी थी इसलिये कर दिया आप जबर्दस्ती बीच में ही क्यों खड़े हो गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप गवर्नमेन्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि 6 लाख रुपये कम्पेन्सेशन के दे रहे हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि मामले का पता किसके यहां लगावें । जहां तक गवर्नमेन्ट का संबंध है, गवर्नमेन्ट तक यह मामला आया नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : लड्ढा साहब को पूछ लीजिये । टाइटल के कागजात तैयार किये थे उस समय वे जागीर विभाग के उप मंत्री थे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया ।

श्री भैरोंसिंह : कोई उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार नहीं है । मैंने सदन को केवल जानकारी दी है । मंत्रीजी या उप-मंत्रीजी जानना चाहें तो मैं डेट्स वगैरा सब बता दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमुवारामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में वित्त मंत्री महोदय ने 68-69 का बजट प्रस्तुत किया उसके बारे में आज मैं कुछ निवेदन करूंगा । सन् 50 से 69 तक जितने विकास कार्य करने का वित्त मंत्रीजी ने बजट भाषण में जिक्र किया है उसके संबंध में मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा । राजस्थान बनने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस प्रान्त में जितने भी विकास के कार्य किये हैं उनका 20 सालों का विवरण वित्त मंत्रीजी ने दिया है । इस संबंध में मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि यदि कोई साधारण व्यक्ति यह देखे कि इन्होंने 20 साल के जो आंकड़े दिये हैं सन् 51 से 69 तक के उनको देख कर साधारण व्यक्ति यह कह सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने जो विकास किया है वह बहुत ज्यादा है, यदि वर्षों को ध्यान में नहीं रखा जाय तो हरेक यही कहेगा कि बहुत काम किया है । लेकिन मैं कहूंगा कि जो 20 साल के लंबे चौड़े विकास के आंकड़े दिये हैं और जो विकास 20 साल में किया है वह नाममात्र का ही है । कोई भी अक्लमंद आदमी नहीं कह सकता कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है ।

दूसरी बात, मैं आपने जो सिंचाई के बारे में कहा है उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । इस संबंध में सन् 50 से 59 तक 60 पर्सेन्ट सिंचाई के साधन बढ़ाने के आंकड़े दिये हैं । लेकिन जो आपने इस पर खर्चा

Page No. 98

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

किया है वह 57 प्रतिशत । चालू वर्ष में योजना के द्वारा इस वर्ष खर्च का प्रावधान है और पिछले वर्षों में भी 50 प्रतिशत से कम खर्च नहीं किया गया । इतना खर्चा करने के बाद, मैं निवेदन करूंगा कि अगर साल के हिसाब से आंकड़े निकाले जायं तो साढे तीन प्रतिशत हर साल आपने सिंचाई के साधन बढ़ाये हैं । साढ़े तीन प्रतिशत साधन सिंचाई में कोई आपने ज्यादा बढ़ाये यह कोई बड़ी बात नहीं है । जो साधन आपने बढ़ाये हैं वे बहुत ही कम हैं । यदि आपके स्थान पर कोई दूसरी सरकार होती तो सिंचाई के साधन कई गुणा अधिक बढ़ जाते । मेरे इलाके की सिंचाई की हालत का उदाहरण आपको दूं । वह यह कि जमुवांरामगढ के बांध से जिस भूमि की सिंचाई होती थी उस बांध से सिंचाई बन्द करने पर उसकी एवज में चंदराई बांध बनाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी क्योंकि जमुवारामगढ़ बांध से सींची जाने वाली भूमि महरूम रह गयी थी उस भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए आज से 10 साल पहले योजना बनी थी और 10 साल पहले से ही 16 लाख रुपये की मंजूरी भी हो गई थी । सरकार का सर्वे व स्कीम बनने पर खर्चा भी हुआ है लेकिन काम चालू नहीं हुआ । हजारों एकड़ जमीन सिंचाई के बगैर बेकार पड़ी है । और उस जमीन की सिंचाई कुओं से करने का यदि प्रयत्न करें तो उन कुओं का पानी इतना खारा है कि उससे सिंचाई नहीं हो सकती । उल्टा फसलों को खारे पानी से नुकसान होता है । जिस चादराणा बांध के बारे में मैंने कहा है उसी के बारे में मथुरेश बिहारी जी 5 साल तक कहते रहे और मूलचन्दजी भी कहते रहे, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता । जिन लोगों की जमीन जमुवारामगढ़ में सिंचित होने से रह गई है उनके लिये पूरी व्यवस्था होनी चाहिये इसके बारे में मैं वित्त मंत्री से

(3.07 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

निवेदन करूंगा कि वहां का सर्वे हो गया है इसलिए आप इस काम को पूरा कराने की कृपा करें ।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने लंबी चौड़ी प्रशंसा करके 9·5 से 14 तक बढ़ाने का चित्र दिया है मैं कहना चाहता हूं कि 20 साल में आपने कौनसा बड़ा काम कर दिया है । सड़कों वाले मामले में आपने प्रशंसा के रूप में कहा है यह बात प्रशंसा के रूप में नहीं कही जा सकती दौसा से पापड़छा होती हुई 15 मील की सड़क मंजूर हुई थी । सेंक्शन होने के बाद 5 मील का टुकड़ा ही बन पाया अब उस पांच मील के टुकड़े की यह दशा है कि वह टुकड़ा भी टूट गया है · · · ·

श्री दिग्विजयसिंह : यह योजना है !

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह योजना की बात इसलिए बता रहा हूं कि जो आंकड़ आप देते हैं, वे गलत हैं क्योंकि सड़कें बनी नहीं और आंकड़े बन जाते हैं । यह तो मैंने सरकार की तरफ से आंकड़े दिये जाते हैं उसका जिक्र किया है । मैं अपने इलाके के बारे में जो सड़कों की मांग है वो तो मैं बाद में बताऊंगा कट मोशन के द्वारा । इसी तरह दूसरी सड़क, दौसा से लवाण है, सेंक्शन हुई थी, वह बीस मील का टुकड़ा था । यह भी आकड़ों में शामिल है । उसमें भी पांच मील

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

का टुकड़ा आपने बनाया है और पांच मील का टुकड़ा बनाने के बाद वह सड़क भी अधूरी पड़ी है। इस साल के बजट में करीब सात करोड़ रुपया सड़क निर्माण कार्य में खर्च करने के लिए इस वर्ष रखा है। लेकिन जयपुर जिले की एक छोटी सी सड़क निर्माण का बजट में प्रावधान है। यह भी सरकार की गलत नीति की प्रकाष्ठा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सड़क सरकार ने ज्यादा बनाई हो या सही बनाई हो या सही नीति से बनाई हो ऐसी बात नहीं। सरकार का केवल ढोल पीटना मात्र है।

इसके अलावा बजट के अन्दर बिजली के संबंध में काफी प्रशंसा की है कि बिजली इतने कुओं को दी है, इतनों को देनी है, इतनी बस्तियों को बिजली दी है। मैं बिजली के संबंध में एक बात बताना चाहूंगा कि आप लम्बी-लम्बी लाइनें खींच देते हैं, उनसे लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि लम्बी लाइन में जितने भी पोल और वायर लगते हैं वह बेकार जाते हैं, और जिन कुओं को बिजली मिलनी चाहिए उनको भी नहीं मिल पाती है। इस संबंध में मैं कहना चाहूं कि आज के छ साल पहले जब कि जोशी जी ने चुनाव लड़ा था उस टाइम दौसा से लालसोट तक लाइन खींच दी गई, लेकिन उस लाइन को खींचने से न तो बिजली प्राप्त हो सकी और न ही मेटीरियल काम में लाया गया जो कि उसका ही उपयोग होता। मैं कहना चाहता हूं कि इधर एक प्रश्न उठा था कि बगरू लाइन में एक बहुत लम्बी लाइन खींच दी है लेकिन बिजली एक कुए में दी गई है। तो उसका क्या उपयोग हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जो लम्बी-लम्बी लाइनें खींची जाती हैं और इस तरह सामान को बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं करके आपको चाहिए कि जहां भी बिजली दें वह कम खर्च से मिले और कम खर्च से वह देनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि यह बिजली जहां चाहते हैं वहां दें, और ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने का सवाल है। इसके विपरीत आप लम्बी लाइन खींच दें और एक कुए को ही बिजली दें तो इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसके साथ ही वित्त मंत्री महोदय ने वित्तीय स्थिति पर जिन कारणों से इस वर्ष, के बजट पर असर पड़ा उन बातों का जिक्र किया है। और उन कारण की वजह से आपने अठारह करोड़ का, एडहॉक ऋण लेने की भारत सरकार से कोशिश की है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो राजस्थान नहर की जमीन के नियम नहीं बनने की बजह से नहीं बेची गई उसमें 5 करोड़ 19 लाख रुपये की कमी आई है। यह किसकी भूल से आई है? मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी अधिकारी हैं, उन्होंने समय पर नियम बना कर नहीं दिये, इस कारण से 5 करोड़ 19 लाख की कमी का असर पड़ा। यदि आप उन अधिकारियों को कुछ भी नहीं कह तो यह इस कांग्रेस सरकार की, या मंत्री महोदय की, या जो भी उत्तरदायी हों उनकी जबरदस्त भूल है। यदि यह 5 करोड़ 19 लाख रुपया इस बजट में शामिल होता तो हमको इतना कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होती।

दूसरा असर ऋण की वसूली नहीं होने से 4 करोड़ 16 लाख की कमी के कारण

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

हुआ है। यह ऋण की वसूली नहीं होने की वजह से 4 करोड़ 16 लाख, और राजस्थान नहर की जमीन के बेचने में 5 करोड़ 19 लाख– इन दोनों को मिला कर 9 करोड़ 35 लाख की कमी हो जाती है, अगर यह नहीं होती तो यह जो 18 करोड़ का ऋण, एडहॉक ऋण भारत सरकार से लिया है, यह ऋण आपको नहीं लेना पड़ता और अगर यह ऋण लिया भी है तो यह जो 9 करोड़ 35 लाख की धनराशि थी इसको खर्च करके आप विकास के काम कर सकते थे और आपकी जो राजस्थान नहर की योजना है, उसमें यह लगती तो यह बहुत काम में आ सकती थी। इसलिए आपका जो ऋण वसूली का तरीका है, वह राजस्थान सरकार का बहुत गलत तरीका है।

इसी तरह से एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कॉर्पोरेशन और लॉटरी विभाग खोलने की घोषणा वित्त मंत्रीजी ने की है, यह फालतू का खर्चा है। यह नये डिपार्टमेन्ट खोलेंगे, इससे ज्यादा खर्च बढ़ेगा और इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। यह जो नये डिपार्टमेन्ट आप खोलेंगे, इनमें केवल उन लोगों को आप प्रोत्साहन देंगे, उन लोगों को लगायेंगे जो कांग्रेस के हारे हुए लोग हैं। उनको उन डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर लगा देंगे, इसलिए इन विभागों की आवश्यकता नहीं है। एक यह जो लॉटरी सरकार द्वारा खोली जाने की घोषणा की है यह गलत है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा जो सरकार जूआ खेलने के लिए जनता को मना करती है वह सरकार स्वयं जूआ खिलाने की योजना चालू करने की कोशिश करे, तो मैं कहता हूं कि इसका आम नागरिक के मस्तिष्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। जूआ खेलने वाला मामला है, इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार लोगों को जूआ खेलने की छूट दे दे, क्यों नहीं एक मंत्री को मंत्री पद पर नियुक्त कर उसे जूआ खेलने की छूट दे दे कि तुम जूआ खेलो और राज्य की आमदनी बढ़ाओ। आप कहते हैं कि हम एक लॉटरी प्रथा चालू करेंगे, तो उसमें मसलन एक लाख रुपयों के टिकिट जनता को बेचेंगे तो उसमें से कुछ रुपया आप इनाम के रूप में यानि चौथाई हिस्सा निकाल देंगे और बाकी जनता का रुपया सरकार खा जायगी। यह जूआ ही तो है इसलिए सरकार को जूआ खेलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इस प्रकार ...

श्री रामकिशन : चिट फंड खोल दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इससे बेहतर होता कि आप उद्योगों को पनपाते, उसके साथ-साथ खनिज पदार्थों के ऊपर ध्यान देते तो इससे काफी रुपया मिल सकता था।

इसके अलावा दूसरी बात आपने टैक्सों के बारे में कही। टैक्सों के बारे में बड़ी उदारता के साथ वित्त मंत्रीजी ने कहा कि हमने इतने टैक्स कम कर दिये हैं, यह टैक्स खत्म कर दिये हैं। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, थोड़े बहुत कम किये, इससे कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, उसमें मुझे एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता था कि टैक्स कम करते समय आपको पिछड़े लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये था, उसके साथ साथ यह विचार करना चाहिए था कि जो पिछड़ा हुआ तबका है, उनके ऐसे धन्धे हैं जिनके ऊपर हमने टैक्स लगा रखा है, उनके टैक्सों पर छूट देनी चाहिए थी। मैं एक ोटा सा

(श्री डूंगाराम राजौरिया)

उदाहरण दूं, मैं आपको चमड़े का उदाहरण देता हूं, उस पर पहले टैक्स नहीं था, लेकिन उस पर दो पर्सेन्ट टैक्स लगाया गया, और अब 3 प्रतिशत कर दिया गया है। अब आप इस पर विचार कीजिए कितना गन्दा धन्धा यह है। इस धन्धे में कोई भी काम करने में असमर्थ होगा, यह धन्धा कोई भी कभी नहीं करना चाहेगा फिर भी लोग अपना पेट पालने के लिए यह धन्धा करते हैं। उस पर भी आप तीन पर्सेन्ट टैक्स लगायें, यह बहुत बुरी बात है। अगर आप टैक्स कम करते हैं तो इसमें भी आपको छूट देनी चाहिए, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। यह गन्दा धन्धा है, इस धन्धे में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, दूसरे लोग इस धन्धे वाले को घृणा करते हैं, इसलिए आपको इस टैक्स को बिल्कुल माफ कर देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बोलना है।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के व्हिप ने जो समय दिया था वह समाप्त हो गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया: मेरा निवेदन है कि मुझे जिस विषय पर बोलना था वह मेरा विषय अब आ रहा है।

श्री सभापति : (माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) आपस में बात मत करियें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं कहना चाहता हूं कि आपने ऊन के ऊपर भी टैक्स लगा रखा है (मुख्य सचेतक, स्वतंत्र पार्टी से) मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, आप नाराज मत हों। ऊन पर भी दो पर्सेन्ट तीन पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाया गया था इसलिये ऊन पर से भी टैक्स हटा देना चाहिए क्योंकि ऊनी धागे पर आपने एक पर्सेन्ट ही लगा रखा है। धागे पर टैक्स है, तो ऊन पर क्यों धागा कच्ची ऊन से ही तो बनाया जाता है। इसलिए जो कच्ची ऊन पर तीन पर्सेन्ट टैक्स है, उस टैक्स को आपको हटा देना चाहिए। इसकें अलावा और भी टैक्स जो छोटे कौमों के धन्धे पर लागू हैं, उसको आप कतई हटा दीजिए। आप कहा करते हैं कि हम छोटी कामों के लिए उदारता बरतते हैं।

इसके साथ ही में मद्य निषेध के बारे में निवेदन करूंगा। मैं उन कामों का हूं, उन कामों की तरफ से चुन कर आया हूं जिन कौमों के अन्दर आपने शराब पीने की प्रवृत्ति डाल रखी है। उनको शराब नहीं चाहिए, मैं सरकार से कहता आया हूं लेकिन सरकार ने अपनी आमदनी का जरिया बना रखा है, गरीबों का खून चूसती रही लेकिन इसकी सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है। अभी आपने दो तीन जिलों में शराबबन्दी की है, यह बहुत अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन बाकी जितने जिले राजस्थान में हैं, उन जिलों में क्यों नहीं यह लागू करें। उन जिलों में भी बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं। क्या उन जिलों में दिक्कत लोगों की शराब के कारण नहीं बढ़ती है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको मद्य निषेध करना है तो सारे राजस्थान में करना चाहिए। सारे राजस्थान म शराब बन्द करने के साथ ही जो इन्कम शराब से होती है उसके लिये दूसरे जरिये पैदा करन चाहिये, और सारे

(श्री डूंगाराम राजौरिया)
राजस्थान में मद्य निषेध को लागू कर दीजिए ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बारे म कहा गया है। आपने दस लाख रुपयों में पिछड़े लोगों की बस्तियों में बिजली लगाने के बारे में कहा । आप जो बजट भाषण में इस तरह की बातें कहते हैं उससे हमें घृणा होती है। चिढ़ सी होती है। आप से पूछना चाहता हूं कि बीस साल से इन बस्तियों में बिजली क्यों नहीं लगी। जबकि बीस साल से बिजली का उपभोग करने के बाद अब आप उन बस्तियों को बिजली दें और देने के बाद आप अहसान जतायें। यह कहां का न्याय है? यानि समाज कल्याण विभाग से आप हम पर अहसान थोप रहे हैं। जो रोशनी में रहे उनको बिजली दे रहे हैं, वह समाज कल्यांण के थ्रू दे रहे हैं। समाज कल्याण के थ्रू हमारे लिए बिजली दे रहे हैं, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को बेवकूफ बनाकर गये बजट में आपने कुछ प्रावधान रखा था हमारे लिए नल लगाने के लिए कहा था। पानी आप पियें, हम प्यासे रहें। बिजली की रोशनी में आप रहें और हम अंधेरे में रहें । सड़कों पर आपको जो सुविधाएं मिलें वह हमारे लिए नहीं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है। मगर सुविधाएं दी जाती हैं तो हम पर अहसान जताया जाता है। हम सड़कों पर चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जितनी सुविधाएं मिलती हैं, सब आपके अहसान से मिलती हैं ! सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि शिडयूल्ड कास्टस के लोगों के लिए कोई सुविधाएं देते, जिससे वह पनपते, जिससे उनके धन्धे पनपते तो हम मानते कि आपने उन कौमों के लिए थोड़ी बहुत सुविधा रखी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने जो दस लाख का बजट उसमें रखा है, यह इसलिए कि बिजली की सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिलाई जाएगी। यह दस लाख का बजट समाज कल्याण को दिया गया है। उन कौमों के लिए उन जातियों के लिए जो पिछड़ी हुई हैं....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

पांच मिनट का टाईम और चाहता हूं ।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह कैसे अफसोस की बात है कि 70 लाख का प्रतिनिधि बोल रहा है और कांग्रेस की बेंचें खाली हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हम बैठे हैं। क्या हम नहीं बैठे हैं ?

श्री रामकिशन : आप इसलिए बैठे हैं कि आपको सड़कों की बात सुननी है ।

श्री रोशनलाल : हम बैठे हैं, खाली कहां हैं ?

श्री रामकिशन : आप हमारे साथ आ गये हैं।

श्री डूंगाराम: मैं यह कहना चाहता था..

श्री रामकिशन : ये बेंच खाली हैं ।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं कहता हूं कि मैं सार्वजनिक महत्व की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैं कहता हूं कि समाज कल्याण के अन्तर्गत कुए बनवाने, मकान के लिए अनुदान देने, और गांवों में प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के नाम पर छात्रवृत्ति देने का काम चलता है। इस संबंध में कई मामले सामने आये हैं कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए, मकान बनवाने के लिए, कुए बनवाने के लिए सरपंच और नेता लोग पैसे ले जाते हैं। और खा जाते हैं आज तक उन रुपयों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर लोग पैसा ले जाकर खा जाते हैं। जो समाज कल्याण के जरिये से पैसा उनके कामों के लिए दिया जाता है उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। और शिड्यूल्ड कास्ट वालों का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उनके धन्धे पनपाने चाहिए और उनको सीधे डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से लोन मिलना चाहिए।

इसके अलावा छोटी जोतों पर लगान की छूट देकर सरकार ने कर वापिस लगा दिया है उसके बारे में भी निवेदन करूंगा। इससे तो यह अन्दाजा होता है। जिस वक्त आपने सरकार बनाई उस वक्त इन लोगों को भुलावे में डालने के लिए और जोकि राजस्थान में इस प्रकार की भावना पैदा हो रही थी कि कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए और कांग्रेस सरकार बनेगी तो उसको किसी प्रकार नहीं बनने देंगे। उस समय लोगों के रोष को शान्त करने के लिए केवल छोटी जोतों पर लगान की छूट देने की घोषणा की थी। उस समय रोष को शान्त करने के लिए ऐसा किया था और अब दुबारा उसे लगा दिया है। यह आपकी बेईमानी की नीति है। इसको कोई मान्यता नहीं दे सकता है। छोटी जोतों पर जो लगान वापिस लगाया है, इसको वापिस लेना चाहिए क्योंकि आपका कहा हुआ है और इसको थूक कर चाटना नहीं चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो खातेदारी के अधिकार सन् 22 तक किसानों को दिये थे, वह अधिकार उन्हें वापिस मिलने चाहिए। इसके अलावा, सभापति महोदय, जो स्कूल खोलने के बारे में कुछ बातें कही हैं, मैं एक बात कह कर बैठ जाता हूं कि दौसा क्षेत्र में, मेरा कार्यालय जिस क्षेत्र में है, वहां स्कूल खोलने की बात करते हैं। इतने स्कूल खोलेंगे, इतने मिडिल स्कूल खोलेंगे। और, इतने हाई स्कूल खोलने को कहते हैं, लेकिन आपके खोलने के हैं नहीं। मैं उस कालेज के बारे में कहूंगा आजसे दस साल पहले जिसका भवन, बिल्डिंग बनाने के लिए 50 हजार रुपया वहां की जनता ने अनुदान के रूप में दिया था। बाकी के लिए मुख्य मंत्री ने खुद ने आश्वासन दिया था कि मैं कॉलेज की बिल्डिंग बनवा दूंगा। उसके बाद 50 हजार में से 25 हजार का चैक भी गवर्नमेंट

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

के पास जनता ने जमा करा दिया 25 हजार की जमीन म्युनिसिपलटी ने देदी लेकिन भवन के लिए ध्यान नहीं दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि वहां जो छात्र हैं, उनके लिए भवन बहुत छोटा है इसलिए वह कई शिफ्टों में पढ़ते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस भवन को बनवाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्रीमती मदनकौर !

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, 1968-69 के बजट के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार व्यक्त किये हैं। इस बजट से प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धारणाएं भी बनी हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इस बजट से प्रसन्नता का वातावरण बना है, और किसानों ने इस बजट से उदासीनता दिखाई है। राजनीति क्षेत्रों में आम तौर से यह सुनने को मिला है कि मौजूदा परिस्थितियों मे इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता था। अगर यह बजट केवल एक साल तक के लिए ही सीमित है तब तो यह एक अच्छे बजट की परिभाषा में आ सकता है, और स्वागत योग्य है। लेकिन इसके साथ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि एक साल के बजट का असर साल दर साल पड़ता रहता है। क्योंकि इस साल कृषि उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई है और उद्योग के क्षेत्र में गिरावट आयी है। इसलिए उद्योग के क्षत्र में रिवाइवल के लिए जरूरी था कि रियायतें दी जातीं। होना यह चाहिए था कि बजट में प्रावधान रखते हुए हमें भविष्य का ध्यान रखना चाहिए था। राजस्थान में नियमित रूप में अकाल पड़ता रहता है। पिछले वर्ष के बजट में हमने इस बात को भुला दिया था। इसके फलस्वरूप गत तीन चार वर्षों में हमारे राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बहुत भारी असर पड़ा था। अगर उन वर्षों में अकाल को मिटाने के लिए अकाल के क्षेत्र को सीमित रखने के लिए हम और हमारी सरकार इसे रोकने का प्रयत्न करती तो निश्चित ही हमारी अर्थ व्यवस्था का संतुलन नहीं बिगड़ता। मौजूदा बजट में उद्योगों के विकसित करने के लिए बहुत सी रियायतें दी गई हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर जो रियायतें दी गई हैं, बिजली की ड्यूटी में कमी की गई है, कच्चे माल की पूर्ति के लिए काम किया गया है, जमीन को हासिल करने की सुविधा पहले से ही थी, अब चुंगी करों में कटौती की गयी है। इसलिए कि हमारे यहां पर उद्योगों का विकास हो, औद्योगिक उत्पादन बढ़े। यह सभी चाहते हैं, और मैं भी चाहती हूं, पर इसके साथ याद रखनी चाहिए कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति का मूल आधार कृषि व्यवस्था है। इस वर्ष हुई कृषि उत्पादन की वृद्धि से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहायता देकर ज्यादा क्षमता बढ़ाई है, उससे यह कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह समझ लेना गलत होगा।

सिवाय बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सब जगह अच्छी वर्षा

(श्रीमती मदनकौर)

हुई, निरन्तर सूखा पड़ने के कारण जमीन तीन चार वर्ष पड़ी रह गई और इस कारण जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, रबी की फसल के समय भी अच्छी वर्षा हुई इसलिए लोगों ने ज्यादा भूमि पर कृषि की, इस कारण कृषि उत्पादन में इस वर्ष वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने का यह कारण है, न कि राज्य सरकार की सहायता से कृषि उत्पादन में क्षमता बढ़ाई गई है, उसके कारण यह वृद्धि हुई है। इस वर्ष अच्छा कृषि उत्पादन हुआ है, इस खुशी में कृषि उत्पादन के कार्यक्रम में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए, यदि हमने कृषि उत्पादन के कार्यक्रम को वन्द कर दिया, यदि कृषि क्षेत्र में सहायता बन्द कर दी तो हमें इसके बड़े भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

वित्त मंत्रीजी ने प्रकृति के लिये कहा कि प्रकृति की कृपा से राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति हमारी अर्थ व्यवस्था को बनाती और बिगाड़ती है, प्रकृति की कृपा हुई तो हमारी अर्थ व्यवस्था अच्छी हो गई और प्रकृति का प्रकोप हुआ तो हमारी अर्थ व्यवस्था बिगड़ गई। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इन्सान को भगवान ने दिमाग दिया है, हमें उस दिमाग से अपनी अर्थ-व्यवस्था को, वित्तीय स्थिति को ठीक और सुदृढ़ करना चाहिए। जब हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी हो तो उस समय हमें प्रकृति के कुप्रभावों को कम करने के लिये पूरा प्रयास करना चाहिए। मिसाल के तौर पर रेगिस्तान में ज्यादा अकाल पड़ते हैं तो उसके कुप्रभावों से बचाव के लिये योजना बनाई जाय और प्रयत्न किये जायं तो आने वाली अर्थ-व्यवस्था में, हमारी वित्तीय स्थिति में अच्छा सुधार कर सकेंगे। चार वर्षों में से 3 वर्ष में तो रेगिस्तानी इलाकों में अकाल पड़ते हैं। अगर आप अच्छी आर्थिक व्यवस्था के समय में इससे बचने के लिये योजना बना कर प्रयास नहीं करेंगे तो आपको बार बार अकाल राहत के नाम पर खर्च करना पड़ेगा, लोगों को इससे कोई स्थाई लाभ प्राप्त नहीं होगा और आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा। इसलिये मैं चाहूंगी कि राजस्थान सरकार इस वर्ष जब कि वित्तीय स्थिति अच्छी है तो इस प्रकार की योजना को हाथ में ले और अपने असेट्स वित्तीय सहायता से बढ़ाने की कोशिश करे।

खनिज भंडार हमारे राजस्थान में अपार हैं, उनको निकाल कर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुदढ़ बनायें, न कि प्रकृति पर ही हम निर्भर करते रहें। कृषि उत्पादन के कार्यक्रम को चालू रखें जिससे कि हम खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस हो सकें, ऐसी संभावनाओं के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि सारी कृषि भूमि का स्थाई तौर से आवंटन किया जाय, आज होता यह है कि जमीन पड़ी रह जाती है और किसान राजस्व अधिकारियों के पीछे पीछे फिरते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसका कारण यह है कि कृषि विभाग और राजस्व विभाग का रवैया परस्पर विरोधी है

(श्रीमती मदनकौर)

राजस्व के अधिकारियों को कत्तई चिन्ता नहीं है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनका काम तो है कागजी कार्यवाही, उनकी खानापूर्ति में कमी न रहे, यही काम करना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहूंगी कि इन दोनों विभागों में समन्वय स्थापित करके ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों ही विभाग खाद्य उत्पादन के कार्यक्रम में अच्छी तरह योग देकर खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकें। आश्वासनों और नारों से न कभी उत्पादन बढ़ा है और न बढ़ सकता है, इसलिये मैंने कहा कि भूमि का स्थाई आवंटन किया जाना चाहिए, सिंचाई के और साधनों को बढ़ाया जाना चाहिये, जो साधन अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये, उन्नत बीजों का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाय और उनका समय पर वितरण करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अन्न भंडारों में, घरों में आये हुए हमारे अनाज को चूहे खा जाते हैं, इसलिये मैं चाहूंगी कि चूहे और दूसरे हानिकारक कीड़े जो कि अनाज को नष्ट करते हैं, उनको मारने का सामूहिक प्रयास करना चाहिये। गोबर का खाद खेतों में पड़ना चाहिये, जिसको कि निर्दयता से जलाया जाता है। मैं चाहूंगी कि गोबर के जलाने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन के लिये यह जरूरी है कि भूमि के दुरुपयोग पर रोक लगानी चाहिये, ईटों के लिये मिट्टी खोदी जाती है तो गहराई में खोदी जानी चाहिये, ईंट के भट्टों को लगाने के लिये भी बेकार भूमि नियत होनी चाहिये यह नहीं होना चाहिये कि अच्छी उपजाऊ जमीन पर भट्टे लगालें। हर एक भूमि विशेष विशेष उपयोग के लिये होती है। जो भूमि जिस उपयोग के लिये उपयुक्त है, उसे उसी उपयोग में लें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से सुझाव है कि सारे राजस्थान का लैण्ड यूटिलाइजेशन सर्वे कराया जाय और सर्वे रिपोर्ट में जिस जमीन को जिस उपयोग के लिये बताया जाय, उसको उसी उपयोग में लिया जाना चाहिये, इससे पैदावार बढ़ेगी और भूमि की जो क्षति होती है, वह भी बचेगी।

मौजूदा बजट में एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना की घोषणा की गई है, मैं इसका स्वागत करती हूं, पर इसके साथ ही निवेदन करना चाहती हूं कि कन्सोलिडेटेड निगम की स्थापना किसानों के लिये की जाय, बीज, खाद सिंचाई के साधन, उन्नत कृषि यन्त्र यह सारी चीजें उसके माध्यम से खरीदी जायं और इन सब चीजों के लिये केवल एक ही एजेंसी होनी चाहिये, अलग अलग एजेंसीज से जो सुविधाएं सरकार किसानों को उपलब्ध कराना चाहती है, उन सुविधाओं का फायदा किसान नहीं उठा सकते, उन सुविधाओं का फायदा वे ही लोग उठाते हैं जो शहरों के रहने वाले हैं और मजदूरों से कृषि करवाते हैं

वित्त मंत्रीजी द्वारा इस बजट में सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में सरलीकरण की बात कही गई, अगर सरकार कहती कि किसानों को अनुदान, ऋण लेने के

(श्रीमती मदनकौर)

सम्बन्ध में सरलीकरण किया है तो उसका म स्वागत करती, पर ऐसा नहीं कर के सेल्स टैक्स का सरलीकरण किया है, सेल्स टैक्स को तो वे ही व्यापारी देते हैं जो पहले से देते आये हैं। तो में चाहूंगी कि किसानों के लिये राज्य की ओर से कोई सुविधा दें तो इसके लिये सरल तरीका अपनायें ताकि किसानों को उन सुविधाओं का फायदा मिल सके।

वन किसी भी प्रदेश की मूल सम्पदा है, अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ वन को कहा गया है। वनों के सम्बन्ध में 67-68 की रिपोर्ट को देखें तो इसको देखने से पता चलता है कि राजस्थान के वन निरन्तर घटते जा रहे हैं, राजस्थान की आमदनी का सीगा राजस्थान सरकार ने वनों का बना लिया है, जब कि हमारे वन इस स्थिति में हैं ही नहीं कि उनको और कटाया जाय। पर ज्यों ज्यों वनों से ज्यादा आमदनी आती है, त्यों त्यों सरकार वनों को ज्यादा कटाती है। आज राजस्थान के वन इस स्थिति में नहीं हैं कि उन्हें कटाया जाय, सारे हिन्दुस्तान का एवरेज लिया जाय तो राजस्थान के वनों का एवरेज कम है। मौजूदा वनों की सुरक्षा, पूर्ण रूपेण संरक्षण करना और ज्यादा वन लगाना ही राजस्थान सरकार के वन विभाग का कर्त्तव्य निर्धारित होना चाहिये और वनों की निर्दयतापूर्ण कटाई को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये।

हमारे इस बजट के सांख्यिकी आंकड़े मैंने देखे हैं, उन आंकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय बहुत कम है। जिस राजस्थान के क्षेत्र को शत्रु से खतरा हमेशा बना रहे, वहां की जनता सुशिक्षित हो और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से निभा सके, ऐसी व्यवस्था करना परमावश्यक है। आज के आधुनिक युग में अनपढ़ जनता अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा सकती। 11 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिये प्रावधान था कि 11 वर्ष के बच्चे शिक्षा प्राप्त करें तो उस प्रावधान को सीमावर्ती इलाकों में तो तुरन्त लागू कर देना चाहिये, मैंने देखा है और यह अनुभव किया है कि शिक्षण संस्थाओं के भवन बनाने के लिये जन सहयोग लेना जरुरी है, इन सीमा क्षेत्रों में जन सहयोग से ले कर शिक्षा संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण किया जा सके इसके लिये कुछ और सुविधाएं दे कर समुचित व्यवस्था करनी चाहिये बाड़मेर जिले में लड़कियों के लिये केवल एक ही हायर सेकेन्डरी स्कूल है। बाड़मेर जैसे पिछड़े इलाके में प्रगतिशील विचार धारा पनपे इसके लिये जरुरी है कि इसी साल बालोतरा में लड़कियों के लिये एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोला जाय, बालोतरा में सेशन कोर्ट भी है और वह इसके लिये उपयुक्त स्थान है।

श्री दौलतराम सारण : वाके ही आवश्यकता है।

श्रीमती मदनकौर : सभापति जी मैंने बाड़मेर जिले में पीने के पानी की समस्या के बारे में गत वर्ष भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और मुझे विश्वास था कि आनेवाले वर्ष में राज्य

(श्रीमती मदनकौर)

सरकार इस तरफ अधिक से अधिक प्रयत्न करेगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। केवल मात्र कह दिया कि एल० आई० सी० से ऋण नहीं मिला और पैसा नहीं मिला इसलिये हम योजना को कर नहीं पाये, यह उचित नहीं है क्या राज्य सरकार पीने के पानी को उपलब्ध करने के लिये वचनबद्ध नहीं है? मैंने 1952-53 में यह घोषणा सुनी थी राज्य सरकार की कि राजस्थान में दस साल के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो, और इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने राजस्थान के लिये एक मास्टर प्लान भी बनाया था। लेकिन यदि आपका यही रवैया रहा और यही गति रही तो दस वर्ष तो क्या, 100 वर्ष के अन्दर भी इस समस्या को आप हल नहीं कर पायेंगे। मैं समझती हूं वह मास्टर प्लान तो किसी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो मैं चाहूंगी कि उस मास्टर प्लान को कम से कम राजस्थान के उस क्षेत्र के लिये, जो रेगिस्तानी है, वहां तो लागू कर देना चाहिये।

सभापति जी, पानी जैसी अत्यंत जरूरी चीज भी आज हमारे 20 बरस के स्थापित लोकतंत्रीय राज्य में नहीं मिल सके तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और राजस्थान के लिये क्या हो सकती है? आज सामान्य स्थिति में भी, जब वर्षा अच्छी होती है, तो बाड़मेर जिले में हम लोगों को रेल की टंकियों द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। तो जिस समय सखा पड़ेगा या अकाल पड़ेगा उस समय राज्य सरकार कैसे व्यवस्था कर पायेगी और उनको कितना खर्च करना पड़ेगा? इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी तरफ सरकार सर्वाधिक ध्यान दे और जब वित्त मंत्री महोदय इस बजट भाषण का उत्तर दें उस वक्त इस बारे में स्पष्ट आश्वासन दें कि दो या तीन बरस के अन्दर राजस्थान के किसी भी गांव में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी और इस काम को जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जायगा।

सभापति जी, मैं राज्य सरकार से नहरों, कारखानों, विश्वविद्यालयों और अस्पतालों की मांग नहीं करती जो लग्जरीज हैं। मैं तो ऐसी चीज की मांग करती हूं जो इंसान के जीवन के लिये अत्यंत जरूरी है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि राजस्थान का जो रेगिस्तानी एरिया है, जो खारे पानी का क्षेत्र है, वहां पाइप लाइन के द्वारा ही पानी पहुंचाया जाय। एक्सपलोरेटरी ट्युबवेल आर्गनाइजेशन ने प्रयत्न किये हैं लेकिन वे भी केवल वहां पर जहां पर रास्ते और सड़कें बनी हुई हैं। हमारे यहां कई गांव में कच्ची सड़कें भी नहीं। तो यह एक विशेस सर्किल बन गया है कि सड़क नहीं तो पानी नहीं और पानी नहीं तो सड़क नहीं बने। तो इस तरह से तो हमारा यह दुर्भाग्य ही रहेगा कि पीने का पानी नहीं मिले। मेरे क्षेत्र में, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ऐसे गांव हैं वहां साल में से आठ महीने तो 30 मील की दूरी से पानी ले आते हैं। अगर इस बात को सुनने के बाद भी राज्य सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से नहीं सोचेगी

(श्रीमती मदनकौर)

तो यह इस हाउस के लिये दुर्भाग्य है और इस राज्य के लिये दुर्भाग्य है। अगर आप यह सोचते हैं कि कुछ कुएं बनाकर, कुछ तालाब बना कर या ट्युबवेल खुदवाकर आप इस समस्या का हल कर पायेंगे तो मैं आप को बताना चाहती हूं कि इस से समस्या कभी हल नहीं होगी और आप अंधेरे में ही हाथ टटोलते रहेंगे। इसका एक ही सीधा रास्ता है जो मैंने बताया कि पाइप लाइन से ही पानी दिया जाये चाहे वह-कितना ही महंगा पड़े। इस जरूरी चीज के लिये चाहे कितना रुपया भी खर्च करना पड़े तो उसके लिये यह सदन और जनता आपको स्वीकृति दे देंगे।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि बाड़मेर जिला सभी जिलों के पीछे है हालांकि 1965 के पाकिस्तान से संघर्ष के बाद कुछ आगे आया है। जोधपुर से बाड़मेर जाने वाली सड़क पर सुधार होना बहुत जरूरी है। फौज के आवागमन के लिये। इस वक्त जो सड़क जोधपुर से बाड़मेर जाती है उसको बीच में लूनी नदी दो जगह पर काटती है एक बालोतरा के पास और दूसरा सेंदरी के पास। कई दफा इस सड़क पर नदी का पानी आ जाता है, इसलिये वहां पर पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। यह बहुत समय से विचाराधीन भी है और जहां तक मेरी जानकारी है इन दोनों पुलों के बनाने के लिये एक दो बार टेन्डर भी काल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह काम क्यों नहीं हो रहा है इसका पता नहीं क्या वजह है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि काम तो शुरू नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, स्वतन्त्रता के पहले हमारे गांव के जो उद्योग थे वे बहुत ही अच्छी तरह से सुव्यवस्थित थे, स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस सत्तारुढ़ हुई तो उन्होंने गांव के उद्योगों और कुटीर उद्योगों को विकसित करने के प्रयत्न किये और इससे गांवों की अर्थ-व्यवस्था में कुछ सुधार भी आया, लेकिन आज मुझे यह देखकर दुख होता है कि गांव के उद्योगों के लिये सरकार आज उदासीन बनती जा रही है। इससे गांवों में बेकारी बढ़ रही है और वहां के आदमी मजदूरी करने के लिये शहर की तरफ आ रहे हैं, जिससे शहरों में भी एक समस्या बन रही है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कुटीर उद्योग, खास तौर से वे उद्योग जिन के लिये कच्चा माल भी वहां गांव में ही उपलब्ध है, उनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को प्रयत्न करने चाहिये।

एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां ऊंट और बकरी बहुत ज्यादा हैं, वहां ऐसे उद्योगों को चलाना चाहिये जिनके लिये वहां पर कच्चे माल मिलने की सुविधा है जैसे जट इन्डस्ट्री। जट से बनी हुई चीजों की आज विदेशों में भी डिमांड है और इससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलेगी।

अन्त में मैं पीने के पानी की समस्या की तरफ फिर से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : श्रीआलमअली !

श्री आलमअली (फतेहपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान रा गरीब आदमी जीं तरह सों काश्तकार बारिश की तरफ देखे है, वीं तरह सूं बजट री तरफ देख रहया हा। काश्तकारां ने चोखी सहूलियत मिलेगी। पण हुई बजट में कोनी मिली। जिस्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री आ बात कही ही कि जवान और किसान, जिन्दाबाद उस्री जगह अब ऐ मंत्री आपणे बजट में आ बात कही है के दारू और दारू का ठेकेदार जिन्दाबाद। जठे जवान और किसान ने प्रोत्साहन दियो जाणो चाहिये हो उठे ये मंत्री दारू और दारू का ठेकेदार ने प्रोत्साहन देण लाग्या है। और दूसरा जो षडयंत्रबाजी करने वाला आदमी है, इसा आदमियां ने प्रोत्साहन दियो गयो है। ई तरह को बजट है यह। और लोगों ने गुमराह करने रे वास्ते ओ बजेट है। जियां एक बाजीगर आदमी के पीछे कोई पीपो लगाकर ऊं में से पीसो और रुपया निकलता या किसी आदमी को गलो काट दिखावे, आ तरह सूं ओ बजट एक जादूगर रो पिटारो है। थे यां सोचो हो कि ई बजट से गरीब किसान न दबा देवां। इयामें कोनी दब। गरीब किसान की खातिर खराब बनायें ड़ो यो बजट। यह आप मिनिस्ट्रां रे वास्ते ही खराब होगो। इयां का धन्धा अंग्रेज किया हा, वा भुगतयो और थाने भी भुगतनो पड़ेगो।

सभापति महोदय, गरीब तो आ सोचे हो के बिजली, पानी और कुआं का खातिर ई बजट म सहूलियत मिलेगी, बीं जगह आप गरीब की नस में जूओ भरनो चाहो। ई बजट में गरीबां ने चोर बणाणो चाहो। ई बजट में जो जुओ री बात आई है आंसू गरीब किसान चोर बनसी। सभापति महोदय, राज्य रा जो ठेकेदार है वे भलां ही चोर बने पण गरीबां ने चोर बणाण री बात मत करो।

महात्मा गांधी और दूसरा देश को नेता बेल लगाई अंगूर की गरीबां के खाने के वास्ते और बिके ये मंत्री खारो तुमो लगा दियो बिन गधो भी को न खाय। आपने बजट की कांट छांट की बात तो करो। दल मंत्री की कार सरकारी चोरी हो गई बिको थाने बेरो कोनी और आज तक पता नहीं लगा सक्या अब गरीब समझ गया है थारी भुलावे री बातों में को न आवेला। थे दिखावे में तो गरीबानें बढ़ाने की बात करो हो और थे गरीबां ने खाओ....

कोई गरीब आदमी ई बजट को सुवागत कोनी करे। चीफ सेक्रेटरी, आई० जी०, डी० आई० जी०, इं का समर्थन करेगा और न सिपाही समर्थन करेगो और न दूसरा चपरासी करेगा। आज जरूरत

(3.52 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

थी कि लोगों को बिजली पानी मिलेगो बिकी जगह टैक्स मिल्यो। किसानों रो भलो चाहो और थे राज रो भलो चाहो तो किसान ने बिजली पानी देण की बात करो। किसाना ने पानी बिजली नहीं दोगा तो आपको भलो नहीं होवेगो।

साथ साथ एक बात और कहूं। हरिजनों रे वास्ते लंबो चौड़ो प्रचार करयोजावे है। जाति सुधारने, नसल सुधार ने री बात करो हो। । हरिजनों की छूवाछूत दूर करनो के वास्ते एक अलग कुओ बनायो और

(श्री आलमअली)
हरिजन ने मंदिर में वाडियो, ई सूं छावाछूत दूर को न होवे। हरिजनों नें चोखी जमीन देता, चोखो मकान देता जस बिंकी माली हालत सुधरती। छूवाछूत दूर करनी है तो मिनिस्टर हरिजन री झोंपड़ी में जाकर ठहरता पण आज ताईं तो कोई मिनिस्टर ठहरा कोनी मिनिस्टर बड़ा बड़ा महलां में जाकर ठहरे तो छावाछूत दूर क्यां होव।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थारी जो योजना हे विकी नींव काची है। असेम्बली भवन की नींव काची है तो चाहे डोलो कितो मजबूत हो तो बा पड़ेगो और सब आदमी मरेगा। विकास की नींव काची है। गरीबां नें जो सही योजना देनी चाहिए थी वह कोन दे पाया न आइंदा आप पर कोई विश्वास करेगा और गरीब विश्वास तब करे जब बिके हक की बात करो। कांग्रेस सू कोई नाराज नहीं है जो सन् 1947 से पहेल्यां थी आज जो कांग्रेस है वह दिखावटी है बीं पर कोई विश्वास नहीं है।

मैं अपने छेतर फतेहपुर की बात करूं न बठे कोई बिजली कोई काश्तकार रे कुआ पर दी है आज तानी न कोई और योजना चलाई। स्कूल रे वास्ते या अस्पताल रे वास्ते कह्यो जाए तो सेठां रो नाम लेव। बठे तो सेठ ही पीसा वाला है वे करसी। गरीबां ने ठोस योजना दोगा तो गरीब बढ़ेगा तो थे भी बढ़ेगा। गरीबां ने ठोस योजना नहीं दोगा तो ज्यां लड़का हड़ताल करे बियां काश्तकार भी एक दिन हड़ताल कर देगो और थांको राज उठतो नजर आवेगो।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1952 में राजस्थान का बजट 70 करोड़ का था वह 1968 में बढ़कर 141 करोड़ का हो गया। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में टैक्सेज के द्वारा जो वसूली हो रही है वह अत्याधिक है। खैर, कोई बात नहीं। एक बात तो हम सब चाहेंगे कि उनका सदुपयोग होगा, उनका पूरा उपयोग होगा, लोगों की सुख-सुविधा के लिए खर्च हो, इस बात की सब कामना करते हैं, लेकिन जैसा हम सब लोग जानते हैं, सदन जानता है कि जिस ढंग से जितना पैसा लिया जाता है उसको ठीक ढंग से व्यय नहीं किया जाता है। इसलिए जितनी भलाई राजस्थान की होनी चाहिये थी वह अब तक नहीं हुई। अजीब परिस्थितियों में हम प्रजातंत्र ले आए। जिस प्रजातंत्र में हमने सोचा था कि सब लोग सुखी होंगे, हमारी आवाज सुनी जायगी, वे सब आशायें व्यर्थ हो गई। एकतंत्र में हर इन्सान की सुनाई होती थी, उसकी सुख-सुविधा के लिए ध्यान दिया जाता था एक राजा था लेकिन इस प्रजातंत्र के तो अनेक मालिक हो गए, अनेक राजा हो गए, इससे जनता पीड़ित है....

श्री शंकरलाल (जैतारण) : प्रजातंत्र नहीं होता तो आपकी बारी कैसे आती?

श्री गोरधन सोनी : मैं लालायित नहीं हूं, आप लालायित होंगे। बात एक है कि जनता को सुख-सुविधा मिलनी चाहिए, जनता को आराम मिलना चाहिए। आखिर आपने क्या किया, हमने क्या किया, वह बात नहीं है। आपको तो आने की फिक्र है, जनता के सुख-सुविधा की फिक्र नहीं है। यह सोचने का तरीका गलत है जिससे देश में कुशासन है लोग त्राहिमाम् त्राहिमाम् कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री शंकरलाल के खड़े होने पर) बीच में बाधा उपस्थित न करें ।

श्री गोरधन सोनी : जब शराब का मामला आया, इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस भावना को व्यक्त किया कि राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से होनी चाहिए । महात्मा गांधी जिस बात को चाहते थे, उस बात को सरकार को लागू करना चाहिए था लेकिन अफसोस है कि इधर के लोगों ने शराबबंदी की वकालत की, उधर के लोगों ने भी, लेकिन अफसोस है कि जिस समय वोट का सवाल आता है विचार तो व्यक्त करते हैं कि शराब बंद होना चाहिए लेकिन वोट मिलने के बाद कुछ और होता है । ये प्रजातंत्र को नाकामयाब कर रहे हैं, वाणी में कुछ और करनी में कुछ और ।

उसके बाद हमारे देश में दूसरी चीज आई समाजवाद । यह समाजवाद ऐसा आया कि कानूनो जाल बिछ गया । सारे देश में तरह तरह के कानून बढ़ते गए, तरह तरह की बातें हो गईं । समाजवाद में जो लोग अमीर थे वे ज्यादा अमीर हो गए, उनके बड़े बड़े बंगले हो गए, उनके पास कारें हो गईं, गरीबों का उत्थान नहीं हो सका । जहां समाजवाद में सब लोगों को समानता की तरफ अग्रसर होना चाहिए वहां 20 वर्ष में इस ओर कुछ नहीं हो सका,

(4 म० प०)

यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश ने जबसे समाजवाद की रट लगाई है कि समाजवाद बढ़े । आप समझते हैं कि ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों और नीचे के व्यक्तियों में, पैसे वालों में और बिना पैसे वालों में अन्तर कम हुआ है । मैं समझता हूं उनका अन्तर तो बढ़ा है इन बीस वर्षों में करोड़-पतियों की संख्या बढ़ी है, पैसे वालों की संख्या बढ़ी है, गरीबों की संख्या बढ़ी है । कहने का मतलब यह है कि सच्चा समाजवाद नहीं आया है, केवल समाजवाद का नाम लिया जा रहा है । आज समाजवाद के नारे के साथ प्रान्तीयता को प्रोत्साहन मिला है । उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद के नारे से प्रान्तीयता को अवश्य प्रोत्साहन मिला है । हर तरह की बुराइयों और हर तरह के अराष्ट्रीय तत्व पनप रहे हैं, जिसकी कि कोई सीमा नहीं है

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं, जो सदन में भी हुई थी । एक मंडी कमेटी का जिक्र किया गया था । मैं समझता हूं मंडी कमेटी एक्ट एक काला कानून है । कुछ समझ में नहीं आता है, मंत्री महोदय कहते हैं कि यह प्रोग्रेसिव एक्ट है । प्रोग्रेसिव एक्ट इसलिए है कि वकीलों की इसमें चान्दी बनेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिलना चाहिये । किसानों का जो माल आता है वह तोल-जोल में पूरा होना चाहिए । इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान में, क्या राजस्थान में सब जगह एसोसियेशन्स हैं । माल बोली से बिकता है उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से वेट और मेजरमेन्ट इन्सपेक्टर है तो तोल में कम और ज्यादा का सवाल ही नहीं होता है । जगह जगह पर व्यापारियों के एसोसियेशन्स हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान की सभी मंडियों में ऑक्शन होता है क्या ?

श्री गोरधन सोनी : सभी मंडियों में माल ऑक्शन होकर बिकेगा । इस प्रकार यह मंडी कानून बनाकर आप किसानों के साथ उल्टा अन्याय कर रहे हैं ।

श्री रोशनलाल : किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !!

श्री गोरधन सोनी : मंडी समिति एक्ट में····

श्री हंसराज आर्य : किसानों को तो इससे राहत मिलेगी ।

श्री गोरधन सोनी : मेरे कहने का मतलब, उनकी अपनी राय है । मुझे इसमें कोई नाराजगी नहीं है । चूंकि समिति एक्ट के तहत··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि यह टैक्स कूप मन्डूक टैक्स हो गया है । यह टैक्स किसानों पर पड़ेगा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा । इस कानून को कौन मानेगा यह बात जरूर है कि काम काज की परेशानी या तो किसान पर पड़ेगी या उपभोक्ताओं पर पड़ेगी । किसान को नुकसान न हो उसके लिए कुछ तय कर दें । मैं तो इस मंडी समिति एक्ट का समर्थन करना किसी भी स्थिति से उपयुक्त नहीं समझता । सहकारिता कानून का जहां तक····

श्री उपाध्यक्ष : आपने 7 मिनट के लिये समय की मांग की थी, वह समाप्त हो चुका है ।

श्री गोरधन सोनी : दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं । सहकारी कानून का जहां सवाल आया, राज्य सरकार उसके लिये ऋण देती है । किसानों ने सहकारी कानून का समर्थन किया है । मैं समझता हूं किसान को सहकारिता से ऋण न मिले, यह सम्भव है । साहूकार जबरदस्ती किसी को ऋण नहीं देता है । लेकिन वह किसान को समय पर ऋण अवश्य दे देता है । कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि उनको समय पर ऋण नहीं मिले । इसमें भी अपना व्यापार देखते हैं । इसमें वे कमाने की सोचते हैं । वे तो केवल कानून बनाकर किसान की हित की बात सोचते हैं, किन्तु यह बिलकुल गलत है । इसलिये इसका समर्थन किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय कुछ राष्ट्रीयकरण की बातों पर कहूंगा । रोडवेज का सवाल आता है फलां फलां जगह चल रही है । उसमें बराबर घाटा रहता है । मुझे दुःख होता है कि वे कोई हिसाब ही नहीं रख सकते हैं । आज रोडवेज में अव्यवस्था है । आज रोडवेज में नुकसान क्यों है ? आज भी जो सुविधायें प्राईवेट बसों में मिली हुई हैं, वह रोडवेज में नहीं हैं । रोडवेज का किराया यहां से अजमेर तक 4 रु० 90 पैसे का है जबकि यह किराया अगर प्राईवेट वाले चलायें तो 3.00 रु० का होता है और उसमें भी उनको सुविधायें ज्यादा होती हैं । वे गलत काम करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश का पैसा हमारे राष्ट्र का पैसा अपव्यय न हो, यही मेरा निवेदन है ।

उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाईसेन्सिग ग्रॉर्डर जो आज से 3-4 साल पहले लागू किया गया था, 64 में लागू किया गया

(श्री गोरधन सोर्ना)

था, जिस समय अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, तब शायद आपका विचार था कि व्यापारी बढ़ा देते हैं इसलिये व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। उनको हर 15 दिन में लिस्ट देनी पड़ती थी, हर 15 दिन में भावों को बताना पड़ता था। उसके लिये व्यापारियों ने आन्दोलन किया कि वे बहुत परेशान हैं। उसके बाद 64 के मार्च के बाद 68 की जनवरी तक भाव बढ़ते रहे हैं। इस बात से इसकी सूचना मिलती है कि यह आदेश गलत है। जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया था, वह पूरा नहीं हुआ। मंहगाई बढ़ी है, भृष्टाचार बढ़ा है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी बातों का भी जिक्र करना चाहूंगा कि आपने लॉटरी सिस्टम खोला है। एक तरफ तो आप जुए को खतम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार लॉटरी शुरू करना चाहती है। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह राज्य सरकार को वापिस ले लेनी चाहिए।

शराबबन्दी के लिए आपने एक लाख रुपये का प्रावधान रखा है कार्यकर्ताओं के लिये। आपके कानून में है कि 18 साल तक के बच्चे नहीं पियेंगे, यह तो कानून की एक मजाक है। 18 साल से नीचे के बच्चे शराब पीते ही नहीं हैं। शराबबन्दी पर कानून बनाने से मतलब है, चाहे वह गलत सलत ही बने। एक लाख रुपये का जो प्रावधान रखा है, उससे भी यही लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं वे भी भृष्ट हो जायेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिक्री कर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे व्यापारियों को बिक्री कर से राहत देने की बात कही है। उनकी जो 5 हजार की टर्नओवर की सीमा थी उसको बढ़ाकर 10 हजार तक कर दी गई है, लेकिन खेद है कि गांवों में जो व्यापारी बैठे हैं उसकी सीमा 5 हजार ही है। मुझे दुख होता है कि इसमें भी यह अन्तर रख दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की उपेक्षा छोटे व्यापारियों की हो यह भी बर्दाश्त काबिल नहीं है।

चूंकि समय ज्यादा हो गया है अब मैं सहकारिता पर भी कुछ कहूंगा। सहकारी संघों में धन का दुरुपयोग होता है, सुपर मार्केट है, उसमें धन का दुरुपयोग होता है। परबतसर में एक बकरी मेले का आयोजन किया गया था उसमें 7 हजार रुपये खर्च किये गये और उसमें केवल तीन हजार की आमदनी हुई। यह मेरा सच्चा विश्वास है कि अगर नेकनियती और ईमानदारी से सरकार मितव्ययता अपनायेगी और गलत खर्चे कम करेगी तभी राजस्थान का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1968-69 के बजट पर गत दो-तीन दिन से बहस चल रही है। इस साल के बजट को अध्ययन करने से यह अनुभव होता है कि यह बजट बड़े कलात्मक ढंग से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बनाया है, और वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस बजट को मैं अपने दृष्टिकोण के आधार पर ऐतिहासिक बजट भी कह सकता हूं। इस नजरिये से कि कई साल का अनुभव है बजट को देखनेका जब बजट बाहर आता है तो आम धारणा लोगों की यह होती है राजनीतिज्ञों के दिमाग में भी बजट के बाहर आने से पूर्व इसकी चिन्ता होती है कि इस साल इतने

(श्री श्रीनिवास शारदा)

टैक्स लगने वाले हैं। जब बजट बाहर आ जाय उसके बाद में टैक्स के विषय को लेकर काफी प्रचार का मौका मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को ऐतिहासिक इस दृष्टिकोण से भी मानता हूं कि इस बार मैं समझता हूं किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वह इस प्रकार की आलोचना कर सके। जनता को टैक्स के बारे में बता पाय।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आसन की ओर से कितनी ही बार ताड़ना मिलने के बावजूद भी ट्रेजरी बैन्चेज पर कोई भी वित्त संबंधी मामलों के मंत्री, उप-मंत्री या राज्य मंत्री नहीं बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया। माननीय सदस्य को भी ताड़ना मिली है कि पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नियमों के अनुसार होना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं वे आप जो कुछ कह रहे हैं सुनते हैं और नोट करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : वित्त विभाग का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समय का अभाव है आप इस पर जोर न दें।

श्री विजयसिंह रावत : स्टेट मिनिस्टर तो आ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सारे मंत्री-मंडल की जॉइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। मैं बैठा हूं आप सब जो कहते हैं उनका जवाब दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब से बजट पर बहस शुरू हुई है माननीय मंत्रियों का कन्टेम्चूअस एटीट्यूड सदन के प्रति रहा है। आपको इस बारे में कुछ कहना चाहिये। लगातार यह स्थिति चली आ रही है मैं समझता हूं यह उचित रवैया नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत : प्रश्नों के जबाब में जॉइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी कह सकते हैं लेकिन जहां तक बजट का सवाल है वित्त मंत्री या उपमंत्री किसी को भी उपस्थित रहना चाहिये।....

श्री रामकिशन (वैर) : ट्रेनिंग दे रहे हैं यहां तो कोई रहता ही नहीं। जब यहां की बातें नहीं सुनेगा तो ट्रेनिंग कैसे पायेंगे। आप तो ट्रेनिंग-शुदा हैं। आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आप तो रिजेक्टेड समझे जायेंगे।

श्री केशरीसिंह हाडा : खाना बना रहे होंगे ?

श्री श्रीनिवास शारदा : टैक्सों की बढ़ोतरी नहीं होने के कारण, कोई आधार सामने नहीं होने के कारण जो इस हाउस में मैं सुन पाया हूं इस बारे में कहने को कोई बात नहीं रही। केवल एक बात रह जाती है राजस्थान सरकार ने गत बार छोटी जोतों पर टैक्स माफ करने की घोषणा की थी, उस घोषणा को किन्हीं कारणों से वापिस ले लिया। केवल यह एक वीक पॉइन्ट माननीय सदस्यों को नजर आता है। इसके अलावा मैं समझता हूं कोई बात रह नहीं जाती इस बारे में जहां तक मेरी धारणा है। छोटी जोतों के लिये मैं नहीं कह सकता राजस्थान सरकार को किन परिस्थितियों में क्या सोच समझ कर ऐसा विचार बनाया और ऐसी घोषणा कर दी कि छोटी जोतों पर लगान समाप्त कर दिया जायगा।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

मुझे खूब अच्छी तरह से याद है जब द्वारिकाप्रसाद जी मिश्रा मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने छोटी जोत पर लगान समाप्त करने की बात कही थी उस समय आम जनता ने, राजनीतिज्ञों ने, मैं विरोधी पक्ष की ओर संकेत करना चाहता हूं, उस समय जो वातावरण बनाया गया था कि छोटी जोत पर लगान माफ करने से किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार तुम्हारे रेकार्ड नष्ट करना चाहती है इससे दिक्कतें सामने आयेंगी। हकीकत में आप जमीन जोतने वाले नहीं होंगे। आज किसान अपनी क्रेडिट समझता है। वह चाहता है कि वह सरकार को मुआवजा अदा करे मैं नहीं समझता कि इसको माफ करने का हमारे सामने क्या आधार था? बहरहाल आम किसान यह नहीं चाहता कि छोटी जोत पर लगान माफ हो। इसके साथ-साथ कुछ कॉम्पलीकेशन्स भी थे। अगर छोटी जोतें नहीं रहेंगी तो बड़े बड़े खेतों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा जमीन के टुकड़े होंगे तो जो कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग की स्कीम है वह सारी की सारी स्कीम चेलेन्ज्ड होगी। मैं समझता हूं यही कारण हो सकता है कि आम लोग इस बात को पसन्द नहीं करता कि उनका लगान माफ हो। वह चाहता है कि उनका रेकार्ड मेन्टेन होता रहे जो सालाना किराया है, भू-राजस्व है, वह अदा करते रहें ताकि उनका निरन्तर रेकार्ड मेन्टेन होता रहे। अगर यह माफ हो जाता है तो इससे राज्य के ऊपर आर्थिक लाभ या हानि होने वाली बात तो थी नहीं। फिर भी मैं समझता हूं, एक निवेदन अवश्य है, राज्य सरकार को चाहिये कि इन छोटी जोतों से जो आय होती है उसको खास तौर से छोटे-छोटे सिंचाई कार्यों पर देहातों में छोटे-मोटे काम में विकास के काम में साफ तौर से प्रयोग होना चाहिये। इस रकम को किसी अन्य मद में नहीं मिलाना चाहिये। इससे मैं समझता हूं गांव के अन्दर पानी की समस्या, कुओं की समस्या, नाड़ियों की समस्या, इन को दूर होने में सहायता मिलेगी।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बजट कन्जरवेटिव है कुछ नेरो थिंकिग की झलक भी बजट में मिलती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो स्टेट्स की लाइबिलिटीज की ओर ही देखूं, उसके साथ-साथ हमें उसके असेट्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सदन में यह बात आई कि राजस्थान पर पौने पांच सौ करोड़ का कर्जा है। जहां हम लाइबिलिटीज को देखते हैं तो असेट्स को भी ध्यान में रखना होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लाइबिलिटीज पांच सौ करोड़ की है उसमें राजस्थान कैनाल जैसी बड़ी-बड़ी योजनायें भी हैं, और भी लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं। लेकिन उनके मुकाबले में हमको असेट्स की ओर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि वहां असेट्स को देखते हुए जहां 475 करोड़ की लायबिलिटी है तो उतनी ही असेट्स भी हैं।

इसके अलावा वहां मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, एक संकेत किया है कि यह बजट कन्जर्वेटिव है और इससे कुछ नेरो थिंकिग की झलक भी मिलती है। बजट में अंकित की गई बातों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह नेरो थिंकिंग का बजट है, मसलन हमने शिक्षा की बात कही। उसमें हमने यह स्वीकार किया है कि इतनी मिडिल स्कूलें अपग्रेड करेंगे, कुछ प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड

(श्री श्रीनिवास शारदा)

करेंगे । कुछ कालेजों को भी अपग्रेड करने की बात कहीं गई है । यह अच्छी बात है । पर एक बात है । मैं निरन्तर यह देखता आया हूं कि आज भी राजस्थान के कई कस्बों में ऐसी पुरानी सेकन्डरी स्कूलें हैं, सन् 34, 35, 40 से भी पुरानी जो अभी तक हाई स्कूल तो अब कह नहीं सकते, सेकण्डरी स्कूलों की शकल में चल रही है। एक तरफ जहां देहातों में हायर सेकण्डरी स्कूलें चल रही हैं वहां कसबों में जहां बड़ी संख्या है वहां अभी तक सेकण्डरी स्कूलें चल रही हैं अर्थात् वहां टेन्थ तक तालीम हो रही है । इस मसले को, मैं नहीं कह सकता, सरकार ने किस नजरिये से लटकाये रखा है ।

कुछ कमेटीज की रिपोर्टें थी । वह रिपोर्ट नहीं आई, यह नहीं आई, वह नहीं आई, यह कह देने से आम लोगों को सन्तोष नहीं हो सकता । आखिर निर्णय हमें इस बारे में लेना पड़ेगा । कितने ही देहातों में जहां दो तीन हजार की संख्या है वहां हायर सेकण्डरी चल रही है कहीं सेकण्डरी स्कूलें ही चल रही हैं। आप इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहते ? यह तो निश्चित होना चाहिये और जल्दी होना चाहिये । कम से कम हायर सेकण्डरी स्कूल तो बना दें ? ठीक है आप इन्टर कालेज बनाना चाहते हैं तो इसका भी जल्दी निर्णय लीजिये । लेना चाहिये ऐसा निर्णय यथा शीघ्र। इसलिए कि आम कसबों में जहां हायर सेकण्डरी तक की परीक्षा नहीं है केवल एक साल की तालीम के लिए वहां विद्यार्थी को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है और यह अवधि, हम चाहें अमीर लोगों की बात न सोचें, पर गरीब के लिये तो बहुत बड़ी दुविधा की है । दसवीं के लिए अपने कस्बे में पढ़ना और हायर सेकण्डरी के लिए एक साल के लिए अन्य कस्बों में जाना और एडमिशन न मिले तो और दिक्कत उठाना । तो कस्बों की इन्स्टीट्यूशन्स को तो फीडिंग इन्स्टीट्यूशन्स मान कर उनको हायर सेकण्डरी स्कूल के समकक्ष बना लें और वहां के छात्रों को केवल एक साल की तालीम के लिये कहीं बाहर न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था तुरन्त निर्णय लेकर करनी चाहिये ।

इसके अलावा, इसमें यह कहा गया है कि तीन हजार की आबादी में मिडिल स्कूल बना दी गई हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), पांच-सात मिनिट तो पॉइन्ट आफ ऑर्डर में ही निकल गये थे ।

श्री विजयसिंह रावत : जय माता जी की । उनके साथ आप भी ऐसा करने लग गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका ध्यान आकर्षित कर दिया । जितना ज्यादा आप कहगे उतना ही आपके दल का समय कम होगा और कम माननीय सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री श्रीनिवास शारदा : हो सकता है कहीं पांच सौ पर भी हो । पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पांच हजार की आबादी में भी अब भी बाकी हैं जबकि दूसरी जगह मिडिल स्कूल तीन हजार दो हजार और आठ सौ और 3100 पर हो सकती हैं और कहीं पांच सौ पर भी बन गई हैं मिडिल स्कूल तो ऐसे जो इलाके हैं जहां दो हजार की जनसंख्या पर हायर सेकण्डरी स्कल बन गयी है ।

(श्री श्रीनिवास शारदा)
आपने तो मिडिल स्कूल की बात कही । मैं उसे भी मानने को तैयार हूं ।

इसके अलावा जहां थोड़ा इस बार वित्त मन्त्री ने उदारता पूर्वक आबकारी के बारे में प्रोहिबिशन के हामी हम हैं इसके बारे में बात की है । ठीक है । मैं नहीं कह सकता कि किस कदर हामी हैं पर इसके साथ जूआ और जोड़ दिया । दारू के साथ जूआ जोड़ा । यह भी माना है कि पहाड़ी इलाकों में दारू बन्द कर रहे हैं । पर दो तीन जिलों में दारू बन्द किया है । पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी सादड़ी आती है बडी सादडी आती है । अचनेरा, प्रतापगढ़ आता है कि जहां पर 25 । 25 होर का एक कम्पेक्ट इलाका है जहां सारे के सारे आदिवासी हैं, उनको इसमें क्यों नहीं शामिल किया जब कि वह एक कम्पेक्ट इलाका है ? निश्चित करना चाहिये । एक सिद्धान्त आप स्वीकार करिये । यूनीफार्म करिये । अगर कम्पेक्ट इलाके में आप नहीं करेंगे तो कहां करेंगे आप ने कहा है कि उन आदिवासियों गरीब लोगों के पास गहरे श्रम का पैसा आता है और वह आम तौर से शराब में बरबाद हो जाता है, यह समझकर आपने दो तीन जिलों में कर दिया है तो राजस्थान में जहां-जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, कम्पेक्ट इलाके हैं, अनुसूचित जन जाति के लोग हैं उनमें भी प्रोहिबिशन लागू करिये ।

तो इसके साथ ताल मेल मिलाया है आपने जूए का । आम लोग जूए के अन्दर बैठते हैं तो इसलिये उनके लिये हमने लाटरी की स्कीम बनाई है । इस स्कीम से सरवाइव कौन होगा, आपने यह भी कुछ सोचा ? जिसमें खोपड़ी है, बुद्धि है जो चतुर और चालाक हैं आप ऐसे लोगों को तो इससे पैसा देंगे और ऐसे लोगों से छीनेंगे कि जो श्रमजीवी हैं । बुद्धिजीवियों के लिये आपने यह स्कीम दी की है और श्रम जीवियों को इससे तक्लीफ पहुंचेगी । देहात के लोगों को लूट लूट कर आप पैसा लावेंगे एक रुपया दो रुपया लालच देकर कि मोटर साइकिल मिलेगी साइकिल या कार मिलेगी या स्कूटर मिलेगा । तो इससे क्या लाभ मिलने वाला है उन श्रमजीवियों को । मैं तो कहता हूं इस तरह की हर प्रकार की लाटरी पर रोक लगनी चाहिये । लाटरी होती क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोधी हूं ।

आगे चलकर जहां उद्योगों का सवाल है इसके बारे में वित्त मन्त्री ने छूट दी है । जहां नये उद्योग लगेंगे वहां ऑक्ट्राय माफ होगी । कच्चा माल आयात करेंगे तो उस पर ऑक्ट्राय माफ होगा । मैं इस पक्ष का हूं, मत का हूं, कि हमारा दृष्टिकोण यही होना चाहिये । मैं उद्योगपति नहीं हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि उद्योगपतियों की पैरवी कर रहा हूं पर हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि चाहे पुराना उद्योगपति हो या नया हो हरेक को सरवाइव करने का मौका मिले । आप नये को छूट देंगे और पुराने को यह छूट नहीं देंगे । इसका तो मतलब यह हुआ कि नये उद्योगपति कम्पटीशन में आवेंगे और पुराने सरवाइव नहीं करेंगे वे मरेंगे । तो मैं यह चाहता हूं कि यह जो छूट आपने दी है वह नये और पुराने दोनों उद्योगों के लिये समान रूप से होनी चाहिये और अगर नहीं देनी है तो दोनों पर से एकदम उठा देनी चाहिये । पर हम चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योग बढ़ें पर उद्योग बढ़ाने का अर्थ यह नहीं हो कि नया आये और पुराना जो है वह खतम हो जावे । ऐसी हालत में पुरानों को

(श्री श्रीनिवास शारदा)

भी निश्चित रूप से ये रियायतें मिलनी चाहिये ।

इसके बाद में जैसा संकेत मिला है कुछ कमेटियां हाउसिंग कार्पोरेशन और कुछ नये कार्पोरेशन्स इस साल राजस्थान में स्थापित होंगे । इन कार्पोरेशन्स को खोलने से पहले मैं विनम्र शब्दों में राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कार्पोरेशन्स तो आप बना लेंगे कुछ एडजस्टमेन्ट और हो जावेंगे ।

लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति है क्या? आप पैराफर्नेलिया बढ़ाना चाहते हैं, स्टाफ बढ़ाना चाहते हैं ? डवलपमेन्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं है । अगली साल इस सब का भार अगले बजट के ऊपर विशेष पड़ेगा और उस समय हमारी आखें खुलेंगी कि हमको कितने कर नये अपने डेवलपमेन्ट के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लोगों पर लगाने पड़ेंगे । तो इन कार्पोरेशन्स को खोलने के पहले थोड़ा यह अध्ययन कर लेना चाहिए था कि हमने आज दिन तक जितने कार्पोरेशन्स खोले हैं उनसे यदि हमें लाभ हुआ है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । आप और कार्पोरेशन्स खोलिये । आज जहां बजट की तरफ दिमाग जाता है, मैं यह समझता हूं कि सारे के सारे बजट के अन्दर डेवलपमेन्ट के काम के लिए पैसा नहीं है । जितना बजट के अन्दर पैसा है इसका बहुत बड़ा भाग आपके एस्टेब्लिशमेन्ट, पैराफर्नेलिया और स्टाफ आदि के ऊपर पड़ने वाला है, इसमें खर्चा होने वाला है । डेवलपमेन्ट के लिए पैसा नहीं है । रोड्स मैंने देखी हैं, इर्रीगेशन के साधन मैंने देखे हैं । यह सारे के सारे मैंने इस बजट के अन्दर छोटे-मोटे संकेत मिलते हैं उसके आधार पर मैं यह अनुभव करता हूं कि आपने इस साल बजट के अन्दर जो प्रोवीजन्स किये हैं, 13-14 करोड़ रुपये जो सरप्लस फण्ड में हैं उनसे आप घाटा पूरा करेंगे । स्पष्ट संकेत है कि बजट न केवल 63 लाख रुपये घाटे का है बल्कि 14½ करोड़ घाटे का बजट है । इसलिए कि आप 14 करोड़ सरप्लस फ़ण्ड से मीट आउट करेंगे । मैं राउन्ड फिगर में बात कर रहा हूं । आपकी इनकम 127 करोड़ की है जब कि आपके एक्सपेन्सेज 141 करोड़ के हैं । 14 करोड़ को सरप्लस से मीट आउट करेंगे । इस तरह से 63 लाख रुपये का घाटा बताया है अर्थात् यह स्पष्ट मान लेना चाहिए कि यह बजट लगभग 14 करोड़ घाटे का है। ठीक है लोगों के अन्दर यह भावना बन गयी थी हर बार जब बजट आता है टैक्स बढ़ेंगे। राजस्थान का बजट आने से पहले ऐसी चर्चा चलती थी कि बजट आने से टैक्स बढ़ेंगे 6 करोड़ के बढ़ेंगे, 12 करोड़ के बढ़ेंगे, 1 करोड़ महीने के टैक्स बढ़ेंगे । यह अच्छी बात है कि आम लोग अपने संतोष के लिए यह मान लेंगे कि हमने टैक्स नहीं लगाये । यह कोरा आत्म संतोष है कि टैक्स नहीं लगाये हैं । बजट घाटे का है अर्थात् इन सारे बजट प्रोवीजन्स को स्टडी करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बजट की आय में से बहुत बड़ा हिस्सा केवल एस्टेब्लिशमेन्ट के ऊपर खर्च होगा । जो आज हमारे समाज-कल्याण प्रोजेक्ट्स चलते हैं देहातों के अन्दर उनकी यह स्थिति है कि उनके पास जितना पैसा आता है अकाउन्टेन्ट और स्टाफ और छोटे मोटे कर्मचारियों के ऊपर ही डिस्ट्रिब्यूट होता है। लोगों को काम करने के लिए मैटीरियल

(श्री श्रीनिवास शारदा)

सप्लाई करने के लिए स्टाफ कुछ भी नहीं मिल पाता है। वही हालत अपने इस बजट की है।

रोड्स के बारे में मैं कहूं। निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ बड़ी इम्पोर्टेन्ट रोड है। 24 मील की यह रोड है और 4 तहसीलों की कमान्ड रोड है। इसी तरह से निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी बड़ी-सादड़ी-डंगुला और भदेसर मोस्ट इकोनामिक रोड है। आज उदयपुर जहां 90 मील का चक्कर काटकर जाना पड़ता है नीमच-नसीराबाद रोड से वहां 40 मील का चक्कर बच जाता है। इस रोड पर जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक है। हर दस पन्द्रह मिनट में एक ट्रक या बस गुजरती है उसकी आज दयनीय दशा है। आखिर एक व्हीकल ऑनर की जेब से पैसा जाता है तो राष्ट्र का जा रहा है। काफी इनकम की रोड है। सारी माइन्स उस ओर हैं। माइन्स से गवर्नमेन्ट को लाखों रुपये की रेवेन्यू मिलती है लेकिन वह रोड नहीं बन पाती है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में इस सड़क का जिक्र था। कहीं कहीं इस बजट में देखा है एक रोड का एस्टीमेट 4 लाख का है उसमें से 2½ लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस साल भी उसके लिए प्रोवीजन है। अरनोद से पीपल्दा की सड़क जो कि इन्टीरियर इलाके म है, प्रतापगढ़ से रतलाम रोड पर कनेक्ट करती है उसका एस्टीमेट 10 लाख का था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिए एस्टीमेट दिया हुआ था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में वह स्कीम थी उस पर अब तक खर्च क्या हुआ है केवल 10-15 हजार रुपया और इस साल उसके लिए प्रावधान कोई नहीं है। जहां एक रोड का एस्टीमेट 10 लाख का था उस पर आपने 10-15 हजार रुपया अब तक खर्च किया है और इस बजट में यह कहा जाये कि प्रावधान नहीं है तो आश्चर्य की बात है? अब इसके लिए तो यही कहा जाय कि जो पावरफुल थे और जिनके वैस्टेड इन्ट्रेस्ट थे और जो उनको सेफगार्ड कर सकते थे उन्होंने कर लिए। साथियों का और पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं। मैं समझता हूं कि आखिर इस बजट से राहत क्या मिलेगी? जितनी इम्पॉर्टेन्ट रोड्स हैं, इर्रीगेशन की स्कीम हैं गम्भीरी की स्कीम 44 लाख रुपये की ओरीजिनली थी, उपाध्यक्ष महोदय उसके ऊपर अब तक 70 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस स्कीम के कागज मैंने देखे हैं। जहां ओरीजिनल स्कीम यह बनाना चाहते थे किन्हीं प्रेशर्स के कारण उस स्कीम को बदल दिया गया। ज्यादा जमीन को सिंचाई मिलनी थी बदल दिया गया। स्कीम आज भी सक्सेसफुल है। 70 लाख रुपये उसमें लग गए लेकिन आज भी लाखों रुपये लगाने की आवश्यकता है। जहां नीमच से चित्तौड़ जाते हैं दोनों तरफ सड़कों के आसपास जहां जहां कैनाल गयी है पानी भरा हुआ है। न मालूम कितना पानी वेस्ट जाता है। अभी तक कमान्ड एरिया की जमीन का मसला साल्व नहीं हुआ। उसके सबमर्ज के अन्दर जिन किसानों की जमीन आती थी उनको वारिस खातेदारी राइट्स मिलने की बात थी अब तक नहीं मिल पाये। आखिर में कहता हूं कि एक एक पाइन्ट को यदि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं लूं तो मैं समझता हूं कि शायद किसी दूसरे माननीय सदस्य के रास्ते में मैं रुकावट पैदा करता हूं। मैं समझता हूं कि इसमें समय लगेगा....

श्री जयनारायण सालोदिया : हनुमान चालीसा का पाठ कराओ ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज आपस में बात मत करें ।

श्री श्रीनिवास शारदा : उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा आपकी खुशी के लिए आप कहें तो निवेदन कर दूं । सदन में बात बजट की करते हैं लेकिन यहां कभी राजस्थान की गवर्नमेन्ट के फार्मेशन की बात आ जाती है । कितनी ही बार इसको दोहरा चुके हैं । यह बात निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और यही सरकार बनाने की अधिकारी है । जो सदस्य तीन-चार हममें मिले यह भी निर्विवाद सत्य है कि वह कांग्रेस से ही छीने हुए थे....

श्री जयनारायण सालोदिया : भगोड़े थे ।

श्री श्रीनिवास शारदा : वह हमारे आदमी थे । हममें आये क्या नई बात हुई ? सरकार बन गयी ।....

श्री दिग्विजयसिंह : आपके आदमी थे तो पहले ही संभालते । पहले ही टिकट दे देते ।

श्री श्रीनिवास शारदा : कहीं केरल की बात चलती है । केरल के अन्दर एक पार्टी का बहुमत है । बड़े प्रेम से राज्य कर रहे हैं । उसमें हमें क्या शिकायत है । उत्तर प्रदेश की बात कही जाती है । उत्तर प्रदेश की यदि उपाध्यक्ष महोदय, एनेलेसिस किया जाय, पोस्टमार्टम किया जाय तो चरनसिंह जी में मेरी बड़ी श्रद्धा है उनमें, अब भी है । क्या यह लोग जो चरणसिंह जी के साथ जाकर बैठे उन्हें निभा सके हैं ? इन्हीं से प्रश्न कर लीजिए ।

यह चरणसिंहजी और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ?

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : धक्का देकर अलग कर दिया ।

श्री विजयसिंह रावत : धक्का लगेगा तो पता नहीं लगेगा कि किधर गये हैं ।

श्री रोशनलाल : यह राजस्थान में नहीं होने वाला है ।

श्री विजयसिंह : होगा तब आप सोते रहेंगे ।

श्री श्रीनिवास शारदा : चरणसिंह जी में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेसी संस्कार थे, वे कांग्रेस के सिद्धान्तों में पले थे, जिनकी वजह से आप उनको एडजस्ट नहीं कर सके ।

एक माननीय सदस्य : अब आप बिराज जाओ ।

श्री श्रीनिवास शारदा : 20 का बहुमत होने के बावजूद उन्हें त्यागपत्र क्यों देना पड़ा ? आप अखबारों को उठाकर देख लीजिये कि आलोचना किन की हो रही है ? आलोचना कांग्रेस की नहीं हो रही है, आलोचना हो रही है जनसंघ की और साम्यवादियों की आप आवेश में आकर सरकार के बनाने और बिगाड़ने और बदलने की बात कहते हैं तो कुर्सियां एक सरीखी हैं । इन कुर्सियों में और उन कुर्सियों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको इन कुर्सियों में एट्रेक्शन नजर आता है ।

(श्री श्रीनिवास शारदा)

बस, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! श्री चुन्नीलाल इन्दलिया !

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि नये सदस्यों को भी बोलने का मौका देना चाहिए ।

श्री रोशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सत्र में सदन में नहीं बोले हैं उनको पहले मौका देना चाहिए। मैं राज्यपाल के भाषण पर नहीं बोला और न बजट पर बोलने देते हैं तो अच्छी बात नहीं हुई है।

श्री केसरीसिंह हाडा : आप नये हैं क्या रोशनलालजी ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तीन दिन से बराबर प्रयत्न कर रहा हूं पर समय नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने दल के सचेतक से कहें ।

श्री मोहनलाल मोदी : दल की लिस्ट में दिया हुआ है नाम ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, श्री मथुरादासजी माथुर, ने बजट पेश किया है, वह बड़े नाटकीय ढंग से पेश किया है। इस बजट के पढ़ने से सारे राजस्थान की स्थिति सामने आ जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका बीकानेर जिसकी एक तरफ तो पाकिस्तान की सीमा लगती है और वहां पर न खाने को अन्न होता है और बरसात भी कम होती है। राजस्थान का मजदूर और राजस्थान का किसान इस बात को चाहता था कि हमारा देश आजाद हो। और हमारी जो सूखी धरती पड़ी है उस धरती को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। परन्तु इस बजट के पढ़ने से पता लगता है कि राजस्थान कैनाल के काम को पूरा करने का कहीं इस बजट में कोई जिक्र वित्त मंत्री महोदय ने नहीं किया है। यह बड़ी शर्म की बात है। हमारी देश की आजादी के लिए मरने वालों के पवित्र खून की छींटें जिस धरती पर पड़े थे, पाकिस्तान की लड़ाई में हमारे फौजी भाईयों के खून के छींटे जिस धरती पर पड़े थे तो वह धरती और उस प्रदेश के नागरिक इस बात की उम्मीद कर रहे थे....

श्री केसरीसिंह हाडा: ट्रेनीज ही ट्रेनीज रह गये और हैडमास्टर गायब हो गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मास्टर हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : आप बैठ जाइये। आप तो मास्टरों के मास्टर हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारी उस धरती पर राजस्थान कैनाल का पानी गंगाजल सा आया जहां हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के साथ देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और जहां पर हमारे नौजवानों का बलिदान हुआ था, उस धरती को राजस्थान कैनाल से सिंचित देखना चाहते थे । परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस राजस्थान के बजट में माननीय वितमंत्री महोदय ने राजस्थान केनाल का जिक्र भी छोड़ दिया। इस बात

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को कोई भूल नहीं सकता कि जब हमारे देश पर हमला हुआ था और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लोगों के सामने अपील की थी कि देश पर संकट है, देश की आजादी को खतरा है, हमें सोचना चाहिए, उस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त गंगा कैनाल जो गंगानगर जिले में है और जिसको महाराजा गंगासिंहजी लाये थे, उस गंग कैनाल के किसानों ने पंडित जवाहरलाल और इन्दिराजी को सोने में तोल दिया था।..

श्री केदारनाथ : मोरारजी को भी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मोरारजी को भी सोने से तोल दिया था। यह सब सारी गंग कैनाल के पानी और सिंचाई की शक्ति थी। हम सारे देश को सोने से तोलना चाहते हैं, परन्तु हमारे देश में उत्पादन और खेती का जो रोजगार है, जो लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश का किसान चाहता है कि देश आगे बढ़े देश खुशहाल हो, और राजस्थान कैनाल अगर पूरी कर दी जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को न पाकिस्तान से खतरा है, न दूसरे लोगों से खतरा है। यह देश सारी दुनिया को धान दे सकता है, ऐसी हमारी मान्यता है।

इस राजस्थान कैनाल को पूरा नहीं किया गया, यह खेद की बात है, और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी उस बात की तरफ ध्यान देंगे और इस काम को पूरा करेंगे। और इस देश में जो सदैव भयंकर अकाल ने जो डेरा लगा रखा है उस डेरे को हमें खत्म करना है। अगर हम राजस्थान कैनाल को पूरा कर दें तो कभी खाने की हमारे देश में कमी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सवाल में जहां राजस्थान कैनाल को बजट में जिकर नहीं किया है, लेकिन जहां ऊंचा पानी है और जहां के लोग चाहते हैं कि हम खेती करें और खेती सिंचाई से करें तो कुओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सीगा नहीं रखा गया है कि जिसमें से किसानों को कुओं के लिए लोन दिया जायगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में मनसर नाम का गांव है। उसके आसपास 6 गांव हैं। एक योजना राज्य सरकार ने पिछले साल और आज से 5-6 साल पहले यह घोषणा की थी कि उस काम को करेंगे, लेकिन उस काम को नहीं किया। मैं आपका ध्यान उस इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां सिंचाई से खेती हो सकती है। मनसर ऐसा इलाका है कि पूरे बीकानेर जिले को खाने के लिए दे सकता है। राज्य सरकार के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं, परन्तु खेद की बात है कि सरकार अन्धी है।

किसानों के लिये काश्त करने के लिए ट्रेक्टर नहीं है। ट्रेक्टर उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जो कि साधन वाले हैं, पैसेवाले हैं, पूंजीपति लोग हैं। गरीब किसान को आज तक किसी तरह का भी ट्रेक्टर या ट्रेक्टर का लोन नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

उपाध्यक्ष, महोदय, इस बजट के पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि सिंचा के लिए बिजली की कहीं भी एक लाइन नहीं ले गये हैं जब कि सबसे पहले काश्तकारों को बिजली देना चाहिए जिससे अन्न उपजेगा और काश्तकार देश के लिए धान देगा, लेकिन बिजली का कुछ जिक्र नहीं किया गया है। बिजली उन्हीं लोगों को दी जायेगी जो कि पूंजीपति लोग हैं जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं। उन लोगों को सरकार की नियत है कि बिजली देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल का पानी, और उससे सिंचाई तो दूर रही लोगों को—मैं बीकानेर जिले से आया हूं, और उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद उस इलाके के एक एक घर से जानते हैं, सारी स्थिति को जानते है कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है। इस इलाके में 20 साल की आजादी के बाद भी लोग पानी के विना तड़फ रहे हैं। पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार को पीने का पानी देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि हमारा एक जिला सीमा पर है और इस साल वहां पर भयंकर अकाल था, और अकाल होने के बावजूद भी कुछ 20-30 गांवों में फसल होने की आशा थी, परन्तु बाद में ओले पड़ जाने से उपड़ी हुई फसल जो थी 20-30 गांवों में नष्ट हो गई और हमारे जिले में भयंकर अकाल हो गया, लेकिन सरकारी अधिकारियों की ऐसी नियत हो गई कि इस जिले में पूरे में जमाना दिखाने की कोशिश की है, और सारे रेकार्डस पटवारी के पास थे तो गिरदावरी में जमाना दिखाया गया। मैं रेवेन्यू के डिप्टी मिनिस्टर साहब का ध्यान बीकानर जिले के किसानों और मजदूरों की तरफ दिलाना चाहता हूं। गिरदावरी वास्तव में वहां पर गलत हुई है। ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों और मुखिया लोगों ने कलेक्टर, तहसीलदार और एस० डी० ओ० के पास शिकायत की और गवर्नमेन्ट के पास भी शिकायत की लेकिन शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद नोखा की पंचायत समिति की जनरल मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया कि गिरदावरी नाजायज ढंग से हुई है इसकी जांच की जानी चाहिए लेकिन कोई जांच नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जिला परिषद की मीटिंग में 3 काग्रेसी एम० एल० ए० थे और चौथा मैं, गोकुल प्रसादजी सबसे पहले थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मजदूरों और किसानों के प्रति सहानुभूति है, उन्होंने इसमें शामिल होकर प्रस्ताव रखा कि हमारे यहां पर भयंकर अकाल है। यदि किसी अधिकारी ने इसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो हम ईंट का जबाब पत्थर से देंगे। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। उपाध्यक्ष, महोदय, मैं डिप्टी रेवन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंच सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला प्रमुख, लोक सभा के सदस्य और हम लोगों की बात झूठी है

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया).

आपके नौकर पटवारी, गिरदावर, एस० डी० एम० और कलेक्टर सच्चे हैं। बड़े खेद की बात है। इस बात की ओर ध्यान आज तक नहीं दिया गया। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप खुद मौके पर गये। लोगों के खेत सड़े पड़े थे गिरदावरी का कोई सवाल नहीं था लेकिन खेतों में काश्त होना दिखाया गया है। मंत्रीजी यदि चाहें तो मैं ऐसे खेतों के आंकड़े रख दूं जहां खेत जुते नहीं हैं। लेकिन गिरदावरी में काश्त दिखाई गई है। लेकिन सुनावें किसको? कोई सुननेवाला नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : समय तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी महरबानी हुई है. मेरे को समय कम मिला है और बाद में मिला है.....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के नेता बोलने को हैं तो उनको समय कम मिलेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: उनको समय नहीं दें तो भी कोई खास बात नहीं।

राज्य के वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया है. बड़ा तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसमें हरिजनों के लिये कोई ऐसी भावना जाहिर नहीं की है जिससे हरिजनों को सुविधा मिले और उनका उत्थान हो। हरिजनों से उनको घृणा है। बजट पढ़ने से साफ जाहिर होता है, वे चाहते हैं कि किसी तरह से इस तबके को दबाये रखें।

मेरे जिले में बीकानेर में चार हरिजन छात्रावास चल रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं, लेकिन खेद की बात यह है कि वहां पर छात्रों को न तो समय पर खाना मिलता है और न कोई साधन मिल रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इन चार छात्रावासों में से एक के लिये भी पढ़ने के लिये और बैठने के लिये बिल्डिंग नहीं है। बीकानेर में किराये पर एक बिल्डिंग है जिसको भी खाली कराने के लिये मालिक ने नोटिस दे रखा है और अदालत से खाली कराने के आर्डर्स भी प्राप्त कर लिये हैं। बिल्डिंग की हालत भी गिरी हुई है, गोकुलप्रसादजी जानते हैं। ऐसी टूटी फूटी हालत है कि कोई सुननेवाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए हरिजन भी देश की आजादी में किसी से पीछे नहीं रहे हैं। हरिजन लोग देश में काम करने में पीछे नहीं हैं लेकिन अधिकार प्राप्त करने में सबसे पीछे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि गांवों में बसने वाले मजदूरों और गांवों में रहने वाले किसानों के लिये सहकारी समितियों को सहकारी विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आज गांवों में कताई, बुनाई आदि के साधन हैं वे हरिजनों को नहीं दिये जा रहे हैं। देसलसर गांव है मेरी कॉंस्टिट्युएन्सी में वहां पर हरिजनों के नाम से संस्था बनाई गई है

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
लेकिन एक भी हरिजन को उसका मेम्बर नहीं बनाया गया है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। खादी ग्रामोद्योग भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। वे हरिजनों को काम पर नहीं लगाते हैं और यदि लगाते हैं तो पहले गुलामी की शपथ दिलाते हैं, गुलाम रहना पड़ेगा यह शपथ लेता है तभी जाकर उसको रोजगार मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया है उसमें कहीं मजदूर, किसान और हरिजनों और किसानों के लिये भूमि की सुविधा देने की बात नहीं है, जो सुविधा देनी चाहिये वह नहीं है। 1 लाख बीघा जमीन का जहां तक सवाल है यह नाटकीय सवाल है और बड़े नाटकीय ढंग से 1 लाख और कई बीघा जमीन रखी है। मैं उसको कुछ नहीं मानता। यह किसी के बाप की बपोती नहीं है। यह कोई भीख नहीं है। आज का किसान चाहता है कि उसको हल मिले, जमीन मिले, पानी मिले, देश के लिये वह अन्न पैदा करना चाहता है···

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप इस ओर ध्यान दें, सारे लोग सदन में बोलना चाहते हैं, या तो ऐसा कर दीजिये कि कुछ मेम्बर्स डेढ़ घंटा तक बोलते हैं वे इतना समय न लें मेरे ख्याल से पार्लियामेन्ट में बड़े बड़े लोग भी 20-25 मिनिट बोलते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मेरी पार्टी के टाइम में से बोल रहा हूं···

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका ही प्रश्न नहीं है। एक अच्छा तरीका है, सारे विषय पर वक्ता बोल जायं, आपका निर्णय हो जाय। पार्टी की तरफ से जितना समय मुकर्रर कर दिया जाय हम चाहते हैं कि 20 मिनिट से ज्यादा कोई नहीं बोले। सबको समान अवसर दिया जाय, यह नहीं कि एक आदमी डेढ़ घंटा तक बोले और एक को 10 मिनिट ही मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिसको माननीय सदस्य ने उठाया है, गंभीर है लेकिन यहां प्रश्न यह तय करने का नहीं है। इसके लिये हमारे संसदीय लोकतंत्र में व्हिप की परंपरा है। कौन बोले, किस समय बोले, कितने समय बोले इसकी व्यवस्था वह करता है, इसलिये उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात की चिन्ता न करें कि उनकी पार्टी के चीफ व्हिप उनसे जूनियर हैं, वे माननीय श्री गिरधारीलालजी को अपने सुझाव दे दें। हमारी मीटिंग आज ही हुई थी।

श्री मूलचन्द डागा : सचेतक···

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

इसमें यदि किसी दल के सदस्य ज्यादा समय ले लेते हैं तो दूसरों को समय कम मिलेगा, यह मानकर चलते हैं। जहां तक मुख्य सचेतक महोदय हैं उनका इसमें सहयोग लिया जाता है। लेकिन मुख्य सचेतक कहते हैं कि 10 मिनिट लेंगे लेकिन देखा यह गया है कि 25 मिनिट तक ले लेते हैं और इतना समय रहता है उस स्थिति में और कोई रास्त

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं है सिवाय इसके कि हरेक दल ने कितना समय लिया है उसकी सूची हमारे पास है उसके अंतर्गत कोई ज्यादा समय बोलता है तो उनके दल के कम सदस्य बहस में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स बने हुए हैं उनम है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उपाध्यक्ष महोदय को रूल्स बताते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने रूल्स ध्यान से नहीं पढ़े। कोई सदस्य बोल रहा हो तो उनके भाषण को बीच में समाप्त करने का अधिकार आसन को नहीं है। केवल उस परिस्थिति में जब आसन पहले व्यवस्था दे दे कि इस वाद-विवाद में इतना समय लगेगा और हरेक इतना समय लेंगे, इस स्थिति में आसन को अधिकार है या असंगत बात कह रहे हों तो सदन का ध्यान और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करके यह कहा जा सकता है कि वह भाषण समाप्त करदें। इसके अलावा आसन को अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य भाषण शीघ्र समाप्त करें।

(5 म० प०)

यदि बीस मिनिट में माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी और आपका जब बोलने का अवसर आये, तो मैं समझता हूं, आपको इसमें पहल करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों की ऐसी राय है कि सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री विजयसिंह रावत : बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बढ़ा दिया जाय साहब।

एक माननीय सदस्य : बढ़ा दिया जाय समय, जिससे ज्यादा सदस्य बहस में हिस्सा ले सकेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बढ़ाइये साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : एक घण्टा समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से, इस बैठक का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : अब जल्दी आप समाप्त करेंगे, यह मैं आशा लेकर चलता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : म चार-पांच मिनिट बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का इन्सान पढ़ना चाहता है मेरा इलाका बहुत लम्बा चौड़ा है और उसमें एक नौखा कस्बा है, आप स्वयं जानते हैं, लेकिन वहां अभी तक कॉलेज की व्यवस्था नहीं की गई है। वहां की जनता चाहती है कि यहां कॉलेज हो।

अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार···

श्री उपाध्यक्ष : जो मुद्दे की बात हो वह थोड़ी थोड़ी कह दीजिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह मुद्दे की बात है कि हमारी सरकार ने बीस साल से हरिजनों के नाम पर यह नाटक और ढोंग मांड रखा है। इस चीज को अब हरिजन बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज का जो हरिजन है, आज का जो मजदूर है, आज का जो किसान है, इनको अगर आप ज्यादा दिनों तक दबाये रखेंगे तो देश की जनता आपकी इस व्यवस्था के खिलाफ बगावत करेगी, आप लोग उस बगावत के मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे, और आप लोगों का कहीं पता नहीं लगेगा, आप लोग बगावत के धुएं में कहीं के कहीं जायेंगे, आपकी औलाद कहीं जायगी। आप लोगों को पता नहीं लग रहा है कि आज का व्यक्ति बीस साल की आजादी के बाद किस जगह पर बैठा हुआ है, और क्या हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : खेद की बात है कि यह लोग उस बात को भूल गये हैं। जिस वक्त देश के सामने आजादी का सवाल था, और देश के वीर भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाषचन्द्र बोष और मेरे परिवार के लोगों ने आजादी के लिए अपना खून दिया था, आपमें से किसी ने, या आपके परिवार में से किसी ने उस समय खून दिया तो आप हाथ खड़ा कीजिये.... (विराम)

श्री उपाध्यक्ष : एक आध तो खड़ा कीजिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, दुख की बात है....

श्री केशरीसिंह हाडा : यह लोग तो आनन्द उठाने में हैं।

श्री विजयसिंह रावत : कोई ने नहीं दिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इससे साबित होता है कि सिवाय गोकुलप्रसाद जी के किसी ने खून नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उन बातों को भूल गये हैं, जिस वक्त देश के सामने आजादी का सावाल था, देश के लोग आजादी चाहते थे, सुख शांति चाहते थे तो उस समय की बातों को यह भूल गये हैं। आज मैं जब इनके चेहरे देखता हूं, तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी आत्मा की बात कहता हूं कि इन मंत्रियों का चेहरा, तीस चालीस मंत्रियों का चेहरा ऐसा लगता है कि जैसे भूतपूर्व राजा महाराजाओं का लगता था, जैसे भूतपूर्व जागीरदारों का लगता था। आप नाराज मत होइये, मैं अपनी आत्मा की बात कहता हूं। आप सब भले लोग हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : चक्कर हमारे पास लगाते हो रोजाना ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: आप लोगों का चहरा देखता हूं तो उस समय के

(चुन्नीलाल इन्दलिया)
राजा महाराजा का चेहरा जैसा लगता है, जो उस समय व्यवस्था करते थे...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उस वक्त के राजा महाराजा, उस वक्त के जागीरदार, उस वक्त के डाकू, उस वक्त के लुटेरों का इतिहास मुझे याद आता है, जब मैं आपका चेहरा देखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि में, आप अपने मन में, आप अपने कर्मों में जरूर सुधार कर लीजिये, उससे आप लोगों को लाभ होगा, देश को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा और आपकी औलाद को भी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री आईदानसिंह !

सात मिनिट के समय की आपने मांग की है!

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : समयाभाव और धनाभाव से वक्त गुजर रहा है इसलिए मैं सिर्फ पांच मिनिट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद!

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 1968-69 का बजट देखने में आया, उसको देखने के पश्चात मेरी एक धारणा बनी कि यह सारे का सारा बजट भेदभाव, दलगत नीति से बनाया गया है, इस बात को आप मानेंगे। अधिक समय नहीं है, फिर भी मैं जल्दी से यह कहूंगा कि भारत सरकार के आगाह करने पर भी, भारत सरकार न कुछ अर्से पहले सारे डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे कराया था और यह अनाउन्समेंट किया था ऑलइंडिया रेडियो पर कि जालौर एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उससे हम लोगों की यह भावना बनी थी कि इस बजट में इसके लिए सबसे ज्यादा प्रावधान होगा। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि यह आगाह करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने उस जिले को अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। मैं यह नहीं कहता कि हमारा भाग्य खराब है। हमारे पास में आज पानी है, हमारे पास मे अनाज पैदा करने की क्षमता है, इसलिये हम किसी से भीख मांगने नहीं जायेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि जालौर भी राजस्थान का अंग है, हम लोग भी राजस्थान के साथ हैं। लेकिन सरकार की नीति को देख कर हम लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि जालौर जिला राजस्थान का अंग नहीं है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि आप अपना बजट प्रावधान देखिये, उसमें सिर्फ पचास हजार रुपया इसके लिए है जबकि यह करोड़ों का बजट बना हुआ है। तो फिर आप इस चीज को किस तरह से जस्टीफाई करेंगे कि जालौर जिला आपके राजस्थान का अंग है। यह जो पचास हजार रुपया रखा गया है, यह भी किसी डिफेन्स रोड के ऊपर लगाया जाना है, जो कि किसी बोर्डर रोड से लिंक करनी है। तो आपके अपने प्रावधानों

(श्री आईदानसिंह)

में उसके लिए इतना भी नहीं है। इस माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि 'विकास के मौजूदा स्तर' इस 'विकास के मौजदा स्तर' के जितने आंकड़े हैं, वह जालौर पर लागू नहीं होते। स्कूल वहां पर नहीं हैं, सड़कें वहां पर नहीं है, पानी के स्रोत होने के बाद भी राज्य सरकार में उसका उपयोग करने की क्षमता नहीं है, बिजली की वहां पर कमी है। फिर आप क्यों कहते हैं कि आपका बजट बड़ा प्रगतिशील है।

मैं शराबबन्दी के लिए थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसमें काफी समय लग जायगा। शराबबन्दी का जो पार्शियल कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया है, उससे करप्शन ज्यादा पैदा होगा। आप वहां पच्चीस किलोमीटर में जाकर देखिये कि क्या स्थिति है? इतना करप्शन एक्साइज डिपार्टमेंट में पहले नहीं था। एक गांव है मारवाड़ा, वह जालौर जिले में है। क्या सरकार नहीं जानती कि वह पच्चीस किलोमीटर में आता है लेकिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने, मैं साफ साफ कहूंगा, रिश्वत खाकर उस गांव को पच्चीस किलोमीटर से बाहर कर दिया है, कोई खींच कर नहीं, अपने नक्शे में कर दिया है और वहां पर शराब आज भी बेची जा रही है। इस वजह से इस बजट से कोई फायदा नहीं है। आज मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रोशनलाल।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने सदन के सामने जो बजट रखा, उस बजट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह राजस्थान के अन्दर समाजवादी समाज की व्यवस्था का जो कांग्रेस ने एक उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य को जल्दी से इस बजट के द्वारा पूरा किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बजट सदन के समक्ष रखा, वह बजट गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए, ग्रामों में रहने वाले जो काश्तकार हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि आज देश की स्थिति क्योंकि खराब है, उस स्थिति के अन्दर काश्तकार अधिक अन्न उपजायें और उस उपज के द्वारा राजस्थान की जो आर्थिक हालत खराब है, उस हालत को ठीक किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बजट सदन के समक्ष आया, जब इस बजट को देखने का मौका मिला तो यह बात तो ठीक है कि वित्त मंत्री महोदय ने उदयपुर जिले, राजस्थान के उन जिलों के जिन जिलों के अन्दर आदिवासी रहते हैं, जब से आजादी आई, तब से, बीस वर्ष से सोचते थे कि राजस्थान के अन्दर जनतंत्र आया है और जनतंत्र के अन्दर उनकी हालत ठीक होगी। बीस वर्ष के बाद हम हमारे वित्त मंत्री से आशा रखते थे कि वह राजस्थान के अन्दर शराबबन्दी को सारे राजस्थान में लागू करेंगे····

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे!

श्री रोशनलाल : मुझे जब यह सुनने का मौका मिला कि राजस्थान के अंदर उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिले के वह तहसील जो सिरोही से मिलती हुई है—कोटड़ा, झाडोल, खेरवड़ा

(श्री रोशनलाल)

है। इनमें शराबबन्दी लागू की जायगी। मुझे एक बात आपके समक्ष यह निवेदन करनी है कि राजस्थान सरकार ने आज के छः वर्ष पहले एक निर्णय लिया था, वह निर्णय यह था कि गुजरात की जो सीमा मिली हुई हं, उन सीमाओं के पास में शराब की दुकान नहीं खोली जायगी, शराब वहां बिकेगी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष तक सीमाओं के पास में, आसपास में शराब बिकती रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक शराबबन्दी का मामला है, जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी ने शराबबन्दी के कानून को इस क्षेत्र में लागू किया है, मैं उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं मगर जो कि उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील है, सराड़ा तहसील है, गिरवा तहसील है और दूसरी तहसीलें हैं जिनमें अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं, उन तहसीलों के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि आज आदिवासीयों की हालत खराब है, आज आदिवासी गरीब है तो उसका यदि कोई मल कारण है तो वह यह शराब है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छे।

श्री रोशनलाल : अगर यह शराब इस क्षेत्र में नहीं हो तो आज जो आदिवासी हैं उनकी हालत ठीक हो सकती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये वित्त मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस घोषणा से उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी ही, उन क्षेत्र के आज जो आदिवासी हैं, उनकी आर्थिक हालत ठीक होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग खेती में नहीं लगे थे, जो लोग शराब के नशे में बराबर रहते थे, जो लोग अपने परिवारों की हालत नहीं सुधार सकते थे, जो लोग शराब पीकर अपनी पत्नियों को पीटते थे, उनके बाल बच्चों के खाने पीने का गुजर नहीं होता, उस क्षेत्र के आदिवासियों को वित्त मंत्री जी आपने बहुत बड़ा यह कदम उठा कर राहत दी है। लेकिन जब कि एक तरफ हम देखते हैं, वह तहसीलें जिन तहसीलों ने राजस्थान सरकार से यह मांग की थी कि हमारे यहां शराब बन्द की जाय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सलूम्बर के आदिवासी नहीं चाहते हैं कि हम शराब पियें। मैं कई बार उन क्षेत्रों में जाता हूं, उन लोगों से मैं यह कहता हूं कि हम शराब नहीं पियें, तो हमारी हालत सुधरेगी। तो वह यह कहते हैं कि आप सरकार के द्वारा शराबबन्दी कराइये। आप हमें यह बात मत कहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का आप यह बहुत बड़ा कदम मानते हैं, तो आप यह हिम्मत करिये, राजस्थान सरकार में अगर हिम्मत है और हमारे वित्त मंत्री जी हिम्मत रखते हैं तो उदयपुर जिला जो कि आदिवासियों का काफी बड़ा क्षेत्र है, उस जिले में शराबबन्दी लागू करते तो मैं मानता हूं कि आदिवासियों को काफी राहत मिलती। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सुझाव देना चाहता हूं, आज से छः वर्ष पहले मैंने जैसा बताया, कि गुजरात की सीमाओं पर शराब बिकती थी, गुजरात के लोग कोटड़ा छावनी में आकर शराब पीते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला....

श्री जयनारायण सालोदिया : शराब पीने का ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मद्य निषेध समिति के सदस्य होने के नाते कह रहे हैं।

श्री रोशनलाल : उस समिति के अन्दर यह रखा कि गुजरात सरकार ने शराबबन्दी कर दी है, मैं कहना चाहता हूं कि उससे आज गुजरात सरकार की शराबबन्दी की नीति से आदिवासियों की हालत बहुत अच्छी हालत हो गई है। आप सदन में कुछ भी कह दें, मगर जो वहां काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम बीस-बीस वर्ष से उन आदिवासियों के बीच में काम करते हुए हो गये हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इन क्षेत्रों के आसपास 4 मील तक कोई भी शराब की दुकान नहीं रखे। अगर इस 4 मील के क्षत्र में शराब की दुकान नहीं रखी जायेंगी तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के आदिवासी, जिनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए शराबबन्दी की है, की हालत सुधरेगी, नहीं तो जो लोग आदी हैं, वह किनारे पर आयेंगे और शराब पियेंगे। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में 4 मील के क्षेत्र के अन्दर शराब की दुकान नहीं खोले, जिस क्षेत्र को आपने, आदिवासी एरिया को, शराबबन्दी के अन्दर लिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने राजस्थान के काश्तकारों के लिए यह कहा है कि हम एग्रो-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के द्वारा कृषकों को सुविधायें देंगे। जब यह बात उनके द्वारा इस सदन में कही गयी है तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज भूमि-बन्धक बैंक हैं, को-आपरेटिव बैंक हैं और एक यह तीसरा एग्रो-इन्डस्ट्री कॉर्पोरेशन खोला जा रहा है। मुझे जहां तक जानकारी है, जहां तक मैं उदयपुर जिले में घूमता हूं, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो काश्तकार कर्जे के लिए बैंक में जाते हैं तो उनको समय पर बैंक से कर्जा नहीं मिलता है। यह एग्रो-इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इस प्रकार का कॉर्पोरेशन नहीं बन जाए, जिससे बड़े बड़े काश्तकारों को तो कर्जा मिल जावे और जो गरीब काश्तकार कुआ खुदवाना चाहता है, जो मेड़बन्दी करना चाहता है, उसको कर्जा नहीं मिले। मुझे खुद को अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई काश्तकारों की दरख्वास्त भूमि बन्धक बैंक में दिलाई, भूमि बंधक बैंक से कर्जा लेने को, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि काश्तकारों का आने जाने में इतना खर्चा होता है कि वह यह कहते हैं कि इससे तो बनिया ठीक है जिससे अगर हम लोन लें तो रात को भी लोन मिल जाता है। मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान का कृषक बनियों के पास नहीं जाये क्योंकि उनका शोषण होता है। तो फिर इन संस्थाओं के द्वारा कृषक को आसानी से लोन मिल जाय, हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ? इस सदन के अन्दर बार बार इस समस्या को लाया गया है। यह बात सही है कि भूमि बन्धक बैंक के पहले जो नियम थे, उनमें कुछ सरलता की गई है, किन्तु उससे काश्तकारों को जितनी राहत मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं, वह स्वयं एक काश्तकार हैं, और उन्होंने कोआपरेटिव मूवमेन्ट में कई वर्षों तक काम किया है, हमें उनसे आशा है, उनके पास कृषि है, सहकारिता है, उनके साथ में कृषि और सहकारिता लाने के बाद भी आज राजस्थान के कृषकों को राहत नहीं मिलती

(श्री रोशनलाल)

है, लोन नहीं मिलता है, तो यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने खेती संरक्षण में पेस्टीसाइड के लिए जो 6 प्रतिशत ब्याज था, वह उन्होंने 3 प्रतिशत किया है । राजस्थान के काश्तकारों को बड़ी राहत दे दी, यह वह अपने दिल में मानते होंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं, 'जय जवान जय किसान' का नारा राजस्थान और हिन्दुस्तान में लगाते हैं, लेकिन काश्तकारों के खेत में फसल होने के बाद उस फसल में बीमारी आ जाती है और उसके लिए अगर वह औषधि चाहता है, दवा चाहता है, तो उस औषधि के लिए राजस्थान सरकार कहती है कि हम 6 पर्सेन्ट नहीं 3 पर्सेन्ट लेंगे । मैं तो यह मानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री यह भी राहत काश्तकारों के ऊपर नहीं करते तो बहुत अच्छा होता । हम 6 पर्सेन्ट भी देने के लिए तैयार हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान आज जानता है कि सरकार द्वारा हमारे साथ किस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है । आज आपने बिजली के अन्दर कई इन्डस्ट्रीज वालों को रियायत दी हैं, और बाकी करों में और भी रियायत दी है, तो एक तरफ राजस्थान के किसान से आप यह चाहते हैं कि वह खूब अनाज पैदा करे, दूसरी तरफ राजस्थान के उस किसान के ऊपर, अपने पेस्टीसाइड के ऊपर, जो बहुत आवश्यक है, जिसे राजस्थान के किसान जानने लग गये हैं कि इससे मेरी फसल की बीमारी दूर होती है, उस पर आपने इतना कर रखा है . . .

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे बिक्री कर समाप्त करें और राजस्थान के किसान जो कृषि के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको इसमें पूर्ण सहयोग दें । उपाध्यक्ष महोदय, बराबर इस सदन में और राजस्थान की जनता के बीच में राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि अब हम राजस्थान में छोटी सिंचाई योजना लागू करेंगे, क्योंकि बड़ी योजनाएं देरी से पूर्ण होती हैं और उनसे लाभ मिलता है मगर गरीब काश्तकारों को, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अदिवासी हैं, उनको इनसे लाभ नहीं मिलता है । वहां पानी की छोटी योजनाओं पर अधिक धन लगायेंगे । वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि इन योजनाओं पर अधिक रुपया रखा गया है । मैंने बजट देखा और इस बजट को देखने से मुझे यह मालूम हुआ कि इस प्रकार की छोटी योजनाओं पर गये वर्ष जो रुपया था उससे भी इस साल कम रुपया रखा है । जो अधूरी योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने रुपया नहीं रखा है, नई योजनाओं के लिए रुपया नहीं रखा है । मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं । उदयपुर जिले से पानी जोधपुर ले जाये जाने की कोशिश की जा रही है, उस क्षेत्र के बगरिया के पास से पानी ले जा कर जवाई बांध में डाला जायगा और जोधपुर वाले उस पानी को पीयेंगे । पानी जोधपुर को जाय इसमें हमें ऐतराज नहीं है, जोधपुर को और पानी चाहिये तो हम देने के लिए तैयार हैं, इसके लिये मेरी इन्कारी नहीं है, पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोगून्दा, कोटड़ा और झाड़ोल ये तीन तहसीलें ऐसी हैं कि जिनमें पानी नदी और नालों से बह कर जाता है, इन नदी नालों के पानी को रोक कर उन तहसीलों में छोटे तालाब बन सकते हैं, नदी, नालों को रोक कर एनीकट बनाय जा सकते हैं । मैं

(श्री रोशनलाल)

सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों का पानी बह कर गुजरात में चला जाता है, उस पानी को रोका जाय तो इस क्षेत्र को खुशहाल बनाया जा सकता है। एक तरफ शराबबन्दी उस इलाके में की है, उससे वहां के लोगों की आर्थिक हालत सुधरेगी और दूसरी तरफ यदि इस पानी को रोक कर छोटे-छोटे तालाब और एनीक्ट यदि तैयार करा दिये जाते हैं, तो इससे वहां के लोगों की हालत सुधरेगी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासियों का सुधार करेंगे और दूसरी तरफ आप इन लोगों के सुधार के मूल व आधार हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिये बजट में प्रावधान नहीं रखते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपने 15 मिनिट का समय चाहा था....

श्री रोशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात तो कहना चाहूंगा, वैसे आप कहें तो मैं बैठ जाऊं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने उदयपुर ज़िले की उपेक्षा की है....

एक माननीय सदस्य : वाह खूब !

श्री रोशनलाल : खेरवाड़ा तहसील में टीडी में गोदावरी नदी का काम रिलीफ में शुरू किया तो मैंने सोचा कि गोदावरी योजना का काम पूरा होगा पर गोदावरी के खैरवाड़ा, सराड़ा, बलुआ का काम, भारूंडी, खमनोर में सर्वे हो गया, उनके एस्टीमेट बन गये, पर मैं देखता हूं कि बजट में कोई प्रावधान राजस्थान सरकार ने इनके लिये नहीं रखा है, जिनसे कि ये योजनाएं पूरी हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष अकाल पड़ा, सम्वत् 2024 में, 23 में और 22 में उदयपुर ज़िले में भयंकर अकाल रहा, इस अकाल के समय राजस्थान सरकार ने हमें कहा कि हम सड़कों के ऊपर काम नहीं करेंगे, सिंचाई के कामों को पहले लेंगे, हमने राजस्थान सरकार की बात मान ली और उदयपुर ज़िले में जो प्लानिंग के काम थे, जिन कामों की उपयोगिता है, उन कामों को सिंचाई में लिया। पहले वर्ष में ही कुछ कामों को रुपया मिला। लेकिन इस बजट को देखा तो पंचायत समितियों द्वारा जो सिंचाई के काम लिये गये थे उन पर एक रुपया भी नहीं रखा गया है। सिंचाई विभाग द्वारा लिये गये कामों पर एक भी रुपया इस बजट में नहीं और सिंचाई की मद में नीचे बता दिया कि दुर्भिक्ष के लिए 2 लाख रुपया। उदयपुर ज़िले में राजस्थान सरकार ने खर्चा किया, वह 30 लाख रुपया तालाबों पर खर्च कर दिया है और उन तालाबों का काम पूरा करने के लिये अब 15 लाख रुपयों की जरूरत है, सिंचाई विभाग द्वारा काम कराने के लिए। और जो काम पंचायत समितियों ने हाथ में ले कर कराये हैं उनको पूरा करने के लिये भी 15 लाख रुपयों की अब और आवश्यकता है, पर राज्य सरकार ने एक पैसा भी इन कामों को पूरा कराने के लिए नहीं रखा है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इन कामों के लिए धन लगाया है, पर वे काम अधूरे होने के कारण, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उन कामों को पूरा कराने के लिए यदि इस बजट में पैसा नहीं रखेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने जनता

(श्री रोशनलाल)

की गाढ़ी कमाई का इतना पैसा व्यर्थ ही खराब किया है, इससे अधिक इसके संबंध में मैं और कुछ नहीं कह सकता ।

इसी तरह से सिंचाई के कुओं के लिये काश्तकारों को कर्ज देते हैं पर पूरा कर्ज नहीं देने के कारण, तकावी लोन देने के इस तरह के नियम हैं कि उनके अनुसार काश्तकारों को पूरा कर्जा नहीं मिलता है जिस कारण से वे कुएं पूरे तैयार नहीं होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उदयपुर जिले में अलग अलग पंचायत समितियों द्वारा इस बात की सर्वे कराई है कि उदयपुर जिले में तकावी लोन से या खुद के श्रम से कुएं बनाये गये हैं उनकी संख्या क्या है तो उस से यह मालूम हुआ है कि करीब सात–साढ़े सात हज़ार के उन कुओं की संख्या आती है । उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अधिक अन्न उपजाओ की बात की जाती है और दूसरी तरफ अधिक अन्न उपजाने के लिये कुएं खुदवाने के लिये कर्जा मांगते हैं, हम कोई सब्सिडी की मांग नहीं करते, हम तो कर्जा मांगते हैं, लेकिन उसके लिये कर्जा नहीं दिया जाता है, आज हमारे वहां साढ़े सात हजार कुएं अधूरे पड़े हुए हैं, उनको लोन नहीं दिया जाता है, आज आदिवासियों की हालत खराब है, छोटी जोत वाले काश्तकारों की हालत खराब है। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी से और पंचायत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तकावी लोन के नियमों में परिवर्तन करें और जिन लोगों के कुएं अधूरे पड़े हुए है, उनको पूरा खुदवा कर तैयार करने के लिये और लोन की जरूरत है तो उनको और लोन दिये जायं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने काश्तकारों को खरीफ की फसल के, मक्का की फसल के भाव निर्धारित किये हैं। मक्का की फसल के भाव 48½ रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से निर्धारित किये हैं और सरकार बार बार कहती है कि इन निर्धारित भावों से यदि भाव नीचे गये तो हम इन भावों पर काश्तकारों से अनाज खरीदेंगे और अनाज के भावों को इससे नीचे नहीं जाने देंगे लेकिन आज घरियावद तहसील में मक्का के भाव 48½ रुपया क्विन्टल से नीचे जा रहे हैं फिर भी खाद्य निगम काश्तकारों से अनाज नहीं खरीद रहा है। जब आप इसके लिये वचनबद्ध हैं और आपने राजस्थान के किसानों से बार बार यह कहा है कि जो भाव हम निर्धारित करेंगे, यदि उनसे नीचे भाव चले जायेंगे, तो राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अनाज राजस्थान सरकार खरीदे । इसी कारण से मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी यह नीति रही है कि हम काश्तकारों को कहें कि तुम्हारे अनाज के भाव निर्धारित करेंगे और तुम्हारे अनाज का उचित मूल्य दिया जायगा, इस प्रकार का किसानों को वचन दे कर उन किसानों का उनके अनाज का उचित मूल्य यदि आप नहीं देंगे, तो राजस्थान में काश्तकारों के अन्दर जो अनाज की अधिक पैदावार करने का उत्साह है, वह उत्साह खत्म हो जायगा और आयन्दा वे अनाज की अधिक पैदावार नहीं करेंगे ।

इसलिये हम आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहते हैं कि अनाज के जो भाव आप निर्धारित करें, उन पर आप दृढ़ रहें और राजस्थान की किसी तहसील में आपके द्वारा निर्धारित

(श्री रोशनलाल)

भावों से यदि भाव नीचे जाते हैं तो तहसीलदारों, पटवारियों और इन्स्पेक्टरों को जिम्मेदार ठहरायें कि वे कलेक्टर को सूचना दें और कलेक्टर इसकी समुचित व्यवस्था करें ।

राजस्थान के अंदर काश्तकारों के लिए दो क्रांतिकारी कानून बनाए गए, मैं क्रांतिकारी इसलिए कहता हूं कि काश्तकार आज गांव में बैठा हुआ है जो पैदा करता है, वह व्यापारी के द्वारा उसको मार्केट में ले जाना पड़ता है। आज काश्तकार के लिए सरकार ने वोहरगत कानून बनाया और काश्तकार ने घोषणा नहीं की यह कानून खराब है । कुछ शहर के लोग कुछ कस्बे के व्यापारी मिले, राजस्थान सरकार के सामने आए और उनकी बात को सुना । कानून लागू है मगर अमल नहीं होता है, यह अच्छी बात नहीं है।

इसी तरह से मंडी कमेटी की बात है, मंडी कमेटी का कानून बनकर जब आया राजस्थान के अन्दर । आपने काश्तकार के साथ विश्वासघात किया, मैं मानता हूं, अच्छी बात नहीं है ।

पंचायती राज के बारे में इधर से बैठने वाले सदस्य कल मांडलगढ़ से आने वाले जो हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि पंचायती राज में जो शिक्षक गए, शिक्षकों की हालत बहुत खराब हो गई है । मैं कह सकता हूं जब ये शिक्षक शिक्षा विभाग के तहत थे, उनको तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता था, उनको आज समय पर मिलता है. . . .

श्री केशरीसिंह हाडा : झूठ । सरासर झूठ है ।

श्री रोशनलाल : अगर कहीं इनका स्तर गिरा है तो वह मिडिल स्कूलों में गिरा है, हायर सैकेन्डरी में भी गिरा है ।

श्री विजयसिंह रावत : दूसरी जगह नहीं गिरा है ।

श्री रोशनलाल : नियमों में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आपके कहने से सरकार शिक्षकों को वापस नहीं ले सकती और जनता में आंदोलन होगा ।

श्री विजयसिंह रावत : सरकार को मजबूर होकर पंचायत समितियों से उनको निकालना पड़ेगा ।

श्री रोशनलाल : हरगिज नहीं होगा । कुछ सदस्य कहते हैं कि शिक्षा के अंदर राजनीति आ गई है, यह बिल्कुल गलत बात है । आज सरपंचों को पंचायत समिति व ज़िला परिषद् अधिनियम के तहत किसी शिक्षक को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है । एक पंचायत समिति एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानान्तरण करती है तो वह अधिकार विकास अधिकारी को है । मांडलगढ़ से जो आने वाले साथी हैं, वह बुजुर्ग हैं, मेहरबानी करके जो इसके नियम हैं उनको पढ़ लें । यह सही है कि प्रधान उसमें नहीं है, पहले था । डेढ़ साल पहले सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है । पंचायत समिति में एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरण होगा तो विकास अधिकारी करेगा, वह प्रधान की राय लेगा लेकिन प्रधान विकास अधिकारी को मजबूर नहीं कर सकता । ठीक है कहीं गलती हो सकती है । मांडलगढ़ से आने वाले साथी से कहना चाहता हूं कि आपको पंचायती राज में तो गड़बड़ नजर आती है, लेकिन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में

(श्री रोशनलाल)

गड़बड़ी नजर नहीं आती है। गांधीजी ने आपको और हमको खादी पहनना सिखाया, उस खादी उद्योग में कितनी गड़बड़ है ? आप उसके बीच में बैठते हो। यह जो बार-बार प्रश्न उठाया जाता है, पंचायती राज के द्वारा शिक्षकों को हटाया जाय, उसके लिए मैं कहता हूं कि राजस्थान में सादिक अली की रिपोर्ट है जिसके शिक्षा मंत्री सदस्य थे, हिन्दुस्तान के अन्दर कहां-कहां पंचायती राज है। किस तरह से पंचायती राज चल रहा है, राजस्थान सरकार ने एक समिति बनाई थी, शिक्षा मंत्री उसके सदस्य थे। उन्होंने काफी अनुभव करने के बाद रिपोर्ट दी है। मैं कहता हूं कि आप हायर सेकेन्डरी और मिडिल स्कूल्स भी इनको सुपुर्द कर दो।

श्री विजयसिंह रावत : हा, हा, हा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाकी कॉलेजों को क्यों रखते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : भाषण को कृपया छोटा करें।

श्री रोशनलाल : राजस्थान सरकार ने जो छोटी जोतों पर लगान की छूट की घोषणा की थी उस बजट के समय, मैं इस राय का हूं कि काश्तकार पर लगान नहीं रहनी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : थैंक यू वेरी मच।

श्री रोशनलाल : उनसे कृषि इन्कम-टैक्स लेना चाहिए। काश्तकार पढ़ा लिखा नहीं है। एक तरफ हम छोटे-छोटे व्यापारियों को देखते हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसलिए राजस्थान का काश्तकार यह चाहता है कि जो उसके पास जमीन है, उसका वह लगान दे। आज की जो राजस्थान की स्थिति है, उसके अन्दर इन्कम-टैक्स हम नहीं लगा सकते हैं तो यह आवश्यक है कि हम एग्रीकल्चर इनकम-टैक्स न लगाकर लगान लें और छोटी जोत वाले नहीं चाहते हैं कि उनसे लगान नहीं लिया जाय क्योंकि उसके दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में आ गई। जब राजस्थान सरकार ने आज्ञा दी कि हम जमीन पर से लगान नहीं लेंगे तो कहने लग गए कि उससे तो मालिक सरकार हो जायगी। लगान हम नहीं देते हैं तो क्या करेंगे। इस तरह की बातें गांवों में होने लगीं तो राज्य सरकार ने यह जो छोटी जोत पर लगान लेने की बात कही, हम उनकी सराहना करते हैं लेकिन साथ में मेरा सुझाव है कि जो छोटी जोतों वाले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी हालत सुधारने के लिए जो उनकी लगान का रुपया आता है वह एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट के अन्दर लगाया जाय।

मैंने गत वर्ष बजट के समय गोगुंदा और धरियावद के हैंड पम्प्स की बात की थी। आज इन दोनों पंचायत समितियों में घोटाला हुआ, बहरगांव पंचायत समिति में हजारों रुपयों का घोटाला हुआ। पंचायत विभाग उस पर सुस्त है, हमने कई बार उसको पत्र लिखे और ध्यान आकर्षित किया कि हजारों रुपयों के जो घोटाले हुए हैं इन पर आप कार्यवाही करें, मगर आज कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर अधिक समय न लेकर जब पंचायती राज पर कट मोशन्स आयगे तब सारी स्थिति रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, उस पर पूर्व-वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है। क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिये मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता जिन पर माननीय सदस्यों ने पहले प्रकाश डाल दिया है। कहना यह होगा गहराई से पढ़ने पर कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, न तो आशावादी है न हम इसे प्रगतिवादी कह सकते हैं। यह बजट ऐसा है "जहां हो वहीं रहो" बजट पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालने से निश्चित रूप से पता चलता है कि हमारे पास में विकास कार्यों के लिए कोई क्षमता बाकी नहीं रह गई है। सन् 1952 से लेकर 1967 तक, 15 वर्ष के अन्दर जहां पर इतनी देनदारियां लगभग 5 अरब के हो गई, वहां पर जो एसेट्स हम बना पाए उसमें 21 करोड़ कम पड़ते हैं, लायबिलिटीज हमारी ज्यादा हैं लेकिन एसेट्स कम हैं, और 15 वर्ष के पश्चात् हम किस स्थिति में पहुंचे हैं ठीक 20 वर्ष पहले चले गए, 1947 की स्थिति में आ गए। 1947 में देशी रियासतों से जो कुछ सम्पत्ति मिली थी, यह 21 करोड़ का चार्ज उस संपत्ति पर आकर पड़ता है। तब जाकर यह लायबिलिटी पूरी होती है। रियासतों की जो सम्पत्ति राजा-महाराजाओं से मिली, यह हमारी एक प्रगति है। मैं यह निवेदन करूंगा कि 20 वर्ष तक हम एसेट्स बनाते गये लेकिन एसेट्स को कभी सदन में नहीं बताया जिससे हमारी क्षमता, राज्य सरकार की क्षमता इस प्रकार की बढ़ा सकें और उससे हमारे विकास कार्यों में ज्यादा खर्च कर सकें, यही एक स्थिति है क्योंकि राज्य सरकार विकास कार्यों में अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा सकती है इसलिये केन्द्रीय सरकार भी उस पर ज्यादा नहीं दे सकती है। आखिर कोई सहायता भी करें तो कहां तक करे? रवैया यह है कि आचार्य वाणभट्ट ने कहा है कि जो कुछ मिले आनन्द से रहो, कर्जा जब तक मिले खूब कर्जा लेते रहो, आखिर कारण क्या है? विकास कार्यों में भी कोई ऐसा मद नहीं है चाहे आ सिंचाई को ले लीजिए, पानी को ले लीजिये बिजली को ले लीजिये जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाते हैं, सार्व-जनिक कष्टों को दूर करते हैं और साथ में यह एक ऐसी व्यवस्था है जो राज्य को निश्चित रूप से आय देते हैं—आखिर क्या कारण है? इतने साधनों के होने के बाद भी हम राजस्व को नहीं बढ़ा सके। मैं मुख्य रूप से दो कारणों को मानता हूं। एक तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं और मुझे बहुत बड़ा शक है कि राज्य की आय के जो श्रोत हैं वे ठीक प्रकार से नहीं आंके जाते हैं और दूसरे जो कुछ आय होती है वह ऊपर की ऊपर ही हजम हो जाती है। जहां तक हमारी भू-सम्पदा का सवाल है, राजाओं के समय में यह बहुत कम थी। भू-सम्पदा का शोषण नहीं किया गया था, एक्सप्लाइटेशन किसी भी रूप में नहीं किया गया था। किन्तु उसके एक्सप्लाइटेशन के बाद में यानि यह सने 52 से शुरू हुई। भू- सम्पदा के रूप में प्राकृतिक वन राजस्थान की धरती पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे दुखः होता है कि इतना भ-शोषण होने के बाद भी हमारी राजस्व में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। मैं यह मानकर चलता हूं कि इतनी बड़ी सम्पदा जिसकी आय सही ढंग से लगाई जाय तो 67 में हमारा राजस्व दुगना हो जाता है। और तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं अपने जिले

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

के अन्दर ही बता सकता हूं कि प्राकृतिक सम्पदा का भन्डार है। जागीरदारी समाप्त हुई, जागीरदारी समाप्त होने के पश्चात सवाई माधोपुर में घने जंगल हैं और अभी कल ही वित्त मंत्री जी ने यह बताया है कि अब तक जबसे राजस्थान बना है 981 बीघा जंगलों को कटवाया जा चुका है। खास तौर से वे जागीरों के जंगल—उस सम्पदा को ठीक ढंग से नियन्त्रित किया जाता, सही ढंग से काटने की अनुमति दी जाती तो 10 हजार से अधिक की आमदनी हो सकती थी। परन्तु चुपके चुपके उनको काटने के लिये दे दिया है। केवल कागजों में लिखा हुआ, कागजों का पेटा भरा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सारों को कटवा दिया गया है। और अभी भी वहां सिलसिला जारी है जंगल कटते जाते हैं और प्राकृतिक सम्पती का विनाश होता जा रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि खनिज पदार्थों को ले लीजिये। राजा-महाराजाओं के टाईम पर कितनी खानों को खोदने का काम चला, नहीं था बिल्कुल उस समय। हमारी वसुन्धरा में सारे खनिज छिपे हुए हैं और उनका जो आऊट लेट है, वह भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में है। दूसरे इनका ठीक प्रकार से निरीक्षण किया जाय तो मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारा राजस्व अधिक बढ़ सकता है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 67 का वर्ष गिरावट का वर्ष मानता हूं। 67 के वर्ष में खाद्यान्नों में गिरावट हुई, उद्योग-कारखानों में गिरावट हुई, रोजगार में गिरावट हुई और मैं तो यह मानकर चलता हूं कि सारे ही उत्पादनों में गिरावट हुई है, और यहां तक हुई है कि कांग्रेस के मतों में भी गिरावट हुई है। हम यह मानकर चलते थे कि लगातार तीन वर्षों तक राजस्थान में दुर्भिक्ष पड़ा है, उससे कम से कम राज्य सरकार को यह विश्वास बंध गया होगा कि जो बड़ी बड़ी स्कीम बनाई गई हैं, वे सब बेकार हैं। प्राकृतिक प्रकोप से न जनता को बचाया जा सकता है, न किसान को बचाया जा सकता है और न राज्य को ही बचाया जा सकता है लेकिन अब जो बजट बना है उससे ऐसा महसूस होता है कि सिचाई की मदों में जितनी बड़ी बड़ी रकमें और ज्यादा से ज्यादा रकमें रखी गई हैं, वे भी सब बेकार हैं। लघु सिचाई के लिए फिर योजनाओं को काट दिया गया है, यह समझदारी का नमूना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 7 मिनिट का समय मांगा था, वह समाप्त हो गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अब मैं समाप्त कर देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो वैसे अभी आरम्भ ही किया है। एक अरब केवल राजस्थान कैनाल में लगाया, उसकी जगह छोटे छोटे कुए हर खेतों पर खुदवा देते, हर जगह बिजली का कनैक्शन दे देते, तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि प्रकृति के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसके बारे में एडजोर्नमेन्ट मोशन भी पेश हुआ था। फसल में कीड़ा लगा हुआ है, रबी की गिरदावरी हो चुकी है। मैं अपने जिले और क्षेत्र की बात करता हूं वहां रोडी का कीड़ा लगा हुआ है। मैं मानकर चलता था कि एक बीघा में 20 मन और इससे भी ज्यादा पैदा होगा लेकिन वहां दो मन भी पैदा नहीं हो सका है। एक किसान के लिए पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते, कीड़ों को मारने की व्यवस्था कर नहीं सकते, उसकी पैदा हुई फसल को बचा

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

नहीं सकते तो सारे का सारा कृषि विभाग क्या काम करता है ? जब कीड़ों की बीमारी चलती है तो वक्त पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरे जिले में और मेरे क्षेत्र में यही हुआ है। दवा नहीं थी। किंकर्तव्यविमूढ़ किसान भी रहा और आपके अधिकारी वर्ग भी रहे। कागजों में केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, काम जब चलेगा जब आप जो कुछ नीतियों की घोषणा करते हैं, उनका सही ढंग से प्रतिपालन हो, तभी जाकर जनता को और किसान को राहत मिलेगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी जो यहां पर विराजमान हैं तो सहकारिता के बारे में भी कह देना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने जो जिला प्रमुख भी रहे हैं और उस तरफ बैठते हैं उन्होंने अभी अभी कहा है किसानों को फाइनेन्स करने में लैन्ड मोर्टगेज बैंक हैं, कोआपरेटिव बैंक हैं। अलग एग्रीकल्चर कोआपरेटिव फंड कायम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे विकास के काम जिसके लिये राज्य सरकार खर्च नहीं चला सकती है, उसके द्वारा होंगे। वहां पर किसानों को इन दोनों बैंकों के माध्यम से अपने छोट-छोटे कामों के लिए ऋण मिला करेगा, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि लैन्ड रेकार्ड इनके लिये बहुत जरूरी है। आपने यह देखा होगा कि जिसके पास 20 साल से जमीन का कब्जा है, वह जमीन को बराबर जोतता आ रहा है लेकिन खातेदारी उसके पास नहीं है, खातेदारी वाला दूसरा है तो वह तो ऋण से महरूम रह जाता है क्योंकि खातेदारी में उसका नाम नहीं है। 20 वर्ष गुजर जाने के पश्चात मेरे ख्याल से यह 24 वां वर्ष रहा है अभी तक रि-सेटिलमेंट नहीं हो पाया और रिसेटिलमेंट होने के बाद ही ट्रान्सफर किया जाता है। मैं समझता हूं कि हर एक किसान की बाकायदा पास बुक बने जिसमें पूरा इन्द्राज समय समय पर किया जावे कि कितनी भूमि चाही है, कितनी बारानी है और उस पास बुक में यह भी इन्द्राज हो कि उसे कोआपरेटिव बैंक से कितना मिला है, लैन्ड मोर्टगेज बैंक से कितना मिला है, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि वसूली के समय दिक्कत पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूं कि हर वर्ग उस पर हावी हो जाता है। जो दरअसल इनमें अधिक सम्पन्न है, जो किसी प्रकार से पूंजीपति से कम कहलाने वाला नहीं है, जो बाअसर हैं है, मिसएप्रोप्रियेशन ऑफ अमाउन्ट के केस अगर चलते हैं तो वह अपने प्रभाव में आये हुए अपने किसी व्यक्ति के नाम दिला देता है। तो इस तरह से लैंड मोर्टगेज से भी सहूलियत और कर्जा उस सम्पन्न किसान वर्ग को ही मिलता है, गरीब को नहीं मिल पाता। पर पास बुक की व्यवस्था हो जाने से इस प्रकार की बातें जरुर कम हो सकेंगी और वास्तव में गरीब किसान को और जरुरतमन्द को पैसा मिल भी सकेगा।

दूसरी बात यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बात कही जाय सही नीयत से की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का समय आप ज्यादा ले रहे हैं। दूसरे साथी वंचित रह जावेंगे।

श्री रामकिशन : उनका कहना तो यह है कि उनके दल का समय ज्यादा है,

(श्री रामकिशन)
उसमें जा मिलेंगे। जिस दल का समय ज्यादा होगा उसमें चले जावेंगे ये तो।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सरकार जिस स्कीम को ले उसे खुले दिल से चलावे। इसके बजाय तो स्कीम ही न बनावे, तो अच्छा है। चाहे वह फिर पंचायत राज की बात हो चाहे सहकारिता की।

पंचायत राज की आज स्थिति यह कर दी है कि न वह जिन्दा है न मरा है। पंचायत समिति बौली में प्रधान और उप प्रधान कोई नहीं है। आठ लाख साल का बजट है। वह पैसा तनख्वा में जा रहा है, विकास काम होता नहीं। स्टेन्डिंग कमेटी का कोआप्शन बन्द है। मीटिंग का काम नहीं। हर क्षेत्र में जब राजनैतिक दृष्टिकोण अपना लिया जाता है, तो वातावरण दूषित होने के साथ साथ लक्ष्य की पूर्ति भी होती नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में इसी कारण न्याय पंचायतों की सीटें खाली पड़ी हैं। तो उस स्टेज तक भी ये बातें चल जाती हैं, तो यह राज्य सरकार के लिये बहुत ही बुरी बात है।

वित्त मंत्री जी ने कुछ उद्घोषणाएं की थीं एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी के सेपरेशन्स की। केवल इस सेपरेशन में जडीशियरी का वर्क आई० पी० सी० का आने वाला है। मैं मानकर चलता हूं कि उनका सेपरेशन हो जावेगा। पर यह सेपरेशन सही माने में तब माना जावेगा जब हाई कोर्ट की तहत आने वाले अफसर की कैटेगरी अलग हो जावे। इसी प्रकार से रेवेन्यू वालों के लिये रेवेन्यू बोर्ड का भी सेपरेशन हो, तब सेपरेशन का पूरा मतलब हल हो सकेगा। वरना तो ताजीरात हिन्द के सिविल केस सेपरेट कर दें, यह कोई खास सेपरेशन नहीं है। इसी प्रकार से स्पेशलएक्ट्स के कितने केस हैं वे पावर एग्जीक्यूटिव आफिसर को रहेंगे, वह भी उसके लिये नहीं आते हैं।

इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे आप विकास के किसी भी काम को ले लीजिये आपकी योजनाएं ठप्प इसलिये हो जाती हैं कि बरसों पूरा करने में लगा दिये जते हैं। रुपया पड़ा रहता है। यह खराबी आती है केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से सारे काम करने के कारण। डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर का अस्पताल दामोदरलालजी व्यास की फाइलों में दबा पड़ा है। किस जगह बनाया जावे, अभी यही फाइनल नहीं हो पाया है। पैसा लैप्स हो जावेगा। यह दृष्टिकोण खतरनाक है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : जो बजट पेश किया गया है उसमें 8 तारीख को कहा गया कि छोटी जोतों पर वापिस लगान लिया जावेगा, यह सरकार की कथनी करनी का अन्तर बताती है।

दूसरा जो फेमीन डिक्लेअर करते हैं, उसका पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। जहां वास्तव में फेमीन है। केकड़ी में कुछ गांवों में ओला वृष्टि हुई और फसल नष्ट हो गई फिर भी वहां फेमीन डिक्लेअर नहीं किया।

कृषि के बारे में निवेदन करूंगा कि अभी जो उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी का कानून बना है वह तुरन्त लागू होना चाहिये क्योंकि महाजन वर्ग किसान को चूस रहे हैं।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

चर्म उद्योग पर तीन पर्सेन्ट का टैक्स कम किया जाना चाहिये। क्योंकि यह धन्धा अधिकतर गरीब परिगणित जाति के लोग करते हैं। मैं समाज कल्याण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस जाति की भलाई के लिये इस टैक्स को कम करावें।

दूसरी बात है, जो यहां से मेंढे जाते हैं, बम्बई, महारष्ट्र को उसमें एक मेंढे पर 2½ रु० टैक्स रखा है। यह भी ज्यादा है जबकि राजस्थान से एक साल में एक एक लाख मेंढे बाहर जाते हैं। इसका टैक्स ढाई लाख होता है जिसमें बहुत सा हिस्सा चोरी में जाता है, पूरा राज के खजाने में जमा नहीं होता फिर आप उतना ही लें जितना सरकारी खजाने में आता है। इसे कम करें और इतना सक्षम बनावें कि चोरी न हो सके।

शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरा ऐसा क्षेत्र है जहां से निर्वाचित मन्त्री अर्से तक शिक्षा मन्त्री रहे और मुख्य मन्त्री भी- अजमेर में रह चुके हैं पर अभी तक इस क्षेत्र में सही शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पचास-पचास मील तक आस-पास में कहीं कालेज नहीं है जहां गरीब छात्र जा सके। केकड़ी में कालेज का निर्माण चालू है उसको अति शीघ्र बनाने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि कहावत है नाम बड़ा और दर्शन खोटे। वहां से बड़े-बड़े आदमी मन्त्री चुनकर आ गये पर काम कुछ नहीं किया। मैं बताऊंगा केकड़ी में तीस साल में एक छोटा सा बांध तालाब बना है-आबड़ा बान्ध। रात दिन लड़ाई झगड़े इसके लिये होते हैं। कमाण्ड में जो गांव आते हैं, रात दिन लकड़ी लेकर लोगों को वहां बैठना पड़ता है और फिर लड़ते हैं। पहले मेरे यहां पानी जावेगा फिर मेरे जावेगा। इसलिये सिंचाई मन्त्रीजी से कहूंगा कि अजमेर-कोटा रोड पर आवड़ा की योजना को बढ़ावें ताकि सारे कमाण्ड एरिया में पानी समय पर पहुंच सके।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से भी निवेदन करूंगा कि केकड़ी क्षेत्र में सिर्फ 14 मील सड़क पक्की बनी है। पहली योजना में केकड़ी से कालेड़ा तक पांच मील का टुकड़ा पक्का बना है। वह भी नहीं के बराबर है। बाकी का 8 मील का टुकड़ा तीन योजनाओं में भी पूरा नहीं हो सका। बघेरा रोड का सर्वे पहली योजना में हुआ। वह भी अभी पड़ी है। उसको पक्का करवाने की कृपा करें।

यह जो जल योजना अजमेर ले जाई जा रही है उसमें से केकड़ी और सरवाड़ क्षेत्र को भी पानी दिया जावे जिससे वहां की जनता को अच्छा पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बातें तो बड़ी-बड़ी करती है, वादे भी करती है और शिड्यूल्ड कास्ट के लिये कहती हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 6 बजे, दिनांक 13, मार्च 1968 के प्रातः 8 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 560 की सूची)

दिसम्बर, 1967 में ओलों की वर्षा से हुए नुकसान वाले गांवों की सूची

तहसील जैतारण:-	1–मोहराई, 2–ब्रोरामपुरी, 3–दागला, 4–समीखी, 5–देवरिया, 6–पाटवा, 7–जाजणवास, 8–राजादंड 9–लखासनी, 10–गरनीया, 11–पृटवीपुरा, 12–हुनां-बास खुर्द, 13–हुनावास कलां, 14–खातीखेड़ा, 15–उवासरलाई, 16–नीमाज, 17–ओगेवा, 18–जैतारण, 19–रतपुरा ।
तहसील रायपुर:-	1–हाजीवास, 2–धूलकोट, 3–गिरी, 4–बूटीवास, 5–रामावास, 6–मेशीया, 7–चावडीया, 8–चांग, 9–चिताड़, 10–नानणा, 11–रेलड़ा, 12–मोडपुरा

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 561 की सूची)

मानचित्र (क)

अजमेर जिले में गत पांच वर्षों में अवैध शराब, अफीम, गांजा, भंग के पकड़े गये मामलों का

विवरण

क्रम	वर्ष	शराब	अफीम	गांजा	चरस	भंग	कुल योग
1	1962-63	280	13	8	..	2	303
2	1963-64	135	1	4	..	4	144
3	1964-65	147	1	7	..	7	162
4	1965-66	236	3	4	..	8	251
5	1966-67	222	1	3	..	4	230
कुल योग..		1 020	19	26		25	1,090

Page No. 144

मानचित्र (ख)

राज्य कोष में धन प्राप्ति का विवरण

क्रम	वर्ष	विभागीय स्तर पर निपटाये गये अभियोगों से प्राप्त धनराशि	न्यायालयों द्वारा निर्णीत आबकारी अभियोगों से प्राप्त धनराशि	योग
1	2	3	4	5
1	1962-63	3,615	2,007	5,622
2	1963-64	3,776	5,282	9,058
3	1964-65	2,567	3,566	6,133
4	1965-66	7,975	7,583	15,558
5	1966-67	7,129	4,951	12,080
	कुल योग..	25,062	23,389	48,451

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची)

सूची (अ)

सन्	आबादी हेतु भूमि की मांग एवं बिला इजाजत मकान बनाने	काश्त के मामले (एलोटमेन्ट नियमन)	चरागाह परिवर्तन	लावारिस व फरारी	दफीना	अन्य (वृक्ष काटन आदि)
1964	3	—	—	2	—	8
1965	20	17	1	10	1	11
1966	118	207	19	28	3	56
1967	24	129	6	16	4	14
1968	—	30	—	—	—	—
योग:..	165	383	26	56	8	89

कुल: 727

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 576 की सूची)

सूची "क"

खर्चे का मद	खर्च की गई राशि सम्वत् 2020	2021	2022	2023
1—सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया खर्च	9,76,587)	7,52,414)	10,65,030)	7,84,140)

सूची "ख"

अभावग्रस्त ग्रामों का विवरण

नाम तहसील	सम्वत् 2020	2021	2022	2023	2024
1—जैसलमेर	235 गांव	121 गांव	286 गांव	386 गांव	386 गांव
2—पोकरण	125 गांव	59 गांव	12 गांव	126 गांव	116 गांव
योग	360	180	409	512	502

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 557 की सूची)

नागौर जिले के 61 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन तहसीलवार जो स्वीकृत की गई उसकी सूची (अ)

1	तहसील नागौर	..	..	10
2	तहसील मेड़ता	..	..	3
3	तहसील डीडवाना	..	..	1
4	तहसील परबतसर	..	..	30
5	तहसील जायल	..	..	7
6	तहसील डेगाना	..	..	3
7	तहसील लाडनू	..	..	7
8	तहसील नावा	..	..	—
			कुल योग:—	61

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 562 की सूची)

SABI IRRIGATION PROJECT

(A) LIST OF VILLAGES WHOSE POPULATION WILL BE EFFECTED (SUBMERGED)

1. Islampur
2. Dhelnawas
3. Dhunwas
4. Jatonki Dhani
5. Badhin
6. Jalalpura (Apart)

(B) LIST OF VILLAGE WHOSE LANDS ONLY WILL BE EFFECTED

1. Ajmeripura
2. Dish
3. Nagalis
4. Mohamadpura
5. Kakra Mosampur
6. Dangiwas
7. Dashi
8. Bhadiwas
9. Baberi
10. Jira Dhani

(C) LIST OF VILLAGES OF THE AREA TO BE BENEFITED BY SABI IRRIGATION PROJECT

1. Chhapar
2. Padmaro Khurd
3. Karhi Kot
4. Boprali
5. Padmaro Kalan

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 580 की सूची)

पंचायत समिति फागी में ट्रैक्टर पर हुई आय व्यय का विवरण

वर्ष	आय	व्यय
1962-63	2,121.69	4,637.40
1963-64	5,985.49	4,555.20
1964-65	5,861.60	7,381.30
1965-66	10,269.34	8,495.17
1966-67	8,853.19	9,863.28
1967-68 (दिसम्बर, 67 तक)	5,454.10	3,128.49

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 462 की सूची)

आदेश राजस्व (ख) विभाग के अन्तर्गत केवल चरागाह की भूमि पर जिन काश्तकारों न नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली थी, उनके ही खेतों की फसल को चरवाया गया है। सूची तहसीलवार निम्नानुसार है :—

नाम तहसील	नाम गांव	तादाद काश्तकार
तहसील गढी	आसोड़ी	1
	भरड जाल	3
	भादलदा	5
	कुवाड़िया	2
	बखतपुरा	3
	खोड़न	12
	सुजाजी का गढा	11
	बोदीया	5
	भगोरा	6
	नाटावाडा	4
	योग ..	52
तहसील घांटोल	मोरड़ी	1
	बडाना	1
	कराना	26
	योग ..	28
	कुल योग ..	80

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 227 की सूची)

पालो जिले के अनुसूचित जातियों और गाडिया लोहारों को मकान बनाने के लिये जो प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी सूची "अ"

जाति	परिवारों की संख्या	भेजने के क्रमांक	दिनांक
1. मेहतर (पाली)	26	2,720	23-9-67
2. मेघवाल (पाली)	21	2,559	6-9-67
3. मेघवाल (बाली)	20	8	3-1-68
4. गाडिया लोहार (पाली)	16	2,688	19-9-67
5. भांभी (पाली)	19	2,627	18-9-67
6. मेहतर बिराठिया कलां तहसील रायपुर	31	138	27-1-68

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची)

राजस्थान के नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-67 को काम की प्रतीक्षा में उपलब्ध शिक्षित अभ्यर्थियों की तालिका

क्रमांक	नियोजन कार्यालय	कार्यक्षेत्र के ज़िले	चालू रजिस्टर 31 दिसम्बर को
1.	अजमेर	अजमेर	3,523
2	अलवर	अलवर	2,573
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	598
4.	भरतपुर	भरतपुर	2,294
5.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	1,190
6.	बीकानेर	बीकानेर, चूरू	1,762
7.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	1,032
8.	जयपुर	जयपुर	6,136
9.	झुंझुनू	झुंझुनू	1,220
10.	जोधपुर	जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर	2,577
11.	कोटा	कोटा, बूंदी, झालावाड़	3,203
12.	नागौर	नागौर	1,138
13.	पाली	पाली	591
14.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर, टोंक	2,167
15.	सीकर	सीकर	965
16.	सिरोही	सिरोही, जालोर	696
17.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	2,032
18.	उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर	2,209
		कुल योग राज्य का	35,906
19.	राजस्थान विश्वविद्यालय सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, जयपुर		158

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 1968)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	1	या	क्या
6	अन्तिम से 9	इमोर्टेड	इम्पोर्टेड
8	2	दि म्बर	दिसम्बर
11	18	श्रा	श्री
12	3	भं ा	भंग
14	13	तयार	तैयार
14	18	मल्य	मूल्य
18	1	दूसरी	दूसरा
23	13	अर	और
24	1	ै	हैं
30	1	श्रेणिय	श्रेणियां
30	अन्तिम से 2	समस्य	समस्या
36	6	किये	लिये
36	16	नके	उनके
40	17	जिल	जिला
40	19	सरकम	सरकार
43	अन्तिम से 11	एक्युइटी	एन्युइटी
45	15	मं ी	मंत्री
45	अन्तिम से 10	की	को
49	अन्तिम	चहना	सूचना
53	13	गाड़ा	गाड़ी
57	8	न	ने
60	8	जिन	जिस
61 से 72	शीर्षक	तारोकित प्रश्नोत्तर	अ.स.के तारांकित प्रश्नोत्तर
67	शीर्ष	(श्री जुझारसिंह)	(राजस्व मंत्री)
67	12	म	में
68	अन्तिम से 8	म	में
71	अन्तिम से 10	(चैरासी)	(चारासी)
73	शीर्ष	(श्री विट्ठलभाई)	(राजस्व मंत्री)
75	शीर्ष	(श्री गंगा सहाय)	(समाज कल्याण मंत्री)
77	शीर्ष	(देवेन्द्रकुमार मीणा)	(समाज कल्याण मंत्री)
81	अन्तिम	म	में
82	10	परिणि	परिणत
90	2	•	है
91	12	सूचन	सूचना

1	2		3	4
91		18	नीती	नीति
93		शीर्षक	उपस्थान	उपस्थापन
93	अन्तिम से	8	कुछ भी	कुछ
95		11	म	में
95	अन्तिम से	4	प्रिजनस	प्रिजनर्स
96	अन्तिम से	6	भूमि ही	भूमि हीन
113		9, 12, 18	ह	हैं
115		9	न	ने
115		11	सनिक	सैनिक
115		20, 23	सनिक	सैनिकों
115	अन्तिम से	10	मन	मेन
117		2	मतक	मृतक
119		14	स कार	सरकार
119	अन्तिम से	13	सनिकों	सैनिकों
119		अन्तिम	म	में
121		13, 23	ह	हैं
122		4	म	में
127		6	मकद्दमेबाजी	मुकद्दमेबाजी
128	अन्तिम से	9	सनिक	सैनिक
135		5, 10	म.	में
135		7	थ	थे
135		अन्तिम	नहीं है	है
138		4	इतन	इतने
138		15	बच्च	बच्चे
139		5	यह मेरे सूचना	यह सूचना मेरे
143		अन्तिम	पाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
151		16	गर	गिर
152		8	लगान	लगाने
153	अन्तिम से	9	खच	खर्च
153	अन्तिम से	8	बंकवड	बेकवर्ड
153	अन्तिम से	5	इम्बलस	इम्बेलेन्स
154	अन्तिम से	14, 13	माकट	मार्केट
155	अन्तिम से	13, 1	बक	बैंक
157		8	ने	को
159		19	हमारे	हमारी
161		9	बठे	बैठे
162		9	ह	हैं
165		अन्तिम	पर्सेन्टज	पर्सेन्टेज
166		5	बढ़गी	बढ़ेगी
168		3	रिटनिंग	रिटेनिंग
171		22	देन	देने
172		5	म	में
173	अन्तिम से	5	जाव	जावे

1	2	3		4
174		अन्तिम	फक्टरी	फेक्टरी
178		शीर्षक	पर वाद विवाद	पर सामान्य वाद विवाद
178	अन्तिम से	9	दखने	देखने
181		1	श्री माहनलाल	श्री मोहनलाल
183		18	वालटरी	वालेन्टरी
186		8	म	मैं
191		अन्तिम	भैरों ह	भैरोंसिंह
192		16	रह	रहा
196	अन्तिम से	6	आंकड़	आंकड़े
197		8	प्रकाष्ठा	पराकाष्टा
198	अन्तिम से	8	कह	कहें
200		अन्तिम	ोटा	छोटा
202	अन्तिम से	3	म	में
203		5	म	में
205	अन्तिम से	8	दकर	देकर
207		अन्तिम	क्षत्र	क्षेत्र
213		2	म	में
216		1	सखा	सूखा
218	अन्तिम से	5	पीन	पीने
234	अन्तिम से	11	कहगे	कहेंगे
234	अन्तिम से	1	स्कल	स्कूल
237		13	बढ़ना	बढ़ाना
237		अन्तिम	ैसा	पैसा
238		21	बढगे	बढ़ेंगे
247		2	सिचा	सिचाई
353		8	उनम	उनमें
255		1	मुद्द	मुद्दे
256		15	भल	भूल
256	अन्तिम से	1	चहरा	चेहरा
258		7	न	ने
259		4	मौजदा	मौजूदा
261	अन्तिम से	10	भल	मूल
273	अन्तिम से	11	न	ने
274	अन्तिम से	3	आयगे	आयेंगे
276		7	आ	आप
276	अन्तिम से	7	भ	भू
279	अन्तिम से	11	बकों	बैंकों
280		16	बाअसर है	बाअसर
282	अन्तिम से	8	गांवों	गांवों में
282	अन्तिम से	8	वष्टि	वृष्टि